भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (खण्ड–प्रथम)

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या–5

दिनांक 8 फरवरी 2024 को
विधानसभा में प्रस्तुत की गई।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु

प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (खण्ड–प्रथम)

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या–5

विषय सूची

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
अध्याय–1: विहंगावलोकन		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1.2	1
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) का कार्यालय	1.3	3
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.4	3
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	4
लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	5
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण	1.7	7
अभिस्वीकृति	1.8	10
अध्याय–2: अनुपालन लेखापरीक्षा		
राजस्व विभाग		
भूमि अर्जन एवं अर्जित भूमि की उपयोगिता पर लेखापरीक्षा	2.1	11
जल संसाधन विभाग		
तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) पर लेखापरीक्षा	2.2	48
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग		
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) की लेखापरीक्षा	2.3	68

विषय सूची

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
अध्याय–2: अनुपालन लेखापरीक्षा		
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग		
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत ''प्रति बूंद अधिक फसल'' पर लेखापरीक्षा	2.4	94
लेखापरीक्षा कंडिकायें		
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग		
छात्रावासों के निर्माण पर निष्फल व्यय	2.5	109
स्कूल शिक्षा विभाग		
शासकीय राशि का कपटपूर्ण आहरण	2.6	113

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण	117
1.2	व्याख्यात्मक टिप्पणी हेतु बकाया कंडिकाओं का विभागवार विवरण	119
1.3	31 मार्च 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्राप्त होनी थीं	120
2.1.1	मध्य प्रदेश में भूमि अर्जन अधिनियमों के अंतर्गत भूमि अर्जन की प्रक्रिया दर्शाता फ्लो चार्ट	122
2.1.2	मध्य प्रदेश के छः जिलों में 2015–20 के दौरान निजी भूमि के अर्जन के लिए अधिनिर्णित प्रतिकरों की स्थिति	123
2.1.3	मध्य प्रदेश के चयनित छः जिलों में मार्च 2020 की स्थिति में अपेक्षक निकायवार भूमि–अर्जन के लंबित प्रकरणों की स्थिति	130
2.1.4	भारत सरकार के स्पष्टीकरण पश्चात अधिनिर्णयों के संशोधन में विलंब दर्शाता विवरण	132
2.1.5	चयनित जिलों में 2015–20 के दौरान प्रतिकर के कम निर्धारण के प्रकरणों को दर्शाता विवरण	136
2.1.6	अतिरिक्त प्रतिकर के अधिक भुगतान को दर्शाता विवरण	141
2.1.7	कम/अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान को दर्शाता विवरण	143
2.1.8	कम तोषण के भुगतान को दर्शाता विवरण	145
2.1.9	अक्टूबर 2020 की स्थिति में पाँच जिलों में भू–स्वामियों को अधिनिर्णीत/स्वीकृत प्रतिकर के लंबित भुगतान को दर्शाता विवरण	146
2.1.10	भूमि अर्जन प्रक्रिया में विलंब जिससे भूमि का उपयोग एवं परियोजना कार्य की पूर्णता प्रभावित हुई को दर्शाता विवरण	152

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.1.11	प्राधिकरण/समुचित सरकार के वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को दर्शाता विवरण	157
2.2.1	चिपकने न फूलने वाली मिट्टी (सी.एन.एस.) बिछाने से पहले टैंपिंग की अस्वीकार्य मद के निष्पादन के कारण अतिरिक्त लागत	158
2.2.2	पेवर मशीन से सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के नीचे कंक्रीट स्लीपर एवं एल.डी.पी.ई. फिल्म का अनावश्यक प्रावधान	160
2.2.3	मानदंड से नीचे किये गये चिपकने न फूलने वाली मिट्टी (सी.एन.एस.) के कार्य का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	161
2.2.4	सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्य के लिए बी.आई.एस. मानक मानदंडों से नीचे किये गये कार्य को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	162
2.3.1	चयनित आठ जिलों में 2018–21 की अवधि के दौरान घटकवार लक्ष्य एवं लक्ष्य की पूर्ति	165
2.3.2	सांकेतिक लागत के स्थान पर अधिकतम लागत स्वीकार करने के कारण अधिक अनुदान का भुगतान	167
2.3.3	किसानों के बैंक खाते के बजाय फर्मों के बैंक खातों में भुगतान का विवरण	170
2.3.4	क्रय किये गए पॉवर टिलर मशीन के परीक्षण/प्रमाणन के बिना व्यय	174
2.3.5	क्रय किये गए नेपसेक पॉवर स्प्रेयर के परीक्षण/प्रमाणन के बिना व्यय	175
2.3.6	प्रकरणों जिनमें कार्यादेश जारी होने के पूर्व कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया अथवा पहला एवं दूसरा भौतिक सत्यापन एक ही दिन किया गया को दर्शाने वाला विवरण	176
2.3.7	संरक्षित खेती घटक (शेडनेट/पॉली हाउस में सब्जी/फूलों की खेती) के अंतर्गत किए गए कार्यों के भौतिक सत्यापन	178

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	**विवरण**	**पृष्ठ क्रमांक**
	में अनियमितता दर्शाने वाला विवरण	
2.3.8	संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कार्यादेश जारी होने के पूर्व पूर्ण हो चुके कार्यों के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण	180
2.4.1	संगठनात्मक ढाँचा	181
2.4.2	अपंजीकृत फर्म से पी.वी.सी. पाईप क्रय कर ड्रिप संयंत्र की आपूर्ति को दर्शाने वाला पत्रक	182
2.4.3	कृषकों को अधिक वित्तीय सहायता जारी किये जाने को दर्शाने वाला पत्रक	183
2.4.4	हितग्राहियों का नाम खसरा में नहीं पाये गये प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	192
2.5.1	केन्द्रीय सहायता से निर्मित 30 बालिका छात्रावासों की उपयोगिता की स्थिति	195
2.6.1	देयक संख्या 48/20.08.2018 एवं 227/24.03.2018 के माध्यम से प्राप्त राशियाँ तथा राशियों के संदिग्ध बैंक खातों में जमा किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	202
2.6.2	देयक संख्या 156/10.01.2019, 195/19.03.2019 एवं 203/27.03.2019 के माध्यम से प्राप्त किये गये एवं संदिग्ध बैंक खातों में जमा की गयी राशियों का विवरण पत्रक	206

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सौंपने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, राजस्व, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा जल संसाधन विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो अवधि 2019–21 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने पर जानकारी में आये थे। प्रकरण जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–21 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

अध्याय—1
विहंगावलोकन

अध्याय–1: विहंगावलोकन

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न लेखापरीक्षित विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरण शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का मूलभूत उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान सभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियों को तैयार करने के साथ–साथ निर्देश जारी करने में सक्षम बनाना अपेक्षित है जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देगा और बेहतर प्रशासन में योगदान देगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना एवं क्षेत्र, लेन–देनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिये गये लेखापरीक्षा निष्कर्षों/प्रेक्षणों पर विभागों एवं शासन की प्रतिक्रिया तथा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही को वर्णित करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

मध्य प्रदेश शासन के 54 विभागों में से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश के लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लेखापरीक्षित 33[1] विभागों द्वारा चार वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान किये गये व्यय का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका:–1.1

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग का नाम	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	31,654.94	30,916.50	24,663.38	24,194.34
2.	स्कूल शिक्षा विभाग	10,563.75	11,270.77	19,046.17	20,953.88
3.	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	5,362.35	9,942.57	15,172.39	13,706.75
4.	राजस्व विभाग	3,932.00	3,980.89	7,796.97	12,095.11
5.	गृह विभाग	5,888.01	6,840.54	7,258.04	7,338.56
6.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	5,236.41	5,093.04	6,762.62	7,226.08
7.	जनजातीय कार्य विभाग	3,677.81	3,903.72	7,448.83	6,858.82
8.	जल संसाधन विभाग	7,042.41	6,681.26	7,182.45	6,251.08
9.	नर्मदा घाटी विकास विभाग	2,535.84	3,144.72	3,224.97	5,031.95
10.	महिला एवं बाल विकास विभाग	3,831.64	4,222.96	4,659.36	4,833.02
11.	उच्च शिक्षा विभाग	1,709.44	1,963.58	2,218.28	2,634.92
12.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,629.79	1,968.02	2,033.95	1,770.65
13.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	972.86	1,358.61	1,626.13	1,537.62
14.	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	1,083.70	976.59	1,062.49	1,282.96

[1] मध्य प्रदेश शासन के 54 में से शेष 21 विभाग कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), मध्य प्रदेश, भोपाल के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में हैं।

स.क्र.	विभाग का नाम	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
15.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	901.62	1,064.35	948.19	967.50
16.	श्रम विभाग	165.28	974.97	778.87	938.05
17.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	824.88	840.84	854.10	896.15
18.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,576.76	1,309.53	958.78	864.69
19.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	759.26	882.92	987.64	849.76
20.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	442.99	501.09	749.07	668.90
21.	सामान्य प्रशासन विभाग	593.49	579.39	597.72	602.77
22.	सहकारिता विभाग	1,894.86	1,683.29	501.41	582.00
23.	आयुष विभाग	351.47	429.42	511.04	436.03
24.	जेल विभाग	292.75	328.54	383.63	423.91
25.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	649.86	1,388.17	617.20	406.98
26.	जन संपर्क विभाग	382.94	418.82	330.49	331.48
27.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	174.59	171.19	139.25	145.26
28.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग	65.58	75.91	80.08	112.46
29.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग	96.03	102.83	102.75	109.98
30.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग[2]	211.44	199.20	121.60	92.09
31.	संसदीय कार्य (राज्य विधान सभा) विभाग	87.13	83.98	81.48	80.49
32.	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	47.67	46.96	53.82	47.83
33.	विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग	19.56	15.87	18.43	17.57
योग		**94,659.11**	**1,03,361.04**	**1,18,971.58**	**1,24,289.64**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के लिये मध्य प्रदेश शासन के विनियोग लेखे एवं वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन से एकत्रित आँकड़े)

[2] कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अन्तर्गत दो संचालनालय अर्थात हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय तथा रेशम उत्पादन संचालनालय हैं। रेशम उत्पादन संचालनालय कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश, के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में हैं।

1.3 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) का कार्यालय

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश के कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के 54 विभागों में से 33 विभागों के साथ–साथ आठ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यू.) एवं तीन स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा की जाती है।

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय

1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 सहपठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें), अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा का प्राधिकार उद्भूत है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक डी.पी.सी. अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर शासन के विभागों की लेखापरीक्षा करता है:

- व्यय की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 13[3] के अन्तर्गत की जाती है;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(1)[4] के अन्तर्गत की जाती है;
- ***स्वायत्त निकायों*** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2)[5] एवं 20(1)[6] के अन्तर्गत की जाती है;
- ***स्थानीय निकायों*** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत की जाती है;
- इसके अतिरिक्त, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14[7] के अन्तर्गत शासन द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित ***अन्य स्वायत्त निकायों*** की लेखापरीक्षा भी की जाती है।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से जारी लेखापरीक्षा मानक तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम सहित अन्य दिशानिर्देशों, नियमावली एवं निर्देशों में निर्धारित हैं।

---

[3] (i) राज्य की संचित निधि से सभी लेन–देन (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेन–देन तथा (iii) राज्य के किसी भी विभाग में रखे गये सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखा, तुलना–पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

[4] सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

[5] राज्य विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हों) के लेखाओं की संबंधित विधान के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा।

[6] राज्यपाल के अनुरोध पर, किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जिन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एवं शासन सहमत हों की लेखापरीक्षा।

[7] (i) राज्य की संचित निधि से अनुदानों अथवा ऋणों से पर्याप्त वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण के प्राप्ति एवं व्यय तथा (ii) किसी निकाय अथवा प्राधिकरण जहाँ इन निकाय अथवा प्राधिकरण को राज्य की संचित निधि से एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम का अनुदान अथवा ऋण प्रदत्त न हो के प्राप्ति एवं व्यय की लेखापरीक्षा।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया को निम्न रेखा–चित्र दर्शाता है:

रेखा–चित्र 1.1: लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी

जोखिम का आकलन – इकाईयों/योजनाओं आदि की लेखापरीक्षा के लिये योजना, जोखिम आकलन में शामिल कुछ मानदंडों पर आधारित है जैसे,

- किया गया व्यय
- लेखापरीक्षा का अंतराल
- गतिविधियों की महत्वपूर्णता/जटिलता
- शासन द्वारा गतिविधि के लिये दी गई प्राथमिकता
- प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर
- आंतरिक नियंत्रण का आकलन
- हितधारकों का हित, आदि

लेखापरीक्षा की योजना में विनिश्चित करना शामिल है

- लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रकार –वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं क्रियाविधि
- विस्तृत लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा इकाईयों एवं लेन–देनों का नमूना चयन

निरीक्षण प्रतिवेदन निम्न आधार पर जारी किये जाते हैं

- अभिलेखों की संवीक्षा/आँकड़ों का विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्य की जाँच
- लेखापरीक्षा पूछताछ पर प्रस्तुत उत्तर/सूचना
- इकाई प्रमुख/स्थानीय प्रबंधन से चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है

- महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण जो निरीक्षण प्रतिवेदनों या प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हों
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग/शासन की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये, एवं
- राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुतीकरण हेतु राज्यपाल को सौंपा जाना।

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करते हुये इकाई प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया जाता है। जब उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्ष या तो निराकृत हो जाते हैं या अनुपालन के लिये आगामी कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रतिक्रियाओं पर समुचित विचारोपरांत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संभव समावेश के पूर्व प्रारूप कंडिकाओं के रूप में शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभावित समावेश के पूर्व, विशिष्ट मुद्दों, विषयों, योजनाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रारूप भी शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये जारी किये जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करवाने हेतु सौंपे जाते हैं।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रमुख एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया देना तथा उचित सुधारात्मक कार्यवाही करना आवश्यक है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में संसूचित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर आवधिक अंतरालों पर जिला/राज्य स्तर पर प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के अधिकारियों की संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भी चर्चा होती है।

मार्च 2022 की स्थिति में, पूर्व वर्षों से संबंधित 13,642 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 50,924 कंडिकायें निराकरण हेतु लंबित थीं जैसा नीचे वर्णित है। इनमें से, 1,583 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 8,596 कंडिकाओं (16.88 प्रतिशत) के संबंध में प्रारंभिक उत्तर प्राप्त नहीं हुये। विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

तालिका–1.2

वर्ष	31 मार्च 2022 की स्थिति में निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या		31 मार्च 2022 की स्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकायें जिन पर प्रारंभिक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुये।	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकायें	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकायें
2016–17 एवं पूर्व वर्षों में	10,390	30,361	602	2,179
2017–18	1,363	7,215	260	1,424
2018–19	771	4,958	200	1,160
2019–20	1,088	8,154	492	3,617
2020–21	30	236	29	216
योग	**13,642**	**50,924**	**1,583**	**8,596**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश द्वारा संधारित अभिलेख

निरीक्षण प्रतिवदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित की गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को बनाये रखने के जोखिम को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप शासकीय प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण की कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अक्षम एवं अप्रभावी प्रदाय, कपट, भ्रष्टाचार एवं शासकीय कोष को नुकसान हो सकता है। इसलिये, राज्य शासन को इन निरीक्षण

प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं की समीक्षा करने के लिये एवं इनमें चिन्हित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.6.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इनकी प्राप्ति से विशिष्ट समयावधि[8] के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करना आवश्यक है। हमने चार प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं दो लेखापरीक्षा कंडिकायें संबंधित विभागों[9] के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिये एवं दो सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित किया। यह उनके वैयक्तिक ध्यान में लाया गया था कि इन कंडिकाओं को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, में शामिल किया जाना है एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाना वांछनीय होगा। बार–बार स्मरण पत्र देने के बावजूद, शासन की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने संबंधी तथ्य को शासन के मुख्य सचिव के संज्ञान में भी अप्रैल 2022, जुलाई 2022 एवं अगस्त 2022 में लाया गया। तत्पश्चात, शासन/विभाग द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा/लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई जिन्हें उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.3 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर उनके राज्य विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह[10] के भीतर, की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही को अंकित करते हुये व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिये, विभागों को लोक लेखा समिति से किसी सूचना अथवा मांग की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। 31 मार्च 2022 की स्थिति में, वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सात विभागों के 25 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी अप्राप्त थी। विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

1.6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासकीय विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर प्राप्ति के दिनांक से छः माह[11] के भीतर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना आवश्यक है। मार्च 2022 की स्थिति में, 14 विभागों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 68 कंडिकाओं पर 31 ए.टी.एन. अप्राप्त थे। विवरण ***परिशिष्ट 1.3*** में दिया गया है।

---

[8] लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2020 की कंडिका 137 एवं 138 के अनुसार।

[9] किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, राजस्व, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा जल संसाधन विभाग।

[10] भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिये नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 4.30 के अनुसार।

[11] भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिये नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 4.33 के अनुसार।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

यह प्रतिवेदन 2019–21 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के छः विभागों[12] के लेखों एवं लेन–देनों की नमूना जाँच से उद्भूत चार अनुपालन लेखापरीक्षा एवं दो लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करता है।

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है।

1.7.1 भूमि अर्जन एवं अर्जित भूमि के उपयोग पर लेखापरीक्षा

राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013), राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.) अधिनियम, 1956 एवं मध्य प्रदेश आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत संघ एवं राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से माँग के आधार पर लोक प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करता है। अधिनियम, 2013 पूर्व के भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का स्थान लेते हुए 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ।

विभाग़ ने वर्ष 2015–20 के दौरान मध्य प्रदेश में लेखापरीक्षित छः जिलों में ₹ 2,208.67 करोड़ की कुल लागत से 12,928.603 हेक्टयेर (हे.) भूमि का अर्जन किया। भूमि अर्जन एवं अर्जित भूमि की उपयोगिता की अवधि 2015–20 की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआः

विभाग भूमि अर्जन की प्रक्रिया में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर सका। हमने भू–स्वामियों को उचित एवं समय पर प्रतिकर सुनिश्चित करने के लिए भूमि–अभिलेखों के अद्यतनीकरण एवं दस्तावेजीकरण में कमियाँ पायी। विभाग ने प्रारंभिक सर्वेक्षण तथा प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन घोषणा के प्रकाशन के पूर्व प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित नहीं किया। हमने एक ही भूमि के दो भिन्न सर्वेक्षण प्रतिवेदन में भिन्नतायें देखी जबकि समान भूमि का समान कर्मचारी द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। कलेक्टर/भू–अर्जन अधिकारियों ने 10 भूमि अर्जन प्रकरणों में घोषणा का प्रकाशन किया जाना तथा नौ भूमि अर्जन प्रकरणों में प्रतिकर प्रकरणों को समय पर अंतिम रूप दिया जाना सुनिश्चित नहीं किया। अपेक्षक निकायों ने तीन जिलो में 321 भू–स्वामियों की 19.688 हेक्टेयर भूमि ₹ 18.79 करोड़ के प्रतिकर का अधिनिर्णय स्वीकृत होने से पूर्व गैर–कानूनी तरीके से आधिपत्य लिया/उपयोग किया।

कलेक्टर गाईडलाइन एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर अधिनिर्णय के निर्धारण में कमियाँ थी जिसके परिणामस्वरूप 32 भूमि अर्जन प्रकरणों में ₹ 21.73 करोड़ के प्रतिकर का अनुचित निर्धारण हुआ। इसी प्रकार, प्रतिकर के अन्य घटकों जैसे कि अतिरिक्त प्रतिकर एवं तोषण उचित रूप से परिकलित नहीं किये गये परिणामस्वरूप दोनों 28 भूमि अर्जन के प्रकरणों में ₹ 4.78 करोड़ के प्रतिकर का अतिरिक्त भुगतान एवं 20 भूमि अर्जन प्रकरणों में ₹ 3.66 करोड़ के प्रतिकर का कम भुगतान हुआ। हमने 65 भूमि अर्जन प्रकरणों में 3,986 भू–स्वामियों में से 1,827 भू स्वामियों को ₹ 595.57 करोड़ में से ₹ 270.71 करोड़ के प्रतिकर के संवितरण में विलम्ब तथा 59 भूमि अर्जन प्रकरणों में 3,953 भू–स्वामियों में से 859 भू–स्वामियों को ₹ 573.09 करोड़ में से ₹ 102.70 करोड़ के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाना भी देखा। व्यक्तिगत जमा खातों में राशियों के रखरखाव एवं समाशोधन पर शासकीय आदेशों का पालन नहीं किया गया। प्रतिकर का भुगतान किये जाने के बाद भी बिक्री विलेख

[12] किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, राजस्व, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा जल संसाधन विभाग।

निष्पादित न किये जाने एवं बिक्री विलेख कलेक्टर के नाम से निष्पादित न किये जाने के कारण आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति का उल्लघंन हुआ था।

आठ भूमि अर्जन प्रकरणों में भूमि अर्जन प्रक्रिया में देरी के कारण छः परियोजनाओं का कार्य नियत समय में पूर्ण नहीं हो सका। भूमि उपयोग की स्थिति की निगरानी, जिससे विचलनों/गैर–अनुपालन के प्रकरणों में उचित एवं समय पर कार्यवाही किया जाना सुविधाजनक होता हेतु डेटाबेस/प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) अथवा कोई अन्य क्रियाविधि नहीं थी। दोनों राज्य एवं जिला स्तरों पर अर्जित निजी भूमि एवं प्रतिकर के भुगतान का डेटाबेस संधारित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1)

1.7.2 तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) पर लेखापरीक्षा

तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) का उद्देश्य मुख्य नहरों से माइनर्स तक पूरी नहर प्रणाली की सीमेंट कंक्रीट (सी.सी.) लाइनिंग द्वारा कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सी.सी.ए.) को बढ़ाना था ताकि अधिक क्षेत्र को कमान के तहत लाया जा सके और नहर के टेल क्षेत्रों में वंचित क्षेत्रों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा सके। विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का उद्देश्य तवा सिंचाई परियोजना के तत्कालीन मिट्टी की नहर प्रणाली के मौजूदा डिजाइन्ड सी.सी.ए. को 2,40,953 हेक्टेयर से बढ़ाकर 3,20,146 हेक्टेयर करना था। 2018–21 की अवधि में तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा में विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यों के निष्पादन में कई कमियाँ सामने आईं। मार्च 2021 की स्थिति में, विभाग 2,670.92 किलोमीटर की आवश्यक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के विरुद्ध केवल 375.66 किलोमीटर (14.06 प्रतिशत) की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग पूर्ण कर सका। अपर्याप्त सर्वेक्षण तथा मुख्य नहरों, शाखा नहरों, वितरिकाओं एवं माइनर्स के लाइनिंग कार्यों में तालमेल की कमी के कारण सी.सी.ए. को बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे, विभाग ने तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की स्वीकृति की तिथि से सात वर्ष की समाप्ति के बावजूद माइनर्स में लाइनिंग कार्यों के लिए शासन से आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही (योजना/लागत का प्राक्कलन) शुरू नहीं की। इस प्रकार, ₹ 592.81 करोड़ के व्यय के बावजूद सी.सी.ए. को केवल 3,830 हेक्टेयर (लक्षित अतिरिक्त सी.सी.ए. का 5 प्रतिशत) बढ़ाया जा सका। अनुबंध प्रबंधन और कार्य के निष्पादन की लेखापरीक्षा में कई कमियों का पता चला जैसे प्राक्कलनों में अनावश्यक या अस्वीकार्य मदों को शामिल करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अतिरिक्त/अधिक भुगतान किया गया, ठेकेदारों को अनुबंध की सामान्य शर्त के उल्लंघन में मूल्य समायोजन का भुगतान करके अनुचित लाभ दिया गया। आगे, विभाग ने नहरों के निर्माण के दौरान विनिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं किया और विनिर्देशों से निम्न स्तर के कार्यों को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप मानक से नीचे का कार्य निष्पादित हुआ जिससे नहर की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का जीवनकाल प्रभावित हो सकता है। टेल क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ परिणामस्वरूप होशंगाबाद के 476 ग्रामों एवं हरदा जिले के 332 ग्रामों के अपेक्षित हितग्राहियों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

(कंडिका 2.2)

1.7.3 एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) की लेखापरीक्षा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एम.ओ.ए.एफ.डब्ल्यू.), भारत सरकार ने बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) को अप्रैल 2014 से लागू किया। 2018–21 के दौरान राज्य शासन द्वारा क्रियान्वित एकीकृत बागवानी विकास मिशन की लेखापरीक्षा में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कई कमियाँ परिलक्षित हुई जैसे कि राज्य बागवानी मिशन (एस.एच.एम.) बागवानी के समग्र विकास के लिये परिप्रेक्ष्य/रणनीतिक योजना तैयार करने में विफल रहा तथा वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.), बेसलाइन सर्वे एवं व्यवहार्यता अध्ययनों को किये बिना तैयार की गई थी। क्षेत्रीय कार्यालयों से या सर्वेक्षण के माध्यम से आदानों/डेटा के अभाव में, राज्य बागवानी मिशन द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजनायें जमीनी वास्तविकताओं से बहुत दूर थी। आगे, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को फसलों/प्रजातियों एवं हितग्राहियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता थी, यद्यपि विभाग ने मिशन के उद्देश्यों का क्रियान्वयन करते समय पंचायती राज संस्थाओं की विशेषज्ञता, फीडबैक और बढ़े हुये सहयोग को खो दिया। राज्य बागवानी मिशन के वित्तीय प्रबंधन में भी कमियाँ थीं क्योंकि राज्य बागवानी मिशन 2018–19 से 2020–21 के दौरान जारी राशि के विरूद्ध केवल 68 प्रतिशत राशि का उपयोग कर सका। आगे, राज्य बागवानी मिशन ने मध्य प्रदेश शासन के निदेर्शों का उल्लंघन करते हुए बिना सामग्री की प्राप्ति के अनियमित रूप से ₹ 6.75 करोड़ मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड को भुगतान किया। 2018–21 के दौरान क्षेत्र विस्तार, फसलोपरांत प्रबंधन, संरक्षित खेती, बागवानी यंत्रीकरण इत्यादि जैसे कई घटकों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमी थी जिसके परिणामस्वरूप राज्य भर में वर्ष दर वर्ष एकीकृत बागवानी विकास मिशन के व्यापक लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। क्रियान्वयन में कमी वार्षिक कार्य योजनाओं को समय पर स्वीकृत करने एवं कार्यान्वयन के लिए जिलों को सूचित करने में राज्य बागवानी मिशन की विफलता के कारण थी। चयनित जिलों में अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि सहायक संचालकों/उप संचालकों ने अपात्र हितग्राहियों को अनुदान का भुगतान किया या नकली माल और सेवा कर पहचान संख्या वाले बीजकों के आधार पर अनुदान का भुगतान किया। आगे, हमने मौजूदा आदेशों/निर्देशों के उल्लंघन में क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, बागवानी यंत्रीकरण, फसलोपरान्त प्रबन्धन आदि घटकों में अनुदान का अनियमित/अधिक भुगतान पाया। विभाग की निगरानी में भी कमी थी क्योंकि अमले की कमी के साथ–साथ उचित निगरानी के अभाव में, कार्यों का भौतिक सत्यापन और जियो टैगिंग ठीक से नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, पूर्व–स्थापित संरचनाओं के लिये कार्यादेश जारी किये गये एवं किये गये भौतिक सत्यापन संदिग्ध प्रतीत हुए।

(कंडिका 2.3)

1.7.4 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत ''प्रति बूंद अधिक फसल'' पर लेखापरीक्षा

प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.) केन्द्र प्रवर्तित ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'' के चार घटकों में से एक घटक है। इसका उद्देश्य खेत स्तर पर उचित तकनीकी हस्तक्षेपों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित कर जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाना है। प्रति बूंद अधिक फसल की लेखापरीक्षा से परिलक्षित हुआ कि कार्यक्रम प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि विभाग दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार की निधियों का उपयोग करने में विफल रहे जिसके कारण वर्ष 2016–20 तक के दौरान दूसरी किस्त ₹ 324 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी के अन्तर्गत लक्ष्य के विरूद्ध 65 प्रतिशत (4.01 लाख हेक्टेयर) क्षेत्र कवरेज में कमी थी। वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि राज्य स्तरीय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन समिति/राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के निर्णय के विरूद्ध योजना के प्रशासनिक व्यय से एम.पी. एग्रो के पक्ष में ₹ 4.76 करोड़ के भुगतान का स्वीकृति आदेश जारी किया गया, संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा नमूना जाँच किए गए चार जिलों के सहायक/

उप संचालक, उद्यान द्वारा प्रशासनिक मद से क्रमशः ₹ 84.65 लाख और ₹ 6.19 लाख का गैर–अनुमत्य व्यय किया गया। योजना के कार्यान्वयन में कमियाँ थीं क्योंकि विभाग ने तीन प्रतिबंधित कंपनियों को लाभ दिया तथा 123 ड्रिप सिस्टम एवं 197 स्प्रिंकलर सिस्टम की आपूर्ति के लिए ₹ 1.01 करोड़ का भुगतान किया, अपर संचालक, उद्यान द्वारा आपूर्तिकर्ता को गैर–पंजीकृत फर्म से ₹ 17.52 लाख की लागत के 26,958 मीटर पी.वी.सी. पाइप के साथ 225 ड्रिप प्रणाली की आपूर्ति करने की अनियमित अनुमति दी गयी। निगरानी और मूल्यांकन में कमियाँ थीं क्योंकि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने वर्ष 2016–20 के दौरान निगरानी और मूल्यांकन हेतु कार्य योजना तय नहीं की थी।

(कंडिका 2.4)

1.7.5 छात्रावासों के निर्माण पर निष्फल व्यय

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में बिना आवश्यकता का आकलन किये बालिका छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की, जिससे 30 बालिका छात्रावास अनुपयोगी रहे/आंशिक उपयोग हुआ एवं परिणामस्वरूप ₹ 26.30 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.5)

1.7.6 शासकीय राशि का कपटपूर्ण आहरण

जिला शिक्षा अधिकारी, रीवा ने अनुदानग्राही विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन/बकाया वेतन के लिए ₹ 65.05 लाख का कपटपूर्ण आहरण किया और राशि को बैंक खातों जो लक्षित लाभार्थियों के नहीं थे में स्थानांतरित किया।

(कंडिका 2.6)

1.8 अभिस्वीकृति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर राज्य शासन के अधिकारियों के द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान किये गये सहयोग एवं सहायता के लिये आभार प्रकट करता है।

अध्याय–2
अनुपालन लेखापरीक्षा

- भूमि अर्जन एवं अर्जित भूमि की उपयोगिता पर लेखापरीक्षा
- तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) पर लेखापरीक्षा
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) की लेखापरीक्षा
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत ''प्रति बूंद अधिक फसल'' पर लेखापरीक्षा
- दो लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय–2: अनुपालन लेखापरीक्षा

राजस्व विभाग

2.1 भूमि अर्जन एवं अर्जित भूमि की उपयोगिता पर लेखापरीक्षा

2.1.1 प्रस्तावना

राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन संघ एवं राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों से मांग के आधार पर लोक प्रयोजन जैसे सड़क, बांध, जलाशय इत्यादि के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 तथा मध्य प्रदेश आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि का अर्जन करता है। अधिनियम 2013, पूर्व के भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का स्थान लेते हुए एक जनवरी 2014[1] से प्रभावी हुआ। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 के अंतर्गत अर्जन के प्रकरणों को छोड़कर, भूमि अर्जन की प्रक्रिया चार चरणों (अपेक्षक निकाय से मांग, प्रारंभिक अधिसूचना, घोषणा एवं प्रतिकर का अधिनिर्णय) में की जाती थी। राज्य में अपनाई गई भू–अर्जन प्रक्रिया ***परिशिष्ट–2.1.1*** में दी गई है। 2015–20 के दौरान, विभाग ने मध्य प्रदेश के छः चयनित जिलों में ₹ 2,208.67 करोड़[2] की कुल लागत से 12,928.603[3] हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया था। इन छः[4] जिलों में 2015–20 के दौरान जिलावार और अपेक्षक निकायवार[5] अधिनिर्णित प्रतिकर का विवरण ***परिशिष्ट–2.1.2*** में दिया गया है। विभाग ने 2015–20 की अवधि में भूमि की मांग/अर्जन, भूमि अर्जन के लिए प्रदान की गई निधियां, भूमि अर्जन पर किए गए व्यय इत्यादि से संबंधित संपूर्ण राज्य की जानकारी प्रदान नहीं की।

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। राज्य स्तर पर भूमि अर्जन के लिए प्रमुख राजस्व आयुक्त विभागाध्यक्ष होता है। जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तथा तहसीलदार की सहायता से अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि का अर्जन करता है।

मध्य प्रदेश शासन ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के अंतर्गत भूमि अर्जन में उत्पन्न होने वाले विवादों के निराकरण के लिए जिला न्यायाधीशों (डी. एवं जे.) को पदेन पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त (सितंबर 2016) किया।

---

[1] राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 सहित चौथी अनुसूची में उल्लिखित अन्य संबंधित अधिनियमों के कुछ प्रावधानों जो दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील हुए की प्रयोज्यता को छोड़कर।

[2] लागत में प्रतिकर की राशि (परिसंपत्ति/पुनर्वासन सहित, परन्तु प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) शामिल है।

[3] भारत सरकार के विभागों (रेलवे एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अर्जित 272.708 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

[4] भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, राजगढ़ एवं सागर

[5] राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के मामले में अधिग्रहण एजेंसी।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

भूमि अर्जन की अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या:

- भूमि अर्जन के लिए अधिनियम के प्रावधानों, नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया गया;
- भू–स्वामियों को देय प्रतिकरों का समुचित निर्धारण किया गया तथा समय पर भू–स्वामियों को भुगतान किया गया;
- विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अर्जित भूमि का समय पर उपयोग एवं निगरानी के लिए पर्याप्त तंत्र मौजूद था।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

हमने निम्नांकित से लेखापरीक्षा मानदंड प्राप्त किए:–

- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.) अधिनियम, 2013, यथा संशोधित एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं इसके अंतर्गत जारी आदेश/नियमावली; वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972;
- मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 एवं आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014;
- मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959, कलेक्टर गाईडलाईन्स[6], प्रतिकर अधिनिर्णय, भूमि अर्जन से संबंधित भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के आदेश एवं परिपत्र।

2.1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

हमने राजस्व विभाग (मुख्यालय) भोपाल के अभिलेखों एवं राज्य के छः जिलों (52 में से) में 2015–16 से 2019–20 तक की अवधि के दौरान संबंधित भूमि अर्जन अधिनियमों/नीति के अंतर्गत कलेक्टरों/भू–अर्जन अधिकारियों द्वारा अधिनिर्णित किए गए कुल 895 भू–अर्जन प्रकरणों में से 141 भूमि अर्जन प्रकरणों अर्थात लगभग 16 प्रतिशत की जांच की, जैसा कि **तालिका–2.1.1** में दिया गया है:

तालिका 2.1.1: नमूना जाँच किये गये छः जिलों में 2015–20 के दौरान पारित अधिनिर्णय

अधिनियम/विनियमों/मार्गदर्शिका/नीति के नाम	भू–अर्जन प्रकरणों की संख्या	अधिनिर्णय राशि (₹ करोड़ में)	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013	106[7]	825.08	4,434.604

[6] कलेक्टर गाईडलाइन्स विक्रय विलेख के पंजीकरण के लिए भूमि, भवन आदि के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु दरें निर्दिष्ट करता है।

[7] 01.01.2014 की स्थिति में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अंशतः प्रक्रियागत नौ प्रकरण शामिल है जिनमें अधिनियम, 2013 की धारा 24 के प्रावधानों के तहत प्रतिकर अधिनिर्णित किए गए ।

तालिका 2.1.1: नमूना जाँच किये गये छः जिलों में 2015–20 के दौरान पारित अधिनिर्णय			
अधिनियम/विनियमों/मार्गदर्शिका/ नीति के नाम	भू–अर्जन प्रकरणों की संख्या	अधिनिर्णय राशि (₹ करोड़ में)	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956	16	32.83	9.535
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014	15	27.61	52.852
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	03	36.30	225.110
अनुदान	01	6.66	0
योग	**141**[8]	**928.48**	**4,722.101**

इन छः जिलों का चयन 2015–16 से 2019–20 के दौरान भू–अर्जन पर प्रतिवेदित व्यय तथा कोविड–19 महामारी (सितंबर–नवम्बर 2020) के दौरान परिवहन के कनेक्टिविटी की उपलब्धता के आधार पर किया गया। चयनित किए गए 141 प्रकरणों में से, अधिनियम 2013 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियाएं लोक प्रयोजनों हेतु भूमि अर्जन के लिए 118 अनिवार्य भूमि अर्जन पर लागू थी तथा शेष 23[9] प्रकरणों में, संबंधित अर्जन की प्रक्रियायें (जैसे आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति) लागू थी।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र एवं पद्धति बताने के लिए प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित (अक्टूबर 2020) किया गया। अक्टूबर 2021 में निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया तथा शासन से प्राप्त (अक्टूबर 2022) उत्तर उचित रूप से इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

2.1.6 राज्य में भूमि अर्जन से संबंधित पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कार्यवाही

मध्य प्रदेश शासन के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) संख्या–2 जिसमें भूमि का अर्जन तथा आवंटन/शासकीय भूमि प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल था, दिनांक 12 दिसंबर 2012 को विधान सभा के पटल पर रखा गया था। लोक लेखा समिति द्वारा जून 2017 में प्रतिवेदन पर चर्चा की गई एवं लोक लेखा समिति का सिफारिशी प्रतिवेदन प्रतीक्षित (अप्रैल 2022) था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.7 भूमि अर्जन

जिला कलेक्टर विभिन्न अवसरों पर अपर कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को भू–अर्जन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, के अंतर्गत भूमि अर्जन के मामले में प्रारंभिक अधिसूचना एवं घोषणा का प्रकाशन जो कि संबंधित एन.एच.ए.आई.[10] के परियोजना इकाईयों द्वारा निष्पादित की जाती है, को

[8] इन अधिनिर्णयों में 2015–16 से पहले की गई 16 मांगें (788.374 हेक्टेयर) शामिल हैं।

[9] कुल 23 प्रकरणों को छोड़ा गया है क्योंकि भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है (परिसंपत्तियों के बकाया भुगतान के तीन प्रकरण (जिला–जबलपुर), संशोधित अवार्ड का एक प्रकरण (जिला राजगढ़) एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के तीन प्रकरण (जिला सागर), आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के 15 प्रकरण एवं मकानों के अधिग्रहण हेतु अनुदान भुगतान का एक प्रकरण)

[10] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

छोड़कर भूमि अर्जन की सभी प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।

चयनित छः जिलों में 2015–20 के दौरान प्राप्त मांग के विरूद्ध 31 मार्च 2020 को भूमि अर्जन की स्थिति **तालिका–2.1.2** में दी गई है।

तालिका–2.1.2: 2015–20 के दौरान छः जिलों में भू–अर्जन प्रकरणों की स्थिति					कुल (संख्या)
भूमि अर्जन प्रकरणों का विवरण	भूमि अर्जन प्रकरणों की श्रेणी				
	भूमि (संख्या)	भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमि से संलग्न परिसंपत्तियां (संख्या)	पुनर्वासन अनुदान (संख्या)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(2+4+5)
(क) अपेक्षक निकायों से प्राप्त मांग	900	22,879.221	85	115	1,100
(ख) अधिनिर्णित भूमि अर्जन प्रकरण	660	11,833.150	67	111	838
(ग) लंबित मांग	234	9,083.501	16	4	254
(घ) स्थिति उपलब्ध न होना	6	6.818[11]	2	0	8

(स्रोतः–राजस्व विभाग/भू–अर्जन अधिकारियों के अभिलेखों से संकलित आँकड़े)

छः जिलों में, 2015–20 के दौरान 895 भू–अर्जन (एल.ए.) अधिनिर्णय (1 अप्रैल 2015 के पूर्व प्राप्त मांग से संबंधित 57 अधिनिर्णय सहित) पारित हुआ था। 57 अधिनिर्णय से संबंधित 1,095.453 हेक्टेयर के अतिरिक्त, विभाग ने 2015–20 के दौरान प्राप्त माँग के विरूद्ध 52 प्रतिशत भूमि अर्जन किया तथा 40 प्रतिशत भूमि अर्जन[12] किया जाना था ***(परिशिष्ट–2.1.3)***। शेष आठ प्रतिशत मांग किए गए क्षेत्र की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि ग्वालियर एवं होशंगाबाद जिले में भूमि अर्जन के कार्य पूरे हो गए हैं। राजगढ़ जिले में रेलवे के प्रकरण में भूमि अर्जन प्रस्ताव लम्बित थे। सागर जिले में, आवेदनकर्ता एजेंसियों द्वारा प्रतिकर राशि जमा न करने तथा प्रभावित पक्षकारों द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही को उच्च न्यायालयों में चुनौती देने के कारण अर्जन कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने अपने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना एक सामान्य उत्तर प्रस्तुत किया है । यदि हम ग्वालियर, होशंगाबाद एवं राजगढ़ जिलों के लिए विभाग के उत्तर को उसके फेस वैल्यू के आधार पर मान्य कर ले, तब भी शेष जिलों (भोपाल, जबलपुर एवं सागर जिले) में विभाग की कार्यवाही अभी भी अपर्याप्त है क्योंकि अर्जन के लिए लगभग 31 प्रतिशत मामले अभी भी लंबित हैं।

उपर्युक्त चयनित भूमि अर्जन प्रकरणों की जाँच में हमने निम्नलिखित देखाः–

---

11 चार प्रकरणों में क्षेत्र उपलब्ध नहीं है।

12 234 में से 228 प्रकरण 2017–20 से संबंधित हैं और शेष छः प्रकरण 2015–16 और 2016–17 से संबंधित हैं।

2.1.7.1 प्रारंभिक अधिसूचना

अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार कलेक्टर लोक–प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन हेतु अपेक्षक निकायों से मांग प्राप्ति पर प्रारंभिक अधिसूचना[13] जारी करेगा। ऐसी अधिसूचना भूमि के विवरण के साथ उचित रूप से प्रकाशित की जाएगी तथा यथोचित शासन की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भू–अर्जन के प्रकरणों में भी समान प्रक्रिया निर्धारित है। इस स्तर पर, अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कलेक्टर द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित हैः

2.1.7.2 भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 में किए गए प्रावधान के अनुसार प्राधिकृत अधिकारियों (पटवारी एवं नगर सर्वेक्षक) को प्रतिकर के मूल्यांकन एवं भुगतान हेतु भूमि के स्वामित्व, सिंचाई की स्थिति, कानूनी उत्तराधिकारियों का निर्धारण, किसी परिसंपत्ति जैसे पेड़, भवन, कुंआ इत्यादि की मौजूदगी को इंगित करते हुए भू–अभिलेखों को प्रारंभिक अधिसूचना के दो माह के भीतर अद्यतित किया जाना था। हमने देखा कि भू–अर्जन अधिकारियों ने चार जिलों[14] में 96[15] में से नौ प्रकरणों में खसरा[16] (भू–अभिलेख) में अद्यतनीकरण[17] सुनिश्चित नहीं किया। उचित दस्तावेज के अभाव में, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि क्या कलेक्टरों/भू–अर्जन अधिकारियों ने भू–अभिलेखों को अद्यतन करने और अधिनियम, 2013 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भूमि अर्जन से जुड़े संबंधित अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की थी।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण एक सतत प्रक्रिया है और हर समय चलता रहता है। यद्यपि, जब कभी भी भूमि अर्जन प्रस्तावित किया जाता है, धारा 11 के तहत अधिसूचना से पहले विशेष अभियान चलाकर उस विशेष क्षेत्र और गांवों में सभी लंबित अभिलेखों को अद्यतित किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त भूमि अर्जन प्रकरणों में लेखापरीक्षा को खसरा विवरण अर्थात भू–स्वामियों का नाम, स्वामित्व का हिस्सा और सिंचाई के स्रोत का अद्यतनीकरण नहीं मिला। आगे, धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी होने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण किया जाना था।

2.1.7.3 प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के साथ बैठक

अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रावधानों के अंतर्गत, कलेक्टरों को भू–अर्जन अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तावित भूमि अर्जन के उद्देश्यों सहित प्रारंभिक अधिसूचना की विषयवस्तुओं से अवगत कराने के लिए ग्रामसभा/नगरपालिका के साथ विशेष रूप से बैठक आयोजित किया जाना सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता थी। हमने देखा कि भू–अर्जन अधिकारियों के पास अधिनियम 2013 के अंतर्गत 96 में

---

[13] लोक प्रयोजन हेतु भूमि के ब्यौरों सहित भूमि अर्जन के लिए अधिसूचना (क) राजपत्र में (ख) दो दैनिक समाचार–पत्रों में (ग) यथास्थिति, पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में तथा जिला कलेक्टर, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट एवं तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में तथा (घ) प्रभावित क्षेत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

[14] ग्वालियर (छः प्रकरण, 24 खसरा), होशंगाबाद (एक प्रकरण, एक खसरा), जबलपुर (एक प्रकरण, दो खसरा) एवं सागर (एक प्रकरण, एक खसरा)

[15] राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रकरण में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

[16] खसरा/सर्वे संख्याः मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के अधीन बनाये गये अथवा चिन्हित किये गए तथा भू–अभिलेखों में एक सूचक संख्या के रूप में दर्ज किये गये भूमि का एक हिस्सा सर्वे संख्या है।

[17] वर्तमान में भू–स्वामी/क्षेत्र के अनुसार हिस्से का प्रभाजन एवं भूमि का वर्गीकरण जैसे सिंचित/असिंचित।

से 85 भूमि अर्जन प्रकरणों में ग्रामसभा/नगर पालिकाओं के साथ की गई बैठकों से संबंधित जानकारी संधारित नहीं थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा 85 भूमि अर्जन प्रकरणों में इन पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि प्रस्तावित भू–अर्जन के बारे में स्थानीय निकायों को विधिवत सूचित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तर के समर्थन में सहायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। इसके अलावा, स्थानीय निकायों को उनके साथ बैठकें करके प्रारंभिक अधिसूचनाओं की विषय–वस्तुओं के बारे में सूचित किया जाना था। इस प्रकार, स्थानीय निकायों को केवल भेजी गई सूचना अधिनियम की अपेक्षा को पूरा नहीं करती थी।

2.1.7.4 प्रारंभिक सर्वेक्षण

अधिनियम, 2013 की धारा 12 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3'ख' भू–अर्जन अधिकारियों को क्षेत्र, स्वामित्व (किरायेदार, गिरवी सहित), सिंचाई की स्थिति, सिंचाई के स्रोत इत्यादि के आंकलन के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का अधिकार प्रदान करती है। घोषणा प्रकाशित करने से पूर्व प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि, भूमि का चिन्हांकन एवं मापन घोषणा के पश्चात भी किया जा सकता है यदि ये पूर्व में नहीं किए गए हो। मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व अमले को सर्वेक्षण एवं सीमाओं का सीमांकन करने के लिए सितंबर 2014 में निर्देश जारी किया था। 118 प्रकरणों के संबंध में पूर्ण किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण की स्थिति **तालिका–2.1.3** में दर्शाई गई है।

तालिका–2.1.3: प्रारंभिक सर्वेक्षण और सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की जिलावार स्थिति

जिला का नाम	भूमि अर्जन प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें प्रारंभिक सर्वेक्षण किए गए		प्रकरणों की संख्या जिनमें प्रारंभिक सर्वेक्षण नहीं किए गऐ
		घोषणा से पूर्व	घोषणा के पश्चात	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
भोपाल	16	8	7	01
ग्वालियर	23	10	13	00
होशंगाबाद	21	21	0	00
जबलपुर	20	11	2	07
राजगढ़	19	18	1	00
सागर	19	19	0	00
योग	**118**	**87**	**23**	**08**

(स्रोतः– विभागीय अभिलेख)

हमने पाया कि चार जिलों में, 110 प्रकरणों में से 31[18] (28 प्रतिशत) में प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन, घोषणा के प्रकाशन के पश्चात छः से 378 दिनों के विलंब से प्राप्त हुए। 16[19] प्रकरणों में घोषणाओं में उल्लिखित क्षेत्र की तुलना में प्रारंभिक सर्वेक्षणों के कारण क्षेत्र में परिवर्तन

---

[18] घोषणा प्रकाशित करने से पहले किए गए आठ प्रारंभिक सर्वेक्षण सहित।

[19] भोपाल (पाँच प्रकरण), ग्वालियर (छः प्रकरण), जबलपुर (एक प्रकरण) एवं राजगढ़ (चार प्रकरण)।

(11.7239 हेक्टेयर) हुआ था, तथापि, घोषणाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना घोषणा के पश्चात प्राप्त ऐसे सर्वेक्षणों/प्रतिवेदनों के उद्देश्य को निष्फल करता है। 67 प्रकरणों के विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा में ऐसे प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही की स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि प्रारंभिक सर्वेक्षण करना और घोषणा की अधिसूचना से पहले इसका प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक है। सर्वेक्षण भू–अर्जन अधिकारी को विस्तार से अर्जित भूमि पर स्थित क्षेत्र के साथ–साथ परिसंपत्तियों का पता लगाने में मदद और समर्थन करता है। इसकी उपलब्धता अधिसूचना से पहले वांछनीय है लेकिन अनिवार्य और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है । आगे, शासन ने बताया कि संयुक्त सर्वेक्षण के प्रकरण में सर्वेक्षण में विलम्ब पाया जाता है क्योंकि राजस्व दल को सर्वेक्षण करने के लिये आवेदन करने वाले विभाग की उपलब्धता की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि घोषणा से पहले प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा करना अनिवार्य था क्योंकि प्रारंभिक सर्वेक्षण में भूमि के क्षेत्र में परिवर्तन पाये जाने पर इसे घोषणा में सम्मिलित नहीं किया जा सका। चूँकि अर्जित किए जाने वाले वास्तविक क्षेत्र को भू–स्वामियों के ध्यान में नहीं लाया जा सका इससे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में पारदर्शिता की कमी होती है। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा अपेक्षक निकाय की अनुपलब्धता के कारण संयुक्त सर्वेक्षण में देरी के लिए बताए गए कारण भी स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि तथ्य भूमि अर्जन की कार्यवाही द्वारा समर्थित नहीं है।

2.1.7.5 प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में कमियाँ

भूमि के बाजार मूल्य के लिए कलेक्टर गाईडलाईन्स के अनुसार, सिंचित कृषि भूमि का मूल्य असिंचित भूमि से अधिक होता है। अधिनियम के अनुसार किया गया प्रारंभिक सर्वेक्षण, प्रस्तावित कृषि भूमि के अर्जन हेतु भूमि के प्रकार तथा सिंचाई के स्रोतों को इंगित करते है जो कि भू–स्वामियों को प्रतिकर भुगतान के लिए आधार होता है।

हमने पाया कि सागर जिले में तीन प्रकरणों में 93.160 हेक्टेयर भूमि आरंभिक संयुक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन (अदिनांकित) में असिंचित प्रतिवेदित की गई थी क्योंकि सिंचाई का स्रोत रिक्त छोड़ा गया था। उसके बाद, उन्हीं अधिकारियों (उपयंत्री, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार) द्वारा किए गए दूसरे संयुक्त सर्वेक्षण में उसी भूमि को विभिन्न प्रकृति के स्रोत इंगित कर सिंचित भूमि के रूप में माना गया, जैसा कि **तालिका–2.1.4** में दिया गया है।

तालिका 2.1.4: अनुवर्ती सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में उल्लिखित सिंचाई के स्रोत का विवरण

स्रोत की प्रकृति	क्षेत्र हेक्टेयर में	भू–स्वामियों की संख्या
1. स्वयं का कुंआ	21.650	15
2. नदी (इलेक्ट्रिक पंप)	39.300	37
3. नदी (डीजल पंप)	15.350	9
4. अन्य रिश्तेदारों के कुंए	15.060	9
5. स्वयं का तालाब	1.800	1
योग	**93.160**	**71**

(स्रोत:– विभागीय अभिलेख)

हमने पाया कि प्रतिकर का अधिनिर्णय अनुवर्ती सर्वेक्षण प्रतिवेदन (अदिनांकित) के आधार पर किया गया था। भूमि के वर्गीकरण के असिंचित से सिंचित में परिवर्तन के कारण, भू–अर्जन अधिकारियों को

अक्टूबर 2018 से मार्च 2020 के दौरान 71[20] भू–स्वामियों को ₹ 12.89 करोड़ का अधिक प्रतिकर भुगतान करना पड़ा।

आगे सिंचाई की स्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु, हमने पटवारी (राजस्व कर्मी) के साथ सागर जिले के तीन गांवों में अर्जित भूमि का संयुक्त भौतिक सर्वेक्षण किया (जनवरी 2023)। लालपुरा गांव में, हमने पांच खसरा (भू–अभिलेख) में से एक में कुंए की मौजूदगी पाई और शेष चार खसरों में कोई कुंआ नहीं था। पृथ्वीपुरा गांव में, एक खसरा का भौतिक सर्वेक्षण किया गया और खसरा भूमि में कोई कुंआ नहीं मिला। आगे, एकपन्ना बसोना गांव में, हमने 18 खसरा में से एक में कुंए की मौजूदगी पाई और शेष 17 खसरा में कुंए की मौजूदगी को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि बांध के निर्माण के कारण भूमि प्रभावित हो गई थी। यह इंगित करता है कि सर्वेक्षण प्रतिवेदन दोषपूर्ण थे और विश्वसनीय नहीं थे।

इसी प्रकार, हमने देखा कि ग्वालियर जिले में दो प्रकरणों में पटवारी, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनों (अक्टूबर 2018/जनवरी 2019) में 4.060 हेक्टेयर के लिए सिंचाई के स्रोत को अन्य के बोरवेल या अन्य स्रोत के रूप में इंगित किया था। यद्यपि, इन्हीं अधिकारियों के द्वारा दिए गये अनुवर्ती सर्वेक्षण प्रतिवेदनों (अगस्त 2019/मई 2019) में सिंचाई के स्रोत में परिवर्तन किया गया। विवरण **तालिका 2.1.5** में दिया गया है।

तालिका 2.1.5: प्रथम एवं अनुवर्ती सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाए गए सिंचाई के स्रोत का विवरण

स.क्र.	प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन		अनुवर्ती सर्वेक्षण प्रतिवेदन		
	सिंचाई के स्रोत की प्रकृति	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	सिंचाई के स्रोत की प्रकृति	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भू–स्वामियों की संख्या
1.	अन्य के बोरवेल	1.332	स्वयं का बोरवेल	1.166	26
			तालाब	0.156	7
			असिंचित	0.010	1
	योग			**1.332**	**34**
2.	अन्य स्रोत	2.728	बोरवेल	0.412	16
			कुंआ	0.187	2
			नहर	1.819	27
			बोरवेल + नहर	0.310	1
	योग			**2.728**	**46**
	महायोग	**4.060**		**4.060**	**80**

(स्रोतः– विभाग/भू–अर्जन अधिकारियों के अभिलेखों से संकलित)

जल संसाधन विभाग के नवम्बर 2014 के अनुदेश के अनुसार, यदि भूमि के सिंचाई का स्रोत स्वयं के साधन (ट्यूबवेल, कुंआ आदि) है तो भूमि सिंचित मानी जाती है। भूमि के सिंचाई हेतु अन्य स्रोत जैसे नदी/नाला, नहर इत्यादि होने पर भू–स्वामी को प्रतिकर भुगतान के लिए तीन वर्षों का विद्युत बिल

[20] एक भू–स्वामी को ₹ 0.09 करोड़ का भुगतान लम्बित था।

या जल संसाधन विभाग के संभाग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। हमने ग्वालियर में देखा कि, भू–अर्जन अधिकारी ने भूमि को सिंचित मानने के लिए सिंचाई के अन्य स्रोतों को वैध नहीं माना।

प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार सिंचित के रुप में प्रतिकर प्राप्त करने के लिए भू–स्वामी पात्र नहीं थे क्योंकि स्रोत स्वयं का नहीं था। भू–स्वामियों को अधिक प्रतिकर के लिए पात्र बनाने हेतु जल संसाधन विभाग के अनुदेश माह नवम्बर 2014 को उद्धृत करते हुए अनुवर्ती सर्वेक्षण प्रतिवेदन में सिंचाई का स्रोत संशोधित कर स्वयं का बोरवेल एवं तालाब किया गया था, जैसा कि उपरोक्त **तालिका 2.1.5** में उल्लिखित है। यद्यपि, जल संसाधन विभाग के अनुदेश भू–अर्जन अधिनियम की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है। आगे, अनुवर्ती सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में किए गए परिवर्तनों का औचित्य सिद्ध करने के लिए हमने कोई वैध साक्ष्य जैसे फोटोग्राफ/विडियो नहीं पाया जबकि समान कर्मियों द्वारा समान भूमि के लिए दो विभिन्न सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि प्रारंभिक सर्वेक्षणों के बाद व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भू–स्वामियों द्वारा उठाई गई आपत्ति पर अनुवर्ती सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, प्रभावित पक्षों ने अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जिन्हें स्वीकार किया गया एवं तदनुसार अनुवर्ती सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया। अंतिम और प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में कुछ विचलन पाए जा सकते हैं। अनुवर्ती सर्वेक्षण के दौरान पाए गए परिवर्तनों को अंतिम सर्वेक्षण प्रतिवेदन में दर्ज किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने न तो भू–स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य प्रस्तुत किए और न ही ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया जिसके आधार पर सागर जिले में सिंचाई का स्रोत सुनिश्चित किया गया तथा अनुवर्ती सर्वेक्षणों में ग्वालियर जिले में स्रोत बदले गए थे। आगे, प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में परिवर्तन स्वयं इंगित करता है कि सर्वेक्षण उचित सावधानी से नहीं किए गए थे।

2.1.7.6 घोषणा का प्रकाशन न होना

अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का विचलन कर, होशंगाबाद जिले में 2015–20 के दौरान 118 में से 10 भू–अर्जन प्रकरणों में रेलवे (पाँच प्रकरण) और लोक निर्माण विभाग (पाँच प्रकरण) के लिए 24.943 हेक्टेयर भूमि अर्जित करते समय, परिवारों के गैर विस्थापन एवं कुल उपलब्ध क्षेत्र के छोटे हिस्से के अर्जन के कारण घोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया। फलस्वरूप, एक विशेष सर्वे संख्या के विरूद्ध अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र सामान्य जन को अधिसूचित नहीं किया गया। घोषणा नहीं किये जाने के आधार स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम घोषणा में छूट प्रदान नहीं करता है।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि पूर्व में अर्जित की गई भूमि के छोटे हिस्सों की परियोजना में आगे आवश्यकता थी। भू–स्वामियों को अपनी भूमि अर्जन के अंतर्गत आने की जानकारी थी। यदि भूमि अर्जन में सभी तकनीकी और औपचारिकताओं का फिर से पालन किया गया तो इससे अर्जन में और देरी होती तथा परियोजना के पूरा होने एवं लागत पर प्रभाव पड़ता। अतः, उपरोक्त कारकों के कारण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि अर्जन अधिनियम घोषणा पर कोई छूट प्रदान नहीं करता है।

2.1.8 भूमि अर्जन के लिए प्रतिकर का संग्रहण एवं भुगतान

2.1.8.1 अर्जन की लागत/अधिनिर्णय की राशि जमा करने में विलंब

मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के अनुसार, राज्य शासन ने अपेक्षक निकाय द्वारा जिला कलेक्टर के व्यक्तिगत जमा खाते में अर्जन की लागत का 50 प्रतिशत जमा किए जाने हेतु निर्दिष्ट किया था। इस उद्देश्य हेतु, जहां अपेक्षक निकाय राज्य शासन है, को छोड़कर कलेक्टर की मांग के अनुसार राशि जमा की जाएगी। इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा अधिनिर्णय के पूर्व अधिनिर्णय राशि जमा करने हेतु किए गए मॉंग के अनुसार अपेक्षक निकाय को प्राधिकार पत्र जारी करने का प्रावधान करता है।

इस संबंध में, हमने देखा कि भू–अर्जन अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सात भू–अर्जन प्रकरणों में राशि ₹ 29.77 करोड़ जमा होना सुनिश्चित नहीं किया क्योंकि मांगें अधिनिर्णय के पश्चात की गई।

इसी प्रकार, 2015–20 के दौरान तीन जिलों में अधिनिर्णय की तिथि तक 10 भूमि अर्जन प्रकरणों में अपेक्षक निकायों द्वारा राशि ₹ 20.77[21] करोड़ जमा किया जाना कलेक्टर ने सुनिश्चित नहीं किया, जिसमें से ₹ 1.38 करोड़ भू–अर्जन अधिकारियों के अपेक्षक निकायों (लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण) को बार–बार स्मरण पत्रों (अप्रैल एवं जून 2018 तथा मार्च 2019) के बावजूद भी प्राप्त (अक्टूबर 2020) नहीं हुए। घोषणा जारी होने के पूर्व 95[22] अनिवार्य भूमि अर्जन प्रकरणों में अर्जन की लागत जमा करने की स्थिति **तालिका 2.1.6** में दर्शायी गई है।

तालिका 2.1.6: घोषणा प्रकाशन के पूर्व अपेक्षक निकायों द्वारा अर्जन की लागत जमा की जाने की स्थिति

अपेक्षक निकाय	भूमि अर्जन प्रकरणों की संख्या	घोषणा पत्र जारी करने से पूर्व जमा की गई राशि			घोषणा जारी करने के पश्चात जमा की गई राशि	विवरण उपलब्ध नहीं
		50 प्रतिशत या अधिक[23]	50 प्रतिशत से कम (केन्द्रीय सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)	मांग अनुसार		
राज्य शासन	79	45	0	6	16	12
केन्द्रीय सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अन्य निकाय	16	13	1	0	1	1
योग	**95**	**58**	**1**	**6**	**17**	**13**

(स्रोतः– विभागीय अभिलेख)

---

21 अपेक्षक निकाय ने राशि जमा नहीं कियाः रेलवे (₹ 8.38 करोड़), उद्योग (₹ 3.11 करोड़), लोक निर्माण विभाग (₹ 2.70 करोड़), पुलिस (₹ 2.87 करोड़), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (₹ 1.83 करोड़), मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (₹ 1.26 करोड़) और जल संसाधन विभाग (₹ 0.62 करोड़)।

22 30 प्रकरण (125 में से) इस **तालिका 2.1.6** में शामिल नहीं हैं: 13 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रकरण, बिना घोषणा के 10 प्रकरण (होशंगाबाद जिला) एवं सात अन्य प्रकरण (परिसंपत्तियों का भुगतान, संशोधित अधिनिर्णय, पुनर्वास)।

23 विभाग ने भूमि अर्जन प्रकरण–वार जमा करने के बजाय विभिन्न भू–अर्जन प्रकरणों के लिए एकमुश्त राशि जमा की।

हमने यह भी पाया कि पर्याप्त निधि की कमी के कारण 360 भू–स्वामियों (378 में से) को प्रतिकर का समय[24] पर भुगतान प्रभावित हुआ तथा विलंब छः से 1,365 दिनों का था। यद्यपि, राज्य में भू–अर्जन को विनियमित करने वाले नियम/मार्गदर्शिका में भूमि अर्जन की लागत को समय से जमा करने में हुए विलंब/चूक को रोकने एवं इससे हितबद्ध व्यक्ति/भू–स्वामियों को विलंब से प्रतिकर भुगतान से बचने हेतु प्रावधान नहीं था।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि राशि जमा करना राजस्व विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है बल्कि यह आवेदन करने वाली एजेंसी का उत्तरदायित्व है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधानानुसार अपेक्षक निकायों से अर्जन की लागत प्राप्त होने के बाद ही घोषणा की जानी चाहिए। आगे, जमा राशि की प्राप्ति न होने के कारण वैध देय के भुगतान में हुई देरी ने भू–स्वामियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

2.1.8.2 भू–स्वामियों को विलंबित प्रतिकर भुगतानों पर ब्याज का भुगतान न करना

अधिनियिम 2013 की धारा 80 के प्रावधानों के अनुसार, कलेक्टर प्रतिकर की राशि का भुगतान एक वर्ष के भीतर न होने पर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित अधिनिर्णय राशि का भुगतान करेगा एवं तत्पश्चात 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लागू होगा। तथापि, हमने पाया कि कलेक्टर (भोपाल एवं जबलपुर जिला) ने 106 भू–स्वामियों को ब्याज की राशि ₹ 1.41 करोड़ के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किए थे। विलंबित/बकाया भुगतान का कारण सात भूमि अर्जन प्रकरण में अपेक्षक निकायों द्वारा प्रतिकर (₹ 14.97 करोड़) का बिलंब (99 से 1,156 दिन) से जमा होना था।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधान अनुसार, सक्षम प्राधिकारी (भू–अर्जन) कोई ब्याज का भुगतान नहीं करेगा यदि प्रतिकर राशि अपेक्षक निकाय द्वारा जमा किया गया है तथा भू–स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है। हमने देखा कि भोपाल जिले में छः प्रकरणों में प्रतिकर ₹ 11.98 करोड़ 34 भू–स्वामियों को अधिनिर्णय पारित/आधिपत्य के बाद विलंब से भुगतान (आंशिक भुगतान नहीं हुआ) किया गया। यद्यपि, हमने देखा कि अपेक्षक निकायों द्वारा पूर्ण राशि जमा में विफलता या भू–स्वामियों को भुगतान करने में सक्षम प्राधिकारी (भू–अर्जन) की असमर्थता के कारण भू–स्वामियों को प्रतिकर के जमा/भुगतान में विलंब के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। भू–स्वामियों को देय ब्याज ₹ 0.41 करोड़[25] था।

शासन ने ब्याज के भुगतान पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। आगे, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 2011 (मध्य प्रदेश शासन) की कंडिका 2.1.7.9 में अधिनिर्णय राशि जमा न करने संबंधी मुद्दे को इंगित किए जाने के बावजूद विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

2.1.8.3 प्रतिकर एवं मापन से संबंधित भू–स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के दावे

अधिनियम 2013 की धारा 21 के प्रावधान अनुसार, कलेक्टर इस बात का कथन करते हुए कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और यह कि ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों के दावे उसको किए जाए, वेबसाईट एवं उसके समीप सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा। इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3छ अर्जित की जाने वाली भूमि में

---

[24] विलंबित भुगतान–120 भू–स्वामी, अधिनिर्णय के तीन माह के भीतर भुगतान–63 भू–स्वामी, अवितरित–177 भू–स्वामी।

[25] नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से।

हितबद्ध सभी व्यक्तियों से दावे आमंत्रित करते हुए दो स्थानीय समाचार पत्रों में, सार्वजनिक सूचना जारी करने का प्रावधान करता है। अभिलेखों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि सार्वजनिक सूचना, भोपाल जिले के आठ भूमि अर्जन प्रकरणों को छोड़कर जारी नहीं की गई थी परिणामस्वरूप अधिनियमों के उपयुर्क्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

अधिनियम 2013 में कलेक्टर द्वारा भू–स्वामियों को उनके प्रतिकर तथा मापन से संबंधित किसी आपत्ति का दावा व्यक्तिगत रुप से या एजेंट/या अभिभाषक के माध्यम से उनके समक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए पुनः अवसर (घोषणा के पश्चात) प्रदाय किये जाने हेतु सूचना तिथि एवं समय दर्शाते हुए दिया जाना अपेक्षित है। अभिलेखों के अनुसार, कलेक्टर/भू–अर्जन अधिकारियों ने अधिनियम के अंतर्गत अधिनिर्णित 76 प्रकरणों (कुल 105 में से) में 6,161 में से 4,173 (68 प्रतिशत) व्यक्तियों को सूचना जारी किया तथा पाँच जिलों में शेष 29 भूमि अर्जन प्रकरणों में 1,988[26] व्यक्तियों को सूचना जारी किये जाने की जानकारी संबंधित भू–अर्जन अधिकारियों के अभिलेखों में नहीं पाई गई। आगे, 4,173 व्यक्तियों में से 2,921 (70 प्रतिशत) व्यक्तियों को सूचना नहीं दी गई। यद्यपि, यह दर्शाने के लिए कि क्या विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किए गए ऐसे प्रकरणों की निगरानी किये जाने तथा ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए समुचित कार्यवाही किये गये थे के सर्मथन में कोई साक्ष्य नहीं था।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि कुछ प्रकरणों में परिवार स्वामित्व के प्रकरण में मुख्य सह–भूमि धारकों को इस आशय के साथ नोटिस जारी की जाती है कि यदि मुख्य सह–भूमि धारकों को सूचित किया गया है, तो सह–भूमि धारकों को सूचित कर दिया गया है।

विभागीय उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है कि भूमि के हितबद्ध सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी नहीं की गई थी।

2.1.9 प्रतिकर अधिनिर्णय को अंतिम रूप दिया जाना एवं प्रतिकर का भुगतान

अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधान एवं प्रथम अनुसूची अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के लिए भू–स्वामियों को प्रदान की जाने वाली प्रतिकर की राशि के निर्धारण का तरीका निर्दिष्ट करती है। भू–स्वामियों को प्रतिकर अधिनिर्णय में विभिन्न संघटक शामिल हैं जैसा कि **तालिका–2.1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका–2.1.7: प्रतिकर के संघटक

1.	भूमि का बाजार मूल्य	अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य
2.	भूमि/भवन से जुड़ी परिसंपत्ति का मूल्य	अधिनियम 2013 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार
3.	तोषण	अधिनियम 2013 की धारा 30 के अनुसार प्रतिकर राशि के 100 प्रतिशत के समतुल्य राशि
4.	अतिरिक्त प्रतिकर	अधिनियम 2013 की धारा 30 के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होकर अधिनिर्णय की तिथि या भूमि के अधिपत्य की तिथि, जो भी पहले हो की अवधि के लिए भूमि के बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना की गई राशि।

[26] इसमें 604 भू–स्वामियों जिन्हें 11 प्रकरणों में आंशिक रूप से सूचना जारी किया गया शामिल है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2014 दिनांक 31.12.2014 के साथ पठित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आदेशों (अप्रैल एवं सितंबर 2015 / मार्च 2016) के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भू–अर्जन के लिए देय प्रतिकर भी 01.01.2015 से अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित की जाती है।

नमूना जाँच किए गए भूमि अर्जन प्रकरणों में हमने निम्नलिखित कमियाँ पाईः–

2.1.9.1 प्रतिकर अधिनिर्णय को अंतिम रूप दिये जाने में विलंब

अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, घोषणा पत्र के प्रकाशन के 12 माह की अवधि के भीतर कलेक्टर अधिनिर्णय करेगा। यदि यह समय के भीतर नहीं किया गया, तो भू–अर्जन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, सिवाय यदि वैध कारणों जो लिखित रूप में दर्ज हो एवं संबंधित प्राधिकारी के बेवसाईट पर अपलोड़ किया जाए से अवधि बढ़ाई जाती है। आगे, कलेक्टर / भू–अर्जन अधिकारी भूमि अर्जन प्रकरण में अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय पारित होने के तीन माह के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों को पूर्ण प्रतिकर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात भूमि का आधिपत्य लेगा।

2015–20 के दौरान, 76.369 हेक्टेयर भूमि अर्जन करने के लिए चार[27] जिलों में नौ प्रकरणों (105 भू–अर्जन प्रकरणों में से) में प्रतिकर के अंतिम अधिनिर्णय में 46 से 245 दिनों का विलंब देखा गया। तथापि, दो प्रकरण[28] में कारण के साथ समयवृद्धि पायी गयी जबकि शेष सात प्रकरणों में किसी वैध कारण के साथ समयवृद्धि किया जाना उपलब्ध नहीं था, जो भूमि अर्जन प्रक्रियाओं का समाप्त होना दर्शाता है।

अधिनिर्णय को अंतिम रूप देने में विलंब से शासन / अपेक्षक निकायों पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ता है क्योंकि अधिनिर्णय की तिथि तक की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रतिकर (12 प्रतिशत) देय होता है। अधिनिर्णय को अंतिम रूप देने में विलंब (41 से 180 दिन) के परिणामस्वरूप तीन जिलों[29] में छः भूमि अर्जन प्रकरणों में ₹ 0.89 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त प्रतिकर देय हुआ।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि कलेक्टर जल्द से जल्द अधिनिर्णय पारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यद्यपि, कई चीजें जैसे कि आवेदन करने वाली एजेंसी को अधिनिर्णय राशि जमा करने के लिए बाध्य करना एवं प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए हितधारकों से सहमति प्राप्त करना भू–अर्जन अधिकारी के नियंत्रण से बाहर है। आगे, शासन ने बताया कि तीन प्रकरणों में अधिनिर्णय की अवधि एक वर्ष से अधिक बढ़ाने का वैध एवं उचित कारण उपलब्ध था तथा अन्य छः प्रकरणों में संबंधित कलेक्टरों ने भी ऐसे ही वैध कारण प्रतिवेदित किए थे। भोपाल एवं ग्वालियर जिले में अधिनिर्णय पारित करने में जानबूझकर विलंब नहीं किया गया एवं न ही कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया।

विभाग ने उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक अभिलेखों के साथ प्रकरणवार विवरण दर्शाए बिना केवल एक सामान्य उत्तर प्रस्तुत किया। अतः विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, भारत के

---

[27] भोपाल (एक प्रकरण–95 दिन), ग्वालियर (चार प्रकरण–46 से 139 दिन), होशंगाबाद (एक प्रकरण–180 दिन, प्रारंभिक अधिसूचना से गणना की गई है, क्योंकि घोषणा जारी नहीं की गई) एवं जबलपुर (तीन प्रकरण–108 से 245 दिन)।

[28] ग्वालियर (19 / अ–82 / 2017–18) एवं जबलपुर (1 / अ–82 / 2015–16) के दो प्रकरण में समय–वृद्धि दर्ज किया गया था।

[29] भोपाल (एक भूमि अर्जन प्रकरण, 85 दिन, ₹ 32.24 लाख), ग्वालियर (चार भूमि अर्जन प्रकरण, 41 से 104 दिन, ₹ 2.03 लाख) और होशंगाबाद (एक भूमि अर्जन प्रकरण, 180 दिन, ₹ 54.59 लाख)।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011 (मध्य प्रदेश शासन) के कंडिका 2.1.7.6 में समान कमियों को इंगित किए जाने के बावजूद शासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2.1.9.2 न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रतिकर अधिनिर्णय को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब

जल संसाधन विभाग ने भू–स्वामियों (13 व्यक्तियों) को प्रतिकर का भुगतान किए बिना बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 23,100 वर्गफुट भूमि अपने अधिकार में लेते हुए गाईड बांध (स्टॉप डैम) का निर्माण (1975–76) किया था। इस संबंध में, राज्य शासन एवं भू–स्वामियों द्वारा किए गए रिट अपीलों (241/2014 एवं 417/2014) के विरूद्ध प्रतिकर का भुगतान करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश ने राज्य शासन को निर्देशित (जुलाई 2014) किया था। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.07.2014 के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकृत (अक्टूबर 2015) कर दिया। न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में भू–अर्जन अधिकारी (होशंगाबाद) ने दिसम्बर 2020 में कलेक्टर को राशि ₹ 5.73 करोड़ का अधिनिर्णय प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस संबंध में, हमने देखा कि अक्टूबर 2015 में न्यायालय के आदेश से पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी अंतिम प्रतिकर अधिनिर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया गया। विलंब के परिणामस्वरूप, अधिनियम 2013 की धारा 30 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन अंतिम अधिनिर्णय की तिथि तक की अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान हेतु बाध्य है।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि जल संसाधन विभाग ने भूमि अर्जन के लिए आवेदन किए बिना 1975–76 में भूमि पर कब्जा कर लिया तथा उसे अपने उद्देश्य में परिवर्तित कर लिया था। आगे, कलेक्टर, होशंगाबाद ने जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद अधिनियम 2013 के अनुसार अधिनिर्णय पारित किया।

शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अपेक्षक निकाय द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि पर कब्जा एवं उपयोग किया गया। कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णय पारित किये जाने की स्थिति में शासन द्वारा अधिनिर्णय की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

2.1.9.3 प्रतिकर अधिनिर्णय के पुनरीक्षण में विलंब

(i) अधिनियम 2013 यह प्रावधान करता है कि ऐसे प्रकरणों जिनमें भूमि–अर्जन की प्रक्रिया भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत प्रारंभ हुई परंतु अधिनिर्णय दिसम्बर 2013 तक नहीं किया जा सका था, में प्रतिकर मूल्य का निर्धारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। हमने देखा कि जनवरी और अप्रैल 2015 के मध्य 11 भू–अर्जन प्रकरणों[30] में 322 भू–स्वामियों की 28.500 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए ग्वालियर जिले के कलेक्टर द्वारा ₹3.28 करोड़ का प्रतिकर अधिनिर्णित किया गया। तत्पश्चात् भारत सरकार ने अक्टूबर 2015 में स्पष्ट किया कि ऐसे प्रकरणों में 01.01.2014 को लागू भूमि का बाजार मूल्य विचार में लिया जाएगा। तद्नुसार, कलेक्टर/भू–अर्जन अधिकारी को अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए था तथा भूमि के बाजार मूल्य तथा तोषण के कारण होने वाले प्रतिकर अंतर का भू–स्वामियों को भुगतान करना चाहिए था। यद्यपि, अधिनिर्णय का ऐसा पुनरीक्षण लंबित (अक्टूबर 2020) था। फलस्वरूप, 11 भूमि अर्जन प्रकरणों में पुनरीक्षण के कारण अतिरिक्त प्रतिकर राशि ₹ 3.98 करोड़ की गणना की गई है। आगे,

[30] इसमें एक चयनित प्रकरण एवं 10 अन्य प्रकरण शामिल हैं।

जनवरी एवं अप्रैल 2015 के मध्य दिये गये पूर्व संशोधित अधिनिर्णय का पुनरीक्षण लंबित रहने से इस राशि पर पाँच वर्ष के लिए (31 अक्टूबर 2020 तक) ₹ 2.75 करोड़ की ब्याज देयता उत्पन्न हुई। प्रकरण का विवरण ***परिशिष्ट–2.1.4*** में दिया गया है।

(ii) जैसा कि कंडिका 2.1.9 में वर्णित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भूमि अर्जन के संबंध में जहां 31 दिसंबर 2014 तक अधिनिर्णय पारित नहीं किए गए है, प्रतिकर के निर्धारण के लिए 1 जनवरी 2015 की स्थिति में भूमि का बाजार मूल्य विचार में लिया जाना चाहिए।

जबलपुर जिले में, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अप्रैल 2011 और मार्च 2013 के मध्य तीन प्रकरणों में भूमि अर्जन कार्यवाही प्रारंभ की गई थी एवं अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिनिर्णय पारित (अक्टूबर 2015) किए गए थे। अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व ने 1 जनवरी 2015 अर्थात् प्रभावी तिथि की स्थिति में भूमि के बाजार मूल्य पर विचार किए बिना तथा 12 प्रतिशत ब्याज (अतिरिक्त प्रतिकर) एवं तोषण की गणना की उपेक्षा करते हुए ₹ 77.94 लाख का प्रतिकर अधिनिर्णित (अक्टूबर 2015) किया। फलस्वरुप, 20 भू–स्वामियों की 0.900 हेक्टेयर भूमि अर्जन के लिए ₹ 98 लाख के प्रतिकर का कम निर्धारण किया गया। अतिरिक्त प्रतिकर (₹ 98 लाख) पर ब्याज देयता ₹ 44.10 लाख[31] होती है। विवरण ***परिशिष्ट–2.1.4*** में दिया गया है।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रतिकर निर्धारित किया गया एवं प्रतिकर का कम निर्धारण नहीं हुआ।

विभाग ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया या अपने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अतः मध्य प्रदेश शासन का उत्तर स्वीकार नहीं है।

2.1.9.4 अधिनिर्णय/प्रतिकर की स्वीकृति से पूर्व भूमि का उपयोग

(i) आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति 2014 के अनुसार कलेक्टर सभी भू–स्वामियों से लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष के भीतर निजी भूमि की न्यूनतम आवश्यक मात्रा का अर्जन कर सकता है। भोपाल जिले में अपेक्षक निकायों (लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम) ने मार्च 2017 और मई 2019 के मध्य सड़कों और फ्लाईओवर के उन्नयन/निर्माण के लिए 10.861 हेक्टेयर भू–अर्जन के लिए पाँच प्रस्ताव भेजे थे। हमने देखा कि चाही गई भूमि पहले से ही अपेक्षक निकायों के अधिपत्य/उपयोग में थी। तत्पश्चात् जून 2017 से जनवरी 2020 के दौरान कलेक्टर ने भू–स्वामियों की सहमति प्राप्त की तथा 232 भू–स्वामियों को ₹ 8.09 करोड़ का प्रतिकर स्वीकृत किया। ₹ 8.09 करोड़ के प्रतिकर में से ₹ 3.59 करोड़ का भुगतान 140 भू–स्वामियों को किया गया था यद्यपि 36 भू–स्वामियों के साथ विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किये गये तथा शेष ₹ 4.50 करोड़ प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में, विक्रय विलेख निष्पादित न होने आदि के कारण 92 भू–स्वामियों को भुगतान हेतु (अक्टूबर 2020) लंबित था।

यद्यपि, लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने कलेक्टर की स्वीकृति और भू–स्वामियों की सहमति के बिना भूमि का उपयोग किया, कलेक्टर ने अपेक्षक निकायों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, भू–स्वामियों को भुगतान करने से पूर्व भूमि का उपयोग होना आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति का उल्लंघन था एवं परिणामस्वरूप 92 भू–स्वामियों को परेशानी हुई।

---

[31] राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण पर मैनुअल ऑफ गाइडलाइन्स, 2018 का पैरा 2.14

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि अपेक्षक निकाय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं है एवं भूमि के अनाधिकृत उपयोग के लिए संबंधित एजेंसियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। भूमि अर्जन के बाद ही एजेंसी या विभाग द्वारा भूमि के उपयोग के लिए सभी जिलों को अनुदेश जारी किए जाएगे।

शासन ने अपेक्षक निकायों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि के आधिपत्य के संबंध में लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया।

(ii) इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने होशंगाबाद जिले (सात प्रकरण) और जबलपुर जिले (दो प्रकरण) के नौ प्रकरणों में 1994–95 और 2017–18 के मध्य क्रमशः 5.647 हेक्टेयर और 3.180 हेक्टेयर भूमि का अधिपत्य लिया था एवं तत्पश्चात अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अर्जन के लिए मार्च 2014 और अप्रैल 2017 के मध्य मांग प्रेषित किये थे। कलेक्टरों ने सितंबर 2015 और अगस्त 2019 के मध्य प्रतिकर अधिनिर्णीत किए थे। प्रतिकर के वितरण की स्थिति **तालिका–2.1.8** में दी गई है।

तालिका 2.1.8: प्रतिकर के वितरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

जिला	**भू–स्वामियों की संख्या**	**अधिनिर्णीत प्रतिकर**	**वितरण हेतु लंबित राशि (भू–स्वामियों की संख्या)**
होशंगाबाद	30	2.66	0.39 (3)
जबलपुर	59	8.04	2.04 (31)
योग	**89**	**10.70**	**2.43 (34)**

(स्रोतः– विभागीय अभिलेख)

इस प्रकार, अधिनिर्णय से पूर्व भूमि का गैर–कानूनी अधिपत्य एवं अधिनिर्णय के पश्चात भी हकदार व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान न किया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध था।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि जहाँ किसी एजेंसी को तत्काल आधार पर भूमि की आवश्यकता होती है वहां अनिवार्य अर्जन लागू किया जाता है। इसके अलावा, एजेंसियाँ प्रभावित पक्षों के साथ बातचीत करती हैं जो कभी–कभी उचित प्रतिकर के भुगतान के लिए एजेंसियों से आश्वासन मिलने के बाद अपनी भूमि का उपयोग करने की अनुमति दे देते हैं ।

उत्तर स्वीकार नहीं हैं क्योंकि होशंगाबाद एवं जबलपुर जिलों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आकस्मिकता उपबंध के अंतर्गत नहीं किया गया था। इसके अलावा, विभाग का उत्तर पुष्टि करता है कि कभी–कभी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि का अर्जन किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, इस मुद्दे को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, 2011 (मध्य प्रदेश शासन) की कंडिका 2.1.7.1 में पहले ही उजागर किया गया था एवं लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग की ओर से अभी तक सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना शेष है।

2.1.9.5 भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण

अधिनियम, 2013 की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार (क) कलेक्टर गाइडलाइन्स में निर्धारित दर या (ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटतम समीप्य क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय मूल्य जो अधिकतम हो, अर्जित भूमि के बाजार मूल्य[32] के निर्धारण का आधार होना चाहिए।

[32] बाजार मूल्य के निर्धारण की दिनांक वह होगा जिस दिनांक को प्रारंभिक अधिसूचना जारी किया गया।

आगे, औसत विक्रय दर की गणना के लिए प्रारंभिक अधिसूचना के वर्ष के पूर्व के तीन वर्षों के बिक्री–छाँट तथा अधिकतम बिक्री–छाँट के 50 प्रतिशत को विचार में लेना था।

हमने देखा कि चयनित 118 में से 107 भूमि अर्जन प्रकरणों (91 प्रतिशत) में भू–अर्जन अधिकारियों ने भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने से पूर्व औसत विक्रय दर की गणना करने के लिए उपर्युक्त निर्धारित मानदंड को नहीं अपनाया था। इसके बदले भू–अर्जन अधिकारियों ने भूमि का बाजार मूल्य सिर्फ कलेक्टर गाइडलाइन्स दर के आधार पर निर्धारित किया था। कलेक्टरों ने भू–अर्जन अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए बाजार मूल्य को मान लिया। शेष 11 में से 10 प्रकरणों में निकटतम क्षेत्र/गाँव के संबंधित वर्ष का बिक्री–छाँट नहीं लिया गया, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक था।

हमने चयनित जिलों के जिला पंजीयक से 44 गांवों[33] के लिए संबंधित वर्षों का बिक्री–छाँट मांगा (जनवरी और फरवरी 2021)। मात्र दो जिले (होशंगाबाद और राजगढ़) के जिला पंजीयक ने तीन प्रकरणों में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा ने बिक्री–छाँट की तुलना करते हुए कलेक्टर द्वारा किए गए निर्धारण की जांच की और होशंगाबाद जिले में एक प्रकरण में भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण सही पाया। अन्य दो प्रकरणों में बाजार मूल्य का कम निर्धारण किया गया था जैसा कि अनुवर्ती **कंडिका 2.1.9.6** में वर्णित है।

इस प्रकार, बिक्री–छाँट के अभाव में लेखापरीक्षा, 114[34] भू–अर्जन प्रकरणों में भूमि के बाजार मूल्य का सही निर्धारण सुनिश्चित नहीं कर सका। भू–अर्जन अधिकारियों द्वारा निर्धारण में अपनाए गये मानदंड/तरीके के आधार पर हमने पाया कि 18 प्रकरणो में भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण था जिसके परिणामस्वरुप ₹ 16.77 करोड़ कम प्रतिकर निर्धारण हुआ जिसकी अनुवर्ती **कंडिका 2.1.9.6** में चर्चा की गई है।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए कोई निश्चित और मानकीकृत पद्धति नहीं है। यह एक व्यक्तिपरक मूल्यांकन है तथा गाइडलाइन्स दर का पालन करना सबसे अच्छा, पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ तरीका है। इसके अलावा, अधिनियम 2013 की धारा 27 में भूमि का बाजार मूल्य निर्दिष्ट किया गया है। सुझाए गए विभिन्न मानदंडों में से, भू–अर्जन अधिकारी इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले किसी एक को चुन सकता है। गणना का कोई एक श्रेष्ठ तरीका नहीं है। भू–अर्जन अधिकारी को ऐसी पद्धति का चयन करना होता है जो भू–धारकों के साथ–साथ आवेदन करने वाली एजेन्सी एवं शासन दोनों के हितों के अनुकूल हो या उन्हें संतुष्ट करती हो।

विभाग का उत्तर भ्रामक और अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि भू–अर्जन अधिकारी को निर्धारण हेतु कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। जिला पंजीयक कार्यालय बिक्री दरों के आंकड़े रखता है एवं कलेक्टर के नियंत्रण में कार्य करता है तथा भू–स्वामियों को सही प्रतिकर देने के लिए इस प्रकार के आंकड़े प्राप्त करना संभव था।

2.1.9.6 प्रतिकर का कम निर्धारण

(i) हमने देखा कि तीन जिलों (ग्वालियर, राजगढ़ और सागर) के कलेक्टरों/भू–अर्जन अधिकारियों द्वारा जल संसाधन विभाग द्वारा जारी अनुदेश नवंबर 2014 को अपनाते हुए भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया। इस संबंध में, हमने देखा कि जल संसाधन विभाग के अनुदेश अधिनियम, 2013

[33] भोपाल (पाँच), ग्वालियर (10), होशंगाबाद (नौ), जबलपुर (पाँच), राजगढ़ (पाँच) और सागर (10)।

[34] कुल 118 प्रकरण – चार प्रकरण जिनमें बिक्री–छाँट अपनाया गया = 114 प्रकरण।

की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। फलस्वरुप, 11 भूमि अर्जन प्रकरणों में (350 भूमि स्वामियों) भूमि (297.328 हेक्टेयर) का बाजार मूल्य सिंचित भूमि का असिंचित भूमि में गलत वर्गीकरण, भूमि को सिंचित मानने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत न होने तथा भूमि की गलत दर तय करने के कारण ₹ 15.45 करोड़ कम निर्धारित किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट–2.1.5*** में दर्शाया गया है।

(ii) हमने देखा कि तीन जिलों में सात भू–अर्जन प्रकरणों में रेलवे, जल संसाधन विभाग और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के लिए 129 भू–स्वामियों के 13.726 हेक्टेयर भूमि अर्जन में त्रुटिपूर्ण कलेक्टर गाईडलाईन्स दर, स्लैब दर हेतु तय सीमा लागू होने और गलत पद्धति लागू करने से ₹ 1.32 करोड़ के प्रतिकर का कम निर्धारण हुआ था ***(परिशिष्ट–2.1.5)*** ।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि संबंधित कलेक्टरों ने अधिनिर्णय की गणना के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा अनुशंसित मानदंडों को अपनाया। आगे, शासन ने बताया कि नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रतिकर निर्धारित किया गया तथा प्रतिकर का कोई भी कम निर्धारण नहीं हुआ।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि जिला कलेक्टरों ने उचित प्रतिकर सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को सत्यापन हेतु उत्तर के समर्थन में सहायक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। आगे, प्रतिकर के कम/अल्प निर्धारण ने भू–स्वामियों को उनके वैध देय से वंचित कर दिया ।

इस प्रकार, इस मुद्दे को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन, 2011 (मध्य प्रदेश शासन) की कंडिका 2.1.7.4 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद भी कलेक्टर/भू–अर्जन अधिकारियों ने भूमि के बाजार मूल्य का त्रुटिपूर्ण निर्धारण किया।

2.1.9.7 प्रतिकर का अतिरिक्त भुगतान

जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन ने जनवरी 2016 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना राजगढ़ के लिए डूब क्षेत्रों में सहमति से भूमि और संपत्ति के अर्जन हेतु प्रभावित परिवारों को उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष पुनर्वास पैकेज[35] प्रदान किया। विशेष पैकेज के अंतर्गत विभाग ने आवासीय मकान के लिए एकमुश्त अनुदान/पुनर्वास अनुदान सहित भूमि और संपत्ति के लिए पृथक दरें निर्धारित की थी।

हमने देखा की आठ गाँवों में 1,238 भू–स्वामियों से डैम साईट हेतु 1,697.624 हेक्टेयर भूमि अर्जन के लिए ₹ 121.56 करोड़ का अधिनिर्णय दिसंबर 2015 में पारित किया गया एवं भू–स्वामियों को 98 प्रतिशत भुगतान का वितरण किया गया। कलेक्टर ने दिनांक 13 जनवरी 2016 के आदेश में उल्लिखित दरों को अपनाते हुए मार्च 2017 और अप्रैल 2018 के मध्य अधिनिर्णय को ₹ 121.56 करोड़ से ₹ 172.83 करोड़ में पुनरीक्षित किया एवं इस आदेश के जारी होने के पूर्व अधिनिर्णित प्रतिकर के अतिरिक्त ₹ 51.27 करोड़ के विशेष पैकेज का लाभ विस्तारित किया। भू–अर्जन अधिकारी (जिला राजगढ़) ने 997[36] भू–स्वामियों को ₹ 48.48 करोड़ (मूल अधिनिर्णय में से ₹ 1.95 करोड़ सहित) का भुगतान किया। पिछले प्रकरणों में विशेष पैकेज का लाभ दिया जाना अनियमित है क्योंकि आदेश का

---

[35] इसमें भूमि और परिसंपत्तियों के लिए एकमुश्त पुनर्वास पैकेज एवं डूब प्रभावित आवासीय मकानों के लिए एकमुश्त पुनर्वास पैकेज शामिल है।

[36] ग्राम शाहपुरिया में, मूल अधिनिर्णय में शामिल 94 व्यक्तियों के विरुद्ध 131 व्यक्तियों को भुगतान किया गया था।

पूर्वप्रभावी लागू होना न तो उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित था न ही कलेक्टर ने पूर्व में अधिनिर्णित प्रकरणों को विशेष पैकेज का भुगतान करने के लिए शासन से विशेष अनुमोदन प्राप्त किया था।

आगे, हमने पाया कि न तो भू–स्वामियों ने प्रतिकर की राशि पर कोई आपत्ति दर्ज की और न ही कलेक्टर/भू अर्जन अधिकारी ने जल संसाधन विभाग/मध्य प्रदेश शासन को विशेष पुनर्वास पैकेज के लिए प्रस्ताव भेजा। परियोजना प्रबंधक, मोहनपुरा परियोजना ने रिपोर्ट किया (अक्टूबर 2021) कि विशेष पुनर्वास पैकेज के प्रस्ताव की प्रति उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी। प्रमुख अभियंता (ई–इन–सी) ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि विशेष पैकेज का प्रस्ताव सीधे वृहद सिंचाई नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा साधिकार समिति को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। प्रमुख अभियंता कार्यालय के पास विशेष पैकेज का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान शीर्ष स्तर पर कोई न्यायोचित कारण तय किए बिना किया गया था।

पैकेज प्रस्ताव में, पैकेज की प्रभावी तिथि से पहले प्रतिकर का भुगतान किए गए भूस्वामियों को लाभ प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। प्रस्ताव में दो मुख्य उपबंध थे जो पैकेज की घोषणा तिथि के बाद के प्रकरणों को लाभ प्रदान करने का समर्थन करते हैं। (1) पैकेज का विकल्प–लाभार्थियों के लिए दो विकल्प थे। (i) पैकेज का चयन करना या (ii) जो पैकेज को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे, अधिनियम 2013 और पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधान के अनुसार प्रतिकर पाने का पात्र होना। (2) भूमि का अर्जन एवं खरीद ज्यादातर प्रभावित परिवारों की सहमति और उन्हें सद्भाव में रखकर किया जा सकता था। तथ्य इंगित करते हैं कि शासन का प्रयोजन भू–स्वामियों जिनके भूमि/परिसंपत्तियों का अर्जन जनवरी 2016 के बाद किया जाना था, उन्हें पैकेज लाभ प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक स्वीकृति (सितंबर 2013) के दो वर्ष तथा उपर्युक्त भूमि के अर्जन के बाद प्रस्ताव प्रस्तावित (नवंबर 2015) किया गया था।

आगे, हमने कलेक्टर, राजगढ़ के प्रमुख सचिव को भेजे गए पत्र (जनवरी 2017) से पाया कि कलेक्टर ने डूब क्षेत्र की चिन्हित सीमा की जांच की एवं ऐसी भूमि एवं परिसंपत्ति अर्जित किया जाना पाया जो पूर्ण जलाशय सीमा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे। उन्होंने ऐसी भूमि एवं परिसंपत्ति को शामिल करने के संबंध में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदित किया। परियोजना प्रबंधक ने बताया (अक्टूबर 2021) कि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई। संशोधित अधिनिर्णय में हमने पाया कि पूर्ण जलाशय सीमा में भूमि एवं परिसम्पत्तियों के न होने के कारण मूल अधिनिर्णय में भूमि एवं परिसम्पत्तियों के लिए भुगतान किया गया ₹ 1.42 करोड़ का प्रतिकर 56 भू–स्वामियों से वसूल नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि कलेक्टर राजगढ़ द्वारा इस मामले की फिर से जाँच की जा रही है एवं तदनुसार उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

विभाग का उत्तर अंतरिम है और केवल कार्यवाही प्रगतिरत है।

2.1.9.8 शासकीय/निजी भूमि पर परिसंपत्तियों के प्रतिकर का अधिनिर्णय

अधिनियम 2013 के अनुसार, प्रतिकर की राशि में भूमि का बाजार मूल्य और भूमि से जुड़ी सभी परिसंपत्तियों का मूल्य शामिल है। परिसंपत्तियों का मूल्यांकन सक्षम अभियंता या संबंधित क्षेत्र के किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाओं का उपयोग करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 एवं भारत सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के अनुसार कलेक्टर को प्रारंभिक अधिसूचना के तुरंत बाद भूमि (भवन, पेड़, कुएं आदि) से जुड़ी परिसंपत्तियों से संबंधित भू–अभिलेखों को अद्यतित

किए जाने की आवश्यकता है। अधिसूचना के उपरान्त भूमि पर कोई व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा तथा भूमि का आगामी उन्नयन अथवा किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

ग्वालियर जिले में, कलेक्टर ने भूमि अर्जन के दो प्रकरणों में परियोजना क्षेत्र में प्रभावित शासकीय/निजी भूमि की परिसम्पत्तियों के लिए ₹ 1.24 करोड़ का प्रतिकर अधिनिर्णित (फरवरी एवं अक्टूबर 2019) किया। भू–अर्जन अधिकारी ने (फरवरी और नवंबर 2019 के मध्य) प्रभावित परिसंपत्ति के स्थान एवं प्रभावित क्षेत्र इंगित किए बिना प्रतिकर का भुगतान किया। प्रकरणवार विवरण का विश्लेषण नीचे है:

(i) भू–अर्जन प्रकरण संख्या 11/अ–82/16–17 (ग्राम– लखनपुरा)

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने मौजूदा पी.एम.जी.एस.वाई.[37] ग्वालियर–झांसी मार्ग से घौंगा तक वाया बिलौआ मार्ग का चौड़ीकरण और पुर्ननिर्माण के लिए 8.056 एकड़ (0.865 एकड़ निजी एवं 7.191 एकड़ शासकीय) भूमि के अर्जन के लिए मांग पत्र भेजा (जुलाई 2017)। हमने पाया कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा कलेक्टर को मांग पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र में अपेक्षित भूमि में कोई संरचना/भवन स्थित नहीं होने का उल्लेख था।

इसके अलावा, प्रारंभिक अधिसूचना (सितंबर 2017), घोषणा (दिसंबर 2017) और तहसीलदार सर्वे (मार्च 2018) 7.191 एकड़ (2.910 हेक्टेयर) शासकीय भूमि को छोड़कर केवल 0.865 एकड़ (0.35 हेक्टेयर) निजी भूमि के लिए किया गया था।

तत्पश्चात, शासकीय भूमि में रहने वाले 64 व्यक्तियों ने संसद सदस्य (एम.पी.) को अपनी शिकायतें अभ्यावेदित की। उन्होंने सांसद को बताया कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने भूमि अर्जन के लिए कोई सूचना नहीं दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास शासकीय भूमि पर निवास हेतु शासकीय पट्टा है एवं शासकीय भूमि पर इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना एवं कच्चे–पक्के मकानों के अन्तर्गत एक/दो/तीन मंजिला भवन निर्मित थे।

सांसद के संदर्भ (मई 2018) के आधार पर, कलेक्टर, ग्वालियर ने परिसंपत्ति के सत्यापन के लिए कार्यवाही (जून 2018) शुरू की एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन प्रतिवेदन (दिसंबर 2018, प्रभावित व्यक्ति 51 एवं मूल्यांकित राशि ₹ 56.34 लाख) के आधार पर, कलेक्टर ने 4,724.52 वर्गमीटर (11.67 एकड़) भूमि के क्षेत्र में मौजूद 51 परिसंपत्तियों[38] (आर.सी.सी./पत्थर की छत, टिन की छत और बाउण्ड्रीवाल) के लिए ₹ 1.22 करोड़ का प्रतिकर अधिनिर्णित (फरवरी 2019) किया। इसमें शासकीय भूमि 4,584.40 वर्गमीटर (खसरा संख्या 398), निजी भूमि 75.73 वर्गमीटर (खसरा संख्या 282) आबादी भूमि 64.39 वर्गमीटर (खसरा संख्या उल्लेखित नहीं) शामिल है।

इसके अलावा, हमने पाया कि:

- लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन प्रतिवेदन (दिसंबर 2018) में लाभार्थी–वार सर्वे संख्या/भूमि का क्षेत्र जिसमें परिसंपत्ति (भवन/संरचना) स्थित थे, का उल्लेख नहीं किया गया था। 51 परिसम्पत्तियों में से 37 परिसम्पतियों (35 व्यक्ति शामिल) का निर्माण शासकीय भूमि पर किया गया था, तथापि अभिलेखों में स्वामित्व अधिकार (पट्टा) केवल 21 परिसम्पत्तियों के लिए उपलब्ध थे। अतः शेष 16 परिसम्पत्तियों (14 व्यक्तियों) के स्वामियों को शासन से प्रतिकर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार, 16 परिसम्पत्तियों के लिए ₹ 25.15 लाख का प्रतिकर अनियमित था।

---

[37] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

[38] 51 परिसंपत्तियाँ (तीन शासकीय परिसंपत्तियाँ, 37 शासकीय भूमि पर निजी परिसंपत्तियाँ (35 व्यक्ति संबद्ध) एवं 11 निजी भूमि पर निजी परिसंपत्तियाँ (10 व्यक्ति संबद्ध))

- सर्वे संख्या 398 (शासकीय भूमि) के अंतर्गत, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने अर्जन प्रस्ताव में कुल क्षेत्रफल 0.030 हेक्टेयर बताया, यद्यपि हमने पाया कि लोक निर्माण विभाग मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार 19[39] परिसंपत्तियों का क्षेत्र जो सड़क निर्माण के लिए अपेक्षित था, 435.27 वर्गमीटर (0.0435 हेक्टेयर) था। इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रभावित परिसंपत्ति का क्षेत्र मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि के क्षेत्र (0.0135 हेक्टेयर) से अधिक था ।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने संरचना/भवन निर्माण में प्रयुक्त क्षेत्र एवं सड़क निर्माण कार्य में प्रयुक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

इसके अलावा, कलेक्टर ने निजी भूमि (तीन[40] खसरा) पर छः परिसंपत्तियों (मकान 64.13 वर्गमीटर एवं बाउण्ड्रीवाल 26.10 मीटर) के लिए छः व्यक्तियों को ₹ 7.50 लाख का प्रतिकर दिया, तथापि, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने इनकी भूमि के अर्जन हेतु अनुरोध नहीं किया था।

(ii) भू–अर्जन प्रकरण संख्या 19/अ–82/17–18 (ग्राम–बिलौआ)

हमने देखा कि कलेक्टर ने पाँच व्यक्तियों के शासकीय भूमि (आबादी भूमि) पर संरचना के लिए सर्वे संख्या एवं क्षेत्र जिसमें संरचनाएं स्थित थीं, को इंगित किए बिना ₹ 1.87 लाख का प्रतिकर अधिनिर्णित (अक्टूबर 2019) किया। ₹ 1.87 लाख में से ₹ 0.95 लाख का भुगतान तीन व्यक्तियों को किया गया। सर्वे संख्या न तो कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन प्रतिवेदन (जनवरी 2019) में और न ही कलेक्टर के अधिनिर्णय में उल्लेखित था। अपेक्षक निकाय (मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम) ने भी प्रस्ताव के साथ अपेक्षित भूमि का खसरा प्रस्तुत नहीं किया था।

भू–अर्जन अधिकारी, ग्वालियर ने प्रारंभिक अधिसूचना (अप्रैल 2018) के समय परिसम्पत्तियों/संरचना के अस्तित्व का आकलन नहीं किया, तथापि हमने पोर्टल द्वारा जेनरेट किए गए खसरा को सत्यापित (दिसंबर 2020) किया और वहाँ परिसम्पत्तियों/संरचनाओं की मौजूदगी के बारे में कोई साक्ष्य नहीं पाया। अतः शासकीय भूमि पर परिसम्पत्तियों की मौजूदगी के समर्थन में साक्ष्य के अभाव में उसके लिए किया गया भुगतान संदिग्ध था।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि कलेक्टर, ग्वालियर दोनों प्रकरणों में पुनर्विलोकन कर रहे हैं।

विभाग का उत्तर अंतरिम है एवं कार्यवाही प्रगतिरत है ।

2.1.9.9 अतिरिक्त प्रतिकर की गणना में कमियाँ

अधिनियम 2013 की धारा 30 के प्रावधान के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से कलेक्टर के अधिनिर्णय की तिथि तक की अवधि के लिये भूमि के बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त प्रतिकर हकदार व्यक्तियों को अधिनिर्णय प्रतिकर के भाग के रूप में देय है। भारत सरकार के स्पष्टीकरणों/आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भूमि अर्जन प्रकरणों के मामले में यह 01.01.2015 से लागू था।

हमने पाया कि छः जिलों में 35 भूमि अर्जन प्रकरणों में अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान उपर्युक्त प्रावधानों/अनुदेशों के अनुसार नहीं था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई हैः–

---

[39] कुल 24 परिसंपत्तियाँ–05 परिसंपत्तियाँ बाउण्ड्रीवाल सहित।

[40] खसरा संख्या 282 (04 परिसंपत्तियाँ), 399 (01 परिसंपत्ति) और 407 (01 परिसंपत्ति)

(i) अतिरिक्त प्रतिकर का अधिक भुगतान

तीन जिलों (ग्वालियर, जबलपुर और सागर) में 18 भूमि अर्जन प्रकरणों में अतिरिक्त प्रतिकर की गणना, केवल भूमि के बाजार मूल्य को विचार में लिए जाने के स्थान पर भूमि के साथ संलग्न परिसंपत्तियों के मूल्य सहित पर की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.16 करोड़ (2,230 भू–स्वामी) का अधिक अतिरिक्त प्रतिकर का निर्धारण हुआ ***(परिशिष्ट–2.1.6)***।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि भूमि में भूमि के साथ–साथ उससे जुड़ी सभी परिसंपत्तियां भी शामिल हैं। तदनुसार, अतिरिक्त प्रतिकर की गणना भूमि के बाजार मूल्य पर की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त प्रतिकर की गणना जैसा कि अधिनियम 2013 की धारा 30(3) में प्रावधानित है केवल भूमि के बाजार मूल्य पर किया जाना है।

(ii) कम अवधि के लिये अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान[41]

चार जिलों में सात भूमि अर्जन प्रकरणों में अतिरिक्त प्रतिकर की राशि की गणना प्रारंभिक अधिसूचना की दिनांक से अंतिम अधिनिर्णय पारित होने के दिनांक तक की अवधि से कम अवधि के लिये की गई थी। फलस्वरूप, अधिनिर्णय ₹ 0.95 करोड़ (342 भू–स्वामी) का निर्धारण कम हुआ। विवरण ***परिशिष्ट–2.1.7*** में दर्शाया गया है।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि खजुरिया गांव, सागर जिले के एक प्रकरण में जिसमें संबंधित कलेक्टर द्वारा उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है को छोड़कर प्रतिकर की राशि का भुगतान प्रारंभिक अधिसूचना के दिनांक से अधिनिर्णय पारित होने के दिनांक तक किया गया था।

उत्तर को स्वीकार नहीं है क्योंकि शासन ने सहायक साक्ष्य अर्थात अतिरिक्त प्रतिकर की गणना के लिए विचार की गई अवधि का विवरण लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए प्रदान नहीं किया। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 2011 (मध्य प्रदेश शासन) के पैरा 2.1.7.6 में समान मुद्दों को इंगित किया गया था। तथापि त्रुटियाँ अभी भी बनी हुई है।

(iii) अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान

प्रारंभिक अधिसूचना के दिनांक से अधिनिर्णय के दिनांक तक अथवा एक विशिष्ट अवधि के स्थान पर अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त प्रतिकर की गणना की गई थी। जिसके कारण तीन जिलों में 10 भू–अर्जन प्रकरणों में 447 भू–स्वामियों को 21 दिन से एक वर्ष आठ माह तक की अतिरिक्त अवधि के लिये ₹ 1.62 करोड़ का अधिक निर्धारण किया गया। विवरण ***परिशिष्ट–2.1.7*** में दर्शाया गया है।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि वंशिया ग्राम सागर जिले के एक प्रकरण में जिसमें अधिक अवधि के लिए गणना की गई थी, को छोड़कर, अतिरिक्त प्रतिकर की राशि का भुगतान प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से अधिनिर्णय पारित होने की तिथि तक किया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि विभाग ने सहायक साक्ष्य अर्थात अतिरिक्त प्रतिकर की गणना के लिए विचार की गई अवधि का विवरण लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए प्रदान नहीं किया।

[41] भूमि अर्जन प्रकरणों के कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुति के बाद अनुमोदन में लगने वाले समय को ध्यान में रख कर जिस प्रकरण में कम अवधि 15 दिनों से कम है उसको लेखापरीक्षा ने छोड़ दिया है।

2.1.9.10 तोषण की गणना में कमियाँ

अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर राशि के 100 प्रतिशत के समतुल्य राशि तोषण के रूप में देय है। यहाँ प्रतिकर राशि में, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार भूमि के मूल्य के साथ भूमि/भवन के साथ संलग्न परिसंपत्तियों का मूल्य शामिल है। तथापि, हमने देखा कि तीन जिलों में 13 भूमि अर्जन प्रकरणों में अधिनिर्णित प्रतिकर में तोषण की गणना के लिए भूमि से संलग्न परिसंपत्तियों के मूल्य को शामिल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ (786 भू–स्वामियों) का कम निर्धारण किया गया। प्रकरणवार विवरण ***परिशिष्ट 2.1.8*** में दर्शाया गया है।

आगे, हमने पाया कि भोपाल जिले में भू–अर्जन अधिकारी (हुजूर) ने एक भू–अर्जन प्रकरण में परिसंपत्ति के मूल्य को तोषण की गणना के लिये विचार नहीं किया जबकि तीन अन्य प्रकरण में उसने परिसंपत्ति के मूल्य पर विचार किया। इसी प्रकार राजगढ़ जिले में भू–अर्जन अधिकारियों (ब्यावरा और नरसिंहगढ़) ने तीन भूमि अर्जन प्रकरणों में प्रतिकर की गणना के लिये परिसंपत्तियों के मूल्य को विचार में नहीं लिया था।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि जिलों द्वारा कम भुगतान के प्रकरणों पर कलेक्टरों द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है और उनके द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट जल्द साझा की जाएगी।

विभाग का उत्तर अंतरिम और केवल कार्यवाही प्रगतिरत है।

उपर्युक्त सभी प्रकरणों में भू–अर्जन अधिकारियों ने अधिनिर्णय प्रस्ताव तैयार करते समय त्रुटिपूर्ण निर्धारण किया था। कलेक्टर ने उचित प्रतिकर सुनिश्चित नहीं किया क्योंकि उनके द्वारा त्रुटियाँ सुधारी नहीं गई। परिणामस्वरूप, या तो भूमि स्वामी उचित प्रतिकर से वंचित रहे अथवा अपेक्षक निकायों को अतिरिक्त व्यय सहन करना पड़ा।

2.1.9.11 समय पर प्रतिकर भुगतान में कमियाँ

अधिनियम, 2013 प्रावधान करता है कि अधिनिर्णय के तीन माह के भीतर हकदार व्यक्तियों को प्रतिकर का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् कलेक्टर भूमि को अपने अधिपत्य में लेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के दिशा निर्देश (दिसंबर–2017) के अंतर्गत भू–अर्जन अधिकारी को 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए भू–स्वामियों को सार्वजनिक सूचना जारी करना है। आगे, जहाँ कई व्यक्ति हितबद्ध हो, प्रतिकर प्रभाजन, अधिनिर्णय में निर्दिष्ट होना चाहिए तथा प्रभाजन विवाद प्रकरण में अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अंतर्गत गठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (प्राधिकरण) को संदर्भित किए जाने चाहिए। विवाद के कारण भुगतान नहीं किए गए प्रतिकर राशि को प्राधिकरण के पास जमा किया जाना चाहिए।

(i) प्रतिकर अवितरित रहना

हमने देखा कि अक्टूबर 2020 की स्थिति में राजगढ़ को छोड़कर, लेखापरीक्षित पाँच जिलों में 59 भूमि अर्जन प्रकरणों में 3,953 में से 859 भू–स्वामियों (22 प्रतिशत) को प्रतिकर राशि ₹ 573.09 करोड़ में से ₹ 102.70 करोड़ (18 प्रतिशत) वितरित नहीं की गई थी। प्रकरणवार अवितरित राशि का विवरण ***परिशिष्ट 2.1.9*** में दर्शाया गया है।

आगे, हमने जबलपुर जिले में देखा कि प्रशासनिक कारणों एवं तकनीकी परीक्षण में कमी के कारण चार भू–अर्जन प्रकरणों[42] में भूमि के मूल्य के साथ परिसंपत्ति के मूल्य का भुगतान 2013–15 के दौरान नहीं किया गया था। आगे, भू–स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान दो से चार वर्षों के विलम्ब से किया गया था। चूंकि विलंब भू–स्वामियों के कारण नहीं हुआ था, भूमि के अधिनिर्णय/कब्जे के बाद भू–स्वामियों को विलंब से भुगतान पर ब्याज देय था। तदनुसार, एक वर्ष पाँच माह से एक वर्ष नौ माह के विलंब के लिए भू–स्वामियों को ₹ 24.24 लाख ब्याज देय था।

हमने यह भी देखा कि तीन जिलों[43] में कलेक्टरों ने 10 भूमि अर्जन प्रकरणों में न तो विवादित प्रकरणों को भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण को संदर्भित किया जैसा कि अधिनियम में अपेक्षित था न ही ऐसे विवादों के कारण अदत्त राशि ₹ 7.99 करोड़ (36 व्यक्तियों) को जमा करवाया।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि जिलों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कुछ राशि वितरित नहीं की गई थी। विवादित प्रकरणों में अवितरित राशि को भूमि–अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के खाते में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

शासन ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया ।

(ii) प्रतिकर के वितरण में विलंब

हमने लेखापरीक्षित पाँच जिलों में 1,827 (3,986 का 46 प्रतिशत) भू–स्वामियों को ₹ 270.71 करोड़ (₹ 595.57 करोड़ का 45 प्रतिशत) के प्रतिकर के वितरण में तीन से 1,400 दिनों का विलंब पाया। जिलेवार विवरण **तालिका 2.1.9** में दिया गया है।

तालिका 2.1.9: 2015–20 के दौरान विलंबित प्रतिकर के भुगतानों की जिलेवार स्थिति

(राशि: ₹ करोड़ में)

जिला का नाम	कुल			विलंब		
	भूमि अर्जन प्रकरण	भू–स्वामी	प्रतिकर	भू–स्वामी	राशि	अवधि (दिन)
भोपाल	14	318	117.37	142	55.37	3 से 1,365
ग्वालियर	13	486	11.06	132	2.65	6 से 1,134
होशंगाबाद	10	255	155.35	140	36.95	30 से 990
जबलपुर	10	687	49.49	357	27.72	6 से 931
सागर	18	2,240	262.30	1,056	148.02	6 से 1,400
योग	**65**	**3,986**	**595.57**	**1,827**	**270.71**	

(स्रोतः– विभागीय अभिलेख)

प्रतिकर के वितरण न होने का कारण मुख्य रूप से अपेक्षक निकायों से निर्धारित समय–सीमा के भीतर/अधिनिर्णय की तिथि से पहले निधियों की गैर–प्राप्ति था, जैसा कि **कंडिका 2.1.8.1** में चर्चा

[42] आरंभिक अधिनिर्णय संख्या (भूमि अर्जन प्रकरण क्र. 26/अ–82/2011–12, भूमि अर्जन प्रकरण क्र. 46/अ–82/2011–12, भूमि अर्जन प्रकरण क्र. 47/अ–82/2011–12 एवं भूमि अर्जन प्रकरण क्र. 08/अ–82/2011–12)। नवीन अधिनिर्णय संख्या (भूमि अर्जन प्रकरण क्र. 14/अ–82/2015–16, भूमि अर्जन प्रकरण क्र. 08/अ–82/2015–16 और भूमि अर्जन प्रकरण क्र. 03/अ–82/2016–17)।

[43] ग्वालियर (दो भूमि अर्जन प्रकरण, 17 व्यक्ति, ₹ 8.61 लाख), होशंगाबाद (सात भूमि अर्जन प्रकरण, 18 व्यक्ति, ₹ 741.60 लाख) एवं जबलपुर (एक भूमि अर्जन प्रकरण, एक व्यक्ति, ₹ 48.97 लाख)।

की गई है तथा भुगतान प्राप्त करने के लिए भू–स्वामियों को विलंब से सूचना/नोटिस दिया जाना था। प्रतिकर का भुगतान किए बिना भूमि का अर्जन भू–स्वामियों के विधिक अधिकारों का हनन है।

कलेक्टर/भू–अर्जन अधिकारियों ने प्रतिकर भुगतान न होने का कारण अपेक्षक विभागों से निधियों का प्राप्त न होना, बैंक खाते प्रस्तुत न किया जाना, प्रतिकर के हिस्से के स्वामित्व प्रभाजन का विवाद, भू–स्वामियों का उपस्थित न होना तथा लंबित न्यायालय प्रकरण को ठहराया (अक्टूबर 2020)।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि प्रतिकर के वितरण में देरी के मुख्य कारण अपेक्षक निकायों से निधि की प्राप्ति न होना, भूमि–स्वामियों द्वारा बैंक खाते का प्रस्तुत न करना, प्रतिकर के हिस्से के स्वामित्व/प्रभाजन पर विवाद, भू–स्वामियों की अनुपस्थिति और लंबित न्यायालयीन प्रकरण थे। ये सभी कारण भू–अर्जन अधिकारियों के नियंत्रण के बाहर थे।

उत्तर सामान्य है एवं बिना सहायक साक्ष्य के है। विभाग ने कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की। तथ्य यह है कि भू–स्वामियों को समय पर प्रतिकर नहीं मिल सका। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 2011 (मध्य प्रदेश शासन) की कंडिका 2.1.7.8 में मुद्दे को इंगित करने के बाद भी कमी दोहराई गई।

2.1.9.12 प्रतिकर का अनियमित/अधिक भुगतान

अधिनियम, 2013 के अनुसार, कलेक्टर को वास्तविक भू–स्वामियों के पक्ष में अधिनिर्णय करना चाहिए और अधिनिर्णय के अनुसार भुगतान करना चाहिए। हमने पाया कि भू–अर्जन अधिकारियों ने अधिकार अभिलेख का सत्यापन किए बिना व्यक्तिगत अधिनिर्णय बनाने में त्रुटि की।

हमने पाया कि तीन प्रकरणों में ₹ 9.55 लाख का भुगतान पाँच व्यक्तियों को किया गया जिनके नाम अधिनिर्णय में उल्लेखित नहीं थे तथा एक प्रकरण में, ₹ 17.45 लाख का भुगतान एक व्यक्ति को नहीं किया गया था जिसका नाम अधिनिर्णय में था। उपर्युक्त से यह इंगित होता है कि अधिनिर्णय पारित करने से पूर्व उचित प्रारंभिक सर्वे नहीं किया गया था तथा भुगतान अपात्र व्यक्तियों को किया गया था।

इसके अलावा हमने यह भी पाया कि अधिनिर्णय मूल्य से/भू–अभिलेख में उपलब्ध क्षेत्रफल से अधिक का भुगतान करने तथा अधिनिर्णय में व्यक्तियों के न होते हुए प्रतिकर का भुगतान के कारण छः प्रकरणों में (चार चयनित जिलों में) 20 व्यक्तियों को ₹ 1.03 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। प्रतिकर का अनियमित/अधिक भुगतान का प्रकरणवार विवरण **तालिका–2.1.10** में दिया गया है।

तालिका 2.1.10: अनियमित/अधिक प्रतिकर के भुगतान प्रकरणवार विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला	भूमि–अर्जन प्रकरण	भू–स्वामी	राशि	लेखापरीक्षा आपत्ति का संक्षिप्त विवरण
अनियमित भुगतान					
1.	ग्वालियर	21/अ–82/2014–15	3	0.94	अधिनिर्णय मौजूदा भू–स्वामियों के नाम पर नहीं किए गए तथा भुगतान (फरवरी 2017) पिछले भू–स्वामियों को किए गए।
2.	ग्वालियर	11/अ–82/2016–17	1	0.16	अर्जित भूमि के आधे भाग का भुगतान (नवंबर 2019) ऐसे व्यक्ति को किया गया जिसका नाम अधिनिर्णय/सर्वेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित नहीं था।

तालिका 2.1.10: अनियमित/अधिक प्रतिकर के भुगतान प्रकरणवार विवरण (₹ लाख में)					
स.क्र.	**जिला**	**भूमि–अर्जन प्रकरण**	**भू–स्वामी**	**राशि**	**लेखापरीक्षा आपत्ति का संक्षिप्त विवरण**
3.	जबलपुर	1/अ–82/2015–16	1	8.45	अधिनिर्णय मौजूदा भू–स्वामी के नाम पर नहीं किया गया था और भुगतान (अप्रैल 2018) अन्य व्यक्ति को किया गया।
4.	सागर	24/अ–82/2017–18	1	17.45	भुगतान वास्तविक भू–स्वामी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को किया (जनवरी 2019) गया।
योग			**6**	**27.00**	
अधिक भुगतान					
5.	भोपाल	2/अ–82/2016–17	1	4.50	भू–अर्जन अधिकारी ने भू–स्वामी को अधिनिर्णय की राशि ₹ 2.70 लाख (सर्वे संख्या 176/1–अ) के स्थान पर ₹ 7.20 लाख का भुगतान किया (10.04.2018) जिसके कारण अधिक भुगतान हुआ। ₹ 3.00 लाख वसूल किए गए (26.02.2019) एवं शेष राशि ₹ 1.50 लाख की वसूली (अक्टूबर 2020) नहीं की गई।
6.	ग्वालियर	11/अ–82/2014–15	6	0.47	भू–अर्जन अधिकारी ने पात्रता राशि ₹ 9.36 लाख (सर्वे संख्या 1275) के स्थान पर ₹ 9.83 लाख का भुगतान (अक्टूबर एवं दिसंबर 2017 के मध्य) किया।
7.	होशंगाबाद	04/अ–82/2016–17	5	38.77	0.090 हेक्टेयर भूमि (सर्वे संख्या 133/4) के अर्जन के लिए अधिनिर्णय की राशि ₹ 6.64 लाख के विरूद्ध ₹ 45.41 लाख का भुगतान किया (जून 2019) गया। इसके फलस्वरूप ₹ 38.77 लाख का अधिक भुगतान हुआ।
8.	होशंगाबाद	02/अ–82/2016–17	4	56.53	भू–स्वामी गणेश प्रसाद की मृत्यु (02.08.2013) के पश्चात् भूमि क्षेत्र 0.898 हेक्टेयर, परिवार के तीन सदस्यों के मध्य बंटवारा (जुलाई 2017) किया गया। सर्वे प्रतिवेदन 0.898 हेक्टेयर में से अर्जित भूमि 0.258 हेक्टेयर का भू–स्वामी गणेश प्रसाद एवं सात अन्य व्यक्तियों को दर्शाता है। नकल संशोधन पंजी, तहसील इटारसी के अनुसार ₹ 98.92 लाख में से ₹ 56.53 लाख प्रतिकर का भुगतान (दिसंबर 2019) चार अन्य व्यक्तियों को किया गया था जिनका भूमि पर कोई अधिकार नही था।
9.	जबलपुर	01/अ–82/2015–16	2	1.46	उपलब्ध क्षेत्र 2.80 हेक्टेयर (सर्वे संख्या 48/1 और 48/2) के विरूद्ध 3.10 हेक्टेयर के लिए अधिनिर्णय किया गया। ₹1.46 लाख का भुगतान अधिक भूमि 0.30 हेक्टेयर के लिए किया (फरवरी 2018) गया।
10.	जबलपुर	02/अ–82/2015–16	2	1.02	उपलब्ध क्षेत्र 3.56 हेक्टेयर (सर्वे संख्या 542 एवं 79) के विरूद्ध 3.77 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए

तालिका 2.1.10: अनियमित/अधिक प्रतिकर के भुगतान प्रकरणवार विवरण (₹ लाख में)					
स.क्र.	जिला	भूमि–अर्जन प्रकरण	भू–स्वामी	राशि	लेखापरीक्षा आपत्ति का संक्षिप्त विवरण
					अधिनिर्णय किया गया। ₹ 1.02 लाख का भुगतान अधिक भूमि 0.21 हेक्टेयर के लिए (जनवरी एवं मार्च 2018) किया गया।
योग			20	102.75	
महायोग			26	129.75	

(स्रोत–विभागीय अभिलेख)

कलेक्टर, ग्वालियर ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जबकि कलेक्टर, होशंगाबाद ने अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का आश्वासन (अक्टूबर 2020) दिया। आगे, शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि अनियमित भुगतान के मामले की जांच संबंधित कलेक्टरों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को शासकीय खाते में जमा करने के लिए कदम उठाए गए है।

विभाग का उत्तर अंतरिम और केवल कार्यवाही प्रगतिरत है।

2.1.9.13 प्रतिकर पर आय कर कटौत्रा के कारण प्रतिकर का कम भुगतान

अधिनियम, 2013 की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी अधिनिर्णय या अनुबंध पर कोई आयकर नहीं लगाया जाएगा। भोपाल जिले में भू–अर्जन अधिकारी (हुजूर) के अभिलेखों की जाँच से परिलक्षित हुआ कि भू–अर्जन अधिकारी (हुजूर) ने सात भूमि अर्जन प्रकरणों में 29 भू–स्वामियों को सितंबर 2015 एवं मार्च 2020 के मध्य अधिनिर्णित प्रतिकर (₹ चार करोड़) से ₹ 79.04 लाख के आयकर की कटौत्रा की। अधिनियम के प्रावधानों से हटकर आयकर के नियम विरूद्ध कटौत्रा के परिणामस्वरुप भू–स्वामियों को ₹ 79.04 लाख कम प्रतिकर मिला। यद्यपि, हमने देखा कि कलेक्टर भोपाल ने अधिनिर्णय अनुमोदित करते समय न तो विसंगति को सुधार किया न ही भूमि–स्वामियों को ऐसी कटौत्रा की गई राशि को लौटाने के लिए उचित कार्यवाही की।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि कलेक्टर भोपाल को मामले की पुनः जांच कर तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। कार्यवाही प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा।

विभाग का उत्तर अंतरिम और केवल कार्यवाही प्रगतिरत है ।

2.1.10 व्यक्तिगत जमा खाता एवं बैंक खाता का संचालन

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने जिला कलेक्टरों को बैंक खातों में रखे भू–अर्जन प्रतिकर की शेष राशि को व्यक्तिगत जमा खातों (पी.डी. खाता) में अंतरित करने के लिए निर्देशित (अगस्त 2005) किया था। इस निर्देश को दोहराते हुए राजस्व विभाग ने भी मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों को अधिनिर्णय की राशि को कलेक्टर द्वारा संधारित व्यक्तिगत जमा खाते में जमा करने के लिए पुनः निर्देशित (जून 2013 और मार्च 2019) किया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भूमि अर्जन प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रकरणों से संबंधित भूमि अर्जन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बैंक खाते से राशि/निधि आहरित करने के लिए प्राधिकृत है।

राज्य के समस्त जिलों के व्यक्तिगत खातों के संधारण से संबंधित ऑकड़ों[44] के विश्लेषण से परिलक्षित हुआ कि रीवा जिले ने 2015–19 के दौरान व्यक्तिगत जमा खाता संचालित नहीं किया बल्कि मौजूदा आदेशों से हटकर दिसम्बर 1995 और सितंबर 2020 के मध्य तीन बचत बैंक खातों में ₹ 81.14 करोड़ रखा। हमने आगे पाया कि 2019–20 के दौरान जिला स्तरीय व्यक्तिगत जमा खाते में राशि ₹ 60.00 करोड़ जमा की गई थी, यद्यपि, इस खाते से कोई भुगतान नहीं किया गया था। व्यक्तिगत जमा खाते के स्थान पर बैंक खातों का संचालन उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षित छः में से पांच जिलों में हमने पाया कि व्यक्तिगत जमा खातों के रोकड़ पंजी शेष कोषालय के अभिलेखों से मेल नहीं खाते थे। मार्च 2020 की स्थिति में, कोषालयों में संधारित सात व्यक्तिगत जमा खाते और रोकड़ पंजी के शेष में ₹ 119.92[45] करोड़[46] का अंतर था। भू–अर्जन अधिकारियों ने बताया कि मिलान किया जाएगा।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि जबलपुर को छोड़कर सभी जिलों ने व्यक्तिगत जमा खाते में अधिनिर्णय राशि जमा किये जाने की सूचना दी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा साक्ष्य से वर्ष 2015–19 के दौरान रीवा जिले में व्यक्तिगत जमा खाता संचालित नहीं होने का पता चला।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 2011 (मध्य प्रदेश शासन) की कंडिका 2.1.7.11 में इसी तरह की आपत्ति के बावजूद यह मुद्दा बना हुआ है।

2.1.10.1 उप जिला स्तरीय व्यक्तिगत जमा खाते से जिला स्तरीय व्यक्तिगत जमा खाते में निधि का अंतरण न होना

विभाग ने समस्त जिले के कलेक्टर को उप जिला स्तरीय व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई निधियों को जिला स्तरीय व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित करने के लिए निर्देशित (मार्च 2019) किया था। तथापि, इस आवश्यकता का लेखापरीक्षित छः जिलों में से दो जिले (होशंगाबाद एवं जबलपुर) में अनुपालन नहीं किया गया। इन दो जिलों ने ₹ 20.20 करोड़ उप जिला स्तरीय व्यक्तिगत जमा खाते[47] में रखा (सितंबर 2020) था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया (अक्टूबर 2021) कि व्यक्तिगत जमा खाते के माध्यम से लेन–देन करने तथा बैंक खाते एवं उप जिला स्तरीय व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने के लिए कलेक्टर को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

कलेक्टरों द्वारा अनुदेशों का पालन किया गया है या नहीं, विभाग ने इसकी सूचना नहीं दी है। अतः स्वीकार्य नहीं है।

---

44 कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर से प्राप्त किया गया।

45 मार्च 2020 की स्थिति में, व्यक्तिगत जमा खाते के रोकड़ पंजी का शेष ₹ 1,378.53 करोड़ था और व्यक्तिगत जमा खाते के कोषालय स्टेटमेंट के अनुसार शेष ₹ 1,258.61 करोड़ था, इस प्रकार, ₹ 119.92 करोड़ का अंतर मौजूद था।

46 भोपाल (₹ 7.17 करोड़, एक व्यक्तिगत जमा खाता), ग्वालियर (₹ 2.19 करोड़, एक व्यक्तिगत जमा खाता), जबलपुर (₹ 17.16 करोड़, एक व्यक्तिगत जमा खाता), राजगढ़ (₹ 34.07 करोड़, दो व्यक्तिगत जमा खाता) एवं सागर (₹ 59.33 करोड़, दो व्यक्तिगत जमा खाता)।

47 होशंगाबाद (पाँच व्यक्तिगत जमा खाते, ₹ 18.81 करोड़) एवं जबलपुर (एक व्यक्तिगत जमा खाता, ₹ 1.39 करोड़)।

2.1.11 शासकीय खाते में प्रशासनिक व्यय का संग्रहण एवं जमा किया जाना

राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने विभिन्न अवसर पर (अक्टूबर 2014 से मार्च 2019 के दौरान) प्रशासनिक व्यय/सेवा शुल्क की दर निर्धारित किया था। अपेक्षक निकायों से वसूल की गई प्रशासनिक व्यय की राशि को शासकीय राजस्व खाते[48] में प्रेषित किया जाना अपेक्षित था। भूमि अर्जन के लिए निर्धारित प्रशासनिक व्यय की दर **तालिका–2.1.11** में दी गई है।

तालिकाः 2.1.11 प्रशासनिक व्यय की दरों को दर्शाता विवरण

स. क्र.	आदेश/अधिसूचना जारी होने की तिथि	संगठनों के लिए लागू प्रशासनिक व्यय की निर्धारित दर (प्रतिशत में)	
1	03 अक्टूबर 2014	05	शासकीय विभाग/निकाय
2	22 मार्च 2019	2.5	
		05	अन्य समस्त निकाय
3	01 दिसम्बर 2018	2.5	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

2015–20 के दौरान आरोपित प्रशासनिक व्यय, संग्रहित राशि एवं शासकीय खाते में प्रेषित राशि की स्थिति **तालिका–2.1.12** में दी गई है।

तालिका–2.1.12: आरोपित, संग्रहित और प्रेषित की गई प्रशासनिक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

आरोपित प्रशासनिक व्यय		आरोपित नहीं किया गया प्रशासनिक व्यय			प्रशासनिक व्यय जो आरोपित किया गया किंतु वसूल नहीं किया गया			प्रशासनिक व्यय जो वसूल किया गया किंतु शासकीय खाते में प्रेषित नहीं किया गया			कुल प्रशासकीय व्यय जो आरोपित/संग्रहित/शासकीय खाते में प्रेषित नहीं किया गया
भूमि अर्जन प्रकरणों की संख्या	राशि	जिलों की संख्या	भू–अर्जन प्रकरणों की संख्या	राशि	जिलों की संख्या	भू–अर्जन प्रकरणों की संख्या	राशि	जिलों की संख्या	भू–अर्जन प्रकरणों की संख्या	राशि	
111	45.98	01	11	0.60	03	07	1.87	04	37	3.28	5.75

(स्रोतः– विभागीय अभिलेख)

तालिका 2.1.12 से यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक व्यय ₹ 5.75 करोड़ शासन को प्रेषित नहीं किया गया।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 2011 (मध्य प्रदेश शासन) की कंडिका 2.1.7.10 में समान प्रकृति की कमियाँ इंगित किए जाने के बावजूद भी विभाग ने सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की।

आगे, हमने पाया कि भू–अर्जन अधिकारियों ने प्रशासनिक व्यय की निर्धारित दर आरोपित नहीं की जिससे त्रुटिपूर्ण गणना हुई। परिणामस्वरुप, 24 भूमि–अर्जन प्रकरणों में ₹ 2.96 करोड़ कम आरोपित हुए तथा 43 भूमि अर्जन प्रकरणों में ₹ 11.64 करोड़ अधिक आरोपित हुए जैसा कि **तालिका–2.1.13** में वर्णित है।

---

[48] खाता क्रमांक 0029

तालिका–2.1.13: प्रशासनिक व्यय की त्रुटिपूर्ण गणना (₹ करोड़ में)					
गणना में त्रुटि की प्रकृति	**भूमि अर्जन प्रकरणों की संख्या**	**जिलों की संख्या**	**अवधि**	**कम आरोपित राशि**	**अधिक आरोपित राशि**
कम आरोपित					
पाँच प्रतिशत के स्थान पर 2.5 प्रतिशत की दर से आरोपित प्रशासनिक व्यय	22	03	2015–19	2.93[49]	0
अधिनिर्णीत प्रतिकर[50] के स्थान पर भूमि के मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से आरोपित प्रशासनिक व्यय	02	01	2017–19	0.03	0
योग	**24**	**04**		**2.96**	**0**
अधिक आरोपित					
2.5 प्रतिशत के स्थान पर पाँच प्रतिशत की दर से आरोपित प्रशासनिक व्यय	14	03	2018–20	0	1.96
पाँच प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर से आरोपित प्रशासनिक व्यय	27	04	2015–19	0	9.63
2.5 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत[51] की दर से आरोपित प्रशासनिक व्यय	02	01	2019–20	0	0.05
योग	**43**	**08**		**0**	**11.64**

(स्रोतः– विभागीय अभिलेख)

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि मांग अपेक्षक निकायों जिन्होंने प्रशासनिक लागत जमा नहीं की, को भेजी गई। व्यक्तिगत जमा खाते में रखी राशि शासकीय खाते में जमा की जा रही है। आगे, शासन ने बताया कि शेष 2.5 प्रतिशत जमा करने के लिए कदम उठाए जा चुके है एवं संग्रहित अतिरिक्त राशि को अपेक्षित निकायों को वापस किया जा रहा है ।

विभाग ने टिप्पणी स्वीकार कर ली है। तथापि, की गई कार्रवाई का विवरण सूचित नहीं किया गया है।

2.1.12 भू–स्वामित्व का हस्तांतरण और भूमि का उपयोग

2.1.12.1 निजी भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण न होना

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रावधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो भूमि पर कोई अधिकार अर्जित करता है, ऐसे अधिकार का प्रतिवेदन अर्जन की तारीख से छः माह के भीतर पटवारी या तहसीलदार

---

[49] ग्वालियर (14 भूमि अधिग्रहण प्रकरण, ₹ 22.78 लाख), जबलपुर (पांच भूमि अधिग्रहण प्रकरण, ₹ 46.61 लाख) एवं सागर (तीन भूमि अधिग्रहण प्रकरण, ₹ 223.13 लाख)।

[50] यह प्रकरण जबलपुर जिले के भू–अर्जन अधिकारी, पाटन से संबंधित है।

[51] ये प्रकरण होशंगाबाद जिले से संबंधित है।

या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देगा। पटवारी या कोई प्राधिकृत व्यक्ति अर्जन के प्रतिवेदन की प्राप्ति के संबंध में प्रतिवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तहसीलदार को सूचित करेगा तथा तहसीलदार प्रकरण को अपने न्यायालय में 15 दिन के भीतर पंजीकृत करेगा। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात नामान्तरण का आदेश पंजीकृत होने की तारीख से अविवादित मामले के प्रकरणों में 30 दिन के भीतर एवं विवादित मामले के प्रकरणों में पाँच माह के भीतर पारित करेगा तथा ग्राम के खसरे और अन्य भू–अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

उपर्युक्त आवश्यकताओं के अतिरिक्त, भू–अर्जन अधिकारी, तहसीलदारों एवं अपेक्षक निकायों को स्वामित्व का हस्तांतरण अपेक्षक निकायों के पक्ष में अद्यतन करने के लिए निर्देशित करेगा। यद्यपि, हमने पाया कि छः में से चार चयनित जिले में 135[52] में से 45[53] चयनित भू–अर्जन प्रकरणों में खसरा में अपेक्षक निकायों के नाम से नामांतरण/परिवर्तन हेतु कार्यवाही न तो तहसीलदारों एवं न ही अपेक्षक निकायों ने आरंभ की। शेष 90 प्रकरणों में, भू–अर्जन अधिकारियों ने तहसीलदारों को निर्देशित भी नहीं किया। चयनित छः जिलों में, 2015–20 के दौरान अर्जित 12,928.603 हेक्टेयर निजी भूमि में से सिर्फ 3,051 हेक्टेयर निजी भूमि में 2019–20 के दौरान कमी होना पाया गया जो कि अपेक्षक निकायों के नाम पर अर्जित 9,877.603 हेक्टेयर (76 प्रतिशत) भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जाना दर्शाता है। यह राजस्व प्राधिकारियों द्वारा भूमि अर्जन के पश्चात भूमि अभिलेखों में नाम परिवर्तन हेतु तुरंत कार्यवाही करने की कमी को इंगित करता है जिससे भविष्य में परिहार्य विधिक विवाद हो सकते है।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि स्वामित्व का हस्तांतरण उन प्रकरणों में किया गया है जहाँ आवेदन करने वाली एजेंसियों ने राजस्व अभिलेखों के अद्यतनीकरण में विधिवत रुचि ली थी। एजेंसियों को स्मरण कराया जा रहा है एवं अनुरोध किया जा रहा है कि वे अर्जित भूमि का स्वामित्व अपने पक्ष में परिवर्तित करने के लिए सक्रिय भूमिका और उत्तरदायित्व निभाएं।

शासन ने अपेक्षक निकायों के पक्ष में भूमि के स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किये जाने के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया, तथापि, स्वामित्व परिवर्तन करने के लिए एजेंसियों को जारी किए गए पत्र लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

2.1.12.2 अर्जित भूमि का उपयोग

अधिनियम, 2013 की धारा 38 के प्रावधान के अनुसार, प्रतिकर का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् कलेक्टर भूमि का आधिपत्य ले लेगा। यदि अर्जित भूमि किसी परियोजना को स्थापित करने की निर्धारित अवधि या पाँच वर्ष से अधिक के लिए अनुपयोगित रहती है तो उसे वास्तविक स्वामी या भूमि बैंक[54] को वापस कर दी जाएगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किए गए भूमि–अर्जन प्रकरणों के मामले में भू–अर्जन अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय के पश्चात् अपेक्षक निकायों से प्रतिकर संग्रहण करके भू–स्वामियों को 60 दिनों के भीतर प्रतिकर प्राप्त करने के लिए सूचित करने

---

[52] 141 प्रकरणों में से, छः प्रकरण (जबलपुर जिले में तीन प्रकरणों में भूमि पर अवस्थित सम्पत्तियों का बकाया भुगतान, राजगढ़ जिले में एक प्रकरण में अधिनिर्णय पुनरीक्षित किया गया तथा सागर जिले में दो प्रकरणों में, भूमि एवं मकान का अधिग्रहण नहीं किया गया) नहीं लिया गया।

[53] भोपाल (13 भूमि अधिग्रहण प्रकरण), ग्वालियर (13 भूमि अधिग्रहण प्रकरण), होशंगाबाद (तीन भूमि अधिग्रहण प्रकरण) और राजगढ़ (16 भूमि अधिग्रहण प्रकरण)।

[54] अधिनियम 2013 के अनुसार, भूमि बैंक का अभिप्राय एक शासकीय इकाई से है जो शासकीय स्वामित्व वाली खाली, परित्यक्त, अनुपयोगी अर्जित भूमियाँ एवं कर–बकाया वाली सम्पत्तियों को उत्पादनकारी उपयोग में परिवर्तित करने का कार्य करती है।

हेतु सार्वजनिक सूचना जारी करेगा एवं उसके बाद उनके द्वारा भूमि समर्पण के लिए समान अवधि की दूसरी सूचना जारी करेगा ।

लेखापरीक्षित छः जिलों में से चार जिले (ग्वालियर और जबलपुर को छोड़कर) में हमने पाया कि अधिनिर्णय/प्रतिकर के भुगतान के पश्चात भू–स्वामियों से भूमि के कब्जे के संबंध में कलेक्टरों ने कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी थी। आगे हमने देखा कि छः लेखापरीक्षित जिलों में अपेक्षक निकायों को अर्जित भूमि सौंपने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। कब्जा तिथि के अभाव में अतिरिक्त प्रतिकर एवं ब्याज तथा भूमि को लौटाने की अवधि (भूमि उपयोग न होने की स्थिति में) का निर्धारण नहीं किया जा सका जैसा कि अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित था।

आगे, हमने यह भी देखा कि भूमि के उपयोग की स्थिति की निगरानी के लिए कोई डाटाबेस/प्रबंधन सूचना प्रणाली या कोई अन्य तंत्र मौजूद नहीं था। परिणामस्वरूप, कार्यों/परियोजनाओं, जिसके लिए विभाग द्वारा भूमि अर्जित की गई थी की पूर्णता में लोकप्रयोजनवार विलंब प्रदर्शित हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट–2.1.10*** में विस्तृत है, को छोड़कर लेखापरीक्षा भूमि का उपयोग सुनिश्चित नही कर सका।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि राजस्व विभाग अधिनिर्णय प्रकाशित होने और प्रतिकर के भुगतान के बाद आधिपत्य सौंपने की प्रक्रिया शुरू करता है। संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों और भू–स्वामियों को मौके पर उपस्थित होने के लिए कहा जाता है और आधिपत्य सौंपने के समर्थन में एक लिखित दस्तावेज तैयार किया जाता है। भूमि का आधिपत्य सौंपने के लिए एक मानक प्रारूप भी निर्धारित है।

विभाग ने की गयी कार्यवाही के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना एक सामान्य उत्तर प्रस्तुत किया है।

2.1.12.3 भूमि अर्जन में विलंब के कारण परियोजना कार्य प्रभावित होना

समय से भूमि अर्जन, परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूर्ण करने में सहायक होता है। आगे, आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति का उद्देश्य विभिन्न भू–अर्जन अधिनियमों के अंतर्गत भूमि–अर्जन में लगने वाले अतिरिक्त समय से बचना है। आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के प्रावधान के अनुसार, अर्जित भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख प्रतिकर के भुगतान के पश्चात कलेक्टर (राज्य के राज्यपाल की ओर से) के नाम से किया जाएगा।

हमने पाया कि भू–अर्जन अधिनियम (दो प्रकरण), आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति (छः प्रकरण) एवं अनुदान (एक प्रकरण) के तहत भूमि अर्जन प्रक्रिया (नौ भू–अर्जन प्रकरण) में विलंब हुआ था जैसा कि ***परिशिष्ट–2.1.10*** में वर्णित है। आगे हमने पाया कि भू–अर्जन में विलंब (आठ प्रकरण) ने छः परियोजनाओं के समय पर पूरा होने को प्रभावित किया जैसा कि **तालिका–2.1.14** में वर्णित है:

तालिका –2.1.14: भूमि अर्जन में हुए विलंब के कारण प्रभावित हुई परियोजनाओं का विवरण

स. क्र.	परियोजना का नाम	कारण
1.	टेम मध्यम सिंचाई परियोजना (जल संसाधन विभाग), भोपाल	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, विदिशा ने परियोजना के लिए 61 भूस्वामियों से 56.010 हेक्टेयर भूमि के अर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च 2018)। कलेक्टर, भोपाल ने उक्त भूमि के अर्जन हेतु ₹ 7.65 करोड़ का अधिनिर्णय (जनवरी 2020) करने में 22 माह का समय लिया। यद्यपि, कलेक्टर ने परियोजना पूर्ण होने (अक्टूबर 2021) के 21 माह पूर्व अधिनिर्णय कर दिया था, फिर भी लेखापरीक्षा के समय तक 17 भू–स्वामियों को ₹ 2.35 करोड़ के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया था। आगे, निधि की उपलब्धता के बावजूद 44 भू–स्वामियों को ₹ 5.30 करोड़ के प्रतिकर का भुगतान 10 माह के विलम्ब से किया गया।

तालिका –2.1.14: भूमि अर्जन में हुए विलंब के कारण प्रभावित हुई परियोजनाओं का विवरण		
स. क्र.	परियोजना का नाम	कारण
		प्रतिकर के गैर/विलंब से भुगतान के परिणामस्वरूप भूमि का अर्जन नहीं हुआ जिससे परियोजना कार्य प्रभावित हुआ। विभाग ने परियोजना पूरा करने की अवधि अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर मई 2023 कर दी है।
2.	उर्रम एवं घुघरा नाला (हीरापुर) टैंक परियोजना का निर्माण (जल संसाधन विभाग), जबलपुर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग ने दो परियोजनाओं अर्थात जबलपुर जिले में उर्रम एवं घुघरा नाला टैंक परियोजना के लिए 11 भूस्वामियों से 4.63 हेक्टेयर भूमि के अर्जन का प्रस्ताव भेजा (सितम्बर 2016) था। परियोजनाओं को पूरा करने की समय–सीमा थी: (क) उर्रम टैंक परियोजना – फरवरी 2016 एवं (ख) घुघरा नाला टैंक परियोजना – जून 2015 तथापि, जल संसाधन विभाग ने स्वयं प्रस्तावित समापन तिथि से क्रमशः सात एवं 15 महीने बीत जाने के बाद भूमि अर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने परियोजनाओं की निर्धारित समापन तिथि के 12 एवं 20 माह बाद फरवरी 2017 में प्रस्ताव स्वीकृत किया। पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि के पहले दोनों परियोजनाओं के लिये भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी। उर्रम परियोजना का काम 14 महीने की देरी से पूरा हुआ एवं घुघरा नाला परियोजना आज दिनांक तक अधूरी थी। इस प्रकार भूमि अर्जन में विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं का कार्य प्रभावित हुआ।
3.	मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण (पिपरिया से बोरलॉग संस्थान, जबलपुर) लंबाई 3.30 किमी (लोक निर्माण विभाग), जबलपुर	लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) ने जून 2012 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की और परियोजना के पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि मार्च 2014 थी। लोक निर्माण विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति (जून 2012) की तिथि से 41 महीने बीत जाने के बाद 17 भू–स्वामियों से 2.429 हेक्टेयर के अर्जन का प्रस्ताव भेजा (नवंबर 2015) था। कलेक्टर, जबलपुर ने ₹ 93.90 लाख के अधिनिर्णय (फरवरी 2018) पारित करने में 27 माह का समय लिया। प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलम्ब ने अंततः भूमि अर्जन को प्रभावित किया और प्रस्तावित समापन तिथि अर्थात मार्च 2014 से पहले ठेकेदार को भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। समय पर प्रस्ताव भेजने में विभाग की विफलता तथा लोक निर्माण विभाग से प्रतिकर राशि जमा कराए बिना अधिनिर्णय पारित करने में कलेक्टर की विफलता के कारण परियोजना के लिए भूमि का अर्जन नहीं किया जा सका। स्वीकृति के 10 वर्ष बाद भी परियोजना शुरू नहीं हो सकी है।
4.	ग्रेड सेपरेटर (भोपाल–बेरसिया–सिरोंज रोड, स्टेट हाइवे 23) किनारे सर्विस रोड का निर्माण (मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम), भोपाल	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अंतर्गत सर्विस रोड के लिए 20 भू–स्वामियों से दो ग्रामों (लांबाखेड़ा एवं अरवालिया) में 0.402 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु मांग पत्र प्रस्तुत (मई 2017 एवं दिसम्बर 2017) किया । लांबाखेड़ा गांव में 0.252 हेक्टेयर भूमि के अर्जन के लिए किसानों की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी। अरवलिया गांव में 0.150 हेक्टेयर भूमि के अर्जन के लिए 14 भू–स्वामियों की भूमि क्रय की सहमति अक्टूबर 2018 में प्राप्त हुयी। कलेक्टर ने प्रस्ताव की तिथि के 23 माह बीत जाने पर प्रस्ताव स्वीकृत (नवंबर 2019) किया जबकि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में भूमि के तत्काल अर्जन का प्रावधान है। इस प्रकार, कलेक्टर समय पर स्वीकृति प्रदान करने में विफल रहे और भूस्वामियों को प्रतिकर का भुगतान भी नहीं किया गया, जिसके कारण परियोजना के पूरा होने की प्रस्तावित तिथि (मार्च 2018) से सात माह बीत जाने के बाद निर्माण के

तालिका –2.1.14: भूमि अर्जन में हुए विलंब के कारण प्रभावित हुई परियोजनाओं का विवरण		
स. क्र.	परियोजना का नाम	कारण
		लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सकी। सर्विस रोड नौ माह के विलंब से दिसंबर 2018 में बनकर तैयार हुआ।
5.	कृषि उपज मण्डी समिति, बीना, सागर हेतु नवीन प्रांगण का निर्माण	संयुक्त निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने कृषि उपज मण्डी समिति के लिए 13.36 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु कलेक्टर, सागर को प्रस्ताव प्रस्तुत (जुलाई 2017) किया था। कलेक्टर ने ₹ 9.53 करोड़ के प्रतिकर की स्वीकृति (जनवरी 2018) दी, तथापि, उन्होंने भूमि अर्जन नहीं किया और आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति को अर्जन एवं विक्रय विलेख के निष्पादन का दायित्व सौंपा सचिव ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अंतर्गत अपेक्षानुसार भूस्वामियों की सहमति की तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर उक्त भूमि का अर्जन नहीं किया। भूमि अर्जन नहीं होने के कारण परियोजना पूरी नहीं हो सकी।
6.	हरसी बाइपास रोड का निर्माण (मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर)	कलेक्टर ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के लिए 20 भूस्वामियों से 4.145 हेक्टेयर भूमि के अर्जन के लिए ₹ 65.32 लाख की स्वीकृति जारी (अगस्त 2017) की। पाँच भू–स्वामियों (₹ 10.95 लाख) के 4.145 हेक्टेयर में से 0.695 हेक्टेयर भूमि प्रतिकर का भुगतान न करने और विक्रय विलेख का निष्पादन न करने के कारण अर्जित नहीं की जा सकी। संपूर्ण भूमि का अर्जन नहीं होने से परियोजना का कार्य प्रभावित हुआ। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने परियोजना पूर्ण करने का समय जून 2017 से बढ़ाकर दिसंबर 2020 कर दिया था।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि कलेक्टरों को मामले की पुनः जाँच करने और देरी के लिए विस्तृत प्रतिवेदन भेजने का अनुदेश दिया गया था। आगे, शासन ने बताया कि अपेक्षक निकायों की ओर से चूक के कारण सहमति क्रय प्रकरणों के मामले में जिम्मेदारी राजस्व विभाग की नहीं है। आगे, टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रकरण में, शासन ने बताया कि राजस्व विभाग देरी के लिए जिम्मेदार नहीं था क्योंकि भूमि अर्जन के लिए आवेदन करने वाली एजेन्सी की अनिच्छा के कारण भूमि का अर्जन नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कलेक्टरों ने स्वयं अपेक्षक निकाय के पक्ष में भूमि अर्जित नहीं की, अपितु उन्होंने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपेक्षक निकायों को भूमि अर्जित करने के लिए प्राधिकृत किया। इसके अलावा, टेम मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रकरण में उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कलेक्टर भोपाल द्वारा भू–स्वामियों को प्रतिकर का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने के कारण आधिपत्य एवं निर्माण कार्य प्रभावित हुआ।

2.1.13 राज्य में भूमि अर्जन पर निगरानी एवं पर्यवेक्षण

2.1.13.1 भूमि अर्जन पर आवधिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत न होना

विभाग ने जिला कलेक्टर को भूमि अर्जन पर शासन को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश जारी (मई 1994 एवं जनवरी 2000) किए थे। तथापि, अभिलेखों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि कलेक्टर ने निगरानी के लिए ऐसा कोई भी मासिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत नहीं किया था। हमने यह भी देखा कि विभाग ने कमियों को दूर करने के लिए तथा उच्च स्तरों पर भूमि अर्जन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। परिणामस्वरूप विभाग न तो राज्य या जिला स्तर पर अर्जन से संबंधित कोई विश्वसनीय डाटाबेस संधारित करने में सक्षम था न ही कलेक्टर/भू–अर्जन अधिकारियों द्वारा भू–अर्जन प्रक्रिया में विलंब, अधिनियम से विचलन तथा

गैर–अनुपालन (आवश्यक प्रक्रिया अपनाये बिना भूमि का पूर्व अर्जन सहित) निगरानी की। डाटाबेस का अभाव विभाग के आंतरिक नियंत्रण तथा शासन के निरीक्षण कार्य को कमजोर करता है जिसके परिणामस्वरुप भूमि अर्जन में गंभीर कमियाँ तथा परिहार्य न्यायालय प्रकरण होते हैं।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है तथा महत्वपूर्ण भूमि अर्जन परियोजना के प्रकरण में नियमित पाक्षिक समीक्षा भी की जा रही है ।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विभाग के अनुदेशानुसार लेखापरीक्षित जिलों ने मासिक प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजा। आगे, शासन ने लेखापरीक्षा को सत्यापन के लिए मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समर्थन में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 2011 (मध्य प्रदेश शासन) की कंडिका 2.1.6 में इसी प्रकार की कमियों को इंगित किए जाने के बावजूद विभाग ने उचित कार्रवाई नहीं की।

2.1.13.2 वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करना

अधिनियम, 2013 में कलेक्टरों से अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं एवं भूमि अर्जन प्रक्रिया के समस्त चरणों पर की गई कार्रवाई के विवरण को सार्वजनिक सूचना के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है। तथापि, हमने 2015–20 की अवधि के दौरान संबंधित प्रावधानों की अनुपालना में कमी देखी। अधिनियम में उल्लिखित आवश्यकताओं के विवरण तथा चयनित जिलों में कलेक्टरों द्वारा अनुपालन की स्थिति ***परिशिष्ट–2.1.11*** में उल्लिखित है। यद्यपि, कलेक्टर (जबलपुर, राजगढ़ और सागर जिला) ने कलेक्टर के एन.आई.सी. वेबसाइट पर अधिनियम की धारा 11 और 19 के प्रावधानों के अंतर्गत सूचनाओं को अपलोड किया जाना बताया था, एन.आई.सी. वेबसाइट पर ऐसा प्रकाशन मात्र सागर जिले के मामले में पाया गया।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित किया गया है जिसके माध्यम से राज्य किसी भी प्रगतिरत परियोजनाओं पर नवीनतम अपडेट प्राप्त करेगा एवं उनकी निगरानी करेगा ।

उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रासंगिक नहीं है क्योंकि शासन ने वेबसाइट पर सूचना अपलोड करने पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था।

2.1.13.3 लंबित न्यायालयीन प्रकरण

अधिनियम 2013 की धारा 64 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसने अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, वह कलेक्टर को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है, जो मामलें को 30 दिनों के भीतर भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण (मध्य प्रदेश राज्य में जिला न्यायाधीश न्यायालय) को प्रतिकर के निर्धारण के लिए संदर्भित करता है, जो अधिनियम की धारा 60 के अनुसार इस तरह के संदर्भ की प्राप्ति के दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर इस तरह के संदर्भ का निपटान कर सकते है।

2015–20 के दौरान तीन जिलों[55] से संबंधित 85 संदर्भ प्रकरण प्राधिकरण (जिला न्यायाधीश न्यायालय) को भेजे गए थे। इनमें से मार्च 2020 की स्थिति में मात्र एक प्रकरण का निपटान हुआ था तथा 43 प्रकरण लंबित थे, जबकि 41 न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

[55] ग्वालियर (46 प्रकरण), जबलपुर (दो प्रकरण) एवं सागर जिला (संदर्भित 37 प्रकरण)

उचित विवरण (प्राप्ति दिनांक, निपटान) के अभाव में लेखापरीक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 60 या 64 के प्रावधान की कलेक्टर और प्राधिकरण द्वारा अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर सका।

शासन ने बताया (अक्टूबर 2022) कि न्यायालयीन प्रकरणों का लम्बित होना कलेक्टरों अथवा विभाग के नियंत्रण से बाहर है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कलेक्टरों के पास न्यायालयीन मामलों की स्थिति की अनुपलब्धता इंगित करती है कि संदर्भित मामलों में संबंधित कलेक्टरों को प्राधिकरण के निर्णय की जानकारी नहीं थी।

2.1.14 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा अपने स्वयं के विभागों/कंपनियों या भारत सरकार के विभागों के लिए भूमि अर्जन किया गया। चयनित छः जिलों में अभिलेखों की हमारी जाँच से पता चला कि विभाग भूमि अर्जन प्रक्रिया में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर सका। हमने भू–स्वामियों को उचित एवं समय पर प्रतिकर सुनिश्चित करने के लिए भूमि अभिलेखों और दस्तावेजों के अद्यतनीकरण में कमियां पाईं। कलेक्टर के दिशा–निर्देशों एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर अधिनिर्णय के निर्धारण में कमियाँ थीं जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकर का अनुचित निर्धारण हुआ। इसी प्रकार, नमूना–जाँच किए गए मामलों में प्रतिकर के अन्य घटकों जैसे अतिरिक्त प्रतिकर एवं तोषण का ठीक से गणना नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकर का दोनों अतिरिक्त और कम भुगतान हुआ। हमने भूस्वामियों को प्रतिकर के भुगतान में देरी और गैर–वितरण भी देखा। व्यक्तिगत जमा खातों में राशियों के रखरखाव और मिलान पर शासन के आदेशों का पालन नहीं किया गया। प्रतिकर के अधिनिर्णय/स्वीकृति से पहले और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि के अवैध आधिपत्य/उपयोग के मामले थे। भूमि उपयोग की स्थिति की निगरानी के लिए कोई डेटाबेस/प्रबंधन सूचना प्रणाली या अन्य तंत्र नहीं था जो विचलन/गैर–अनुपालन के विरूद्ध उचित और समय पर कार्रवाई की सुविधा प्रदान कर सकता। राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर अर्जित निजी भूमि एवं प्रतिकर के भुगतान का डाटाबेस संधारित नहीं किया गया था। आगे, शासन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उचित एवं प्रभावी कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की। यह अधीनस्थ पदाधिकारियों पर विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।

अनुशंसाएं

1. *विभाग को सर्वे के फोटोग्राफिक व वीडियोग्राफी साक्ष्य अपने पास रखना चाहिए। इसके अलावा, विभाग पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र की जियो–टैग की गई फोटोग्राफ्स, ड्रोन सर्वे और उपग्रह फोटोग्राफ्स के उपयोग को भी अपनाना चाहिए।*

2. *भूमि वास्तव में सिंचित थी या नहीं इसकी जाँच की जानी चाहिए एवं विरोधाभासी सर्वे रिपोर्ट देने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध विभाग को उचित कार्रवाई करनी चाहिए।*

3. *अधिनिर्णय में जिन व्यक्तियों का नाम नहीं है/अधिनिर्णय में नाम होने के बावजूद प्रतिकर नहीं दिया गया है, उनके प्रतिकर के भुगतान में लापरवाही के लिए विभाग को उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।*

4. *शासन को अपेक्षक निकायों द्वारा भूमि अर्जन की लागत समय पर जमा कराना तथा भू–स्वामियों को समय पर प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।*

5. शासन को भूमि अर्जन/प्रतिकर के भुगतान से पहले नियत प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षक निकायों के साथ भूमि के अवैध आधिपत्य के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।

6. शासन भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य और प्रतिकर के अन्य घटकों के निर्धारण में कलेक्टरों/भू–अर्जन अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करवाना चाहिए ताकि भूस्वामियों को उचित प्रतिकर सुनिश्चित किया जा सके और त्वरित कार्रवाई करने के लिए त्रुटियों/विचलन के रिपोर्ट किए गए प्रकरणों की जाँच की जा सके। आगे, विभाग प्रतिकर से आयकर की अनियमित कटौती के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करे ।

7. विभाग राज्य में भूमि अर्जन के विभिन्न चरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अर्जन के संपूर्ण कार्यप्रवाह की निगरानी के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली/रिपोर्टिंग तंत्र को सशक्त करे। विभाग राज्य में भूमि अर्जन प्रक्रिया की निगरानी के लिए, जिम्मेदार प्राधिकारियों द्वारा समय पर निगरानी, पर्यवेक्षण और हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए भूमि अर्जन से संबंधित विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदनों को संधारण एवं संकलित करने के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल स्थापित करें।

जल संसाधन विभाग

2.2 तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) पर लेखापरीक्षा

2.2.1 परिचय

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और हरदा जिलों में तवा सिंचाई परियोजना तवा नदी पर 1978 में पूर्ण हुई एक बृहद् सिंचाई परियोजना है, जिसमें एक बांध और लगभग 2,682.35 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली शामिल है। मूल डिजाइन में कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सी.सी.ए.)[56] 2,40,953 हेक्टेयर (एच.ए.) था।

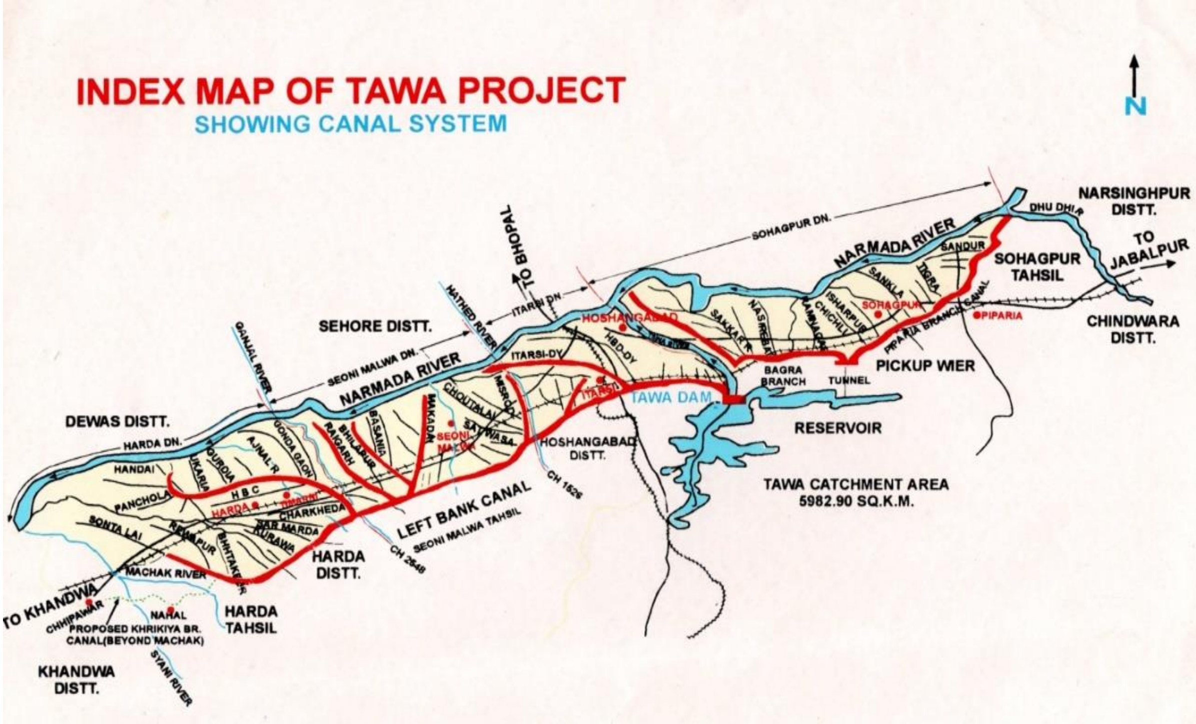

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.), मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने देखा (मई 2011) कि पूर्व में निर्मित नहरें मिट्टी की नहरें थीं, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक रेत जमा हो रही थी और रिसाव के रूप में सिंचाई के पानी की हानि हो रही थी। जिससे, नहर प्रणाली के टेल क्षेत्रों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। तद्नुसार विभाग ने तवा सिंचाई प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए ₹ 8.99 करोड़ की लागत पर एक सलाहकार (वैपकोस लिमिटेड)[57] को नियुक्त (मई 2011) किया। विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य अतिरिक्त क्षेत्र सी.सी.ए. के अन्तर्गत लाने का था ताकि नहर प्रणाली के टेल क्षेत्रों में वंचित क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके।

[56] जिस क्षेत्र पर फसलों को संतोषजनक रूप से उगाया जा सकता है, उसे कृषि योग्य कमान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

[57] जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार का उपक्रम।

विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- तवा नदी पर पानी संचय करने के लिए एक बाँध।
- बाँध से दो मुख्य नहरें। बांयी तट नहर (एल.बी.सी.) 128.50 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर है जो हरदा और होशंगाबाद जिलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। दायीं तट नहर (आर.बी.सी.) 7.17 किलोमीटर है जो तवा बाँध के तट से निकलती है। यह आगे शाखा नहरों–बागरा शाखा नहर (बी.बी.सी.) और पिपरिया शाखा नहर (पी.बी.सी.) में विभाजित होती है जिसकी कुल लंबाई 80.12 किलोमीटर है।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

जल संसाधन विभाग, जल संसाधन परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से सिंचाई क्षमता के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। प्रमुख सचिव प्रशासनिक प्रमुख हैं और प्रमुख अभियंता (ई–इन–सी) तकनीकी सलाहकार और विभाग के प्रमुख हैं। क्षेत्र स्तर पर मुख्य अभियंता (सी.ई.) जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। अधीक्षण यंत्री (एस.ई.) और पाँच कार्यपालन यंत्री (ई.ई.) द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

- तवा परियोजना का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण विभाग के निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्रियान्वित किया गया था।
- परियोजना ने अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया था।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए हैं:

- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) नियमावली और सिंचाई नियमावली;
- सिंचाई कार्यों के लिए विनिर्देश, तकनीकी परिपत्र, कार्यों के लिए दरों की एकीकृत अनुसूची (यू.एस.आर.) और प्रमुख अभियंता द्वारा जारी किए गए अन्य आदेश;
- भारत सरकार द्वारा जारी जल संसाधन परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रासंगिक भारतीय मानक (आई.एस.) कोड;
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.); और
- अनुबंध में निर्धारित नियम और शर्तें।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्य प्रणाली

लेखापरीक्षा ने 2018–21 की अवधि के लिए शीर्ष इकाई (प्रमुख अभियंता का कार्यालय) के साथ–साथ तवा परियोजना के अन्तर्गत सभी पाँच संभागों[58] में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जाँच की। जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने तवा परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए ₹ 89.91 करोड़ (जून 2013) और ₹858.01 करोड़ (अप्रैल 2016) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान

[58] तवा परियोजना संभाग, इटारसी, पिपरिया शाखा नहर संभाग, सोहागपुर, हंडिया शाखा नहर संभाग, टिमरनी, तवा नहर संभाग, सिवनी मालवा एवं जल संसाधन संभाग, हरदा

की। कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹ 947.92 करोड़ में से, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के अन्तर्गत झारबीडा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संशोधित प्राक्कलन हेतु ₹ 152.20 करोड़ रखे गए हैं। शेष राशि ₹ 795.72 करोड़ में से, ₹ 621.16 करोड़ मूल्य के 33 कार्य लेखापरीक्षा अवधि (मार्च 2021) तक कार्यान्वित किए गए हैं। लेखापरीक्षा द्वारा सभी 33 अनुबंधों की जाँच की गई। इन 33 अनुबंधों में से 21 अनुबंध (₹ 469.32 करोड़) पूर्ण हो चुके हैं जबकि 12 अनुबंध (₹ 151.84 करोड़) प्रगति पर हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

तवा परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से संबंधित 33 अनुबंधों में से, पाँच अनुबंध टर्न–की अनुबंध (टी.के.सी.)[59] प्रकार के थे और 28 अनुबंध प्रतिशत दर अनुबंध (पी.आर.सी.)[60] प्रकार के थे। निष्कर्ष नीचे विस्तृत रूप से वर्णित हैं:

2.2.6 परियोजना प्राक्कलन

विभाग ने तवा परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त (मई 2011) किया। सलाहकार ने मई 2012 में डी.पी.आर. प्रस्तुत किया। डी.पी.आर. की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सम्पूर्ण नहर प्रणाली अर्थात मुख्य नहरों से माइनर्स तक की सीमेंट कंक्रीट (सी.सी.) लाइनिंग।
- नहरों की पुरानी संरचना का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण।
- सी.सी.ए. को 2,40,953 हेक्टेयर से बढ़ाकर 3,20,146 हेक्टेयर करना।

2.2.6.1 बिना सर्वेक्षण/अन्वेषण के प्राक्कलन

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.017 के साथ पठित पैरा 2.006 निर्धारित करता है कि प्रत्येक कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए उचित रूप से विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए। विस्तृत प्राक्कलन विस्तृत सर्वेक्षण और जाँच के बाद तैयार किए जाते हैं।

तवा परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के अन्तर्गत, झारबीडा गांव (होशंगाबाद जिले के अंतर्गत) में 129 गांवों के अन्तर्गत 28,412 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए एक लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित की गई थी। संबंधित कार्यपालन यंत्री ने परियोजना के लिए ₹479.18 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया। तथापि, प्राक्कलन अपेक्षित सर्वेक्षण किए बिना तैयार किए गए थे। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद ने कार्यपालन यंत्री द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों के आधार पर परियोजना के लिए ₹479.18 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (अप्रैल 2016)। तत्पश्चात् जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (अप्रैल 2016)। दो साल के अंतराल के बाद, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग ने निष्कर्ष निकाला (मई 2018) कि परियोजना का सी.सी.ए. नर्मदा नदी के अन्तर्गत इसी तरह की अन्य परियोजना के साथ ओवरलैप हो रहा था और परियोजना लागत में आनुपातिक कमी के साथ सी.सी.ए. को

---

59 टर्न–की अनुबंध सामान्यतः एक निर्माण अनुबंध होता है जिसके अन्तर्गत किसी परियोजना या अधोसंरचना की योजना बनाने, डिजाइन करने एवं निर्माण करने तथा इसको एक सहमत मूल्य और निश्चित तिथि तक क्रियाशील अथवा उपयोग हेतु तैयार करने हेतु कोई अन्य आवश्यक विकास करने के लिए एक ठेकेदार को नियोजित किया जाता है।

60 प्रतिशत दर अनुबंध में, विभाग प्राक्कलन में स्वीकृत मदों के विवरण के अनुसार उसमें दर्शाई गई मात्राओं, इकाईयों, दरों और राशियों के अनुसार मदों की अनुसूची तैयार करता है।

28,412 हेक्टेयर से घटाकर 12,300 हेक्टेयर करने का प्रस्ताव किया। संशोधित तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदाय किया जाना अभी (मई 2022) अपेक्षित है। परिणामस्वरूप, परियोजना चालू नहीं हुई है।

इस प्रकार, प्राक्कलन तैयार करने से पूर्व अपर्याप्त सर्वेक्षण और जाँच के कारण, लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो कि 129 गांवों को लाभान्वित करने के लिए थी, लगभग छः वर्ष बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं की जा सकी।

विभाग ने बताया (जून 2022) कि वैपकोस लिमिटेड को विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पर डी.पी.आर. तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया (मई 2011) तथा डी.पी.आर. के अनुसार कुल 129 गांवों की 28,412 हेक्टेयर भूमि को झारबीडा लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत सिंचित होगी। अपरिहार्य कारणों से कार्य के निष्पादन के लिए एजेंसी का निर्धारण नहीं किया जा सका। वर्तमान में नई निविदा सूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वैपकोस लिमिटेड द्वारा तैयार की गई डी.पी.आर. में झारबीडा लिफ्ट सिंचाई योजना के विस्तृत सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, मुख्य अभियंता, होशंगाबाद ने भी पुष्टि की (नवंबर 2021) कि झारबीडा लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत कोई सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया था।

2.2.6.2 प्राक्कलनों में वृक्षारोपण एवं सर्विस रोड के निर्माण को शामिल न करना

वृक्ष, नदी/नहर के किनारों की रक्षा करते हैं और नहर प्रणाली में पानी के वाष्पीकरण को भी रोकते हैं। डी.पी.आर. में मुख्य नहर एवं शाखा नहर के दोनों ओर 30 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण का प्रावधान था। इस प्रयोजन के लिए डी.पी.आर. में ₹37.76 लाख की राशि निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, डी.पी.आर. में मुख्य नहर और शाखा नहरों पर मौजूदा सर्विस सड़कों के ऊपर पक्की सर्विस सड़कों (बिटुमिनस रोड) के निर्माण का भी प्रावधान था। इस उद्देश्य के लिए ₹ 47.49 करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के अन्तर्गत पर्याप्त राशि की उपलब्धता के बावजूद मुख्य नहरों और शाखा नहरों में लाइनिंग के प्राक्कलनों में वृक्षारोपण और पक्की सर्विस सड़कों के निर्माण के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया जिसके कारण इन मदों को अनुबंधों में शामिल नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (जून 2022) कि आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण एवं सर्विस रोड का निर्माण कार्य किया जायेगा।

2.2.6.3 प्राक्कलन में दायीं तट नहर (आर.बी.सी.) के इंटेक वेल के जीर्णोद्धार हेतु प्रावधान न करना

परियोजना के डिजाइन और संरचना के अनुसार, दायीं तट नहर तवा बाँध से निकलती है। दायीं तट नहर में पानी के प्रवाह को इसके स्रोत (बाँध के पास) में प्रदान किए गए इंटेक वेल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंटेक वेल संरचना में दो कुएँ और मशीन द्वारा संचालित द्वार हैं। पानी को नियंत्रित करने के लिए इन द्वारों को दो कुओं के बीच में प्रदान किया गया है। एप्रोच चैनल तवा बाँध से प्रथम कुएँ में पानी की आपूर्ति करता है। इसके बाद द्वारों को नियमित करके दूसरे कुएँ में पानी डाला जाता है। अंत में, पानी एक सुरंग के माध्यम से दूसरे कुएँ से दायीं तट नहर में डाला जाता है। डी.पी.आर. के अनुसार विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना में इस पूरे ढाँचे का जीर्णोद्धार किया जाना था और इस उद्देश्य के लिए ₹ 5 करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डी.पी.आर. तैयार किए जाने के 11 वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद, विभाग द्वारा इंटेक वेल संरचना के जीर्णोद्धार के लिए अभी तक प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना के तहत पर्याप्त धन होने के बावजूद, इंटेक वेल के नवीनीकरण का काम शुरू नहीं किया जा सका, यद्यपि, मुंडेर (पैरापेट) की दीवार क्षतिग्रस्त थी और गेट खराब थे।

परिणामस्वरूप, विभाग विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना के एक महत्वपूर्ण पहलू के लिए प्रावधान करने में विफल रहा है जबकि विभाग ने परियोजना के अन्य भाग/घटकों पर महत्वपूर्ण व्यय किया है।

विभाग ने बताया (जून 2022) कि लेखापरीक्षा के निरीक्षण के बाद इंटेक वेल के जीर्णोद्धार का कार्य अन्य मद से किया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इंटेक वेल के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित कार्यादेश एवं कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ साइट फोटोग्राफ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

2.2.6.4 सामग्री के लीड्स और लिफ्ट्स को अस्वीकार्य रूप से प्राक्कलनों में शामिल करने के कारण अतिरिक्त लागत

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.028 के अनुसार, प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाला अधिकारी डिजाइन की सुदृढ़ता और ड्राइंग के संदर्भ में प्राक्कलन में शामिल करने के लिए आवश्यक सभी मदों को शामिल करने के लिए जिम्मेदार है। दरों की एकीकृत अनुसूची (यू.एस.आर.), 2009 की मद संख्या 2525 के अनुसार, एम–15[61] ग्रेड की प्लेन सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग प्रदान करने की दर में सभी लीड्स और लिफ्ट्स (परिवहन शुल्क) शामिल थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा एवं हंडिया शाखा नहर संभाग, टिमरनी ने विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत नहर प्रणाली में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए कुल ₹ 49.11 करोड़ की राशि का प्राक्कलन तैयार किया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

[61] एम–15 ग्रेड कंक्रीट मिश्रण में सीमेंट, रेत और एग्रीगेट्स का क्रमशः 1:2:4 का अनुपात होता है। एम. का अर्थ मिक्स होता है और 15 न्यूटन/वर्ग मिमी कंक्रीट मिश्रण की संपीड़न शक्ति है।

तालिका 2.2.1: लीड्स और लिफ्ट्स के साथ सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्यों का विवरण					
संभाग	**कार्य का नाम**	**कार्य की मद**	**मात्रा (घनमीटर)**	**दर (₹ में)**	**प्राक्कलन के अनुसार राशि (₹ में)**
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा	हरदा में बायीं तट नहर की 90,240 मीटर से 1,28,508 मीटर तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	नहरतल में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	27,639.03	3,199	8,84,17,256.97
		साइड की ढलान में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	36,206.59	3,249	11,76,35,210.91
		गिट्टी का परिवहन	54,268.78	392.60	2,13,05,923.03
		बालू का परिवहन	27,453.61	317.70	87,22,011.90
		सीमेंट का परिवहन	14,046.04	210.87	29,61,888.46
कार्यपालन यंत्री, हंडिया शाखा नहर संभाग, टिमरनी	हरदा में हंडिया शाखा नहर की 0 मीटर से 55,500 मीटर तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	नहरतल में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	30,642	3,199	9,80,23,758
		साइड की ढलान में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	37,689	3,249	12,24,51,561
		गिट्टी का परिवहन	58,081	379.40	2,20,35,931.40
		बालू का परिवहन	29,382	229.41	67,40,524.62
		सीमेंट का परिवहन	15,033	187.02	28,11,471.66
कुल योग					**49,11,05,537.95**
लीड एवं लिफ्ट का योग					**6,45,77,751.07**

संभागों ने दोनों कार्यों को प्राक्कलित मूल्य से 16.20 प्रतिशत अधिक राशि पर स्वीकृत किया (जून 2016)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संभागों ने प्राक्कलन में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए लीड और लिफ्ट की लागत को शामिल करके प्राक्कलन बनाया, यद्यपि दरों की एकीकृत अनुसूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि एम–15 ग्रेड कंक्रीट मिश्रण का उपयोग करते हुए सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की लागत में लीड और लिफ्ट शामिल था और प्राक्कलनों में लीड और लिफ्ट के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया जाना था।

इस प्रकार, एम–15 ग्रेड कंक्रीट मिश्रण का उपयोग कर नहरों की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए लीड और लिफ्ट के लिए गलत प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 6.46 करोड़ का अधिक प्राक्कलन बनाया गया जिसके परिणमस्वरूप ₹ 7.66 करोड़[62] का अतिरिक्त व्यय हुआ।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि दरों की एकीकृत अनुसूची 2009 के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य में 100 मीटर से अधिक लीड होने के कारण अतिरिक्त लीड प्रदान किया गया था। अतः कार्य पूर्ण करने के लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया।

[62] सामग्री की वास्तविक खपत (राशि ₹ 6,59,20,696) पर निविदा मूल्य से 16.20 प्रतिशत अधिक जो अनुमानित मात्रा से अधिक थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, दरों की सूची 2009 की मद संख्या 2525 के अनुसार, एम–15 ग्रेड की प्लेन सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग प्रदान करने की दर में सभी लीड और लिफ्ट (परिवहन शुल्क) शामिल थे।

2.2.6.5 प्राक्कलनों में टैम्पिंग की अस्वीकार्य मद के प्रावधान के कारण अतिरिक्त लागत

जल संसाधन विभाग के सिंचाई विनिर्देशों के पैरा 4.9.7.1.3 में प्रावधान है कि टैम्पिंग[63] निम्नलिखित स्थानों पर प्रदान की जानी है जहां रोलर के माध्यम से मिट्टी भराव की सामग्री का सुदृढ़ीकरण अव्यवहारिक या अवांछनीय है:

- मेसनरी संरचना से सटे बांध के तटबंध और तटबंध नींव में मिट्टी का भराव।
- बांध तटबंध से सटे हुए खड़ी ढलान और उपकरणों के स्थान में मिट्टी का भराव।
- विशेष रूप से निर्दिष्ट स्थानों पर मिट्टी का भराव।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने अन्य बातों के साथ–साथ मुख्य अभियन्ता को नए नहर के कार्यों में नहर तल और किनारों पर चिपकने न फूलने वाली मिट्टी (सी.एन.एस.)[64] डालने के लिए अलग से टैम्पिंग का प्रावधान न करने का निर्देश दिया (दिसंबर 2014) क्योंकि नए नहर के कार्यों में तलों और किनारों पर मिट्टी भराव के काम में सुदृढ़ीकरण शामिल है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तवा सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्रियों ने सभी पांचों संभागों में विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना के एक भाग के रूप में नहर प्रणाली में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्यों के लिए ₹ 150.85 करोड़ की कुल राशि का प्राक्कलन तैयार किया।

नहर में कंक्रीट लाइनिंग के कार्य में अन्य के साथ–साथ नीचे **तालिका 2.2.2** में दर्शाये अनुसार मद शामिल हैं:

तालिका 2.2.2: सी.एन.एस. की प्राक्कलित मात्रा और सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग में टैम्पिंग का विवरण

संभाग	कार्य की मद	प्राक्कलित राशि (₹ में)
जल संसाधन संभाग, हरदा	सुदृढ़ीकरण सहित नहर तल और किनारों में 15 सेंटीमीटर सी.एन.एस. प्रदान करना और बिछाना	5,36,17,690
	नहर तल और किनारों में टैम्पिंग	1,04,71,787
हंडिया शाखा नहर संभाग, टिमरनी	सुदृढ़ीकरण सहित नहर तल और किनारों में 15 सेंटीमीटर सी.एन.एस. प्रदान करना और बिछाना	3,82,80,836
	नहर तल और किनारों में टैम्पिंग	60,08,177
तवा परियोजना संभाग, इटारसी	सुदृढ़ीकरण सहित नहर तल और किनारों में 15 सेंटीमीटर सी.एन.एस. प्रदान करना और बिछाना	2,04,71,998
	नहर तल और किनारों में टैम्पिंग	32,90,294
पिपरिया शाखा नहर संभाग, सोहागपुर	सुदृढ़ीकरण सहित नहर तल और किनारों में 15 सेंटीमीटर सी.एन.एस. प्रदान करना और बिछाना	3,87,03,796

63 मिट्टी के टैम्पिंग को यांत्रिक रूप से मिट्टी के घनत्व को बढ़ाने की विधि के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि भार वहन करने की क्षमता बढ़े, मिट्टी का सिकुड़ना कम हो, पानी का रिसाव, फूलना और संकुचन कम हो और बेहतर स्थिरता प्रदान हो।

64 सी.एन.एस. – गीली होने पर चिपकने न फूलने वाली मिट्टी।

तालिका 2.2.2: सी.एन.एस. की प्राक्कलित मात्रा और सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग में टैम्पिंग का विवरण		
संभाग	**कार्य की मद**	**प्राक्कलित राशि (₹ में)**
	नहर तल और किनारों में टैम्पिंग	85,11,665
बांयी तट नहर संभाग, सिवनी मालवा	सुदृढ़ीकरण सहित नहर तल और किनारों में 15 सेंटीमीटर सी.एन.एस. प्रदान करना और बिछाना	3,08,16,561
	नहर तल और किनारों में टैम्पिंग	65,26,608
सी.एन.एस. के लिये कुल योग		**18,18,90,881**
टैम्पिंग के लिए कुल योग		**3,48,08,531**

तदनुसार, संभागों ने सहमत/अनुमोदित निविदा मूल्यों के अनुसार कई ठेकेदारों को निर्माण कार्य सौंपे (जनवरी 2017 से जून 2018)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.एन.एस. बिछाने में सुदृढ़ीकरण के प्रावधान करने और प्रमुख अभियंता के आदेशों के बावजूद, संभागों ने प्राक्कलन तैयार करते समय टैम्पिंग के लिए अलग से प्रावधान रखा यद्यपि इन्हें प्रदान नहीं किया जाना था।

इस प्रकार, टैम्पिंग के गलत प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹3.48 करोड़ का अधिक प्राक्कलन बनाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹3.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट–2.2.1*** में वर्णित है।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि सिंचाई विनिर्देश के खंड 25.3 के अनुसार, फूलने वाले दबाव को रोकने और कठोर लाइनिंग सामग्री के विरूपण को रोकने के लिए आवश्यक मोटाई की सी.एन.एस. सामग्री की परत को फूलने वाले दबाव के बढ़ने के अनुसार मिट्टी एवं कठोर लाइनिंग सामग्री के मध्य डालना था। उचित घनत्व सुनिश्चित करने के लिए सी.एन.एस. मद में सिंचाई और सुदृढ़ीकरण का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, सिंचाई विनिर्देश के अनुसार, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग को डालने से पहले मिट्टी का सब ग्रेड तैयार करने के लिए टैम्पिंग का प्रावधान अनिवार्य था चाहे सी.एन.एस. डालते समय सुदृढ़ीकरण किया गया हो।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नहर तलों और किनारों के ढलानों में लाइनिंग के नीचे अनुमोदित सी.एन.एस. मिट्टी प्रदाय करने और लगाने में मिट्टी की भराई सामग्री का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित था। इस प्रकार, टेम्पिंग का अलग से प्रावधान और क्रियान्वयन अवांछित था।

2.2.6.6 एल.डी.पी.ई. फिल्म और स्लीपरों की गैर–निष्पादित मात्राओं के लिए ठेकेदार को भुगतान

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 2.006 में परिकल्पित है कि प्रत्येक कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए उचित रूप से विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए (प्राक्कलनों को तकनीकी स्वीकृति के रूप में जाना जाता है)। मदों या दरों के गलत प्रविष्टि के परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत, अधिक भुगतान या ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिल सकता है।

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, ने समस्त मुख्य अभियंताओं को इस आशय के निर्देश जारी किए (फरवरी 2012) कि जब पेवर मशीन का उपयोग करके सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य निष्पादित

किया जाना है तो स्लीपर[65] और न्यून–घनत्व वाली पॉलीएथिलीन (एल.डी.पी.ई.)[66] फिल्म का उपयोग प्रतिबंधित है। दरों की एकीकृत अनुसूची, 2017 के आइटम नंबर 4.06 के अनुसार, नहर तलों और किनारों के लिए एल.डी.पी.ई. फिल्म प्रदान करने और लगाने की दर ₹20 प्रति वर्ग मीटर है। इसके अलावा, दरों की एकीकृत सूची, 2017 की आइटम नंबर 4.08 के अनुसार नहरों में स्लीपरों के निर्माण की दर ₹3,332 प्रति घनमीटर है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पाँच संभागों के सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग से संबंधित पाँच कार्यों में, कार्यपालन यंत्री ने प्राक्कलन तैयार करते समय एल.डी.पी.ई. फिल्म सहित सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए प्रावधान किया था। हालांकि, प्राक्कलन में स्पष्ट नहीं था कि सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग को मैन्युअल रूप से किया जाना था या पेवर्स का उपयोग करना था, फिर भी प्राक्कलनों में 23.53 लाख वर्ग मीटर पर एल.डी.पी.ई. फिल्म को लगाने का प्रावधान किया गया था। संबंधित मुख्य अभियंताओं ने सत्यापित किए बिना प्राक्कलनों को स्वीकृत कर दिया और तदनुसार कार्य आदेश (मार्च 2018 से जून 2018) पाँच ठेकेदारों (प्रत्येक संभाग के लिए एक) को दे दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 23.53 लाख वर्ग मीटर के लक्ष्य के विरूद्ध, ठेकेदारों ने केवल 3.58 लाख वर्ग मीटर पर एल.डी.पी.ई. फिल्म लगाया। हालांकि, कार्यों की मदें टर्न–की अनुबंध होने के कारण एल.डी.पी.ई. फिल्म की गैर–निष्पादित मात्रा की लागत राशि ₹ 4.99 करोड़ सहित संपूर्ण अनुबंध राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इन उपरोक्त कार्यों के संबंध में, ठेकेदारों ने 61,760.01 घन मीटर के लक्ष्य के विरूद्ध, केवल 7,884.42 घन मीटर स्लीपरों का निर्माण किया। हालांकि, कार्यों की मदें टर्न–की अनुबंध होने के कारण, स्लीपरों की गैर–निष्पादित मात्रा की लागत ₹ 22.50 करोड़ सहित संपूर्ण अनुबंध राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया गया था।

विभाग ने सीमेंट लाइनिंग में पेवर मशीनों के प्रयोग के कारण क्रियान्वित नहीं किये गये एल.डी.पी.ई. फिल्म एवं स्लीपरों की मात्रा के लिये ठेकेदार को भुगतान किया। इस प्रकार, निष्पादित नहीं की गई मदों के लिए ठेकेदार को ₹27.49 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट–2.2.2*** में है।

विभाग ने बताया (जून 2022) कि कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए टर्न–की अनुबंध में मैनुअल लाइनिंग के स्थान पर पेवर मशीन का प्रयोग किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीमेंट लाइनिंग पेवर मशीन से की गई थी, प्रमुख अभियंता (फरवरी 2012) द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार एल.डी.पी.ई. एवं स्लीपरों की मदों के लिए ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाना था। भुगतान करने में विभाग की लापरवाही के कारण ₹ 27.49 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ है।

---

65 कंक्रीट स्लीपरों को निर्माण जोड़ों के नीचे रखना आवश्यक है जब कंक्रीट लाइनिंग को वैकल्पिक पैनलों में रखा जाना है ताकि जोड़ों को स्लीपरों पर आराम मिले।

66 150 माइक्रोन की एल.डी.पी.ई. फिल्म का उपयोग उस पहुँच में किया जाता है जहाँ सब ग्रेड, जिस पर लाइनिंग बिछायी गई है, द्वारा पानी का सोखना अधिक होता है।

2.2.7 निष्पादन

लेखापरीक्षा ने विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना के निष्पादन के विभिन्न पहलुओं की डी.पी.आर. और अंतिम कार्य अनुबंधों के संदर्भ में जाँच की। आगामी कंडिकाओं में मुद्दों पर चर्चा की गई है।

2.2.7.1 दाहिनी तट नहर सिस्टम में एग्जिट चैनल का नवीनीकरण न होना

तवा सिंचाई प्रणाली की दाहिनी तट नहर (आर.बी.सी.) तवा बाँध के किनारे से 4.05 किमी लंबी सुरंग के माध्यम से निकलती है जो बाँध के पास एक इंटेक वेल संरचना से जुड़ी है। तत्पश्चात, 3.12 किमी तक सुरंग लगातार डीप कट एग्जिट चैनल में है, जिसके माध्यम से तवा बाँध से सिंचाई के पानी को एक पिक अप वियर में ले जाया जाता है, जहाँ से पानी को पिपरिया शाखा नहर (पी.बी.सी.) और बागरा शाखा नहर (बी.बी.सी.) में डायवर्ट किया जाता है। रेखाचित्र मैप नीचे दर्शाया गया है:

तवा परियोजना के बांयी तट नहर और दाहिनी तट नहर प्रणाली का रेखाचित्र मैप

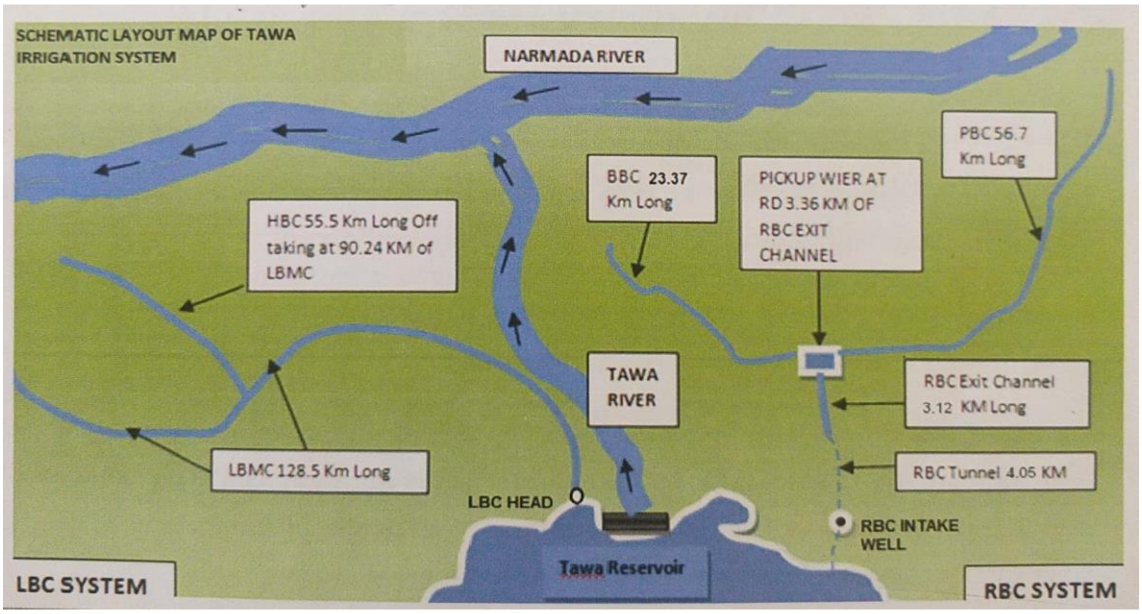

3.12 किमी लंबा डीप कट एग्जिट चैनल अपने प्रारंभिक निर्माण (1978) के बाद से अनलाइन्ड (सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग नहीं की गई) स्थिति में है। परिणामस्वरूप, एग्जिट चैनल मुख्यतः किनारों के कटाव और रेत जमने के कारण विकृत हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप दाहिनी तट नहर की शाखा नहरों के टेल क्षेत्रों में पानी का अपर्याप्त प्रवाह होता है।

तवा नदी के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना के लिए डी.पी.आर. में दाहिनी तट नहर में पानी के प्रवाह को बाधित करने वाली मिट्टी/चट्टानों के कटाव की समस्या को दूर करने के लिए एग्जिट चैनल में क्लोज कंड्यूट के निर्माण का प्रावधान था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्यपालन यंत्री, सोहागपुर संभाग, पिपरिया ने एग्जिट चैनल में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग और क्लोज कन्ड्यूट के लिए प्राक्कलन तैयार किया जैसा कि **तालिका–2.2.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2.3: सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग और कंड्यूट बैरल के प्राक्कलन का विवरण	
कार्य की मद	**प्राक्कलित राशि (₹ लाख में)**
एग्जिट चैनल में 630 मीटर लंबी कंडयूट बैरल का निर्माण	754.99
एग्जिट चैनल में 2.31 किमी सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का निर्माण	119.12
योग	**874.11**

निविदा प्रक्रिया के आधार पर, विभाग ने एग्जिट चैनल में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्य के लिए एक ठेकेदार को कुल राशि ₹ 20.54 करोड़ का ठेका प्रदान किया (मार्च 2017)। कुल कार्य में बागरा शाखा नहर की 23.22 किलोमीटर और एग्जिट चैनल की 2.31 किलोमीटर की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग शामिल थी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- विभाग ने ₹ 7.55 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर एग्जिट चैनल में कंड्यूट बैरल के निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार किया। यद्यपि प्राक्कलन मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित (जून 2016) किए गए थे फिर भी इस संबंध में कोई निविदा सूचना जारी नहीं की गई थी। इस प्रकार, विभाग ने विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना के एक प्रमुख घटक को डी.पी. आर. में प्रावधान होने के बावजूद और उसके लिए प्राक्कलन तैयार करने के बावजूद कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया। लेखापरीक्षा को यह इंगित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं मिल सका कि विभाग ने एग्जिट चैनल में कंड्यूट प्रणाली का विकल्प प्रस्तावित किया है। इसके अलावा यह इंगित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं थे कि कंड्यूट के निर्माण को कार्य क्षेत्र में क्यों शामिल नहीं किया गया।

- ठेकेदार को एग्जिट चैनल और बागरा शाखा नहर में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए निविदा कार्य मार्च 2017 में कुल ₹ 20.54 करोड़ की राशि पर दिया गया था। कार्य के दो घटक थे: (1) बागरा शाखा नहर की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग और (2) एग्जिट चैनल की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग। ठेकेदार ने बागरा शाखा नहर के 23.22 किलोमीटर के हिस्से में से 19.60 किलोमीटर (84 प्रतिशत) में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया और ₹ 15.92 करोड़ का भुगतान प्राप्त कर लिया (जनवरी 2022 की स्थिति में)। हालांकि, एग्जिट चैनल में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई और ठेकेदार द्वारा कार्य अभी भी प्रारंभ किया जाना अपेक्षित था (जनवरी 2022)।

एग्जिट चैनल की स्थिति का आकलन करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण (जुलाई 2021) किया गया।

एग्जिट चैनल का दृश्य (स्थानः सोहागपुर संभाग के अंतर्गत कामती गांव)

संयुक्त निरीक्षण के दौरान देखा जा सका कि चैनल में पानी का बहाव बहुत कम था। साइट विजिट के दौरान ली गई तस्वीरें भी इस बात की पुष्टि करती हैं।

अभिलेखों की आगे की जाँच से पता चला कि जून 2021 में मुख्य अभियंता, होशंगाबाद ने संबंधित संभाग को कार्य की मद से एग्जिट चैनल की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग को हटाने का निर्देश दिया।

अन्य शाखा नहर (पिपरिया शाखा नहर) के संबंध में, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका था (मई 2018)। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पिपरिया शाखा नहर और बागरा शाखा नहर प्रणाली में लाइनिंग का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, लेकिन विभाग ने एग्जिट चैनल में लाइनिंग का काम पूर्ण करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। इस प्रकार, नहर के स्रोत से टेल क्षेत्र तक पानी की मात्रा और प्रवाह प्रभावित हुआ।

विभाग ने बताया (जून 2022) कि एग्जिट चैनल हार्ड चट्टान के साथ डीप कटिंग में था इसलिए बोल्डर के साथ चट्टानों का कटाव लाइनिंग कार्यों को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए, एग्जिट चैनल के लाइनिंग कार्य को विस्तृत कार्यक्षेत्र से हटा दिया गया था। इसके अलावा, शाखा नहरों, माइनर्स और सब माइनर्स में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का काम पूर्ण होने के बाद सी.सी.ए. में वृद्धि होगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पिपरिया शाखा नहर और बागरा शाखा नहर प्रणाली के स्रोत से टेल क्षेत्रों तक पानी के प्रवाह के लिए एग्जिट चैनल अच्छी स्थिति में नहीं था। आगे, कार्य न करने के लिए बताई गई कठिनाइयों की पहचान डी.पी.आर. तथा प्राक्कलन तैयार करते समय ही की जानी चाहिए थी और उनका समाधान किया जाना चाहिए था। अनुबंध की विशेष शर्त का खण्ड 16 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि नहर के अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम के कार्य को एक साथ पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एग्जिट चैनल में कंड्यूट बैरल के निर्माण के लिए कोई निविदा जारी नहीं की गई थी।

2.2.7.2 वाटर बाउंड मैकाडम सर्विस रोड का निर्माण नहीं होना

सिंचाई प्रणाली के बेहतर संचार, संचालन और रखरखाव के लिए सर्विस रोड एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना की डी.पी.आर. में वितरिकाओं पर वाटर बाउंड मैकाडम (डब्ल्यू.बी.एम.)[67] सर्विस रोड के निर्माण का प्रावधान था।

लेखापरीक्षा ने विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना (सभी पाँच संभागों को शामिल करते हुए) के अन्तर्गत ''वितरिकाओं में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग'' से संबंधित सभी पाँच टर्न–की अनुबंधों की जाँच की और निम्नलिखित पाया:

- कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार करते समय, कार्यपालन यंत्रियों ने वितरिकाओं में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के एक हिस्से के रूप में डब्ल्यू.बी,एम. सड़कों के निर्माण में शामिल लंबाई या राशि जैसे किसी भी विवरण को निर्दिष्ट नहीं किया। हालांकि, कार्यक्षेत्र में डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों के निर्माण का प्रावधान शामिल था।

- यद्यपि कार्यों के विस्तृत क्षेत्र के साथ–साथ सभी पाँच टर्न–की अनुबंधों के साथ संलग्न भुगतान अनुसूची में डब्ल्यू.बी.एम. सर्विस सड़कों का प्रावधान था, लेकिन कार्य क्षेत्र में निर्माण की जाने वाली डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों की मात्रा/लंबाई या ऐसी सड़कों के स्थान का कोई विवरण नहीं दिया गया।

- ठेकेदारों ने कार्यों को निष्पादित करते समय डब्ल्यू.बी.एम. सर्विस सड़कों का निर्माण नहीं किया और मुख्य अभियंता को अनुमोदन के लिए भुगतान अनुसूची प्रस्तुत करते समय कार्य के इस घटक को हटा दिया। डब्ल्यू.बी.एम. सर्विस रोड के निर्माण न करने के लिए ठेकेदारों पर जिम्मेदारी तय किए बिना ही, मुख्य अभियंता ने इसे मंजूरी दे दी।

इस प्रकार, कार्यपालन यंत्री की प्राक्कलनों या कार्य अनुबंधों में डब्ल्यू.बी.एम. सर्विस सड़कों के संबंध में विवरण सम्मिलित करने में विफलता और मुख्य अभियंता की कार्यों के निष्पादन की निगरानी करने में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों द्वारा डब्ल्यू.बी.एम. सर्विस सड़कों का निर्माण नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (जून 2022) कि विभाग नहरों के निरीक्षण के लिए 1978 से मौजूद मुरम सड़क का रखरखाव कर रहा है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य के विस्तृत क्षेत्र के साथ–साथ अनुबंधों के साथ संलग्न भुगतान अनुसूची में डब्ल्यू.बी.एम. सर्विस रोड के निर्माण का प्रावधान था।

2.2.7.3 तवा परियोजना में लक्षित अतिरिक्त सी.सी.ए. की प्राप्ति न होना

डी.पी.आर. के अनुसार, कुल नहर की मौजूदा लंबाई 2,682.35 किलोमीटर थी, जैसा कि **तालिका–2.2.4** में वर्णित है:

[67] वाटर बाउंड मैकाडम रोड गिट्टियों और पत्थरों की धूल से तैयार एक परत है जोकि रोलर्स द्वारा संकुचित किया जाता है।

तालिका 2.2.4: डी.पी.आर. के अनुसार तवा परियोजना की नहर लम्बाई का विवरण	
नहर का प्रकार	**कुल लंबाई (किलोमीटर में)**
मुख्य नहर(शाखा नहरों सहित)	
बांयी तट नहर	128.50
हंडिया शाखा नहर	55.50
दायीं तट नहर	7.17
बागरा शाखा नहर	23.37
पिपरिया शाखा नहर	56.75
वितरिकाएं	**871.92**
माइनर्स	**1,539.14**
योग	**2,682.35**

डी.पी.आर. में कुल मौजूदा नहर प्रणाली में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के निर्माण का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने मुख्य नहर प्रणाली एवं वितरिकाओं में केवल 666.78 किलोमीटर की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग हेतु कार्यादेश (फरवरी 2014 से जून 2018 के मध्य) जारी किया। माइनर्स में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग शुरू करने के लिए कोई पहल नहीं की गई है, जो अंतिम छोर के जल वितरण प्रणाली के रूप में दूर–दराज तक सिंचाई के पानी को पहुंचाने का काम करते हैं।

नहरों की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग से संबंधित कार्य की स्थिति **तालिका–2.2.5** में दी गई है:

तालिका 2.2.5: तवा सिंचाई प्रणाली की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की स्थिति						
स.क्र.	**नहर का प्रकार**	**आवश्यक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग[68] (किलोमीटर में)**	**सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्यादेश जारी (किलोमीटर में)**	**सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग पूर्ण (किलोमीटर में)**	**प्रगतिरत कार्य (किलोमीटर में)**	**जारी किए गए कार्यादेश के विरुद्ध पूर्ण किए गए कार्य का प्रतिशत**
1.	**मुख्य नहर (शाखा नहरों सहित)**	259.86	259.86	234.33	25.53	90
2.	**वितरिकाएं**	871.92	406.92	141.33	265.59	35
3.	**माइनर्स**	1,539.14	*विभाग द्वारा अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है।*			
योग		**2,670.92**	**666.78**	**375.66**	**291.12**	**56**

तालिका–2.2.5 से यह देखा जा सकता है कि

- विभाग ने मुख्य नहर की कुल लंबाई के लिए सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के कार्य आदेश जारी किए हैं, वितरिकाओं के संबंध में विभाग ने 871.92 किलोमीटर के विरूद्ध केवल 406.92 किलोमीटर (47 प्रतिशत) के लिए कार्य आदेश जारी किया है। संपूर्ण वितरण प्रणाली की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग जैसा कि डी.पी.आर. में परिकल्पित था, न करवाने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।
- यह भी स्पष्ट है कि विभाग ने माइनर्स में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग शुरू करने के लिए अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है, जो टेल क्षेत्रों में सिंचाई के पानी के वितरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

[68] 2,682.35 किलोमीटर में से 11.43 किलोमीटर में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस लंबाई में सुरंगें शामिल हैं या पहले से ही सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग थी।

- मुख्य नहर प्रणाली के संबंध में विभाग ने जारी कार्यादेश के विरुद्ध 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है जबकि वितरिकाओं के संबंध में विभाग ने जारी कार्यादेश के विरुद्ध केवल 35 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त किया है।
- **तालिका–2.2.5** यह भी इंगित करती है कि आवश्यक 2,670.92 किमी की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के विरुद्ध, विभाग केवल 375.66 किमी (14.06 प्रतिशत) की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग पूरी कर सका।

विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व, तवा सिंचाई परियोजना के तहत सी.सी.ए. 2.41 लाख हेक्टेयर (मार्च 2012 तक) था। डी.पी.आर. के अनुसार, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के बाद 3.20 लाख हेक्टेयर के सी.सी.ए. को प्राप्त करने का लक्ष्य था। हमने देखा कि विभाग ने मार्च 2014 तक अर्थात विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना के शुरू होने से पूर्व ही 2.58 लाख हेक्टेयर सी.सी.ए. प्राप्त कर लिया था। ₹ 592.81 करोड़ का व्यय करने और विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना शुरू होने के सात साल बीत जाने के बाद भी, विभाग मार्च 2021 तक 2.62 लाख हेक्टेयर (केवल 3,830 हेक्टेयर की वृद्धि) का सी.सी.ए. प्राप्त कर सका। धीमी गति का कारण मुख्य नहरों (एग्जिट चैनल), वितरिकाओं, माइनर्स और सब–माइनर्स में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का काम पूरा न होना माना जा सकता है ।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि शासन से शेष अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लक्षित शेष सी.सी.ए. पूर्ण किया जा सकेगा।

2.2.8 अनुबंध प्रबंधन

2.2.8.1 निविदा में मूल्य समायोजन (पी.ए.) धारा के अनियमित समावेशन के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान

लेखापरीक्षा ने तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से संबंधित सभी 33 कार्यों की जाँच की। इन 33 कार्यों में से, पाँच टर्न–की अनुबंध थे जिसका उद्देश्य निर्धारित अनुबंध मूल्य पर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना है। अनुबंध की सामान्य शर्त की धारा 21.1 निर्धारित करता है कि टर्न–की अनुबंध के मामले में, ठेकेदार एकमुश्त निर्धारित मूल्य पर अनुबंध के तहत कार्य को पूर्ण करने के लिए बाध्य है। धारा में यह भी प्रावधान है कि ठेकेदार को अनुबंध मूल्य की यथार्थता और पर्याप्तता के लिए संतुष्ट माना जाएगा और उन सभी पूरक कार्यों को शासन की बिना किसी अतिरिक्त लागत के निष्पादित करने के लिए बाध्य है जो मुख्य कार्य के निष्पादन के दौरान आवश्यक, प्रासंगिक और अपरिहार्य पाए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा मार्च 2018 से जून 2018 के बीच दिए गए पाँच में से चार टर्न–की अनुबंधों में, चार संभागों के कार्यपालन यंत्री ने टर्न–की अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित होने वाले कार्यों के अनुबंध में मूल्य समायोजन धारा (पी.ओ.एल., कोलतार, सीमेंट, श्रम, आदि जैसे मदों के लिए) को अनियमित रूप से शामिल किया जैसा कि **तालिका 2.2.6** में वर्णित है:

तालिका 2.2.6: टर्न–की अनुबंधों में मूल्य समायोजन के भुगतान का विवरण दर्शाने वाला पत्रक (₹ करोड़ में)				
स. क्र.	संभाग का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	भुगतान किया गया मूल्य समायोजन
1	सिवनी मालवा	मैसर्स एल.सी.सी. प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमि.	तवा परियोजना के भिलड़िया व चौटेलाय वितरिका की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	0.25
2	हरदा	मैसर्स एल.सी.सी. प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमि.	तवा वायीं तट नहर के माचक, खिरकिया, रेवापुर और सोनतलाई वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	0.79
3	टिमरनी	मैसर्स कृपानिधि कन्स्ट्रक्शन	तवा परियोजना की हाडिया शाखा नहर के अजनाई, रूदलाई एवं हरदा वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	1.72
4	सोहागपुर	मैसर्स एल.सी.सी. प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमि.	सॉकला, माच्छा, सुकरवारा और नसीराबाद वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	0.88
योग				**3.64**

इस प्रकार, अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन और टर्न–की की प्रकृति में मूल्य समायोजन धारा को शामिल करने के कारण, ठेकेदारों को निर्धारित अनुबंध राशि के अलावा मूल्य समायोजन के लिए ₹ 3.64 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक अधिक व्यय हुआ।

विभाग ने बताया (जून 2022) कि लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 23 मार्च 2018 के अनुसार मूल्य समायोजन धारा का प्रावधान किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल्य समायोजन की शर्ते केवल प्रतिशत दर संविदा पर लागू होती हैं।

2.2.8.2 शासन के अनुमोदन के बिना निधि का डायवर्जन

जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम (डी.आर.आई.पी.) के लिए ₹ 314.55 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (दिसम्बर 2010)। डी.आर.आई.पी. चरण–I, दिनांक 29.06.2020 को समाप्त होना था। तदनुसार मुख्य अभियंता, होशंगाबाद ने डी.आर.आई.पी. के तहत ''एनएच–69 से तवा बांध तक जाने वाली पुरानी टार सड़क की मरम्मत और नवीनीकरण'' के कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी (17 दिसंबर 2019) की। इसके अलावा, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने 22 जनवरी 2020 को निविदा जारी किया और डीआरआईपी चरण–I योजना मार्च 2021 तक बढ़ाये जाने की प्रत्याशा में उक्त कार्य को डी.आर.आई.पी. के अन्तर्गत ₹ 6.70 करोड़ की लागत पर मैसर्स गोडेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, शिवपुरी को प्रदान किया (02 जून 2020)।

इसी बीच, 19 जून 2020 को, मुख्य अभियंता, ब्यूरो ऑफ डिजाइन (बोधी) ने प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को जून 2020 के अंत तक डीआरआईपी चरण–I योजना के बंद होने के बारे में सूचित किया और तवा बांध के लिए संपर्क सड़क के नवीनीकरण कार्य को डी.आर.आई.पी. चरण–II और III में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि, विभाग ने कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार के साथ (03 जुलाई 2020 अर्थात डी.आर.आई.पी. चरण–I के अंत के बाद) अनुबंध किया, जोकि डी.आर.आई.पी. चरण–I के तहत स्वीकृत किया गया था।

मुख्य अभियंता, बोधी ने कार्यपालन यंत्री, इटारसी को बताया (जुलाई 2020) कि चूंकि डी.आर.आई.पी. चरण–I के तहत वित्त पोषण की समय सीमा 29–06–2020 को समाप्त हो गई है, इसलिए

डी.आर.आई.पी. से बजट आवंटन उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए विभाग ने तवा विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण या अन्य प्रमुख परियोजना निधि से बजट आवंटन की मांग की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग ने विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के अन्तर्गत सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के उपरान्त विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण निधि से इस कार्य के व्यय को पूरा करने की अनुमति दी (दिसंबर 2020)। इसके संदर्भ में, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, होशंगाबाद ने विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से व्यय करने की अनुमति दी (जनवरी 2021) जो कि उचित नहीं था क्योंकि विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के अंतर्गत ₹ 151.84 करोड़ मूल्य के 12 अनुबंध अभी भी प्रगतिरत थे। विभाग ने सड़क की मरम्मत पर ₹ 6.70 करोड़ की अनुबंध राशि के विरुद्ध ₹ 2.67 करोड़ (जून 2021) खर्च किया जो विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यक्षेत्र से बाहर था। इस प्रकार, न केवल डी.आर.आई.पी. अवधि की समाप्ति के बाद अनुबंध निष्पादित करना अनियमित था बल्कि विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से निधि के विचलन को न्यायोचित ठहराने के लिए शासन से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना इस कार्य के लिए भुगतान करना भी अनियमित था।

विभाग ने बताया (जून 2022) कि बांध की सुरक्षा, वी.आई.पी. आवागमन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कार्य विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण निधि के अन्तर्गत निष्पादित किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग की लापरवाही के कारण डी.आर.आई.पी. चरण–। की समाप्ति के बाद अनुबंध निष्पादित किया गया एवं विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से निधि के डायवर्जन के लिए शासन से आवश्यक अनुमोदन नहीं लिया गया।

2.2.9 गुणवत्ता नियंत्रण

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के पैरा 6.001 और 6.007 के अनुसार, निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण सभी संरचनाओं की सुरक्षा, विश्वसनीयता और स्थायित्व के लिए और संरचनाओं के सर्वोत्तम उपयोग के लिए भी आवश्यक है। गुणवत्ता नियंत्रण सामग्री के परीक्षण, निष्पादन के दौरान पर्यवेक्षण और परीक्षण परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या द्वारा किया जाएगा।

लागू मानदंडों के संदर्भ में गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यवेक्षण की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया। देखे गए मुद्दों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.2.9.1 लाइनिंग से पहले सी.एन.एस. सामग्री डालने में गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव

प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी (दिसंबर 2016) संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार, सी.एन.एस. सामग्री का उपयोग प्रसार वाली मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी (मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पायी जाने वाली) के उपयोग से होने वाली फूलने के प्रभाव को रोकने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सी.एन.एस. परत को सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग और प्रसार वाली मिट्टी की परत के बीच में बिछाना होगा। हालांकि नहर की लाइनिंग में बिछाने से पूर्व सी.एन.एस. सामग्री के फूलने के दबाव और दृढ़ता का पता लगाना आवश्यक है। इसके अलावा, चूंकि सी.एन.एस. परत को रिसाव के कारण होने वाले आंतरिक क्षरण का विरोध करना पड़ता है और लाइनिंग के लिए उपयुक्त आधार भी बनाती है, इसलिए सी.एन.एस. मिट्टी में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

तालिका 2.2.7: विभिन्न सी.एन.एस. विशेषताओं के लिए सहनशीलता सीमा	
विशेषताएँ	**सहनशीलता सीमा**
फूलने का दबाव	≥0.1 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर
तरल सीमा (नमी की मात्रा)	≥ 30 प्रतिशत
प्लास्टिसिटी इंडेक्स (मिट्टी का लचीलापन की माप)	≥ 15 प्रतिशत

इसके अलावा, दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया था कि सी.एन.एस. सामग्री के रूप में इसे स्वीकार करने से पहले मिट्टी की विशेषताओं का पता लगाया जाना था। इसके लिए, प्रति–परीक्षण के रूप में फूलने के दबाव की जाँच हेतु कुछ द्योतक नमूनों का परीक्षण किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त सी.एन.एस. सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट की जाँच की और चार कार्यों में पाया कि नमूना परीक्षण रिपोर्ट में सी.एन.एस. सामग्री का फूलने का दबाव, तरल सीमा और प्लास्टिसिटी इंडेक्स स्वीकार्य सीमा से कम था। यह भी देखा गया कि एक कार्य में मिट्टी की विशेषताओं का पता लगाने के लिए नमूना परीक्षण नहीं किया गया था। इसके बावजूद, संबंधित चारों सभांग परीक्षण रिपोर्ट का आकलन करने और ठेकेदारों द्वारा उपयोग की जाने वाली सी.एन.एस. सामग्री को अस्वीकार करने में विफल रहे।

इस प्रकार, कार्य की गुणवत्ता की निगरानी करने में संभागों की विफलता के परिणामस्वरूप न केवल मानक स्तर से नीचे का कार्य निष्पादित हुआ बल्कि इसके परिणामस्वरूप उचित जांच किए बिना ₹ 18.13 करोड़ का भुगतान भी किया गया। इससे नहर की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का जीवनकाल प्रभावित हो सकता है। विवरण ***परिशिष्ट–2.2.3*** में दर्शाया गया है।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि परीक्षण परिणाम के अनुसार सी.एन.एस. बिछाने में गुणवत्ता उपयुक्त थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना परीक्षण रिपोर्ट में सी.एन.एस. सामग्री का फूलने का दबाव अनुमत्य सीमा से कम था।

2.2.9.2 विनिर्देशन के नीचे कार्य निष्पादित किया गया

भारतीय मानक (आईएस) कोड 3873:1993 के पैरा 5.5.1.5 के अनुसार नहरों पर सीमेंट कंक्रीट/स्टोन स्लैब लाइनिंग बिछाने पर, स्लीपरों के लिए उपयोग की जाने वाली कंक्रीट, लाइनिंग के समान ग्रेड की होनी चाहिए। आगे, तकनीकी परिपत्र संख्या 60 दिनांक 31/12/2016 के अनुसार, 0.3 क्यूमेक से अधिक डिस्चार्ज और 0.50 मीटर से अधिक पानी की गहराई वाली जो भी कम हो नहरों में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग में डिजाइन मिक्स कंक्रीट एम–15, एम.एस.ए.–20 मिलीमीटर का प्रावधान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त प्रावधान के विपरीत, मुख्य अभियंता, होशंगाबाद ने 0.3 क्यूमेक से अधिक डिजाइन डिस्चार्ज वाली नहरों/वितरिकाओं के 13 कार्यों में प्लेन सीमेंट कंक्रीट एम–10 के ग्रेड के साथ लाइनिंग में स्लीपरों के निष्पादन के लिए प्राक्कलनों को अनुमोदित किया, जहां एम–15 कंक्रीट का उपयोग करके लाइनिंग का निष्पादन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹ 10.42 करोड़ की राशि के, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.4*** में दर्शाया गया है, सीमेंट कंक्रीट के निम्न मानक के कार्य हुए, बल्कि यह कार्य नहर की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के जीवनकाल को भी प्रभावित कर सकता है।

विभाग ने कहा (जून 2022) कि तकनीकी परिपत्र 60 के अनुसार सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य निष्पादित किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई.एस. कोड के प्रावधानों के अनुसार स्लीपर का कार्य निष्पादित नहीं किया गया।

2.2.10 निष्कर्ष

तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का उद्देश्य मुख्य नहरों से माइनर्स तक पूरी नहर प्रणाली की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग द्वारा कृषि योग्य कमान क्षेत्र को बढ़ाना था ताकि अधिक क्षेत्र को कमान के तहत लाया जा सके और नहर के टेल क्षेत्रों में वंचित क्षेत्रों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा सके। विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का उद्देश्य तवा सिंचाई परियोजना के तत्कालीन मिट्टी की नहर प्रणाली के मौजूदा डिजाइन्ड सी.सी.ए. को 2,40,953 हेक्टेयर से बढ़ाकर 3,20,146 हेक्टेयर करना था। 2018–21 की अवधि में तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की लेखापरीक्षा में विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कार्यों के निष्पादन में कई कमियां सामने आईं। मार्च 2021 की स्थिति में, विभाग 2,670.92 किलोमीटर की आवश्यक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के विरुद्ध केवल 375.66 किलोमीटर (14.06 प्रतिशत) की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग पूरी कर सका। अपर्याप्त सर्वेक्षण और मुख्य नहरों, शाखा नहरों, वितरिकाओं एवं माइनर्स के लाइनिंग कार्यों में तालमेल की कमी के कारण सी.सी.ए. को बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। आगे, विभाग ने तवा सिंचाई परियोजना के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की स्वीकृति की तिथि से सात वर्ष की समाप्ति के बावजूद माइनर्स में लाइनिंग कार्यों के लिए शासन से आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही (योजना/लागत का प्राक्कलन) शुरू नहीं की। इस प्रकार, ₹ 592.81 करोड़ के व्यय के बावजूद सी.सी.ए. को केवल 3,830 हेक्टेयर (लक्षित अतिरिक्त सी.सी.ए. का 5 प्रतिशत) बढ़ाया जा सका, जिससे परियोजना पर किया गया संपूर्ण व्यय निष्फल रहा। अनुबंध प्रबंधन और कार्य के निष्पादन की लेखापरीक्षा में कई कमियों का पता चला जैसे प्राक्कलनों में अनावश्यक या अस्वीकार्य मदों को शामिल करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अतिरिक्त/अधिक भुगतान किया गया, ठेकेदारों को अनुबंध की सामान्य शर्त के उल्लंघन में मूल्य समायोजन का भुगतान करके अनुचित लाभ दिया गया। आगे, विभाग ने नहरों के निर्माण के दौरान विनिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं किया और विनिर्देशों से निम्न स्तर के कार्यों को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप मानक स्तर से नीचे का कार्य निष्पादित हुआ जिससे नहर की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का जीवनकाल प्रभावित हो सकता है। टेल क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ परिणामस्वरूप होशंगाबाद के 476 ग्रामों एवं हरदा जिले के 332 ग्रामों के अपेक्षित हितग्राहियों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

2.2.11 अनुशंसाए

i. विभाग को मुख्य नहरों, शाखा नहरों और माइनर्स/सब माइनर्स में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य अविलंब पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए।

ii. विभाग को माइनर्स में लाइनिंग कार्य हेतु शासन से आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही न करने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करना चाहिए।

iii. विभाग को अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए प्राक्कलन तैयार करने में यथोचित सावधानी सुनिश्चित करनी चाहिए।

iv. *विभाग को प्राक्कलनों में कार्यों की अस्वीकार्य मदों का प्रावधान और निष्पादन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए।*

v. *विभाग को भविष्य में टर्न–की अनुबंध कार्यों में मूल्य समायोजन धारा को शामिल न करने के लिए उचित सावधानी सुनिश्चित करनी चाहिए।*

vi. *विभाग को गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की समीक्षा और सुधार करने और विचलन के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।*

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

2.3 एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) की लेखापरीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एम.ओ.ए.एफ.डब्ल्यू.), भारत सरकार ने बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) को अप्रैल 2014 से कार्यान्वित किया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के मुख्य उद्देश्य हैः

- बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढावा देना;
- बागवानी उत्पादन को बढ़ाना, कृषक की आय में वृद्धि और पोषण सुरक्षा को सशक्त करना;
- गुणवत्तापूर्ण जर्मप्लाज्म, पौध सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई द्वारा जल उपयोग दक्षता के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना;
- बागवानी एवं फसलोपरान्त प्रबंधन, विशेष रूप से शीत श्रृंखला के क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास में सहायता प्रदान करना और रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न करना

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के उददेश्यों को क्षेत्र आधारित पृथक कार्यनीतियों जिसमें प्रत्येक क्षेत्र एवं उसकी विविध कृषि जलवायु के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप अनुसंधान, प्रौद्योगिकी संवर्धन, विस्तारीकरण, फसलोपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत, वर्ष 2015–16 तक केन्द्र एवं राज्य की निधियों का अनुपात क्रमशः 85 एवं 15 प्रतिशत तथा वर्ष 2016–17 से 60 एवं 40 प्रतिशत था।

2.3.2 विभागीय संरचना

मध्य प्रदेश राज्य बागवानी मिशन (एस.एच.एम.) राज्य में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी अभिकरण है। प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (एच.एफ.पी.डी.), मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.), विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस.एल.ई.सी.)[69] के अध्यक्ष है एवं राज्य बागवानी मिशन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी राज्य बागवानी मिशन के मिशन संचालक हैं और राज्य बागवानी मिशन की कार्यकलापों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर जिला मिशन समिति (डी.एम.सी.)[70] के अध्यक्ष हैं और उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी जिला मिशन समिति के पदेन सचिव हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं उप संचालक, कृषि आदि जिला मिशन समिति के सदस्य हैं।

69 राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन एकीकृत बागवानी विकास मिशन का कार्यान्वयन परिचालन दिशा–निर्देशों 2014 के अनुसार होने की निगरानी के लिए किया गया है। वित्त, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य तथा सामाजिक न्याय विभागों आदि के सचिव और आयुक्त भी राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के सदस्य हैं।

70 मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए परियोजना के प्रतिपादन, क्रियान्वयन और निगरानी हेतु जिला मिशन समितियों का गठन किया गया है।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आकलन करने करने के लिए की गई कि क्या योजना, वित्तीय प्रबन्धन, कार्यक्रम क्रियान्वयन और निगरानी पर्याप्त, प्रभावी एवं मिशन के दिशानिर्देशों या शासन/विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप थे।

2.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त किये गये थे:

- भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2014 में जारी एकीकृत बागवानी विकास मिशन के परिचालन संबंधी दिशा–निर्देश;
- केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना से सम्बन्धित जारी अधिसूचनायें/परिपत्र एवं आदेश;
- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एम.पी.टी.सी.), मध्य प्रदेश वित्तीय नियम एवं बजट मैनुअल।

2.3.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

हमने मिशन संचालक, राज्य बागवानी मिशन भोपाल एवं चयनित आठ जिलों के उप संचालक (डी.डी.)/सहायक संचालक (ए.डी.), उद्यानिकी के कार्यालयों में अवधि 2018–19 से 2020–21 से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की। हमने आठ चयनित जिलों में से छः[71] जिलों का चयन सैम्पलिंग[72] के आधार पर किया। लेखापरीक्षा ने प्रारंभिक अध्ययन के लिए रतलाम जिले का चयन (व्यय के आधार पर) किया था तथा दमोह जिले का चयन प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल द्वारा प्रवेश सम्मेलन के दौरान दी गई सलाह पर किया गया।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के विभिन्न घटकों में प्राप्त सहायता की राशि के अनुसार निर्णयात्मक नमूना चयन के आधार पर हमने प्रत्येक चयनित जिले में 100 मामलों की नमूना जाँच की। प्रत्येक चयनित जिले[73] में पाँच परियोजना/कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया।

प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ 6 सितम्बर, 2021 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (ए.सी.एस., एच.एफ.पी.डी.) के साथ 18 फरवरी, 2022 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने कंडिका–वार उत्तर प्रस्तुत किए (अगस्त 2022) जिन्हें उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

---

71 उप संचालक, उद्यानिकी, देवास; सहायक संचालक, उद्यानिकी, डिंडोरी; सहायक संचालक, उद्यानिकी, ग्वालियर; उप संचालक, उद्यानिकी, खरगोन; उप संचालक, उद्यानिकी, मंदसौर; एवं सहायक संचालक, उद्यानिकी, सीधी।

72 प्रतिस्थापन के साथ आकार के अनुपात में प्रायिकता (पी.पी.एस.डब्लू.आर.) विधि का उपयोग करते हुए।

73 चयनित जिलों में उप संचालक/सहायक संचालक के कार्यालयों के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में महत्वपूर्ण निष्कर्ष पाये गये जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

2.3.6 योजना

2.3.6.1 परिप्रेक्ष्य/रणनीतिक योजना तैयार न करना

जैसाकि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के परिचालन संबंधी दिशा–निर्देश (अप्रैल 2014) और भारत सरकार के निर्देश (जनवरी 2017) में परिकल्पित है, मध्य प्रदेश शासन को राज्य में बागवानी के समग्र विकास हेतु, पंचवर्षीय अवधि 2017–18 से 2021–22 के लिये विधिवत प्रक्षेपित कार्ययोजना सहित एक परिप्रेक्ष्य/रणनीतिक योजना और रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता थी। परिप्रेक्ष्य/रणनीतिक योजना वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये जाने का आधार बनेगी।

परिप्रेक्ष्य योजना परिणाम उन्मुख होनी थी अर्थात सबसे पहले दिखाने योग्य एवं मापने योग्य परिणामों (जैसे गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता, फसलोपरान्त नुकसान को कम करना, मूल्य में उतार चढ़ाव को कम करना, बेहतर बाजार संबंध आदि) की पहचान की जानी चाहिए एवं फिर परिणाम प्राप्त करने के लिए आउटपुट की गणना की जानी चाहिए। अंत में, प्रत्येक गतिविधि के लिये आउटपुट को वार्षिक निधि की उपलब्धता और अन्तर घटक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये पाँच वर्षों में वितरित किया जाना चाहिये।

हमने देखा कि राज्य बागवानी मिशन ने अवधि 2017–18 से 2021–22 के लिये परिप्रेक्ष्य/रणनीतिक योजना तैयार नहीं की और इस तरह राज्य में बागवानी के समग्र विकास के लिये कोई दीर्घकालिक योजना या रणनीति नहीं थी।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि राज्य बागवानी मिशन ने पाँच वर्षों के लिए परिप्रेक्ष्य योजना/रूपरेखा तैयार नहीं की थी।

2.3.6.2 बेसलाइन सर्वे एवं व्यवहार्यता अध्ययन के बिना वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाना

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के परिचालन दिशानिर्देश (अप्रैल 2014) के अनुसार राज्य बागवानी मिशन को बागवानी उत्पादन, क्षमता और मांग की स्थिति निर्धारित करने के लिए एवं तदनुसार प्रदान की जाने वाली सहायता के निर्धारण हेतु जिलों, उप–जिलों अथवा जिलों के समूह में बेसलाइन सर्वे एवं व्यवहार्यता अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये सभी वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) तैयार करने हेतु आधार बनेगी।

आगे, जिला स्तर पर अभिकरणों को, अपनी प्राथमिकता और क्षमता को ध्यान में रखते हुये वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी थी तथा योजना मिशन संचालक, राज्य बागवानी मिशन को प्रस्तुत करनी थी। तदनुसार मिशन संचालक, राज्य बागवानी मिशन को समग्र रूप से राज्य के लिये एक समेकित प्रस्ताव तैयार करना था और इसे पुनरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करना था और तत्पश्चात इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करना था।

हमने देखा कि अवधि 2018–19 से 2020–21 के दौरान राज्य बागवानी मिशन ने वार्षिक कार्य योजनायें तैयार करने के लिये बेसलाइन सर्वे एवं व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया। आगे, राज्य बागवानी मिशन ने वार्षिक कार्य योजनायें तैयार करने से पहले जिलों से इनपुटस् प्राप्त नही किए और केवल भारत सरकार से प्राप्त संभावित परिव्यय के आधार पर वार्षिक कार्य योजनायें तैयार की। क्षेत्रीय कार्यालयों

अथवा सर्वे के माध्यम से प्राप्त होने वाले इनपुटस् और आंकड़ों के अभाव में, राज्य बागवानी मिशन द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनायें जमीनी वास्तविकताओं से बहुत दूर थे एवं केवल एकीकृत बागवानी विकास मिशन के परिचालन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुपालन के मतलब से थे तथा मिशन के वास्तविक उद्देश्यों को पूरा नहीं करते थे।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि राज्य बागवानी मिशन द्वारा वार्षिक कार्य योजनायें तैयार करने हेतु बेसलाइन सर्वे एवं व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया एवं पिछले सहभागी डेटा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक वर्ष कार्य योजनायें तैयार की गई। आगे, वार्षिक कार्ययोजनाओं को जिलों की आवश्यकता और माँग के आधार पर संशोधित किया गया तथा भारत सरकार को भेजा गया। भविष्य में, निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

2.3.6.3 एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) की भागीदारी न होना

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के परिचालन दिशा–निर्देश (अप्रैल 2014) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को उनकी विशेषज्ञता एवं उपलब्ध बुनियादी ढांचे के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन में शामिल किया जाना था। उन्हें जिला पंचायत के परामर्श से फसलों/प्रजातियों एवं हितग्राहियों की पहचान; पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, विस्तार और जागरूकता सृजन, पंचायती राज संस्था एवं ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन और एकीकृत बागवानी विकास मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को फीडबैक देने के माध्यम से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी।

हमने देखा कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाएं शामिल नहीं थी। जिलों ने राज्य बागवानी मिशन से प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन को क्रियान्वित किया। फलस्वरूप, विभाग ने मिशन के उद्देश्यों के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की विशेषज्ञता, फीडबैक और बढ़े हुए सहयोग को खो दिया।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि विभाग की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ गठित समिति के माध्यम से किया गया और समिति के अध्यक्ष संबंधित जिले के कलेक्टर होते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षित आठ जिलों के जिला प्राधिकारियों ने फसलों/प्रजातियों एवं हितग्राहियों की पहचान; पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, विस्तार और जागरूकता सृजन; पंचायती राज संस्था एवं ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन तथा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को फीडबैक देने संबंधी पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी दर्शाने वाले अभिलेख/सूचना प्रदान नहीं किए।

2.3.7 वित्तीय प्रबंधन

2.3.7.1 निधियों का उपयोग न होना

अवधि 2018–19 से 2020–21 के दौरान अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार निधि की आवश्यकता, केन्द्रांश एवं राज्यांश के माध्यम से प्राप्त तथा व्यय की गई राशियों का विवरण **तालिका 2.3.1** में दिया गया है:–

तालिका–2.3.1: जारी की गई राशि एवं उनका उपयोग दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना (स्पिल ओवर सहित)	अंश		भारत सरकार द्वारा जारी राशि	मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी राशि	राज्य बागवानी मिशन को जारी कुल राशि (अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना की तुलना में जारी राशि का प्रतिशत)	उपयोग की गई राशि (जारी राशि की तुलना में व्यय का प्रतिशत)
		भारत सरकार (60 प्रतिशत)	मध्य प्रदेश शासन (40 प्रतिशत)				
2018–19	85.30	51.18	34.12	44.44	12.08	56.52 (66.26)	53.22 (94.16)
2019–20	81.12	48.67	32.45	37.54	25.27	62.81 (77.43)	35.43 (56.41)
2020–21	130.71	78.43	52.28	43.29	13.84	57.13 (43.71)	30.81 (53.93)
योग	**297.13**	**178.28**	**118.85**	**125.27**	**51.19**	**176.46 (59.39)**	**119.46 (67.70)**

(स्रोतः राज्य बागवानी मिशन द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण)

तालिका 2.3.1 से, यह देखा जा सकता है कि:

➢ 2018–21 के लिये अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार, भारत सरकार का अंश ₹ 178.28 करोड़ था, यद्यपि राज्य द्वारा उपलब्ध निधि का उपयोग न करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से ₹ 125.27 करोड़ (70 प्रतिशत) विमुक्त किये गये। आगे, अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के विरुद्ध राज्य बागवानी मिशन को केन्द्र एवं राज्य शासन से अवधि 2018–19 से 2020–21 के दौरान वास्तविक प्राप्ति वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राशियों के वास्तविक आवश्यकता का 44 से 77 प्रतिशत के मध्य था। यद्यपि, राज्य बागवानी मिशन उपलब्ध निधि का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर सका एवं अवधि 2018–19 से 2020–21 के दौरान बचत छः से 46 प्रतिशत के मध्य रही। इस प्रकार, राज्य बागवानी मिशन वार्षिक कार्य योजना के अनुसार मिशन की गतिविधियों के लिये उपलब्ध राशियों का प्रभावी उपयोग करने में विफल रहा।

➢ एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार, केन्द्र और मध्य प्रदेश शासन के बीच राशियाँ 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। वर्ष 2018–19 के लिये एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लेखापरीक्षित लेखों की जांच में पता चला कि 2018–19 के लिये कुल व्यय ₹ 53.22 करोड़ था, जिसमें से, मध्य प्रदेश शासन का अंश ₹ 21.29 करोड़ (40 प्रतिशत राज्यांश) था। यद्यपि, मध्य प्रदेश शासन द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लिये वास्तविक रूप से जारी राशि केवल ₹ 12.08 करोड़[74] थी। इस प्रकार, जिस आधार पर लेखापरीक्षित लेखे तैयार किये गये थे वह लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका एवं राज्य बागवानी मिशन द्वारा तैयार किये गये लेखापरीक्षित लेखे उस सीमा तक गलत थे। जैसा कि **तालिका–2.3.1** से स्पष्ट है कि, अवधि 2018–19 से 2020–21 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के विरूद्ध ₹ 32.32 करोड़ राज्यांश कम जारी किया गया था।

➢ भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी करने (एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत) की शर्तों के अनुसार, क्रियान्वयन एजेन्सी व्यय के उचित लेखों का संधारण करेगी तथा कृषि एवं किसान

[74] राज्य बागवानी मिशन के अभिलेखों के अनुसार 2018–19 के दौरान राज्य बागवानी मिशन को जारी कुल राशि (₹ 56.52 करोड़) एवं भारत सरकार द्वारा जारी राशि (₹ 44.44 करोड़) का अन्तर।

कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को लेखापरीक्षित लेखों का विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत करेगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि, राज्य बागवानी मिशन ने केवल 2018–19 के लेखापरीक्षित लेखे और अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किये लेकिन उसे भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके कारण अभिलेख में नहीं थे। वर्ष 2019–20 और 2020–21 के संबंध में, राज्य बागवानी मिशन ने लेखापरीक्षित लेखे एवं अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार नहीं किये।

हमने आगे देखा कि राज्य बागवानी मिशन ने लेखा अभिलेखों अर्थात राज्य शासन से निधि प्राप्ति की तिथि दर्शाने वाले रोकड़ बही आदि का संधारण नहीं किया। ऐसे अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा राज्य शासन द्वारा राज्य बागवानी मिशन को समय पर राशि जारी किये जाने का विश्लेषण नहीं कर सका। यह राज्य बागवानी मिशन में दोषपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन और नियन्त्रण प्रणाली को भी दर्शाता है।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि 2019–21 के दौरान वित्तीय प्रगति में कमी का मुख्य कारण कोविड–19 था। वित्त विभाग ने भारत सरकार द्वारा जारी राशि के अनुपात में मैचिंग शेयर (राज्यांश) प्रदान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप राज्यांश कम विमुक्त हुआ। आगे, कोविड–19 के कारण, 2019–20 और 2020–21 के लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। वर्तमान में मार्च 2022 तक के लंबित लेखों की लेखापरीक्षा की जा चुकी है।

उत्तर लेखापरीक्षित लेखों का पत्रक और उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करने पर मौन है।

2.3.7.2 क्रियान्वयन एजेन्सी को अग्रिमों का अनियमित भुगतान

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत सभी योजनाओं को मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एम.पी. एग्रो) के माध्यम से लागू करने के निर्देश (जून 2019) सभी जिलों को जारी किए। जून 2019 के शासनादेश में आगे प्रावधान था कि एम.पी. एग्रो आपूर्ति की गई सामग्री के देयक जिला उद्यानिकी कार्यालयों में जमा करेगा और तदनुसार संबंधित उप संचालक/सहायक संचालक एम.पी. एग्रो को भुगतान की प्रक्रिया करेगा।

आगे, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 284 के अनुसार, मांगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिये कोषालय से अग्रिम आहरण करना एक गंभीर अनियमितता है, एवं ऐसे आहरण के लिये दोषी व्यक्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये स्वयं को उत्तरदायी बनाते हैं।

मध्य प्रदेश शासन के जून 2019 के निर्देशानुसार, जिला उद्यानिकी कार्यालयों के उप संचालक/सहायक संचालक को एम.पी. एग्रो द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के विरूद्ध एम.पी. एग्रो को भुगतान जारी करना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि मिशन संचालक, राज्य बागवानी मिशन ने निर्देशों का उल्लंघन करते हुये एम.पी. एग्रो को फरवरी 2020 एवं मार्च 2021 के मध्य जिला कार्यालयों के माध्यम से भुगतान करने के बजाय सीधे ₹ 6.75 करोड़ की राशि का भुगतान किया। अग्रिम भुगतानों से संबंधित राज्य बागवानी मिशन के भुगतान प्रमाणकों तथा रोकड़ बही की जांच में निम्नलिखित परिलक्षित हुआः

- राशि का भुगतान एम.पी. एग्रो को अग्रिम के रूप में दो किश्तों ₹ 4.90 करोड़ (फरवरी 2020 में भुगतान) और ₹ 1.85 करोड़ (मार्च 2021 में भुगतान) में किया गया। पहले मामले में, मिशन संचालक, राज्य बागवानी मिशन ने मशीनीकरण[75] हेतु सामग्री की आपूर्ति के लिए बिना किसी समर्थित बीजक के ₹ 4.90 करोड़ का अग्रिम (19 फरवरी 2020) के रूप में भुगतान किया। राशि को रोकड़ बही में अग्रिम न मानते हुये भुगतान के रूप में दर्ज किया गया।

[75] जैसे कि पावर टिलर आदि का क्रय।

- दूसरे मामले में, मिशन संचालक, राज्य बागवानी मिशन ने अनंतिम बीजक के आधार पर लो–इनर्जी कूल चेम्बर प्रदान करने के लिए अग्रिम के रूप में ₹ 1.85 करोड़ अग्रिम (27 मार्च 2021) के रूप में भुगतान किया।
- दोनों मामलों में, मिशन संचालक ने उक्त नियम के साथ–साथ जून 2019 के निर्देशों का उल्लंघन कर बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिये वित्तीय वर्ष के अंत में भुगतान जारी किया। आगे, जारी की गई धनराशि को गलत तरीके से रोकड़ बही में अग्रिम के बजाय भुगतान के रूप में दर्ज किया गया।

इसके अतिरिक्त, भुगतान बिना सामग्री की प्राप्ति के एवं बिना बीजक के या अनंतिम बीजक के आधार पर जारी किये गये। इस प्रकार, राज्य बागवानी मिशन द्वारा राशि जारी करना अनियमित था।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि एम.पी. एग्रो विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये नोडल एजेंसी थी, अतः, भौतिक प्रगति प्राप्त करने के लिये, एम.पी. एग्रो को राशि का भुगतान किया गया। राज्य बागवानी मिशन ने एम.पी. एग्रो को ₹ 185 लाख का भुगतान किया जिसके विरूद्ध एम.पी. एग्रो द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार, संबंधित को ₹ 32.50 लाख का भुगतान किया गया था और शेष ₹ 152.50 लाख का भुगतान प्रक्रियाधीन था। आगे, एम.पी. एग्रो को ₹ 490 लाख के भुगतान के संबंध में एम.पी. एग्रो/जिला कार्यालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

इस प्रकार, जिला कार्यालयों के माध्यम से भुगतान करने के बजाय राज्य बागवानी मिशन ने निर्देशों का उल्लंघन करते हुये फरवरी 2020 और मार्च 2021 के मध्य एम.पी. एग्रो को ₹ 6.75 करोड़ का भुगतान किया। आगे, लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग एम.पी. एग्रो को भुगतान की गई राशि के निपटान की स्थिति प्रस्तुत करने में असमर्थ है।

2.3.8 कार्यक्रम क्रियान्वयन

2.3.8.1 लक्ष्यों की पूर्ति

अवधि 2018–19 से 2020–21 के दौरान, राज्य बागवानी मिशन ने राज्य में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के विभिन्न घटकों जैसे नए बागानों की स्थापना, मशरूम उत्पादन, पुनर्जीवीकरण/पुनर्रोपण, संरक्षित खेती, बागवानी यंत्रीकरण, जैविक खेती को अपनाना, इत्यादि क्रियान्वित किया। इस उद्देश्य के लिए, राज्य बागवानी मिशन ने 2018–19 से 2020–21 की अवधि हेतु वार्षिक कार्य योजनाओं में घटकवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए। निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियाँ **तालिका–2.3.2** में दी गई हैं:

तालिका–2.3.2: भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

घटक का नाम (इकाई)	2018–19		2019–20		2020–21	
	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत में)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत में)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत में)
क्षेत्र विस्तार (हेक्टेयर)	928.50	372.76 (40.15)	4,750.00	4,750.19 (100)	7,556.00	5,669.79 (75.04)
रखरखाव (हेक्टेयर)	899.00	706.41 (78.58)	143.25	5.30 (3.70)	457.30	0.00 (00)

तालिका–2.3.2: भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण						
घटक का नाम (इकाई)	**2018–19**		**2019–20**		**2020–21**	
	लक्ष्य	**उपलब्धि (प्रतिशत में)**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि (प्रतिशत में)**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि (प्रतिशत में)**
मशरूम (संख्या)	7.00	4.00 (57)	9.00	8.00 (88.89)	2.00	0.00 (00)
पुनर्जीवीकरण/पुनर्रोपण (हेक्टेयर)	183.00	143.38 (78.35)	2,000.00	0.00 (00)	1,500.00	0.00 (00)
संरक्षित खेती (हेक्टेयर)	952.78	547.53 (57.47)	212.10	212.10 (100)	328.40	61.88 (18.84)
उत्कृष्टता केन्द्र (संख्या)	0.00	0.00 (00)	2.00	2.00 (100)	2.00	1.00 (50)
जैविक खेती (संख्या)	0.00	0.00 (00)	10,200.00	10,200.00 (100)	8,000.00	7,140.00 (89.25)
मधुमक्खी पालन (संख्या)	7,794.00	7,773.00 (99.73)	14,051.00	14,011.00 (99.72)	14,050.00	2,219.00 (15.79)
बागवानी यंत्रीकरण (संख्या)	4,283.00	3,180.00 (74.25)	6,463.00	6,463.00 (100)	4,090.00	1,833.00 (44.82)
मानव संसाधन प्रबंधन (संख्या)	20,302.00	20,000.00 (98.51)	2,535.00	2,500.00 (98.62)	0.00	0.00 (00)
फसलोपरांत प्रबंधन (संख्या)	172.00	116.00 (67.44)	655.00	655.00 (100)	577.00	368.00 (63.78)
बाजार अधोसंरचना (संख्या)	1.00	0.00 (00)	0.00	0.00 (00)	0.00	0.00 (00)

(स्रोत– 2018–19 से 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना एवं प्रगति प्रतिवेदन)

जैसा कि **तालिका–2.3.2** से स्पष्ट है, कई घटकों में महत्वपूर्ण कमी थी जैसे कि 2018–19 और 2020–21 के दौरान क्षेत्र विस्तार, फसलोपरांत प्रबंधन एवं संरक्षित खेती में; 2019–21 के दौरान पुनर्जीवीकरण/पुनर्रोपण एवं रखरखाव में; तथा 2020–21 के दौरान बागवानी यंत्रीकरण एवं मधुमक्खी पालन में।

चयनित आठ जिलों में लक्ष्य एवं उपलब्धि की समीक्षा से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- ''क्षेत्र विस्तार'' घटक में, दमोह, देवास, डिण्डोरी, खरगोन और रतलाम जिलों ने 96 से 100 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की, जबकि ग्वालियर, मंदसौर और सीधी के मामले में, उपलब्धि नौ एवं 63 प्रतिशत के मध्य रही जो काफी कम थी। सीधी जिले की उपलब्धि सबसे कम नौ प्रतिशत थी।
- ''बागवानी यंत्रीकरण'' घटक में, दमोह, देवास, ग्वालियर, मंदसौर और रतलाम जिलों में लक्ष्य की उपलब्धि एक एवं 66 प्रतिशत के मध्य रही। ग्वालियर जिले में उपलब्धि सबसे कम एक प्रतिशत रही।
- ''संरक्षित खेती'' घटक में, देवास, डिण्डोरी एवं ग्वालियर जिलों में लक्ष्य की उपलब्धि 22 एवं 60 प्रतिशत के मध्य रही। दमोह जिले में, संरक्षित खेती के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

- ''फसलोपरांत प्रबंधन'' घटक में, दमोह, देवास, ग्वालियर, खरगोन, मंदसौर एवं रतलाम द्वारा लक्ष्य की उपलब्धि पाँच से 63 प्रतिशत के बीच रही।
- ''पुनर्जीवीकरण/पुनर्रोपण'' घटक चयनित आठ जिलों में से केवल दो जिलों अर्थात मंदसौर और सीधी में क्रियान्वित किया गया, इन दो जिलों में लक्ष्य की उपलब्धि क्रमशः 67 एवं पाँच प्रतिशत थी। शेष छः जिलों में, पुनर्जीवीकरण/पुनर्रोपण घटक के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान चयनित आठ जिलों में घटकवार लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण ***परिशिष्ट–2.3.1*** में दिया गया है।

हमने देखा कि सभी तीन वर्षों (2018–19 से 2020–21) में राज्य बागवानी मिशन ने वित्तीय वर्षों के अंत में वार्षिक कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त लक्ष्य अथवा संशोधित लक्ष्य आवंटित किया, जिसके परिणामस्वरूप सभी चयनित जिलों में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई।

इस प्रकार, राज्य बागवानी मिशन द्वारा वार्षिक कार्य योजना को समय पर अनुमोदित करने एवं क्रियान्वित करने के लिए जिलों को संप्रेषित करने में विफलता के कारण एकीकृत बागवानी विकास मिशन के समग्र अभीष्ट उद्देश्यों को वर्ष दर वर्ष पूरे राज्य में प्राप्त नहीं किया जा सका।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति (फरवरी–मार्च) और भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति न होने के कारण, जिलों को पहले से आवंटित लक्ष्यों को संशोधित किया गया। 2019–21 के दौरान भौतिक और वित्तीय लक्ष्य में कमी का कारण कोविड–19 था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिलों की प्रगति का समय पर पर्यवेक्षण करने में विभाग विफल रहा एवं जिलों को अतिरिक्त लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अन्त में आवंटित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हुई।

2.3.8.2 बागवानी उत्पादों के लिए भंडारण क्षमता

चयनित आठ जिलों में बागवानी फसलों के उत्पादन एवं भंडारण क्षमता का विवरण **तालिका–2.3.3** में वर्णित है।

तालिका–2.3.3: बागवानी फसलों के उत्पादन एवं भंडारण क्षमता की उपलब्धता का विवरण

(उत्पादन और भंडारण –''हजार मीट्रिक टन'' में)

जिला का नाम	उत्पादन			औसत उत्पादन	भंडारण क्षमता
	2018–19	2019–20	2020–21		
मंदसौर	628.83	644.77	666.52	647	0
सीधी	392.50	703.03	768.05	621	0
दमोह	319.55	359.39	426.69	369	0
डिण्डोरी	48.88	65.89	67.56	61	0
रतलाम	903.58	940.74	1,013.76	953	10
खरगोन	575.50	642.45	710.04	643	7.83
देवास	1,087.29	1,182.64	1,228.83	1,166	82.60
ग्वालियर	324.64	338.64	355.36	340	82.50

(स्रोत–जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका–2.3.3 से देखा जा सकता है कि चयनित आठ जिलों में से चार[76] जिलों में, विगत तीन वर्षों में बागवानी फसलों का औसत उत्पादन 61 से 647 हजार मीट्रिक टन के मध्य रहा जबकि बागवानी फसलों की भंडारण क्षमता शून्य थी, जो दर्शाता है कि इन जिलों में बागवानी फसलों के भंडारण के लिए कोई शीतगृह भंडारण स्थापित नहीं किए गए थे। शेष चार[77] जिलों में, विगत तीन वर्षों में बागवानी फसलों का औसत उत्पादन 340 एवं 1,166 हजार मीट्रिक टन के मध्य रहा जबकि बागवानी फसलों के शीतगृह भंडारण क्षमता केवल एक से 24 प्रतिशत के मध्य थी।

इस प्रकार, उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि यद्यपि राज्य ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कारण बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि देखी है, विभाग के पास बढ़े हुये उत्पादन को संभालने हेतु आनुपातिक शीत भंडारण की योजना बनाने की दूरदर्शिता नहीं थी, जबकि शीतगृह "फसलोपरांत प्रबंधन" घटक के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा था।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि शून्य भंडारण क्षमता वाले जिलों को भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिये प्राथमिकता दी जायेगी एवं आगामी वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जायेगा। भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत कराने का प्रयास किया जायेगा।

2.3.8.3 अनुदान का भुगतान

2.3.8.3 (क) अपात्र लाभार्थियों को अनुदान का भुगतान

2019–20 की वार्षिक कार्य योजना (राज्य बागवानी मिशन द्वारा तैयार) में अनारक्षित श्रेणी से संबंधित केवल छोटे किसानों (दो हेक्टेयर तक भू–स्वामित्व वाले), सीमांत किसानों (एक हेक्टेयर से कम भू–स्वामित्व वाले) एवं महिला किसानों को अनुदान के भुगतान का प्रावधान था। आरक्षित श्रेणियों को अनुदान के भुगतान के लिए कोई शर्त परिभाषित नहीं थी। आगे राज्य बागवानी मिशन ने वार्षिक कार्य योजना के अनुसार यंत्रीकरण के तहत जिलों को लक्ष्य जारी (सितम्बर 2019) किया एवं जिलों को वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार समुदायों को अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने चयनित आठ जिलों में 339 लाभार्थियों के अभिलेखों की नमूना जांच की, जिनमें से 106 सामान्य श्रेणी के लाभार्थी थे एवं खरगोन जिले के पाँच मामलों में देखा कि, उप संचालक ने सामान्य श्रेणी के पुरूष किसानों को अनुदान का भुगतान स्वीकृत किया, जो न तो छोटे किसान एवं न ही सीमांत किसान (स्वामित्व क्षेत्र के अनुसार) थे एवं इस प्रकार अनुदान प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप पाँच अपात्र लाभार्थियों को अनुदान राशि ₹ 3.50 लाख का भुगतान किया गया जैसा कि **तालिका–2.3.4** में वर्णित है:

---

[76] दमोह, डिण्डोरी, मंदसौर एवं सीधी।

[77] रतलाम, खरगोन, देवास एवं ग्वालियर।

तालिका–2.3.4: अपात्र लाभार्थियों का विवरण						
स. क्र.	लाभार्थी का नाम	ग्राम / ब्लाक	कार्यादेश दिनांक (व्हाउचर दिनांक)	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भुगतान की गई अनुदान राशि (₹ में)
1	रामकरन काछी	पिपराता / खरगोन	22.10.19 (27.01.20)	444, 467 / 6, 469 / 1, 445 / 3, 467 / 3	2.432	50,000
2	मोहन	मोगरगन / भगवानपुरा	22.10.19 (02.01.20)	252 / 7, 252 / 9	2.502	75,000
3	कालूराम	शरगांव / कसरावद	22.10.19 (02.01.20)	12, 21 / 3, 75, 385	14.912	75,000
4	अशोक	औघरा / कसरावद	22.10.19 (02.01.20)	207 / 1, 208	3.95	75,000
5	सेवकराम यादव	अवारकच्छ / कसरावद	22.10.19 (02.01.20)	17 / 3	3.237	75,000
योग						**3,50,000**

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि ऑनलाइन पोर्टल पर स्पष्ट निर्देश नहीं डाले गये थे, इस वजह से सामान्य श्रेणी के बड़े किसान ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत हुये और आशय पत्र जारी किया गया। किसानों ने पावर टिलर मशीन भी क्रय की, अतः गलती से भुगतान हुआ।

अपात्र व्यक्तियों को भुगतान की गई अनुदान राशि की वसूली और पोर्टल पर निर्देश डालने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों साथ ही पात्रता को सत्यापित करने के लिये जिम्मेदार जिला / ब्लॉक स्तर के अधिकारियों पर की गई कार्रवाई पर उत्तर मौन है।

2.3.8.3(ख) सांकेतिक लागत के स्थान पर अधिकतम लागत की स्वीकृति के कारण अनुदान का अधिक भुगतान।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के परिचालन दिशा–निर्देशों (अप्रैल 2014) के परिशिष्ट–I में चयनित फल फसलों के प्रति हेक्टेयर रोपण की सांकेतिक लागत (रोपण सामग्री, आदानों एवं सिंचाई की लागत सहित) प्रावधानित है। एक हेक्टेयर भूमि में लगाए जाने वाले पौधों की संख्या के आधार पर, सांकेतिक लागत भिन्न होती है। अमरूद और केला [टिशू कल्चर (टी.सी.)] फसलों के रोपण के लिए सांकेतिक लागत **तालिका–2.3.5** में दी गई है।

तालिका–2.3.5: अमरूद और केला (टी.सी.) की सांकेतिक लागत (राशि ₹ में)						
पौधों के मध्य दूरी (मीटर)	प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या	रोपण सामग्री की लागत	आदानों की लागत	एकीकरण के बिना कुल लागत	एकीकृत लागत ड्रिप आदि सहित	एकीकृत कुल लागत
6.0*6.0 (अमरूद)	278	8,340	30,000	38,340	33,900	72,240
3.0*6.0 (अमरूद)	555	16,650	35,000	51,650	58,400	1,10,050
3.0*3.0 (अमरूद)	1,111	33,330	40,000	73,330	58,400	1,31,730
1.5*3.0 (अमरूद)	2,222	66,660	45,000	1,11,660	58,400	1,70,060
1.0*2.0 (अमरूद)	5,000	1,50,000	50,000	2,00,000	58,400	2,58,400
1.8*1.8 (केला, टी.सी.)	3,086	52,462	50,000	1,02,462	58,400	1,60,862
1.5*1.5 (केला, टी.सी.)	4,444	75,548	60,000	1,35,548	85,400	2,20,948

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा–निर्देश आगे प्रावधान करते है कि, खर्च की गई लागत का 40 प्रतिशत, अमरूद फसल के मामले में अधिकतम ₹ 0.60 लाख (₹ 1.50 लाख का 40 प्रतिशत) प्रति हेक्टेयर एवं केला (टी.सी.) फसल के मामले में ₹ 1.20 लाख (₹ 3.00 लाख का 40 प्रतिशत) प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता स्वीकृत की जायेगी।

कार्यालय उप संचालक, रतलाम में अभिलेखों की जांच में पता चला कि 2020–21 के दौरान, 24 लाभार्थियों ने 555 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से 19.35 हेक्टेयर में अमरूद की फसल लगाई। दिशा निर्देशों में निर्धारित सांकेतिक लागत के स्थान पर अधिकतम लागत को अपनाने के कारण उप संचालक, रतलाम ने पहली किश्त में ₹ 1.53 लाख अधिक अनुदान जारी किया।

खरगोन के मामले में, उप संचालक ने तीन लाभार्थियों को 3.3 हेक्टेयर में 3,086 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से केला (टी.सी.) के पौधरोपन हेतु कार्य आदेश (नवम्बर/दिसम्बर 2020) जारी किये। उप संचालक, खरगोन ने भी सांकेतिक लागत के स्थान पर अधिकतम लागत के आधार पर अनुदान जारी की जिसके परिणामरूवरूप प्रथम किश्त में सहायता राशि ₹ 1.38 लाख का अधिक भुगतान हुआ। विवरण ***परिशिष्ट–2.3.2*** में दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में प्रति हेक्टेयर ₹ 1.50 लाख की इकाई दर पर अनुदान राशि के भुगतान के निर्देश के आधार पर अनुदान राशि का भुगतान किया गया। जिलों ने तदनुसार अनुदान का भुगतान किया एवं इसलिये, कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हितग्राहियों को उनके द्वारा प्रति हेक्टेयर में लगाये गये पौधों की संख्या के आधार पर अनुदान का भुगतान किया जाना था। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा निर्देश प्रति हेक्टेयर लगाये गये पौधों की संख्या के आधार पर सांकेतिक लागत प्रावधानित करते हैं एवं सहायक संचालक/उप संचालक उद्यानिकी को अमरूद के लिये ₹ 1.50 लाख प्रति हेक्टेयर और केला

(टीसी) फसल के लिये ₹ 3.00 लाख प्रति हेक्टेयर की सीमा तक सांकेतिक प्रति इकाई लागत (पौधों की संख्या के आधार पर) अनुदान का भुगतान करना था।

2.3.8.3(ग) किसानों के बैंक खाते के स्थान पर आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों के बैंक खातों में अनुदान राशि का भुगतान

मध्य प्रदेश शासन के आदेश (अप्रैल 2011) सहपठित आदेश (जुलाई 2019) के अनुसार जिला उद्यानिकी कार्यालयों को अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात, मध्य प्रदेश शासन ने दिनांक 11 नवम्बर 2019 को निर्देशों का एक और संग्रह जारी किया, जिसमें जिला उद्यानिकी कार्यालयों को अनुदान राशि किसानों एवं आपूर्तिकर्ताओं दोनों को जारी करने के अधिकार दिये गये।

चयनित आठ जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि पाँच जिलों में सहायक संचालकों/उप संचालकों ने उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनुदान ₹ 9.69 करोड़ किसानों के बैंक खातों (नवम्बर 2019 के शासकीय आदेश से पूर्व) के स्थान पर आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों के बैंक खातों में जमा की। विवरण **तालिका–2.3.6** में दिया गया है।

तालिका–2.3.6: आपूर्तिकर्ताओं के बैंक खाते में अनुदान के भुगतान का विवरण

जिला का नाम	01.04.2018 से 10.11.2019 तक किया गया भुगतान				कुल (₹ लाख में)
	पॉवर टिलर		नेपसेक स्प्रेयर		
	संख्या	राशि (₹ लाख में)	संख्या	राशि (₹ लाख में)	
मंदसौर	280	210.00	188	18.80	228.80
दमोह	–	–	234	23.40	23.40
देवास	292	205.75	671	67.10	272.85
डिण्डोरी	509	330.50	407	40.70	371.20
सीधी	84	63.00	98	9.80	72.80
योग	**1,165**	**809.25**	**1,598**	**159.80**	**969.05**

लाभार्थियों के स्थान पर आपूर्तिकर्ताओं के बैंक खातों में अनुदान की राशि जमा करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

विवरण ***परिशिष्ट–2.3.3*** में दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि किसानों के बैंक खातों में सब्सिडी जमा करने के निर्देशों का उल्लंघन करने पर सहायक संचालक, उद्यानिकी/उप संचालक, उद्यानिकी के विरूद्ध जाँच प्रकियाधीन थी। जांच पूरी होने के बाद, अनुपालन पृथक से प्रस्तुत किया जायेगा।

2.3.8.4 मानदंडों का उल्लंघन करते हुये व्यय

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने शासकीय कार्यक्रमों के तहत गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश (सितम्बर 2010) जारी किए। दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त

कार्यक्रमों के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने से पूर्व, कृषि यंत्र एवं उपकरण नई तकनीक वाले उपकरणों सहित का परीक्षण और प्रमाणन, कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफ.एम.टी.एण्ड टी.आई.)[78] द्वारा किया जाए। आगे, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने कृषि यंत्र एवं उपकरणों की खरीद पर अनुदान जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित (अप्रैल 2011 एवं जुलाई 2019) की थी, जैसा कि **प्रवाह चार्ट–2.3.1** में वर्णित है:

प्रवाह चार्ट–2.3.1: कृषि यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद पर अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

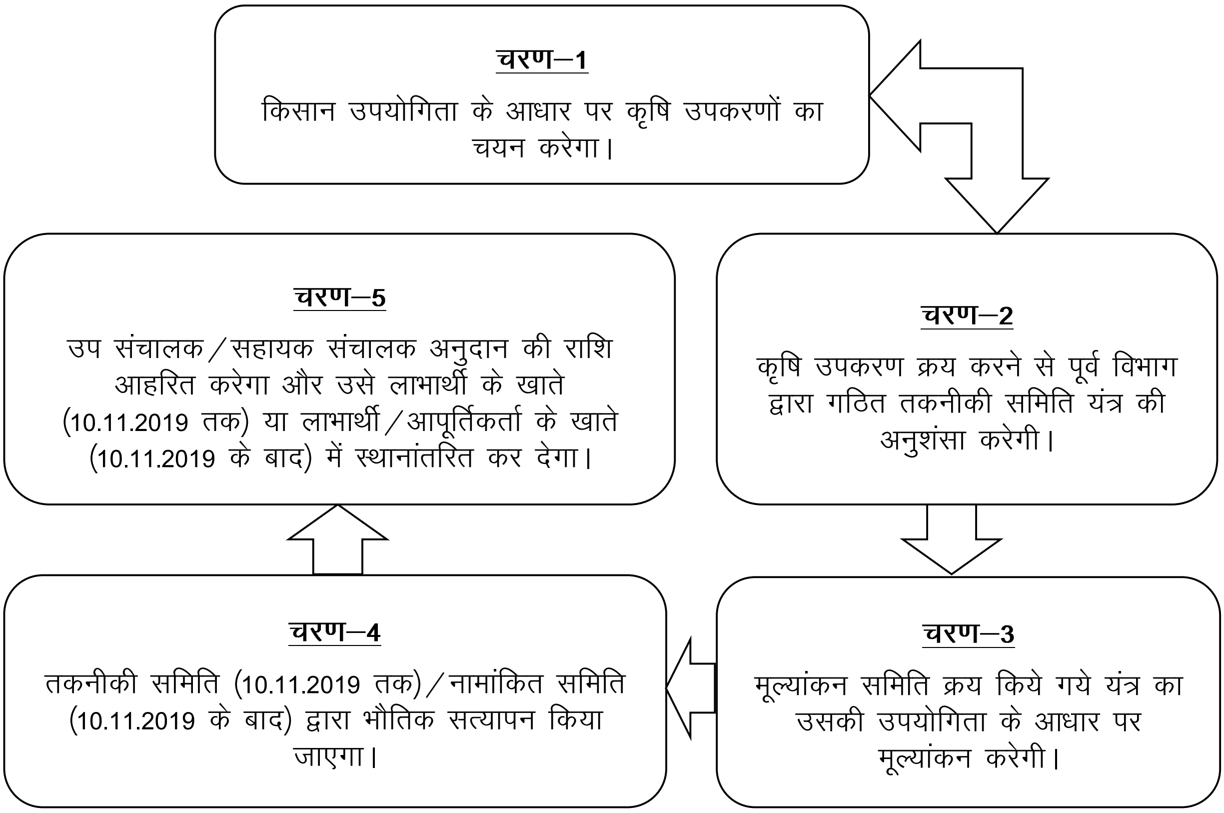

लेखापरीक्षा ने कृषि यंत्रों के क्रय/आपूर्ति में निम्नलिखित विसंगतियां देखी:

2.3.8.4 (क) क्रय किये गए कृषि उपकरणों के परीक्षण/प्रमाणीकरण के बिना व्यय

राज्य बागवानी मिशन ने 2018–19 से 2020–21 के दौरान, राज्य भर में यंत्रीकरण घटक के तहत 11,440 पॉवर टिलर एवं नेपसेक पॉवर स्प्रे उपकरण (लागत ₹ 64.71 करोड़) पर अनुदान दिया। यंत्रीकरण से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि राज्य बागवानी मिशन के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी कि किसानों/लाभार्थियों द्वारा अनुदान योजना के अंतर्गत क्रय किये गये यंत्रों का परीक्षण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान द्वारा किया गया था।

---

[78] (i) ट्रैक्टर का परीक्षण कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाना था।
(ii) हार्वेस्टर का परीक्षण कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हरियाणा द्वारा किया जाना था।
(iii) पॉवर टिलर का परीक्षण कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, आंध्र प्रदेश द्वारा किया जाना था।
(iv) शेष मशीनरी/उपकरणों का परीक्षण असम में तीन कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों द्वारा किया जाना था।

आगे, राज्य बागवानी मिशन ने बागवानी यंत्र/उपकरण की अनुशंसा और सत्यापन के लिए किसी तकनीकी समिति का गठन नहीं किया। इस प्रकार, विभाग हितग्राहियों को परीक्षित एवं प्रमाणित कृषि उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहा।

चयनित आठ जिला कार्यालयों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत अनुदान वाली 2,056 पॉवर टिलर मशीनों (लागत ₹ 28.23 करोड़) में से 339 पॉवर टिलर मशीनों (लागत ₹ 4.66 करोड़) की प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच से परीलक्षित हुआ कि 302 प्रकरणों में (नमूना जाँच किए गए प्रकरणों का 89 प्रतिशत) हितग्राहियों ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पॉवर टिलर के निम्नलिखित ब्राण्ड/मॉडल खरीदेः

- कृषि क्राफ्ट (Craft) मॉडल– के.सी.–आर.टी. – 10 डी.ई.
- किसान क्राफ्ट (Kraft) मॉडल–के.के.–आई.सी. – 207 पी
- के.सी.–पी.डब्ल्यू. – 7 पी.ई.
- के.के.–आई.सी. – 405 डी
- एस.टी.आई.एच.एल. – एम.एच. 710

इन पांच ब्राण्डों/मॉडलों में से केवल दो (एस.टी.आई.एच.एल.–एम.एच. 710 एवं के.सी.–आर.टी.–10 डी.ई.) का कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश एवं कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार, हरियाणा द्वारा परीक्षण किया गया था, जबकि शेष तीन अपरीक्षित थे। कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश द्वारा एस.टी.आई.एच.एल.–एम.एच. 710 मॉडल के परीक्षण प्रतिवेदन में उपकरण में कमियों को इंगित किया और कई सुधारात्मक कार्यवाहियों की अनुशंसा की। इसी प्रकार कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार, हरियाणा द्वारा के.सी.–आर.टी.–10 डी.ई. मॉडल के परीक्षण को प्रतिवेदन में अपूर्ण दर्शाया गया था। आगे, 32 प्रकरणों में पॉवर टिलर मशीनों के ब्राण्ड नाम और मॉडल संख्या एवं चार प्रकरणों में ब्राण्ड नाम का उल्लेख बीजकों में नहीं था। हमने देखा कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत अनुदान वाले 339 पॉवर टिलर मशीनों में से केवल एक (ग्रीव्स जी.एस. 14 डी.आई.एल.) को कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश द्वारा उपयुक्त (फिट) घोषित किया गया था।

इस प्रकार, उपकरणों के सत्यापन एवं किसानों/हितग्राहियों को उपयुक्त कृषि यंत्रों की अनुशंसा हेतु तकनीकी समिति तथा मूल्यांकन समिति का गठन न होने के कारण, किसानों ने अपरीक्षित एवं दोषयुक्त कृषि यंत्र क्रय किये। अतेव, विभाग ने 338 पॉवर टिलर मशीनों पर अनुदान ₹ 2.33 करोड़ व्यय किया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3.4*** में दिया गया है।

आगे, चयनित आठ जिलों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (यंत्रीकरण घटक) के अंतर्गत अनुदान वाले 2,411 पॉवर स्प्रेयर में से 118 नैपसेक पॉवर स्प्रेयर की प्रकरण नस्तियों की जाँच से परिलक्षित हुआ कि 118 प्रकरणों में से किसी प्रकरण के बीजक में मॉडल नंबर का उल्लेख नहीं किया गया था। जिससे, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या नेपसेक पॉवर स्प्रेयर कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान द्वारा परीक्षित थे। विभाग ने 118 नेपसेक पॉवर स्प्रेयर पर अनुदान ₹ 11.80 लाख का व्यय किया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3.5*** में दिया गया है ।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि भविष्य में यंत्रीकरण घटक के अंतर्गत प्रदान किए गए उपकरणों का कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान द्वारा परीक्षण सुनिश्चित करने के बाद ही अनुदान का भुगतान करने का निर्देश जिलों को दिया जा रहा था।

2.3.8.4 (ख) संरक्षित खेती[79] पर अनियमित व्यय

संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्य प्रदेश ने संरक्षित खेती के क्रियान्वयन के संबंध में सभी जिला उद्यानिकी कार्यालयों को निर्देश (जनवरी 2015) जारी किए। निर्देशों में निहित है कि चयनित हितग्राही के संस्थापन स्थल पर आपूर्ति की गई सामग्री का पदांकित दल[80] प्रथम भौतिक सत्यापन करेगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद हितग्राही एवं फर्म संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें, जिसके बाद मूल्यांकन समिति[81] द्वारा द्वितीय भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आगे, जिला उद्यानिकी कार्यालयों को कम से कम 10 प्रतिशत निर्माण कार्य का गुणवत्ता परीक्षण एवं निर्मित संरचना में प्रयुक्त सामग्री के नमूने केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.ई.टी.), भोपाल के माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करना था।

2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान, चयनित आठ जिलों के उप संचालकों/सहायक संचालकों ने संरक्षित खेती के 101 प्रकरण कार्यान्वित किए। 101 प्रकरण में से 55 प्रकरण की संवीक्षा में निम्नलिखित विसंगतियां परिलक्षित हुईः

- पाँच प्रकरणों में, बीजक का दिनांक (सामग्री की आपूर्ति के लिए) कार्यादेश जारी होने से सात से 227 दिन पहले का था। पाँच में से तीन प्रकरणों में, सामग्री की आपूर्ति एवं संरचना का बीमा कार्यादेश जारी होने से सात माह पहले किया गया तथा हितग्राही के अंशदान का फर्मों को भुगतान कार्यादेश जारी होने के एक वर्ष पूर्व किया गया। आगे, उपरोक्त पाँच प्रकरणों में से, चार प्रकरणों में कार्यादेश जारी करने से पहले भौतिक सत्यापन किया गया तथा एक प्रकरण में, प्रथम एवं द्वितीय भौतिक सत्यापन कार्यादेश जारी होने के एक दिन बाद किया गया।
- अन्य 13 प्रकरणों में, प्रथम एवं द्वितीय भौतिक सत्यापन या तो समान दिवस को अथवा एक दिवस के अंतराल में (प्रथम सत्यापन के बाद) किया गया।
- वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान, चयनित आठ जिलों के जिला उद्यानिकी कार्यालयों ने शेड नेट, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, फैन, पैड इत्यादि के निर्माण की गुणवत्ता की जाँच के लिए कोई नमूना केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को नहीं भेजा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पूर्व में स्थापित संरचनाओं पर कार्यादेश जारी किए गए थे एवं तथाकथित भौतिक सत्यापन संदिग्ध था। इस प्रकार, विभाग ने संरक्षित खेती हेतु स्थापना कार्यों के सब्सिडी पर राशि ₹ 2.12 करोड़ का अनियमित व्यय किया एवं वसूली के अलावा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। विवरण ***परिशिष्ट–2.3.6*** में दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि योजना के तहत निर्मित पॉली हाउस के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में भविष्य में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर

---

79 संरक्षित खेती का अर्थ संरक्षित संरचना में बिना मौसम के बागवानी पौधों की उन्नत गुणवत्ता विकसित करना है। फसल की आवश्यकता के अनुसार तापमान, धूप, सापेक्षिक आर्द्रता एवं वायु वेग आदि को नियंत्रित किया जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग एवं प्लास्टिक टनल, एंटीबर्ड/ओला नेट के निर्माण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना था।

80 दल में उप संचालक/सहायक संचालक, उद्यानिकी के सदस्य/सचिव, जिला मिशन समिति के सदस्य, वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी (एस.एच.डी.ओ.), ग्रामीण उद्यानिकी विकास अधिकारी (आर.एच.डी.ओ.) और ग्राम पंचायत सरपंच/प्रतिनिधि शामिल हैं।

81 समिति में संयुक्त संचालक उद्यानिकी, उप संचालक/सहायक संचालक उद्यानिकी के सदस्य, जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञ एवं जिला उद्यानिकी कार्यालय द्वारा नामित कोई भी सदस्य शामिल हैं।

अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के लिए जिलों को निर्देश जारी किए जाएंगे। आगे, सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से 10 प्रतिशत निर्माण/निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के नमूने की जाँच करने एवं नियमानुसार भौतिक सत्यापन करने के निर्देश जारी किए जाऐंगे।

2.3.8.4 (ग) शेडनेट/पॉली हाउस के अंतर्गत संकर सब्जियों/फूलों पर अनियमित व्यय

संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश ने जिला उद्यानिकी कार्यालयों को निर्देश (जनवरी 2015) जारी किए जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह निहित था कि किसान शेड नेट हाउस/पॉली हाउस में संरक्षित खेती के लिए रोपण सामग्री, उर्वरक, खाद, पौध संरक्षण दवा इत्यादि क्रय करेगें। प्रत्येक जिले में सामग्री और पौधारोपण का भौतिक सत्यापन संबंधित उप संचालक/सहायक संचालक, जिला मिशन समिति के सदस्य और विकासखण्ड उद्यानिकी अधिकारी के दल[82] द्वारा किया जाना था। आगे, संरचनाओं एवं उपयोग की गई सामग्रियों के फोटोग्राफ और वीडियो भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना था।

2018–19 से 2020–21 के दौरान, चयनित आठ जिलों में उप संचालकों/सहायक संचालकों ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत संरक्षित खेती योजना के तहत शेड नेट/पॉली हाउस में उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों/फूलों की खेती के 67 प्रकरण कार्यान्वित किए। इन 67 प्रकरणों में से 24 की जांच में विसंगतियाँ परिलक्षित हुई जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया हैः

- दो प्रकरणों में, उप संचालक, रतलाम ने कार्यादेश जारी होने से पूर्व ही भौतिक सत्यापन किया एवं अनुदान ₹ 10.62 लाख जारी किया।
- खरगोन जिले के तीन प्रकरणों में, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में भौतिक सत्यापन के दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया एवं स्थल के फोटोग्राफ भी संलग्न नहीं किए गए। यह भी देखा गया कि किसानों ने उक्त निर्देशों[83] के उल्लंघन करते हुये अपने अंशदान फर्मों को रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) के बजाय नकद में भुगतान किया। उप संचालक, खरगोन ने इन तीन प्रकरणों में अनुदान ₹ 7.00 लाख का भुगतान किया।
- रतलाम एवं खरगोन जिलों में पाँच प्रकरणों में, बीजक की तिथियां कार्यादेश जारी होने की तिथि से पूर्व की पाई गई। इन पाँच प्रकरणों में, उप संचालक ने ₹ 16.92 लाख अनुदान का भुगतान किया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्यादेश जारी करने से पूर्व संबंधित जिलों के उप संचालकों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि पूर्व स्थापित संरचनाओं पर अनुदान का दावा किया जा रहा था अथवा वास्तविक नया कार्य किया गया था। किए गए भौतिक सत्यापन शिथिल थे एवं इच्छित उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते थे। इस प्रकार, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अनुदान राशि ₹ 0.35 करोड़ जारी करना अनियमित था। विवरण ***परिशिष्ट–2.3.7*** में दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि भविष्य में पॉली हाउस/शेड नेट हाउस संरचनाओं में सब्जियों एवं फूलों की खेती के लिए कार्यादेश जारी करने से पूर्व स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

---

[82] दल में उप/सहायक संचालक उद्यानिकी के सदस्य/सचिव, जिला मिशन समिति के सदस्य, वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यानिकी विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सरपंच/प्रतिनिधि शामिल हैं।

[83] संचालनालय द्वारा जारी निर्देश (जनवरी 2015) के अनुसार, हितग्राहियों को उनके अंश का भुगतान फर्मों को रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट प्रणाली से करना था।

2.3.8.4 (घ) रोपण बीज की आपूर्ति के लिए संदिग्ध बीजक

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 31 (1) में प्रावधान है कि, कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति पहले या माल की सुपुर्दगी के समय या प्राप्तकर्ता को उसके उपलब्ध कराते समय माल का विवरण, मात्रा और मूल्य और उस पर लगाए गए कर को दर्शाते हुए एक कर बीजक (टैक्स इन्वाईज) जारी करेगा। आगे, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 46 में प्रावधान है कि धारा 31 में संदर्भित कर बीजक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा जिसमें आपूर्तिकर्ता का नाम, पता, एवं माल और सेवा कर पहचान संख्या (जी.एस.टी.आई.एन.)[84] शामिल होगा।

चयनित आठ जिलों में भुगतान/अनुदान की जाँच से पता चला कि उप संचालक, मंदसौर एवं खरगोन ने शेड नेट में संकर सब्जियों की खेती के लिए छः हितग्राहियों को अनुदान ₹ 8.40 लाख का भुगतान किया। मेसर्स किसान एग्रोटेक, दुर्ग, छत्तीसगढ़ (जिसका माल और सेवा कर पहचान संख्या 22BQTPP4796C1ZE है) द्वारा जारी छः बीजकों कुल राशि ₹ 16.80 लाख के आधार पर हितग्राहियों को अनुदान राशि का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा ने बीजकों की जाँच की एवं देखा कि इन छः बीजकों (छः लाभार्थियों से संबंधित) के प्रकरणों में फर्म का माल और सेवा कर पहचान संख्या 22NJNPP0468G1ZH दर्शाया गया था। माल एवं सेवा कराधान नेटवर्क[85] पोर्टल पर माल और सेवा कर पहचान संख्या के क्रॉस–परीक्षण से पता चला कि दर्शाया गया माल और सेवा कर पहचान संख्या अमान्य था। इस प्रकार, हितग्राहियों द्वारा अनुदान का दावा करने के उद्देश्य से जिला उद्यानिकी कार्यालयों को प्रस्तुत किए गए बीजक नकली थे। नकली बीजकों का विवरण **तालिका–2.3.7** में दिया गया है।

तालिका–2.3.7: नकली बीजकों के आधार पर लाभार्थियों को अनुदान भुगतान दर्शाने वाला विवरण

(₹ में)

क्र. सं.	हितग्राहियों के नाम	फर्म का नाम	बीजक संख्या/दिनांक	देयक राशि	भुगतान किया गया अनुदान
उप संचालक, मंदसौर द्वारा किया गया भुगतान					
1	मदन लाल बलाई	किसान एग्रोटेक	87 /09.12.18	2,80,000	1,40,000
2	अमर सिंह भाटी	किसान एग्रोटेक	305/07.01.19	2,80,000	1,40,000
3	बगदीराम सूर्यवंशी	किसान एग्रोटेक	88 /09.12.18	2,80,000	1,40,000
4	जगदीश बमनिया	किसान एग्रोटेक	313/21.02.19	2,80,000	1,40,000
5	चंपालाल सोलंकी	किसान एग्रोटेक	353/18.03.19	2,80,000	1,40,000
उप संचालक, खरगोन द्वारा किया गया भुगतान					
6	बानसिंह भिलाला	किसान एग्रोटेक	258/18.12.18	2,80,000	1,40,000
योग				**16,80,000**	**8,40,000**

इस प्रकार, उप संचालक, मंदसौर एवं खरगोन जिलों ने जाली माल और सेवा कर पहचान संख्या वाले संदिग्ध बीजकों के आधार पर हितग्राहियों को अनुदान के रूप में ₹ 8.40 लाख जारी किए।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि उप संचालक उद्यानिकी, मंदसौर ने बीजकों के माल और सेवा कर पहचान संख्या का मिलान नहीं

[84] माल और सेवा कर पहचान संख्या को व्यक्ति/फर्म/कम्पनी की पंजीकरण संख्या के रूप में भी निदिष्ट किया जा सकता है।

[85] माल एवं सेवा कराधान नेटवर्क डीलरों से संबंधित उनके माल और सेवा कर पहचान संख्या एवं आवधिक कर रिटर्न सहित सभी सूचनाओं का केन्द्रीय भण्डार है।

किया एवं आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। आगे, उप संचालक उद्यानिकी, खरगोन ने किसान द्वारा प्रस्तुत बीजक के आधार पर सब्सिडी का भुगतान किया।

जाली माल और सेवा कर पहचान संख्या वाले बीजक सामग्री की आपूर्ति पर संदेह उत्पन्न करते हैं। आगे, जाहिर तौर पर विकासखण्ड उद्यानिकी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर अनुदान जारी किया जाना, इंगित करता है कि सत्यापन प्रक्रिया स्वयंमेव संदिग्ध थी।

2.3.8.4 (ङ) नवीन राइपनिंग चेम्बरों की स्थापना में अनियमित भुगतान

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्य बागवानी मिशन को निर्देशित (जुलाई 2015) किया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अतंर्गत स्वीकृत अनुदान की पहली किश्त तकनीकी मानकों के अनुसार सिविल कार्यों के संतोषजनक समापन एवं मशीनरी/उपकरण की स्थापना के संयुक्त निरीक्षण टीम[86] (जे.आई.टी.) का प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद ही जारी की जाएगी। द्वितीय किश्त परियोजना के संतोषजनक पूर्ण हो जाने एवं व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ होने पर द्वितीय संयुक्त निरीक्षण टीम के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जारी की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मिशन संचालक, राज्य बागवानी मिशन ने टीकमगढ़, रतलाम एवं राजगढ़ जिलों में तीन[87] वेण्डरों को तीन नवीन राइपनिंग चेम्बर की स्थापना हेतु आशय पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किए। राज्य बागवानी मिशन के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक प्रकरण में, राज्य बागवानी मिशन ने फरवरी 2019 में आशय पत्र जारी किया था जबकि कार्य पहले ही सितम्बर 2018 में पूर्ण हो चुका था। यद्यपि, राज्य बागवानी मिशन द्वारा की गई जाँच (अक्टूबर 2019) में यह अनियमितता सामने आई थी, फिर भी राज्य बागवानी मिशन ने फर्म को राशि ₹ 19.25 लाख की दूसरी किश्त जारी (दिसम्बर 2019) कर दी। आगे, शेष दो प्रकरणों में राज्य बागवानी मिशन ने मार्च 2018 में आशय पत्र जारी किया जबकि संयुक्त निरीक्षण टीम के प्रतिवेदन के अनुसार कार्य क्रमशः अप्रैल 2017 एवं नवम्बर 2017 में पूर्ण हुये।

इस प्रकार, तीनों प्रकरणों में आशय पत्र जारी करने से पहले ही कार्य पूर्ण किया जा चुका था, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि फर्मों को नई संरचनाओं के लिए नहीं बल्कि पुराने पूर्व–स्थापित संरचनाओं के लिए भुगतान जारी किये गये। यद्यपि, राज्य बागवानी मिशन को तीनों प्रकरणों में इस विसंगति के बारे में पता था, फिर भी विभाग ने फर्मों को भुगतान जारी कर दिये, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 98.37 लाख का अनियमित व्यय हुआ। संबंधित अधिकारियों, जिन्होंने सभी तथ्यों की जानकारी होने के बाबजूद सब्सिडी जारी की जो हितग्राहियों को अनुचित लाभ देने के लिए दिशानिर्देशों/निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन था, की जिम्मेदारी तय करने की कार्यवाही की जा सकती है। प्रकरण वार विवरण ***परिशिष्ट 2.3.8*** में दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि भविष्य में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत स्वीकृत बुनियादी संरचना के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

---

[86] संयुक्त निरीक्षण दल में ऋणदाता बैंक, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य बागवानी मिशन और जिला प्रशासन से सदस्य शामिल होंगे।

[87] राइन इंटरप्राइजेज, टीकमगढ, राज कोल्ड केयर, रतलाम तथा खुशी डेयरी एवं फ्रूट्स, राजगढ़

2.3.9 निगरानी

2.3.9.1 हॉर्टनेट पोर्टल पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डेटा अपलोड न करना

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के परिचालन संबंधी दिशा–निर्देश, 2014 में प्रावधान है कि संबंधित राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति हॉर्टनेट[88] पोर्टल के माध्यम से सक्रिय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) को जमीनी स्तर पर संचालित करेंगे। आगे, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्य बागवानी मिशन को हॉर्टनेट पोर्टल पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) आकड़ों को नियमित तथा समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करने के निर्देश (जून, 2020) दिए। इस प्रक्रिया के पीछे विचार था कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का अखिल भारतीय स्तर पर सही एवं विश्वसनीय डेटा उपलब्ध हो सके।

हॉर्टनेट पोर्टल डेटा की जांच में पता चला कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत प्रदेश का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डेटा हॉर्टनेट पोर्टल पर उपलब्ध नहीं था। पोर्टल पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डेटा अपलोड न करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि तकनीकी समस्या के कारण हॉर्टनेट पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं हो रहा था। आई.टी. अनुभाग इस मुद्दे को हल करने के लिए कार्यवाही कर रहा था। इस संबंध में सूचना भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर भी दी गई।

2.3.9.2 कार्यों की मैपिंग की धीमी प्रगति

एकीकृत बागवानी विकास मिशन के परिचालन संबंधी दिशा–निर्देश 2014 में प्रावधान है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.), सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का व्यापक रूप से फसलोपरान्त प्रबंधन के लिये बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु स्थलों की पहचान, बाजार और उत्पादन पूर्वानुमान सहित योजना तथा निगरानी के लिए उपयोग किया जाना था। इस उद्देश्य के लिये, राज्य बागवानी मिशन ने जियो टैगिंग के माध्यम से कार्य की निगरानी के लिये एक इन्फ्रा मैपिंग पोर्टल[89] विकसित किया। कार्यों की जियो टैगिंग के लिये जिलों को लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदान किये गये हैं।

चयनित आठ जिला कार्यालयों में से सात[90] जिलों के जियो टैगिंग डेटा की जाँच में पता चला कि वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान एक मामलें को छोड़कर जहाँ मंदसौर जिले ने 90 प्रतिशत कार्यों (यंत्रीकरण घटक के अंतर्गत) का मैपिंग किया था, कार्यों की मैपिंग की प्रगति शून्य से 37 प्रतिशत के मध्य रही। विवरण **तालिका–2.3.8** में दर्शाया गया है।

[88] https://hortnet.gov.in

[89] मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (मेप–आईटी) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकसित

[90] खरगोन जिला तकनीकी कारणों से लेखापरीक्षा को डेटा उपलब्ध नहीं करा सका।

तालिका–2.3.8: जियो टैगिंग की स्थिति					
स. क्र.	जिले का नाम	घटक का नाम	प्रगति प्रतिवेदन अनुसार उपलब्धि (वर्ष 2018–21)	कार्य का इन्फ्रा मैपिंग	मैपिंग किये गये कार्यों का प्रतिशत
1	दमोह	यंत्रीकरण	493	26	5.27
		क्षेत्र विस्तार	12	00	00
		फसलोपरान्त प्रबंधन	08	00	00
2	देवास	संरक्षित खेती	26	06	23.07
		यंत्रीकरण	898	01	0.11
		फसलोपरान्त प्रबंधन	04	00	00
		क्षेत्र विस्तार	81	00	00
3	ग्वालियर	संरक्षित खेती	05	02	40
		क्षेत्र विस्तार	1,472	05	0.34
4	मंदसौर	यंत्रीकरण	679	609	89.69
		संरक्षित खेती	37	09	24.32
5	रतलाम	यंत्रीकरण	97	00	00
		क्षेत्र विस्तार	60	00	00
		संरक्षित खेती	52	19	36.54
6	डिन्डोरी	यंत्रीकरण	1,157	02	0.17
		संरक्षित खेती	15	00	00
		क्षेत्र विस्तार (संकर सब्जी)	227	00	00
		फसलोपरान्त प्रबंधन	10	00	00
7	सीधी	यंत्रीकरण	484	37	7.64
		क्षेत्र विस्तार	11	01	9.09
		फसलोपरान्त प्रबंधन	117	23	19.66

लक्ष्यों की तुलना में कार्यों की मैपिंग में कम प्रगति दर्शाता है कि जिला प्राधिकारी कार्यों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करने में विफल रहे, जबकि राज्य बागवानी मिशन जियो–टैगिंग की प्रगति की निगरानी करने में विफल रहा।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि जिलों को कार्यों की 100 प्रतिशत जियो–टैगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाएगा।

2.3.9.3 कार्यों के भौतिक सत्यापन में निगरानी का अभाव

संचालनालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि जिला उद्यानिकी कार्यालयों को लाभार्थियों अथवा फर्मों को भुगतान जारी करने से पूर्व कार्यों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करना था।

कार्यालय उप संचालक, रतलाम में अभिलेखों की जांच में पता चला कि उप संचालक ने संरक्षित खेती के अंतर्गत शेडनेट हाउस (ट्यूबलर संरचना) के निर्माण के लिए कार्य आदेश 31.10.2018 को जारी

किया। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि आपूर्तिकर्ता ने सामग्री का बीजक बनाया एवं शेड नेट हाउस की सामग्री दुर्ग, छत्तीसगढ़ से रतलाम, मध्य प्रदेश भेज दिया तथा बीजक का दिनांक 09.01.2019 दर्शाया गया था। यद्यपि परिवहन का साधन एवं वाहन संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। हमने आगे देखा कि दुर्ग से रतलाम तक माल पहुंचने के बाद, विभाग ने उसी दिन (09.01.2019) नींव के कार्य का प्रथम भौतिक सत्यापन पूर्ण किया। इस प्रकार, परियोजना का भौतिक सत्यापन निर्दिष्ट करता है कि दुर्ग से रतलाम तक 850 किलोमीटर[91] की दूरी एक दिन में तय की गई तथा उसी दिन नींव रखी गई। यह इंगित करता है कि परियोजना के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया संदिग्ध थी। आगे, भौतिक सत्यापन के आधार पर उप संचालक, रतलाम ने हितग्राही को ₹ 14.20 लाख की अनुदान जारी किया।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि शेड नेट संरचना का कार्य पूरा होने के बाद, चयनित निर्माता कम्पनी ने किसान को दिनांक 09.01.2019 को बीजक उपलब्ध कराया। ब्लॉक अधिकारी ने दिनांक 09.01.2019 को सामग्री प्राप्ति के समय प्रथम भौतिक सत्यापन किया।

उत्तर स्वयं विरोधाभासी है क्योंकि यह एक ओर दिनांक 09.01.2019 को निर्माण कार्य पूर्ण करने के बारे में बताता है और दूसरी ओर यह बताता है कि ब्लॉक अधिकारी ने दिनांक 09.01.2019 को सामग्री प्राप्ति का सत्यापन किया। आगे, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में स्थित एक फर्म द्वारा 09.01.2019 को बनाया गया बीजक यह इंगित करता है कि इस तिथि को सामग्री की आपूर्ति दुर्ग, छत्तीसगढ़ से की गई थी।

2.3.9.4 संयुक्त सत्यापन का परिणाम

2.3.9.4 (क) शेड नेट (ट्यूबलर संरचना) का निर्माण

संचालनालय, उद्यान एवं कृषि वानिकी, मध्य प्रदेश शासन ने संरक्षित खेती के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश (जनवरी 2015) जारी किए जिसमें प्रावधान है कि हितग्राही निर्मित संरचना न तो विक्रय कर सकता है एवं न ही किसी को हस्तांतरित कर सकता है तथा स्वयं के लिए इसका उपयोग बनाए रखेगा। आगे, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन (जून 2018) द्वारा अनुमोदित प्रारूप अनुबंध की शर्त के अनुसार, निर्माता फर्म/कंपनियाँ संरचनाओं और शेड नेट/पॉली फिल्म कार्यों के लिए क्रमशः कम से कम दस वर्ष और तीन वर्ष की गारंटी देगी।

वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान, सहायक संचालक, डिंडोरी ने संरक्षित खेती के तहत शेड नेट हाउस के 12 प्रकरणों को क्रियान्वित किया। इन 12 में से पांच प्रकरणों की जाँच तथा पाँच में से तीन प्रकरणों के भौतिक सत्यापन में पता चला कि एक हितग्राही[92] ने नवंबर 2018 में शेड नेट (ट्यूबलर संरचना) के निर्माण के लिए अनुदान हेतु आवेदन किया एवं सहायक संचालक ने कुल लागत ₹ 28.40 लाख का कार्यादेश (नवम्बर 2018) फर्म को जारी किया। हितग्राही ने अपने अंश की राशि ₹ 14.20 लाख का भुगतान फर्म को नवम्बर 2018 में किया जो कुल लागत का 50 प्रतिशत था। सहायक संचालक ने प्रथम भौतिक सत्यापन किया, लेकिन सत्यापन प्रतिवेदन में भौतिक सत्यापन का दिनांक अंकित नहीं था। मार्च 2019 में संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं सहायक संचालक ने

[91] जैसा कि https://maps.google.com से देखा गया है

[92] हरि सिंह मरावी पुत्र कोमल सिंह, जिला डिण्डोरी

द्वितीय भौतिक सत्यापन किया तथा तत्पश्चात सहायक संचालक ने फर्म को ₹ 14.20 लाख का अनुदान राशि जारी की।

लेखापरीक्षा ने कार्यालय जिला उद्यानिकी, डिण्डौरी के अधिकारियों के साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण (30.11.2021) किया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान मौके पर शेड नेट (ट्यूबलर संरचना) नहीं मिला। यद्यपि, प्रयुक्त सामग्री के साथ पहले बने संरचना के अवशेष मौके पर देखे गए।

(संयुक्त सत्यापन के दौरान दिनांक 30.11.2021 को शेडनेट हाउस के निर्माण की स्थिति। स्थल पर जी.आई. पाईप और शेडनेट क्लॉथ जैसे सामग्री देखी जा सकती है।)
(स्थानः डिण्डोरी जिले के धौरई गांव)

इस प्रकार, निर्मित सामग्री जिसके ढांचों के लिए न्यूनतम गांरटी 10 वर्ष तथा शेड नेट के लिए तीन वर्ष थी, तीन वर्ष भी नहीं चल पाई। यह इस तथ्य के कारण था कि जिस प्रयोजन के लिए अनुदान प्रदान की गई, उस सामग्री के उपयोग की निगरानी सहायक संचालक द्वारा नहीं की गई। हितग्राही द्वारा शेड नेट को हटाने के कारण एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जारी किये गये अनुदान का उद्देश्य विफल रहा।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि किसान द्वारा शेड नेट का उपयोग न करने के संबंध में जानकारी सहायक संचालक, डिण्डोरी से एकत्रित की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

2.3.9.5 मानवशक्ति की कमी

योजनाओं के उचित कार्यान्वयन एवं उनकी निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मानवशक्ति महत्वपूर्ण है।

आठ चयनित जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा से सभी पदों पर मानवशक्ति की कमी का पता चला जैसा कि **तालिका–2.3.9** में वर्णित है।

तालिका–2.3.9: लेखापरीक्षित जिलों में स्वीकृत पदों की संख्या एवं कार्यरत कार्मिक

स. क्र.	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद	रिक्ति प्रतिशतता
1	उप संचालक / सहायक संचालक, उद्यानिकी	8	6	2	25.00
2	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	57	17	40	70.18

तालिका–2.3.9: लेखापरीक्षित जिलों में स्वीकृत पदों की संख्या एवं कार्यरत कार्मिक					
स. क्र.	**पद**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत कार्मिक**	**रिक्त पद**	**रिक्ति प्रतिशतता**
3	उद्यान विकास अधिकारी	53	32	21	39.62
4	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	163	123	40	24.54
5	सहायक ग्रेड–1	8	0	8	100.00
6	सहायक ग्रेड–2	3	2	1	33.33
7	लेखापाल	8	6	2	25.00
8	सहायक ग्रेड–3	47	23	24	51.06
9	माली	134	74	60	44.78

[स्रोतः आठ जिलों से एकत्रित की गई जानकारी (जनवरी 2021 की स्थिति में)]

तालिका 2.3.9 से स्पष्ट है कि सभी चयनित जिलों में सभी पदों पर 25 से 100 प्रतिशत तक की कमी के साथ मानवशक्ति की भारी कमी थी।

यह देखा गया कि सहायक संचालक, सीधी जिले ने कर्मचारियों की कमी के कारण हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्याओं का हवाला देते हुए, संचालनालय से हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी अमला तैनात करने का अनुरोध (अप्रैल 2021) किया था। खरगोन जिले में स्वीकृत पदों के विरुद्ध दो अतिरिक्त ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी (आर.एच.ई.ओ.) पदस्थ थे जबकि अन्य जिलों में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की कमी थी।

इस प्रकार, मैदानी अमले की कमी के कारण, सर्वेक्षण कार्य, दस्तावेज सत्यापन, कार्य का भौतिक सत्यापन एवं कार्य की मैपिंग जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ प्रभावित हुईं।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन व्यवसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल के माध्यम से मार्च 2022 में प्रकाशित किया गया।

2.3.9.6 संयुक्त निगरानी समिति द्वारा शीतगृह क्षमता का त्रुटिपूर्ण सत्यापन

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्य मिशन संचालकों को निर्देशित (जुलाई 2015) किया कि परियोजना का मूल्यांकन और इकाई लागत, राष्ट्रीय शीत–श्रृंखला विकास केन्द्र (एन.सी.सी.डी.) द्वारा तैयार किए गए दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट डिजाईन और कार्यप्रणाली के आधार पर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शीत–श्रृंखला विकास केन्द्र के दिशा–निर्देशों के अनुसार, बनाए गए तापमान नियंत्रित 3.4 घन मीटर (क्यू.एम.) भण्डारण स्थान, चाहे कितना भी उत्पाद संग्रहीत हो, एक मीट्रिक टन (एम.टी.) भण्डारण क्षमता के बराबर होगा।

राज्य बागवानी मिशन के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मिशन संचालक ने मैसर्स केरव कोल्ड स्टोरेज, इंदौर को कुल ₹ 4.99 करोड़ की लागत से 3,248 मीट्रिक टन क्षमता वाले नए शीतगृह (टाईप–2) इकाई की स्थापना के लिए ₹ 1.75 करोड़ (35 प्रतिशत) की राशि जारी करने की स्वीकृति दी। राज्य बागवानी मिशन ने तदनुसार (नवम्बर 2017, अक्टूबर 2018 एवं दिसम्बर 2018) हितग्राही

को ₹ 1.75 करोड़ का अनुदान जारी किया। हमने देखा कि संयुक्त निगरानी समिति[93] (जे.एम.सी.) ने शीतगृह संयंत्र का निरीक्षण (जुलाई 2018) किया था। संयुक्त निगरानी समिति ने अपने प्रतिवदेन में कुल शीतगृह क्षमता 3,248 मीट्रिक टन की पुष्टि की और आठ शीतगृह कक्षों के आयाम (मीटर में) दिये।

लेखापरीक्षा ने संयुक्त निगरानी समिति की रिपोर्ट में दिए गए आयामों को लेकर कुल भण्डारण क्षमता की गणना की जिसमें पता चला कि इन आठ शीतगृह कक्षों की कुल भण्डारण क्षमता 2,509.16 मीट्रिक टन थी जैसा कि **तालिका 2.3.10** में दर्शाया गया है

तालिका–2.3.10: जे.एम.सी. द्वारा प्रतिवेदित एवं वास्तविक कुल भण्डारण क्षमता को दर्शाता विवरण

शीतगृह कक्ष क्रमांक	आयाम लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई (मीटर में)	आयतन (घन मीटर)	कुल आयतन (घन मीटर)	वास्तविक क्षमता मीट्रिक टन में (एन.सी.सी.डी. के दिशा–निर्देशों के अनुसार)	संयुक्त निगरानी समिति के अनुसार क्षमता मीट्रिक टन में	अधिक क्षमता (मीट्रिक टन में)
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)=(डी)/3.4	(एफ)	(जी)=(एफ)–(ई)
1	6.55 X 16.34 X 15.50	1,658.92	8,531.16	2,509.16	3,248.00	738.84
2	16.55 X 13.42 X 15.50	3,442.57				
3–6	4 X (5.32X13.15X10)	2,798.32				
7–8	2 X (3.45 X 9.15 X10)	631.35				

इस प्रकार संयुक्त निगरानी समिति ने शीतगृह क्षमता का त्रुटिपूर्ण सत्यापन किया।

अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2022) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद शीतगृह का भौतिक सत्यापन पुनः किया गया एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार शीतगृह की क्षमता सही पाई गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद किए गए भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में शीतगृह कक्षों के आयामों में वृद्धि की गई। यह इंगित करता है कि या तो पहला भौतिक सत्यापन या लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद किया गया भौतिक सत्यापन त्रुटिपूर्ण था।

2.3.10 निष्कर्ष

अनुपालन लेखापरीक्षा ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के क्रियान्वयन में कई कमियों को उजागर किया। राज्य बागवानी मिशन, बागवानी के समग्र विकास के लिये परिप्रेक्ष्य/रणनीतिक योजना तैयार करने में विफल रहा। बेसलाईन सर्वे एवं व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना वार्षिक कार्ययोजनाऐं तैयार की गई। राज्य बागवानी मिशन का वित्तीय प्रबंधन भी दोषपूर्ण था क्योंकि 2018–19 से 2020–21 के दौरान जारी की गई राशि के विरूद्ध, राज्य बागवानी मिशन केवल 68 प्रतिशत राशि का उपयोग कर सका। आगे, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, बिना सामग्री प्राप्त किए एम.पी. एग्रो को अग्रिम भुगतान किया गया।

[93] संयुक्त संचालक उद्यानिकी, इंदौर; उप संचालक उद्यानिकी, इंदौर; उप–संभागीय अधिकारी, सांवेर, इंदौर; एवं परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक के प्रतिनिधि

2018–21 के दौरान क्षेत्र विस्तार, फसलोपरांत प्रबंधन, संरक्षित खेती, बागवानी यंत्रीकरण इत्यादि जैसे कई घटकों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य भर में वर्ष दर वर्ष एकीकृत बागवानी विकास मिशन के व्यापक लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। क्रियान्वयन में कमी वार्षिक कार्य योजनाओं को समय पर स्वीकृत करने एवं कार्यान्वयन के लिए जिलों को सूचित करने में राज्य बागवानी मिशन की विफलता के कारण थी।

चयनित जिलों में अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि सहायक संचालक/उप संचालक ने अपात्र लाभार्थियों को अथवा फर्जी माल और सेवा कर पहचान संख्या वाले बीजकों के आधार पर अनुदान का भुगतान किया। आगे, हमने मौजूदा आदेशों/अनुदेशों के उल्लंघन कर क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, बागवानी यंत्रीकरण, फसलोपरान्त प्रबंधन आदि घटकों पर अनियमित व्यय/अनुदान का अधिक भुगतान देखा।

अमले की कमी के साथ–साथ उचित निगरानी के अभाव में कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं जियो–टैगिंग उचित रूप से नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, पूर्व–स्थापित संरचनाओं के लिए कार्यादेश जारी किए गए थे और किए गए भौतिक सत्यापन संदिग्ध प्रतीत हुए।

2.3.11 अनुशंसाएं

- *विभाग को राज्य में उद्यानिकी के समग्र विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए। विभिन्न जिलों में उद्यानिकी उत्पादन की क्षमता और माँग का आकलन/निर्धारण करने के लिए बेसलाइन सर्वे और व्यवहार्यता अध्ययन अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए जिससे व्यवहार्य वार्षिक कार्य योजना तैयार की जा सके।*

- *विभाग को अपात्र लाभार्थियों को भुगतान से बचने के लिए जानकारी को उचित प्रकार से सत्यापित करना/जाँचना चाहिए।*

- *विभाग को जिला अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए कि बीजकों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए जारीकर्ता संस्थानों/आपूर्तिकर्ताओं से बीजकों को क्रॉस सत्यापित किया जाए, तथा संदिग्ध बीजकों के माध्यम से सामग्री की आपूर्ति के सत्यापन में सम्मिलित जिम्मेदार अधिकारियों/व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करें।*

- *विभाग को कार्यों/परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन के संबंध में शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए जिससे अनुदान जारी करने से पूर्व पूर्ण किए गए कार्यों/परियोजनाओं की यथार्थता सुनिश्चित की जा सके। आगे, विभाग को ऐसे प्रकरणों में जहां विभाग द्वारा कार्यादेश/आशय पत्र जारी करने से पूर्व कार्य पूर्ण किये गये, में अनुदान जारी करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।*

- *सूचना संचार प्रौद्योगिकी, सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, एवं जियो–टैगिंग का निगरानी के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।*

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

2.4 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत ''प्रति बूंद अधिक फसल'' पर लेखापरीक्षा

2.4.1 परिचय

केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के चार घटकों[94] में से एक घटक "प्रति बूंद अधिक फसल" (पी.डी.एम.सी.) खेत स्तर पर जल उपयोग की दक्षता उचित तकनीकी हस्तक्षेपों जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के उपयोग को बढ़ावा देकर कृषकों को जल बचत एवं संरक्षण प्रौद्योगिकी हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई (जुलाई 2015)। प्रति बूंद अधिक फसल की मुख्य गतिविधियों में सूक्ष्म सिंचाई (एम.आई.) जिसमें ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई तथा पूरक जल प्रबन्धन गतिविधियाँ/अन्य घटक (ओ.आई.) सम्मिलित है। पूरक जल प्रबन्धन गतिविधियाँ/अन्य घटक में खेत स्तर की द्वितीयक भंडारण संरचना[95] शामिल है।

प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक 96,116 कृषक लाभान्वित हुए एवं राज्य द्वारा निर्धारित 6.17 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 2.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया।

मध्य प्रदेश में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग योजना क्रियान्वयन के विभाग हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए राज्य में नोडल विभाग है।

संगठनात्मक ढ़ाँचा ***परिशिष्ट 2.4.1*** में है।

2.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई कि क्या योजना का क्रियान्वयन निर्धारित दिशा–निर्देशों/आदेशों/परिपत्रों के अनुसार प्रभावी ढंग से किया गया था। लेखापरीक्षा मानदंड भारत सरकार के दिशा–निर्देश (अक्टूबर 2015 में जारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना), प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई (अप्रैल 2017) तथा प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक (2019–20) के लिए परिचालन दिशा–निर्देश तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी आदेश एवं परिपत्र, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता एवं सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) से लिए गये।

हमने अवधि माह अप्रैल 2016 से माह मार्च 2020 (2016–17 से 2019–20) तक के अभिलेखों की जांच प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग; प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग; संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी; संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास; संचालनालय, कृषि यांत्रिकी के कार्यालयों तथा अन्य क्रियान्वयन संस्थाओं में जैसे पांच विभिन्न संभागों से अधिकतम प्रकरण संख्या एवं प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक के अंतर्गत जारी निधि के आधार पर चयन किये गये पांच जिलों[96] के उप संचालक कृषि, उप संचालक/सहायक संचालक उद्यानिकी के कार्यालयों में अगस्त 2020 से जनवरी 2021 के दौरान की गई। लेखापरीक्षा हेतु चयन किये गये

---

[94] (i) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, (ii) हर खेत को पानी, (iii) प्रति बूंद अधिक फसल और (iv) वाटरशेड विकास

[95] व्यक्तिगत या सामुदायिक जल भंडारण, सूखा रोधी संरचनाएं जैसे जल संचयन या पुनर्भरण या भूजल विकास, मौजूदा जल निकायों का नवीनीकरण, जल परिवहन क्षमता में वृद्धि और जल उठाने वाले उपकरण।

[96] भोपाल, दमोह, धार, रतलाम एवं ग्वालियर।

पाँच जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अभिलेखों की नमूना जाँच भी प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक के क्रियान्वयन हेतु की गई।

अपनायी गयी लेखापरीक्षा प्रणाली में अभिलेखों की समीक्षा एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टीप जारी करना था। हमने चयनित जिलों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर आदि) के 10 प्रतिशत प्रकरणों (अधिकतम 350 प्रकरणों) का विश्लेषण, पोर्टल से प्रकरण के चयन क्रम संख्या–1 एवं प्रत्येक अगला 10वां प्रकरण (यथा पहला, 11वां, 21वां एवं इसी प्रकार) के आधार पर भी किया है।

लेखापरीक्षा उददेश्य, मानदण्ड, क्षेत्र एवं प्रणाली की चर्चा विभाग के साथ दिनांक 21 दिसम्बर 2020 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में की गई। अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के साथ दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। विभाग के उत्तर को प्रतिवेदन में यथा स्थान सम्मिलित किया गया है।

2.4.3 क्रियान्वयन तंत्र

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, योजना का क्रियान्वयन प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी.बी.टी) के माध्यम से किया जाता है। तद्नुसार, राज्य में प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई के क्रियान्वयन हेतु ''मध्यप्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम (एम.पी.एफ.एस.टी.एस)'' एवं ''ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल'' क्रमशः उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित किये जाते है। प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई का क्रियान्वयन पोर्टल पर हितग्राहियों के आधार आंकड़ों का उपयोग कर पंजीयन करने से प्रारंभ होता है। तत्पश्चात, खण्ड स्तरीय अधिकारी कृषकों की पात्रता की जांच करता है और प्रकरण को जिला स्तरीय अधिकारी यथा उप संचालक कृषि (डी.डी.ए)/सहायक संचालक उद्यानिकी (ए.डी.एच.)/उप संचालक उद्यानिकी (डी.डी.एच.) के अनुमोदन हेतु अग्रेषित करता है। जिला स्तरीय अधिकारी से अनुमोदन के पश्चात हितग्राही को अपना अंश[97] अथवा संयंत्र की संपूर्ण लागत जमा करनी होती है। तत्पश्चात, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र के प्रतिष्ठापन हेतु प्रकरण नोडल एजेन्सी[98] को स्थानान्तरित होता है। नोडल एजेन्सी हितग्राही के खेत में 45 दिवस के भीतर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र को स्थापित करेगा तथा स्थापित सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र के भौतिक सत्यापन के पश्चात वित्तीय सहायता/सब्सिडी सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) निर्माता कंपनी/फर्म को अथवा हितग्राही को (हितग्राही द्वारा संपूर्ण लागत जमा किये जाने के मामलों में)/एम.पी एग्रो (उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के प्रकरण में) को कोषालय के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी।

2.4.4 कार्यक्रम प्रबंधन

2.4.4.1 दिशानिर्देशों के अनुसार जिला सिंचाई योजना तैयार न किया जाना

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार जिला सिंचाई योजना 5 से 7 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की जानी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रारंभ होने से तीन माह के भीतर जिला सिंचाई योजना को अंतिम रूप देना था। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने जिलों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति[99] (एस.एल.एस.सी.) से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जिला सिंचाई योजनाओं को

---

[97] लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषकों के मामले में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत का 45 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के कृषकों के मामले में 55 प्रतिशत।

[98] उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मामले में एम.पी. एग्रो और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के मामले में स्थानीय विक्रेता

[99] योजना की निगरानी एवं कार्यान्वयन की समीक्षा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक का अन्य विभागों की योजना से समन्वय आदि के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित।

संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी किया (जनवरी 2016)। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के आदेश (अगस्त 2016) के अनुसार प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक वर्षा सिंचित क्षेत्र में जल के प्रभावी उपयोग तथा सूक्ष्म जल भण्डारण गतिविधियों के निर्माण हेतु पूरक घटक के रूप में क्रियान्वित की जाती है।

हमने देखा कि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने प्रधानमंत्री कृषि योजना के प्रारंभ होने के 17 माह से 22 माह पश्चात समस्त जिलों की जिला सिंचाई योजनाओं को अनुमोदित (दिसम्बर 2016 एवं मई 2017) किया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के संदर्भ में चयनित जिलों की जिला सिंचाई योजनाओं की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि किसी भी जिले के ब्लॉक में (भोपाल जिले के अतिरिक्त) वर्षा सिचित क्षेत्र के अनुसार प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक के अन्तर्गत अनुपातिक लागत के कार्य/गतिविधियां प्रस्तावित नहीं किये गये थे। हमने देखा कि जिले में प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक के अंतर्गत कार्यों/गतिविधियों पर प्रावधानित कुल व्यय में से उच्च वर्षा सिंचित क्षेत्र वाले ब्लॉकों में कार्यों/गतिविधियों पर व्यय का प्रावधान कम किया गया था।

तलिका–2.4.1: प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक के अंतर्गत ब्लॉक में प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों पर व्यय का प्रावधान

(₹ करोड़ में एवं क्षेत्र हेक्टेयर में)

ब्लॉक/जिलों का नाम	ब्लॉक मे वर्षा सिंचित क्षेत्र	जिले में वर्षा सिंचित क्षेत्र	ब्लॉक में वर्षा सिंचित क्षेत्र का जिले में वर्षा सिंचित क्षेत्र पर प्रतिशत	जिले में प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों पर कुल प्रावधान	ब्लॉक के प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों पर व्यय का प्रावधान	ब्लॉक के प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों का जिले के प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों पर प्रतिशत
पथरिया/दमोह	39,295	2,10,952	19	1,329.42	156.00	12
दमोह/दमोह	45,453	2,10,952	22	1,329.42	226.94	17
बदनावर/धार	84,699	4,68,252	18	1,436.33	162.71	11
डबरा/ग्वालियर	23,304	86,359	27	163.64	27.05	17
मुरार/ग्वालियर	33,125	86,359	38	163.64	43.77	27
रतलाम/रतलाम	34,842	1,40,082	25	1,159.55	173.77	15
अलोट/रतलाम	30,727	1,40,082	22	1,159.55	109.14	09
जावरा/रतलाम	28,283	1,40,082	20	1,159.55	70.43	06

नमूना जांच किये गये जिलों के उप संचालक, कृषि ने बताया (जनवरी 2021) कि संबंधित विभागों के प्रस्तावों एवं कृषकों की मांग अनुसार जिला सिंचाई योजना तैयार की गयी थी।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि भारत सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम दिशा–निर्देश के अनुसार जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति[100] के निर्देशन में जिला सिंचाई योजना तैयार की गयी थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच किये गये जिलों के ब्लॉकों में प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक के अंतर्गत कार्यों/गतिविधियों पर व्यय का प्रावधान वर्षा सिंचित क्षेत्र के अनुपात में नहीं किया गया था।

[100] जिला स्तर पर योजना की निगरानी एवं कार्यान्वयन की समीक्षा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक का अन्य विभागों की योजना से समन्वय आदि के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित।

चयनित जिलों के कलेक्टर, जो कि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष थे, जिला सिंचाई योजनाओं में प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक अन्तर्गत प्रस्तावित/सम्मिलित किए गए कार्य/गतिविधियों की निगरानी करने के कर्तव्य में विफल रहे हैं। संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास भी एस.एल.एस.सी. बैठक में रखने से पहले जिला सिंचाई योजनाओं की जांच करने में विफल रहा।

2.4.4.2 सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी के अन्तर्गत क्षेत्र कवरेज में कमी

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्यों को वार्षिक आवंटन की 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में तथा शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र[101] प्रस्तुत किये जाने पर द्वितीय एवं अंतिम किस्त के रूप में जारी की जाती है। भारत सरकार द्वारा जारी निधि आवंटन आदेशों के अनुसार भारत सरकार के आवंटन एवं तत्संबंधी राज्यांश के आधार पर राज्य प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा।

हमने देखा कि प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक राज्य को भारत सरकार का संभावित आवंटन ₹ 810 करोड़ था। भारत सरकार के आवंटन के आधार पर राज्य ने सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी के अंतर्गत उक्त अवधि में 6.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार[102] की गई।

हमने जबकि, पाया कि वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के दौरान जिलों को भौतिक लक्ष्य समय पर आवंटित नहीं किये गये जैसा कि निम्न **तालिका 2.4.2** में वर्णित है:–

तालिका-2.4.2: जिलों को लक्ष्य एवं निधि आवंटन में लिया गया समय

वर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी की गयी निधि का दिनांक	प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवरेज हेतु जिलों को आवंटित भौतिक लक्ष्य एवं निधि का दिनांक	जिलों को लक्ष्य एवं निधि आवंटन में लिया गया समय
2016–17	25.05.2016 (₹ 84 करोड़)	01.08.2016	68 दिन
2017–18	14.06.2017 (₹ 150 करोड़)	31.12.2017	182 दिन
2018–19	07.06.2018 (₹ 91 करोड़) 27.03.2019 (₹ 32.56 करोड़)	22.09.2018 05.10.2018	120 दिन 107 दिन
2019–20	25.09.2019 (₹ 102 करोड़)	04.03.2020 30.05.2020	161 दिन 248 दिन

तालिका 2.4.2 से स्पष्ट है कि आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त जारी किये जाने के दिनांक से 68 से 248 दिन लेकर जिलों को लक्ष्य एवं निधि आवंटित किया। जिलों को निधि एवं भौतिक लक्ष्य विलंब से आवंटित होने के कारण:–

[101] पिछले वर्ष जारी की गयी निधि से 90 प्रतिशत से अधिक और चालू वर्ष के कम से कम 50 प्रतिशत व्यय के लिए।

[102] ड्रिप संयंत्र की लागत ₹ 0.76 लाख से 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा स्प्रिंकलर संयंत्र की लागत ₹ 0.16 लाख से एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया।

- जिले निधि का उपयोग समय पर करने में विफल रहे, परिणामस्वप 65 प्रतिशत लक्षित क्षेत्र कवर नहीं हुआ तथा उक्त अवधि में प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य 6.17 लाख हेक्टेअर के विरुद्ध मात्र 35 प्रतिशत (2.19 लाख[103] हेक्टेयर) क्षेत्र कवर किया जा सका।

- भारत सरकार की द्वितीय किश्त प्राप्त करने से राज्य वंचित रहा तथा वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान संभावित आवंटन राशि ₹ 810 करोड़ के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त की राशि ₹ 459.56 करोड़ ही राज्य को जारी की गयी। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा वार्षिक आवंटन के विरूद्ध जारी की जाने वाली द्वितीय किश्त की राशि ₹ 324.00 करोड़ (₹ 810.00 करोड़ का 40 प्रतिशत) इस कारण से जारी नहीं की गयी क्योंकि विभाग दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के दौरान भारत सरकार की प्रथम किश्त का उपयोग करने में विफल रहा है।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2020) कि जिलों को विलंब से लक्ष्य जारी करने एवं कोषागार निकासी पर प्रतिबंध लागू होने के कारण भारत सरकार की निधि का उपयोग नहीं हुआ था।

विभाग द्वारा बताया गया विलंब का कारण मान्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी (मई 2018) परिपत्र के अनुसार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

2.4.5 वित्तीय प्रबंधन

2.4.5.1 अनुचित निधि आवंटन एवं व्यय

राज्य सरकार के आदेश (जून 2015) के अनुसार किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा भारत सरकार की निधि का उपयोग क्रमशः 25 एवं 75 के अनुपात में राज्यांश हेतु पृथक–पृथक बजट प्रावधान कर किया जाना था तथा जिलों के उप संचालक, कृषि एवं उप संचालक उद्यान को निधि (वर्गवार[104]) आवंटित की जानी थी। तदनुसार, उप संचालक, कृषि एवं उप संचालक उद्यान को संबंधित श्रेणी हेतु आवंटित निधि से ही केवल व्यय करना था।

हमने देखा कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उक्त आदेशों का उल्लंघन कर 79 से 90 प्रतिशत निधि चयनित जिलों के उप संचालक, उद्यान को आवंटित किया गया। इसके अतिरिक्त चयनित जिलों के उप संचालक, कृषि द्वारा वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 के दौरान 37 से 61 प्रतिशत के मध्य व्यय किया था। नमूना जांच किये गये जिलों में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के दौरान प्रतिबूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत निधि आवंटन एवं व्यय का विवरण **तालिका 2.4.3** में दिया गया है।

[103] वर्ष 2016–17 में वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित 0.71 लाख हेक्टेयर में से 0.61 लाख हेक्टेयर, वर्ष 2017–18 में वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित 1.03 लाख हेक्टेयर में से 0.51 लाख हेक्टेयर, वर्ष 2018–19 में वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित 2.87 लाख हेक्टेयर में से 0.62 लाख हेक्टेयर एवं वर्ष 2019–20 में वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित 1.56 लाख हेक्टेयर में से 0.45 लाख हेक्टेयर

[104] वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सामान्य वर्ग की आबादी के लिए 63 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की आबादी के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए 21 प्रतिशत।

तालिका-2.4.3: वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत निधि आवंटन एवं व्यय (₹ करोड़ में)					
वर्ष	कुल आवंटित निधि	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा सहायक संचालक, उद्यान/उप संचालक, उद्यान को आवंटित निधि		किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा उप संचालक, कृषि को आवंटित निधि	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2016–17	46.79	41.77(89)	41.73(100)	5.02(11)	4.61(92)
2017–18	51.92	46.53(90)	46.12(99)	5.39(10)	3.08(57)
2018–19	27.89	22.11(79)	17.37(79)	5.78(21)	3.54(61)
2019–20	33.59	26.42(79)	20.89(79)	7.17(21)	2.68(37)
कुल	**160.19**	**136.83(85)**	**126.11(92)**	**23.36(15)**	**13.91(60)**

(डाटा स्रोतः संचालनालय किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी)

हमने यह भी देखा कि भोपाल और धार जिले के सहायक संचालक, उद्यानिकी/उप संचालक कृषि ने वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के दौरान सामान्य वर्ग के लिए आवंटित निधि से चार अनुसूचित जाति एवं 50 अनुसूचित जनजाति के हितग्राही को, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आवंटित निधि से 10 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को, तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आवंटित निधि से दो सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को संबंधित वर्ग में पर्याप्त निधि (अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत ₹ 31.28 लाख, अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत ₹ 14.52 लाख तथा सामान्य वर्ग के अंतर्गत ₹ 2.38 लाख) की उपलब्धता के बावजूद वित्तीय सहायता जारी करने में ₹ 20.00 लाख[105] व्यय किया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और उत्तर दिया (मार्च 2022) कि वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। तथापि, विभाग ने निधियों के अनुचित आवंटन पर कोई टिप्पणी नहीं की।

2.4.5.2 प्रशासनिक मद से एम.पी. एग्रो को अनियमित भुगतान

राज्य स्तरीय सस्टनेबल एग्रीकल्चर मिशन समिति (एस.एल.एस.ए.एम.सी)[106] ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की निर्माता कंपनियों की जमा पंजीकरण शुल्क राशि से एम.पी.एग्रो को योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन के लिए भुगतान (योजना के कुल व्यय राशि का एक प्रतिशत) करने का निर्णय (अगस्त 2015) लिया। यदि जमा पंजीकरण शुल्क की राशि अपर्याप्त रहती है तो शेष राशि का भुगतान योजना के प्रशासनिक मद से किया जायेगा। एस.एल.एस.ए.एम.सी के उक्त निर्णय के क्रम में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने एम.पी. एग्रो को प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु योजना व्यय के एक प्रतिशत का भुगतान करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त को प्राधिकृत (मई 2018) किया।

हमने देखा कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 659.50 करोड़ व्यय किया। तद्नुसार, योजना के कुल व्यय राशि का एक प्रतिशत राशि ₹ 6.59 करोड़ उक्त अवधि में एम.पी.एग्रो को देय थी।

105 सहायक संचालक, उद्यानिकी भोपाल द्वारा ₹ 2.83 लाख, उप संचालक कृषि धार द्वारा ₹ 17.17 लाख।

106 राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से पहले राष्ट्रीय सस्टेनेबल कृषि मिशन की निगरानी एवं कार्यान्वयन की समीक्षा के लिये राज्य स्तरीय सस्टनेबल एग्रीकल्चर मिशन समिति (एस.एल.एस.ए.एम.सी.) अस्तित्व में था।

हमने आगे देखा कि विभाग के पास एम.पी. एग्रो को भुगतान करने के लिए पंजीकरण शुल्क की राशि ₹ 5.18 करोड 31 मार्च 2020 की स्थिति में उपलब्ध थी। इसके बावजूद, आयुक्त उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने योजना के प्रशासनिक व्यय से एम.पी एग्रो को भुगतान करने हेतु ₹ 4.76 करोड[107] के स्वीकृति आदेश जारी किया जिसमें से आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने मात्र राशि ₹ 0.59 करोड़ के भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त किया था।

उप संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2020) कि एम.पी. एग्रो को पंजीकरण शुल्क की जमा राशि से भुगतान किया जायेगा। तथापि, विभाग ने उत्तर (मार्च 2022) दिया कि पंजीकरण शुल्क की जमा राशि अपर्याप्त होने के कारण प्रशासनिक मद से एम.पी.एग्रो को भुगतान किया गया था।

विभाग द्वारा मार्च 2022 में प्रस्तुत किया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के पास एम.पी.एग्रो को भुगतान करने के लिए पर्याप्त शेष राशि[108] उपलब्ध थी।

इस प्रकार, आयुक्त उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने पर्याप्त पंजीकरण शुल्क राशि की उपलब्धता के बावजूद योजना के प्रशासनिक मद से एम.पी एग्रो को भुगतान करने का स्वीकृति आदेश जारी कर राज्य स्तरीय सस्टनेबल एग्रीकल्चर मिशन समिति/राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के निर्णयों का उल्लंघन किया है।

2.4.5.3 प्रशासनिक व्यय मद से गैर अनुमत्य व्यय

भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार प्रशासनिक व्यय विभिन्न प्रकार के आवर्ती व्यय को करने हेतु अनुमत्य है। स्थायी रोजगार का सृजन एवं वाहन क्रय प्रशासनिक मद से प्रतिबंधित है। संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के आदेश (मार्च 2016) के अनुसार जिले के सहायक संचालक/ उप संचालक उद्यानिकी कुल आवंटित राशि की 1 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के रूप में व्यय कर सकते है।

संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा चार जिलों (भोपाल, दमोह, धार और रतलाम) के सहायक संचालक/उप संचालक उद्यानिकी के अभिलेखों की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि उनके द्वारा प्रशासनिक व्यय मद से क्रमशः किये गये व्यय ₹ 84.65 लाख (कुल व्यय ₹ 7.21 करोड में से) एवं ₹ 6.19 लाख (कुल व्यय ₹ 23.07 करोड में से) गैर अनुमत्य[109] एवं पूर्वोक्त प्रावधानों के विपरीत थे।

उप संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2020) कि संबंधित मद में निधि की अनुपलब्धता के कारण प्रशासनिक मद से व्यय किया गया था। तथापि विभाग

---

107 वर्ष 2016–17 में ₹ 2 करोड़, वर्ष 2018–19 में ₹ 2.17 करोड़, वर्ष 2019–20 में ₹ 0.59 करोड़।

108 वर्ष 2016–17 में ₹ 4.37 करोड़, वर्ष 2017–18 में ₹ 4.64 करोड़, वर्ष 2018–19 में ₹ 4.90 करोड़ एवं वर्ष 2019–20 में ₹ 5.18 करोड़।

109 संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने मार्च 2018 एवं नवम्बर 2019 के मध्य ₹ 84.65 लाख व्यय किया (ट्रेक्टर खरीद पर ₹ 19.08 लाख, हवाई किराये के भुगतान पर ₹ 0.57 लाख, परियोजना के लिए विभागीय अंश के रूप ₹ 65.00 लाख मंडी बोर्ड को हस्तांतरित)। उप संचालक कृषि, सहायक/उप संचालक उद्यान ने जुलाई 2017 एवं अगस्त 2019 के मध्य ₹ 6.19 लाख व्यय किये (सहायक संचालक उद्यान भोपाल ने फर्नीचर की खरीद पर ₹ 1.19 लाख, बायोमीट्रीक मशीन की स्थापना पर ₹ 0.16 लाख, सहायक संचालक उद्यान दमोह ने जल आर. ओ. खरीद पर ₹ 0.19 लाख, 26 जनवरी की झलक पर ₹ 0.20 लाख और मरम्मत कार्यों पर ₹ 0.42 लाख उप संचालक उद्यान, धार ने 26 जनवरी की झलक पर ₹ 0.51 लाख, उप संचालक उद्यान, रतलाम ने फर्नीचर की खरीद पर ₹ 3.25 लाख और 26 जनवरी की झलक पर ₹ 0.27 लाख)।

ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि भोपाल, दमोह, धार और रतलाम जिले में किये गये व्यय प्रशासनिक मद के अंतर्गत अनुमत्य थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चयनित जिलों के सहायक संचालक/उप संचालक उद्यानिकी द्वारा किया गया व्यय प्रशासनिक मद में अनुमत्य नहीं था।

आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा नमूना जांच किये गये जिलों के सहायक संचालक/उप संचालक उद्यानिकी ने प्रशासनिक व्यय मद से गैर अनुमत्य व्यय कर प्रति बूंद अधिक फसल के परिचालन दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया।

2.4.6 योजना कार्यान्वयन

2.4.6.1 आपूर्ति हेतु प्रतिबंधित कंपनियों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की आपूर्ति

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र निर्माताओं का पंजीकरण राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कंपनी के संतोषजनक प्रदर्शन का मूल्यांकन किए जाने के अधीन है तथा विफलता की पुनरावृत्ति होने पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा पंजीकरण रद्द किया जाएगा।

विभागीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा सभी जिलों के सहायक संचालक/उप संचालक उद्यानिकी को पाँच निर्माता कंपनियों[110] जिनके द्वारा आगर मालवा जिले में ड्रिप प्रणाली की आपूर्ति में अनियमितता (वस्तुओं की आपूर्ति में कमी/आपूर्ति नही किया जाना) की गई थी, को कार्य आदेश जारी न करने के आदेश जारी किए गए (अक्टूबर 2017)। आदेश की प्रति इन कंपनियों के नाम पोर्टल पर अपलोड की गई विक्रेताओं/कंपनियों की सूची से हटाने के उद्देश्य से प्रबंधक, एमपी एग्रो को भी पृष्ठांकित की गई।

हमने देखा कि 10 जिलों[111] के उप संचालक, कृषि तथा सहायक संचालक/उप संचालक, उद्यानिकी द्वारा जनवरी 2021 तक प्रतिबंधित रही तीन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए 123 ड्रिप संयंत्र और 197 स्प्रिंकलर संयंत्र के प्रकरणों का अनुमोदन किया गया और ₹ 100.50 लाख[112] का भुगतान किया गया।

संचालक, कृषि यांत्रिकी ने कहा (नवंबर 2020) कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो इन कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु जिम्मेदार था ने इस संबंध में जारी किए गए पत्रों (जनवरी और जून 2019) का उत्तर नहीं दिया।

विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (मार्च 2022) कि वित्तीय सहायता उन्हीं मामलों में जारी की गई थी जहां कंपनियों पर प्रतिबंध लागू करने से पहले कार्यादेश जारी कर दिए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद अर्थात् 2018–19 में कार्य पूर्ण हुए। इसके अतिरिक्त, कंपनियों पर प्रतिबंध लागू होने के पश्चात् भी कार्यादेश रद्द नहीं किए गए थे।

---

[110] मेसर्स अशिता इंडस्ट्रीज, मेसर्स के.के. पाइप एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, मेसर्स एग्रो लीडर पाइप एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, मेसर्स हिंद पाइप प्रा. लिमिटेड और मैसर्स दत्ता इरीगेशन प्रा. लिमिटेड।

[111] बड़वानी, भोपाल, देवास, इंदौर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर और सीधी जिलों के डी.डी.ए. भोपाल, खंडवा और सीधी जिलों के एडीएच/डीडीएच।

[112] 2018–19 और 2019–20 के दौरान निदेशक, कृषि यांत्रिकी द्वारा 105 ड्रिप और 197 स्प्रिंकलर प्रणाली के लिए मेसर्स आशिता इंडस्ट्रीज, मेसर्स केके पाइप एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, मेसर्स एग्रो लीडर पाइप एंड प्रोडक्ट लिमिटेड को ₹ 85.15 लाख। 2018–19 के दौरान आयुक्त, उद्यानिकी द्वारा 18 ड्रिप सिस्टम के लिए मैसर्स आशिता इंडस्ट्रीज को ₹ 15.35 लाख।

इस तरह से सहायक संचालक/उप संचालक उद्यानिकी एवं उप संचालक कृषि उक्त कंपनियों को दिए गए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की आपूर्ति के कार्य आदेश को रद्द न करके अपने कर्तव्यों में विफल रहे। जबकि, प्रबंधक, एमपी एग्रो ने प्रतिबंधित कंपनियों के नाम पोर्टल से न हटाकर संचालनालय के आदेश का उल्लंघन किया।

2.4.6.2 अपंजीकृत फर्म से पीवीसी पाइप खरीद कर ड्रिप प्रणाली की आपूर्ति

आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने आदेश जारी किए (मई 2017) कि ड्रिप प्रणाली के पंजीकृत निर्माता, जो पी.वी.सी. पाइपों का निर्माण नहीं कर रहे थे, उन्हें बी.आई.एस. मानक के पी.वी.सी. पाइप की आपूर्ति विभाग के अंतर्गत पंजीकृत निर्माताओं से ही खरीद कर करनी थी।

हमने पाया कि अपर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने विभाग की ओर से ड्रिप संयंत्र के एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता मैसर्स पारस ड्रिप इरिगेशन, जो पी.वी.सी. पाइप का निर्माण नहीं कर रही थी, के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया (जून 2017)। हमने यह भी देखा कि उपरोक्त फर्म ने अनुबन्ध में घोषणा किया कि वह मैसर्स कमलेश एग्रो टेक से खरीदे गए पी.वी.सी. पाइप की आपूर्ति करेगी जो कि विभाग के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थी। हमने आगे देखा कि उपरोक्त फर्म द्वारा 2017–18 और 2018–19 के दौरान छः जिलों में 26,958 मीटर पी.वी.सी. पाइप के साथ 225 ड्रिप संयंत्र, जिनकी लागत ₹ 17.52 लाख थी, की आपूर्ति की गई ***(परिशिष्ट–2.4.2)***।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि आपूर्तिकर्ता द्वारा विभाग के साथ पंजीकृत फर्म से पी.वी.सी. पाइपों की खरीदी एवं आपूर्ति की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा पंजीकृत फर्म से पी.वी.सी. पाइपों के खरीद के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए। साथ ही विभाग से खरीदी के संबंध में साक्ष्य (जुलाई 2022) मांगे गए थे, उत्तर प्रतीक्षित है।

अपर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना अनुबंध निष्पादित किया गया।

पोर्टल पर अपलोड किए गए सूक्ष्म सिंचाई प्रकरण

सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र[113] के लिए वित्तीय सहायता[114]/अनुदान, वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी (एस.एच.ई.ओ.)/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी (आर.एच.ई.ओ.)/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (एस.ए.डी.ओ.) द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन और हितग्राही[115] से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र के सफल प्रतिष्ठापन के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, जारी की जानी थी।

---

[113] ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन प्रणाली, इन–लाइन प्रणाली, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, सेमी–परमानेंट स्प्रिंकलर सिस्टम, रेन–गन आदि।

[114] छोटे और सीमांत किसानों (दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि स्वामित्व वाले) के लिए 55 प्रतिशत और अन्य किसानों (दो हेक्टेयर और पांच हेक्टेयर के बीच कृषि भूमि स्वामित्व वाले) के लिए 45 प्रतिशत।

[115] प्रत्येक भूमि धारक, जिसके पास कम से कम सात वर्षों की अवधि के लिए अपनी भूमि या पट्टे पर भूमि है और जिसके पास स्वयं का या साझा जल स्रोत है।

पांच चयनित जिलों में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के 19,037 प्रकरणों में से 1,583 प्रकरणों[116] (8 प्रतिशत) के आंकड़े और प्राथमिक अभिलेखों/प्रतिवेदनों[117] की नमूना जांच से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

2.4.6.3 वित्तीय सहायता अधिक जारी किया जाना

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों अनुसार, हितग्राही को वित्तीय सहायता निर्धारित अनुदान तक सीमित होगी अर्थात दिशानिर्देशों में दी गई सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की इकाई लागत पर 45 प्रतिशत या 55 प्रतिशत अथवा करों को छोड़कर वास्तविक मात्रा के बिल (बीओक्यू), इनमे से जो भी कम हो।

किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग और संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के आदेशों के अनुसार, उप संचालक, कृषि और सहायक संचालक/उप संचालक उद्यानिकी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा अग्रेषित सूक्ष्म सिंचाई प्रकरणों को प्राधिकृत करने और वित्तीय सहायता जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं।

हमने देखा कि नमूना जांच किए गए जिलों के उप संचालक, कृषि और सहायक संचालक/उप संचालक उद्यानिकी ने 86 प्रकरणों में दिशा–निर्देशों के प्रावधान को सुनिश्चित किए बिना अधिक वित्तीय सहायता ₹ 3.37 लाख जारी की, जैसा कि ***परिशिष्ट–2.4.3*** में वर्णित है।

विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया (मार्च 2022) कि भोपाल एवं धार जिलों के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए कार्रवाई की जायेगी। विभाग ने आगे कहा कि अन्य तीन जिलों द्वारा किया गया व्यय नियमानुकूल प्रतीत होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य तीन जिलों में जारी की गई वित्तीय सहायता भोपाल एवं धार जिलों की तरह प्रति बूंद अधिक फसल के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी।

विक्रेता द्वारा प्रदाय किए गए बिल की राशि (करों के अतिरिक्त) के साथ पोर्टल पर अपलोड किए गए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत की तुलना किए बिना भुगतान करने के कारण उप संचालक, कृषि और सहायक संचालक/उप संचालक उद्यानिकी प्रति बूंद अधिक फसल के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार थे।

2.4.6.4 भूमि के क्षेत्रफल की निर्धारित सीमा सुनिश्चित किए बिना वित्तीय सहायता जारी किया जाना

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों अनुसार, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र के प्रतिष्ठापन के लिए वित्तीय सहायता, प्रति लाभार्थी पांच हेक्टेयर क्षेत्रफल तक सीमित है। एक लाभार्थी, यदि किसी कृषि–भूमि विशेष के लिए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र हेतु वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करता है, तो वह उस भूमि के लिए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र के अनुमानित जीवन अर्थात सात वर्ष के अंत के बाद ही पुनः वित्तीय सहायता हेतु पात्र होगा। किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग के आदेश के अनुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,

---

[116] भोपाल में 350 मामले (उप संचालक कृषि में 52, सहायक संचालक उद्यानिकी में 298), दमोह में 350 मामले (उप संचालक कृषि में 127, सहायक संचालक उद्यानिकी में 223), धार में 350 मामले (उप संचालक कृषि में 175, उप संचालक उद्यानिकी में 175), ग्वालियर में 183 मामले (उप संचालक कृषि में 48, सहायक संचालक उद्यानिकी में 135), रतलाम में 350 मामले (उप संचालक कृषि में 305, सहायक संचालक उद्यानिकी में 45)।

[117] लाभार्थियों के आवेदन पत्र, जिसमें उनके पास कुल भूमि क्षेत्र से संबंधित किसान की श्रेणी, खसरा/खतौनी, आपूर्ति की गई एमआई प्रणाली के लिए संभावित क्षेत्र, डीलर द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री का चालान और अन्य प्राथमिक रिकॉर्ड जैसे भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, किसान का संतुष्टि नोट, बैंक और ट्रेजरी लेनदेन सूची, शामिल हैं।

दस्तावेजों को सत्यापित करने और सूक्ष्म सिंचाई प्रकरणों को संसाधित करने, भौतिक सत्यापन करने और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

हमने देखा कि उप संचालक, कृषि रतलाम ने वर्ष 2019–20 के दौरान क्रमशः 4 हेक्टेयर और 5 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर संयंत्र हेतु दो किसानों को ₹ 2.65 लाख की वित्तीय सहायता जारी किया।

हमने यह भी देखा कि उप संचालक, कृषि रतलाम ने उसी वर्ष उपरोक्त किसानों को दो और पांच हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर संयंत्र के लिए ₹ 1.44 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी किया, जो कि प्रति बूंद अधिक फसल के परिचालन दिशा–निर्देशों में निहित प्रावधानों के विपरीत थी।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया गया और भविष्य में वित्तीय सहायता जारी करने के पूर्व भूमि के निर्धारित क्षेत्र को सत्यापित करने का आश्वासन दिया गया (मार्च 2022)।

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, दस्तावेजों को सत्यापित करने, भौतिक सत्यापन करने और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन तैयार करने के अपने कर्तव्यों में विफल रहा।

2.4.6.5 भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित नहीं किया जाना

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (जनवरी 2016) और संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी (मई 2017) के आदेशों के अनुसार कृषि भूमि लाभार्थी के नाम पर होनी चाहिए और योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की पात्रता हेतु भूमि का स्वामित्व स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा, पोर्टल में अपलोड किए गए दस्तावेजों (खसरा) से भूमि के स्वामित्व को सत्यापित करने और वित्तीय सहायता जारी करने हेतु प्रकरण को जिला अधिकारियों को अग्रेषित करने के लिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी जिम्मेदार है।

हमने देखा कि नमूना जांच किए गए जिलों के उप संचालक कृषि/सहायक संचालक उद्यानिकी/उप संचालक उद्यानिकी द्वारा–

- आठ लाभार्थियों, जिनके नाम पर जमीन नहीं थी, के पक्ष में ₹ 3.08 लाख की वित्तीय सहायता जारी की गई;
- नौ लाभार्थियों के पक्ष में, लाभार्थियों के स्वामित्व क्षेत्र से अधिक भूमि के लिए ₹ 0.62 लाख की वित्तीय सहायता जारी की गई; और
- दो लाभार्थियों के पक्ष में वित्तीय सहायता की उच्च दर (45 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत) की अनुमति देकर ₹ 0.12 लाख की वित्तीय सहायता जारी की गई जो लघु और सीमांत किसानों हेतु स्वीकार्य थी ***(परिशिष्ट–2.4.4)***।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया गया (मार्च 2022) और जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

2.4.6.6 अन्य घटक (ओ.आई.) के साथ सूक्ष्म सिंचाई (एम.आई.) का एकीकरण न किया जाना

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, उपलब्ध जल स्रोतों या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बनाए गए नए स्रोत को लंबी अवधि के लिए विस्तारित कवरेज प्राप्त करने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत सरकार के पत्र (मई 2018) के अनुसार,

प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक जल संचयन संरचनाओं के लिए है और वाटर शेड विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना आदि के अंतर्गत सृजित जल स्रोतों को जल के प्रभावी उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई के साथ एकीकृत किया जाना था।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक की निधि का आवंटन मध्य प्रदेश शासन की बलराम ताल योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को खेत में वर्षा जल का संरक्षण कर सतत कृषि गतिविधियों का सहयोग करने तथा जल उठाने वाले उपकरणों के लिए (₹ 0.10 लाख डीजल/बिजली पंप के लिए) वित्तीय सहायता[118] जारी करने के लिए किया। इसके अलावा, भारत सरकार ने सूखा प्रभावित 22 जिलों[119] को जल संचयन संरचनाओं के सृजन हेतु तथा तीन जिलों के चार संवेदनशील ब्लॉकों[120] को जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण पर मनरेगा कार्यों की सामग्री लागत के पूरक के लिए प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक के अन्तर्गत निधि आवंटित किया गया। संबंधित जिलों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी. एंड आर.डी.डी.) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को इन गतिविधियों को कार्यान्वयन करना था।

चयनित जिलों के उप संचालक, कृषि और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के अभिलेखों की जांच से पता चला कि प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक के तहत 835 बलराम ताल[121] का निर्माण किया गया था और इन बलराम ताल के निर्माण से 4,175 हेक्टेयर (5 हेक्टेयर प्रति बलराम ताल) क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाया गया था। इसके अलावा, चयनित सूखा प्रभावित पाँच जिलों[122] में प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक के अंतर्गत जारी निधि से जल संचयन संरचनाओं के निर्माण से 820.50 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। हमने यह भी देखा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्लू एम पी) के तहत 2,601 जल संचयन संरचनाएं[123] पूर्ण की गईं और 15,325.71 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के तहत लाया गया।

इस प्रकार, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों एवं पत्र के अनुसार भी, जल संचयन संरचनाओं एवं बलराम ताल के निर्माण से उपरोक्त बढ़े हुए सिंचित क्षेत्र (20,321.21 हेक्टेयर) को पानी के कुशल उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा जाना था। तदनुसार, संचालक, राजीव गांधी वाटरशेड प्रबंधन मिशन (आरजीएमडब्ल्यूएम), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को जल संचयन संरचनाओं के निर्माण से बढ़े सिंचित क्षेत्र को प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई संयत्र के साथ जोड़ने के लिए उप संचालक कृषि और सहायक संचालक उद्यान के साथ बैठक आयोजित करने हेतु पत्र जारी (अगस्त 2018) किया।

---

118 बलराम ताल की कुल लागत ₹ 2 लाख का 40 प्रतिशत तक अर्थात ₹ 0.80 लाख सामान्य वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अर्थात ₹ 1 लाख तक।

119 बड़वानी, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मंडला, मुरैना, पन्ना, रतलाम, सतना, शहडोल, शाजापुर, सीधी, शिवपुरी, टीकमगढ़, और उमरिया।

120 मंदसौर जिले के मंदसौर और सीतामऊ, रतलाम जिले के जावरा, धार जिले के मनावर।

121 41 भोपाल (₹ 33.51 लाख की सब्सिडी जारी की गई), 647 दमोह (₹ 560.14 लाख की सब्सिडी जारी की गई), 34 धार (₹ 28.80 लाख की सब्सिडी जारी की गई), 41 रतलाम (₹ 31.34 लाख की सब्सिडी जारी की गई), 72 ग्वालियर (₹ 66.40 लाख की सब्सिडी जारी की गई)।

122 भोपाल 78 हेक्टेयर, धार 125 हेक्टेयर, दमोह 102 हेक्टेयर, ग्वालियर 14.50 हेक्टेयर और रतलाम 501 हेक्टेयर।

123 भोपाल में 568, दमोह में 758, धार में 345, ग्वालियर में 390 और रतलाम जिले में 540।

हमने देखा कि उक्त बढ़े हुए सिंचित क्षेत्र को प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ने के लिए चयनित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों के साथ–साथ उप संचालक कृषि/सहायक संचालक, उद्यानिकी/उप संचालक, उद्यानिकी द्वारा कोई पहल नहीं की गई।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि प्रति बूंद अधिक फसल–अन्य घटक के अंतर्गत निर्मित संरचनाओं को प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई के साथ जोड़ा जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं उप संचालक कृषि/सहायक संचालक, उद्यानिकी/उप संचालक, उद्यानिकी जल संचयन संरचना के निर्माण से निर्मित वाटर शेड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकियों से जोड़ने में विफल रहे।

2.4.6.7 निगरानी एवं मूल्यांकन

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में निगरानी और मूल्यांकन के लिए कार्य योजना तय करेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में निगरानी एवं मूल्यांकन कार्य हेतु किसी प्रतिष्ठित एजेंसी का चयन किया जायेगा जिसका व्यय प्रशासनिक मद से वहन किया जायेगा।

राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति बैठक के कार्यवृत्त की जांच से पता चला कि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के दौरान निगरानी और मूल्यांकन के लिए कार्य योजना तय नहीं की गयी। हालांकि, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को 10 जिलों[124] में प्रतिष्ठापित सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की शत–प्रतिशत तृतीय पक्षीय भौतिक सत्यापन नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये (मई–2018)।

राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर, कृषि उत्पादन आयुक्त ने प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित दर[125] के अनुसार एक माह के अंदर भौतिक सत्यापन कार्य पूरा करने का निर्देश दिया (दिसंबर 2018)। संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने नैबकॉन्स को कार्य आदेश जारी किया (दिसंबर 2018)।

नैबकॉन्स ने संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (जून 2019) परन्तु संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा कमियों (जैसे कि संबंधित बिलों के साथ सामग्री का गैर–समाशोधन) को इंगित करने के बाद नैबकॉन्स को पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया।

नैबकॉन्स की रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति के संबंध में ऑडिट प्रश्न के उत्तर में सहायक संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने कहा (जनवरी 2021) कि नैबकॉन्स द्वारा पुनः प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की जांच की जा रही थी और नैबकॉन्स को कोई भुगतान नहीं किया गया था।

कार्य आदेश देने की तिथि से दो वर्ष से अधिक की अवधि समाप्त होने के बाद भी नैबकॉन्स की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिया जाना योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति विभाग के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन (नवंबर 2021) किया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्यवाही की जाएगी।

[124] बड़वानी, भोपाल, दमोह, धार, खण्डवा, खरगोन, मंदसौर, नीमच, राजगढ़ और सागर।

[125] ड्रिप सिस्टम के लिए ₹ 900 (जीएसटी सहित), स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए ₹ 300 (जीएसटी सहित)।

कृषि उत्पादन आयुक्त के निर्देश के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर तृतीय पक्षीय भौतिक सत्यापन कार्य/रिपोर्ट को पूर्ण करवाने के अपने उत्तरदायित्व में प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग विफल रहे और उनके द्वारा विभाग में प्रत्येक स्तर पर किसी भी निगरानी तंत्र की रूपरेखा नहीं बनाई गई।

2.4.7 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

प्रति बूंद अधिक फसल की लेखापरीक्षा से पता चला कि कार्यक्रम प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि विभाग दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार की निधियों का उपयोग करने में विफल रहे जिसके कारण वर्ष 2016–20 तक के दौरान दूसरी किस्त ₹ 324 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई, सुक्ष्म सिंचाई तकनीकी के अन्तर्गत लक्ष्य के विरूद्ध 65 प्रतिशत (4.01 लाख हेक्टेयर) क्षेत्र कवरेज में कमी थी। वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि राज्य स्तरीय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन समिति/राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के निर्णय के विरूद्व योजना के प्रशासनिक व्यय से एमपी एग्रो के पक्ष में ₹ 4.76 करोड़ के भुगतान का स्वीकृति आदेश जारी किया गया, संचालनालय, उद्यानिकी एवं नमूना जांच किए गए चार जिलों के सहायक संचालक/उप संचालक, उद्यानिकी द्वारा प्रशासनिक मद से क्रमशः ₹ 84.65 लाख और ₹ 6.19 लाख गैर–अनुमत्य व्यय किया गया। योजना के कार्यान्वयन में कमियां थीं क्योंकि विभाग ने तीन प्रतिबंधित कंपनियों को लाभ दिया और 123 ड्रिप सिस्टम और 197 स्प्रिंकलर सिस्टम की आपूर्ति के लिए ₹ 1.01 करोड़ का भुगतान किया, अपर संचालक, उद्यानिकी द्वारा गैर–पंजीकृत फर्म से ₹17.52 लाख की लागत के 26,958 मीटर पीवीसी पाइप के साथ 225 ड्रिप प्रणाली की आपूर्ति करने की अनियमित अनुमति दी गयी। निगरानी और मूल्यांकन में कमियां थीं क्योंकि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने वर्ष 2016–20 तक के दौरान निगरानी और मूल्यांकन हेतु कार्य योजना तय नहीं की थी।

अनुशंसाएं

- *मध्य प्रदेश शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियां और लक्ष्य समय पर जारी किए जाएं। मध्य प्रदेश शासन को निधियां जारी करने में हुए अत्यधिक विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित करना चाहिए।*
- *उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को प्रति बूंद अधिक फसल–सूक्ष्म सिंचाई के ऑनलाइन कार्यान्वयन के लिए एमपी एग्रो को भुगतान करते समय राज्य स्तरीय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिति/राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *विभाग के साथ–साथ जिला प्राधिकारियों को प्रशासनिक मद से व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल पात्र निर्माताओं को ही पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाए और जिला अधिकारियों को केवल पंजीकृत और पात्र निर्माताओं से ही सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन को ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की खरीदी/अपंजीकृत फर्मों से सामग्री की आपूर्ति के लिए जिम्मेदारी तय कर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करनी चाहिये।*
- *जिला और ब्लॉक स्तर के प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय सहायता जारी करने हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रकरणों को प्रस्तुत करने और अंतिम रूप देने में मध्य प्रदेश शासन/संचालनालय, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के आदेशों के साथ–साथ प्रति बूंद अधिक फसल के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।*

- *विभागों के साथ–साथ जिला प्राधिकारियों को जल के प्रभावी उपयोग के लिए बढ़े हुए सिंचाई क्षमता क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ना सुनिश्चित करना चाहिए।*
- *मध्य प्रदेश शासन को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति, जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति और विभागीय अधिकारियों के माध्यम से प्रति बूंद अधिक फसल की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना चाहिये।*

विभाग ने सभी अनुशंसाओं को स्वीकार किया (मार्च 2022) और उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

लेखापरीक्षा कंडिकायें

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

2.5 छात्रावासों के निर्माण पर निष्फल व्यय

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में बिना आवश्यकता का आकलन किये बालिका छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की, जिससे 30 बालिका छात्रावास अनुपयोगी रहे/आंशिक उपयोग हुआ एवं परिणामस्वरूप ₹ 26.30 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (टी.ई.एस.डी.डी.), मध्य प्रदेश शासन (विभाग) ने केन्द्रीय सहायता[126] से राज्य के 38 शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में ₹ 1.00 करोड़ प्रत्येक की लागत से 38 बालिका छात्रावास भवनों (50 सीटर) के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति (जनवरी 2012) प्रदान की थी।

केन्द्रीय सहायता से निर्मित बालिका छात्रावासों के उपयोग से संबंधित सूचना/अभिलेखों की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि 30 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में ₹ 26.30 करोड़ की लागत से निर्मित 30[127] बालिका छात्रावास अनुपयोगी रहे या अभीष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किये गये (बालकों को आवास प्रदान करने के लिए या पुस्तकालय आदि के रूप में उपयोग किया गया) या आंशिक रूप से उपयोग हुये या अपूर्ण रहे जैसा कि ***परिशिष्ट–2.5.1*** में दर्शाया गया है। हमने देखा कि अनुपयोगी/आंशिक उपयोगी होने का प्रमुख कारण पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दूसरे छात्रावास की उपलब्धता, महाविद्यालयों में छात्राओं की कम संख्या या स्थानीय निवासी होने के कारण छात्राओं को छात्रावास सुविधा की आवश्यकता न होना थीं। आगे, छात्रावासों के उपयोग न होने के अन्य कारण आवश्यक सुविधाओं जैसे बिजली व्यवस्था, छात्रावास में उचित प्रवेश द्वार[128], चाहरदीवारी, पेयजल की सुविधा और महिला कर्मचारी की अनुपलब्धता थी। हमने आगे देखा कि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने आवश्यकता का आकलन किए बिना और जिन पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बालिका छात्रावासों का निर्माण किया गया था उनके प्राचार्यों से बालिका छात्रावास की माँग प्राप्त किए बिना बालिका छात्रावासों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की।

---

126 योजनांतर्गत प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता – कौशल विकास के लिए समन्वित कार्यवाही के अंतर्गत पॉलिटेक्निक का उप–मिशन

127 शेष आठ (38–30) छात्रावासों में से, एक छात्रावास (शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल में) क्रियाशील था तथा शेष सात पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों (शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, होशंगाबाद, सनावद (खरगौन), छिंदवाड़ा, पचौर (राजगढ़), एस. वी. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, जबलपुर तथा कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज, जबलपुर) के प्राचार्यों ने बार–बार अनुस्मारक (अक्टूबर 2020 और नवंबर 2021 के मध्य) के बावजूद जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये।

128 छात्रावास के मुख्य द्वार के सामने पुराने खंडहर का होना।

केन्द्रीय सहायता से निर्मित 30 बालिका छात्रावासों की उपयोगिता का सारांश **तालिका–2.5.1** में दिया गया है।

तालिका–2.5.1: केन्द्रीय सहायता से निर्मित 30 छात्रावासों की उपयोगिता की स्थिति

स. क्र.	केन्द्रीय सहायता से निर्मित बालिका छात्रावास की उपयोगिता की स्थिति	छात्रावासों की संख्या	निर्माण की लागत (₹ करोड़ में)
1.	निर्माण पूर्ण होने पश्चात अनुपयोगी रहे (निर्माण मई 2014 और अप्रैल 2017 के मध्य पूर्ण हुआ)	16	14.16
2.	अन्य प्रयोजनों अर्थात बालकों को आवास प्रदान करने के लिए या पुस्तकालय/कम्प्यूटर प्रयोगशाला आदि के रूप में उपयोग किया गया	04	3.06
3.	संचालित, यद्यपि, आंशिक रूप से उपयोगी (औसत उपयोगिता दो प्रतिशत और 36 प्रतिशत के मध्य थी)	09	8.18
4.	चाहरदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण अपूर्ण	01	0.90
योग		**30**	**26.30**

आगे की जांच में परिलक्षित हुआ कि–

- 16 में से छः पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों जहां नए छात्रावास का निर्माण किया गया था, के पास पहले से ही सात बालिका छात्रावास थे। इन सात पुराने छात्रावासों में से, दो पुराने छात्रावासों के उपयोगिता का स्तर 43 और 61 प्रतिशत था। आगे, चार पुराने छात्रावास पूर्ण रूप से उपयोग किये जा रहे थे तथा शेष एक पुराना छात्रावास[129] पूर्णतया खाली था। इन छः पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में केन्द्रीय सहायता से नये बालिका छात्रावासों का निर्माण औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि नये छात्रावास अधिकांशतः पुराने छात्रावासों की उपलब्धता के कारण रिक्त रहे।

  आगे, शेष 10 नए छात्रावास अधिकांशतः छात्राओं को छात्रावास की आवश्यकता नहीं होने/महाविद्यालयों में छात्राओं की कम संख्या (पाँच छात्रावासों); महिला छात्रावास वार्डन की अनुपलब्धता (एक छात्रावास); छात्रावास के प्रवेश द्वार के सामने पुराने खंडहरों का होना (एक छात्रावास); पेयजल सुविधा/चाहरदीवारी का न होना (एक छात्रावास), प्राचार्य ने छात्रावास के निर्माण में कमी/आवश्यकता न होने के कारण अधिपत्य नहीं लिया (एक छात्रावास) तथा शेष एक बालिका छात्रावास के मामले में, प्राचार्य ने छात्रावास के अनुपयोगी होने/रिक्त रहने का कारण नहीं प्रदान किया। इस प्रकार, बिना उपयोगिता सुनिश्चित किये छात्रावासों के निर्माण के कारण ₹ 14.16 करोड़ की लागत से निर्मित 16 नवीन बालिका छात्रावास निर्माण पूर्ण होने के पश्चात अर्थात तीन से छः वर्षों तक रिक्त पड़े रहे।

[129] शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, हरदा में दो छात्रावास (केन्द्रीय सहायता से निर्मित एक नये छात्रावास सहित) थे और निर्माण पूरा होने के बाद से दोनों खाली पड़े थे।

- छात्राओं द्वारा आवास की मांग न होने के कारण चार[130] पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में केन्द्रीय सहायता से निर्मित चार बालिका छात्रावासों का उपयोग बालकों को आवास उपलब्ध कराने या कम्प्यूटर लैब या पुस्तकालय आदि के रूप में किया जा रहा था।

- नौ पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में केन्द्रीय सहायता से निर्मित नौ बालिका छात्रावासों का आंशिक उपयोग हुआ क्योंकि इन छात्रावासों का औसत उपयोगिता दो प्रतिशत और 36 प्रतिशत के मध्य था। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन नौ बालिका छात्रावासों में से सात का उपयोग निर्माण पूर्ण होने के एक से पाँच वर्ष बीत जाने के बाद किया जा सका था।

- प्राचार्य, जी. टी. पॉलिटेक्निक कॉलेज, जावरा, रतलाम ने बालिका छात्रावास का अधिपत्य नहीं लिया क्योंकि छात्रावास का निर्माण बिजली की व्यवस्था एवं चाहरदीवारी की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण था।

30 शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सूचनाओं/अभिलेखों की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि 29[131] प्राचार्यों ने छात्रावासों के निर्माण के पूर्व आवश्यकता का आकलन नहीं किया था। 30 में से 23[132] प्राचार्यों ने भी उत्तर दिया कि उन्होंने छात्रावास के निर्माण हेतु प्रस्ताव नहीं भेजे थे।

स्पष्टतया, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वास्तविक मांग का आकलन किए बिना तथा छात्रावासों के संचालन के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं (जैसे कि चाहरदीवारी, पीने के पानी आदि) को ध्यान में रखे बिना मनमाने ढंग से छात्रावासों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी, परिणामस्वरूप छात्रावास अनुपयोगी/आंशिक रूप से उपयोगी रहे। इस प्रकार, विभाग केन्द्रीय सहायता से निर्मित बालिका छात्रावासों का उपयोग करने में विफल रहा जिससे ₹ 26.30 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

इंगित किए जाने पर (मई 2021), सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने उत्तर दिया (जून 2021) कि विभाग ने तथ्यों का सत्यापन किया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के पॉलिटेक्निकों की भावी परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, सभी 37 पॉलिटेक्निकों के बालिका छात्रावासों का पूर्ण क्षमता से उपयोग किया जाएगा। उत्तर में आगे पॉलिटेक्निकों के बालिका छात्रावासों की उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं अर्थात सभी राज्य संचालित पॉलिटेक्निकों में प्रत्येक पाठयक्रम/शाखा में छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत सीटों के क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान, 69 में से 14 शासकीय पॉलिटेक्निकों द्वारा विशेष रूप से छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम चलाने आदि के बारे में बताया गया है। शासन ने आश्वासन दिया कि विभाग शैक्षणिक सत्र 2021–22 से छात्रावासों के पूर्ण क्षमता से उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सभी संभावित कार्यवाही करेगा। आगे, अपर संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश ने सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के उत्तरों को दोहराया (जून 2022) और आगे बताया कि विभाग शैक्षणिक सत्र 2022–23 से छात्रावासों का उपयोग सुनिश्चित करेगा।

---

[130] शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बैतूल, ग्वालियर, भिण्ड एवं जावद (नीमच) में।

[131] शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, शहडोल ने जानकारी नहीं दी।

[132] शेष सात में से, छः प्राचार्यों (शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बालाघाट, बड़वानी, खुरई (सागर), सागर एवं वैढ़न (सिंगरौली) एवं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, इंदौर) ने सूचित किया कि निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा गया था जबकि एक प्राचार्य (शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, शहडोल) ने जानकारी नहीं दी।

विभाग का उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि छात्रावासों का निर्माण वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना किया गया था तथा ₹ 26.30 करोड़ की लागत से निर्मित भवनों या तो निर्माण के पश्चात अनुपयोगी रहे अथवा आंशिक रूप से उपयोग में लाये जा रहे थे।

स्कूल शिक्षा विभाग

2.6 शासकीय राशि का कपटपूर्ण आहरण

जिला शिक्षा अधिकारी, रीवा ने अनुदानग्राही विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन/बकाया वेतन के लिए ₹ 65.05 लाख का कपटपूर्ण आहरण किया और राशि को बैंक खातों जो लक्षित लाभार्थियों के नहीं थे में स्थानांतरित किया।

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने देयकों के ई–भुगतान की प्रक्रिया अधिसूचित (नवम्बर 2015) की, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधान था कि:

- आहरण और संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) दावेदारों जिन्हें भुगतान किया जाना है के बैंक खातों के विवरणों का सत्यापन[133] करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक खाते का विवरण वास्तविक दावेदारों का है। (नियम 8)

- आहरण और संवितरण अधिकारी सही बैंक खाता विवरण की प्रामाणिकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा (नियम 12)

- आहरण और संवितरण अधिकारी, बिल के भुगतान के बाद, कोषागार से ई–भुगतान विवरण एकत्र करेगा अथवा कोषागार कम्प्यूटरीकरण प्रणाली पर उपलब्ध रिपोर्ट का उपयोग करेगा और देयकों के कार्यालयीन प्रति से ई–भुगतान किये गये राशि एवं बैंक विवरण को क्रॉस–सत्यापित करेगा और स्वयं को संतुष्ट करेगा कि सभी ई–भुगतान सही बैंक खातों में किए गए हैं (नियम 24)।

आगे, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड–I का नियम 9 (iii) उल्लेखित करता है कि कोई भी शासकीय सेवक व्यय स्वीकृत करने के अधिकार का प्रयोग ऐसे आदेश पारित करने के लिए नहीं करेगा जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे स्वयं का लाभ हो।

जिला शिक्षा अधिकारी[134] (डी.ई.ओ.), रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2019) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2018 और मार्च 2019 के मध्य, जिला शिक्षा अधिकारी, रीवा (आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए) ने कपटपूर्वक छः देयक स्वीकृत एवं प्रस्तुत कर राशि ₹ 65.05 लाख 13 बैंक खातों, जो लक्षित लाभार्थियों से संबंधित नहीं थे में जमा किये।

जिला शिक्षा अधिकारी ने गैर–शासकीय अनुदानग्राही[135] विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के देयक बनाकर कपट किया। देयकों के कपटपूर्ण तैयार किये जाने के तरीकों का विवरण नीचे दिया गया है:

- जिला शिक्षा अधिकारी ने पाँच अनुदानग्राही विद्यालयों के 12 शिक्षकों के वेतन/बकाया वेतन के भुगतान के लिए ₹ 44.73 लाख की राशि के दो देयक (देयक संख्या 224 दिनांक 15.03.2018 और देयक संख्या 225 दिनांक 15.03.2018) सृजित एवं स्वीकृत किया।

---

[133] निरस्त किए गए चेक अथवा दावेदार की अद्यतित बैंक पासबुक के माध्यम से।

[134] श्री अंजनी कुमार त्रिपाठी 15.02.2018 से 14.01.2019 तक एवं श्री रामनरेश पटेल दिनांक 15.01.2019 से लेखापरीक्षा दिनांक (सितंबर 2019) तक जिला शिक्षा अधिकारी के प्रभारी थे।

[135] गैर–शासकीय अनुदानग्राही विद्यालय ऐसे गैर–शासकीय विद्यालय हैं जो अपने शिक्षण/गैर–शिक्षण कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु शासन से अनुदान प्राप्त करते हैं।

तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुदानग्राही विद्यालयों के उन्हीं कर्मचारियों जिन्होंने पहले ही वेतन/बकाया प्राप्त कर लिया था के पूर्वकथित भुगतान हेतु फिर से दो अतिरिक्त देयक (देयक संख्या 48 दिनांक 20.08.2018 और देयक संख्या 227 दिनांक 24.03.2018) जारी/सृजित किया। दूसरा भुगतान प्राप्त करने वाले भुगतान प्राप्तकर्ताओं के बैंक खाता विवरणों के सत्यापन से पता चला कि बैंक खाते भिन्न व्यक्तियों से संबंधित थे एवं वास्तविक भुगतान प्राप्तकर्ताओं जिनके नाम देयकों में दर्ज थे से संबंधित नहीं थे। इस प्रकार, जिला शिक्षा अधिकारी, रीवा ने भुगतान अभिलेखों में हेराफेरी की तथा बैंक खातों के विवरण (13 बैंक खाते) जो भुगतान प्राप्तकर्ता पंजी के भुगतान प्राप्तकर्ताओं से संबंधित नहीं थे तथा इन बैंक खातों में ₹ 39.11 लाख अंतरित किए। देयकों एवं भुगतानों का विवरण ***परिशिष्ट–2.6.1*** में दिया गया है।

- जिला शिक्षा अधिकारी ने पांच अनुदानग्राही विद्यालयों के छः[136] शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन की राशि ₹ 25.94 लाख के भुगतान हेतु चार देयक (देयक संख्या 156 दिनांक 10.01.2019, देयक संख्या 195 दिनांक 19.03.2019, देयक संख्या 195[137] दिनांक 19.03.2019 एवं देयक संख्या 203 दिनांक 27.03.2019) सृजित एवं स्वीकृत किया। राशियाँ तद्नुसार जारी हुई एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित अनुसार लाभार्थी के खातों में जमा हुई। संबंधित बैंकों[138] से भुगतान प्राप्तकर्ता के बैंक खाता विवरणों के सत्यापन से पता चला कि वास्तविक बैंक खाता धारक भिन्न व्यक्ति थे एवं अभीष्ट लाभार्थी/भुगतान प्राप्तकर्ता (शिक्षक/कर्मचारी) जिन्हें भुगतान किया जाना था नहीं थे। इस प्रकार, जिला शिक्षा अधिकारी ने कपटपूर्वक चार देयक प्रस्तुत किया और छः[139] बैंक खातों जो अभीष्ट लाभार्थियों से संबंधित नहीं थे में ₹ 25.94 लाख जमा किया। विवरण ***परिशिष्ट–2.6.2*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने फर्जी पेपर ट्रेल[140] बनाकर, देयक संख्याओं को दोहराकर और कैश बुक[141] में गलत प्रविष्टियां करके ₹ 65.05 लाख का कपटपूर्ण आहरण किया। जिला शिक्षा अधिकारी को इस तथ्य से भी सहायता मिली कि ई–भुगतान प्रणाली इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी कि नियमित भुगतान प्राप्तकर्ताओं (जैसे कि अनुदान प्राप्तकर्ता विद्यालयों के वेतनभोगी कर्मचारी) के स्थायी भुगतान प्राप्तकर्ता कोड और बैंक खाते का विवरण प्रणाली में नहीं था, जबकि वे नियमित रूप से शासकीय भुगतान प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार, जिला शिक्षा अधिकारी के दुर्भावनापूर्ण कार्यों के साथ–साथ ई–भुगतान प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रणों के परिणामस्वरूप राशि ₹ 65.05 लाख के शासकीय धन का कपटपूर्ण आहरण हुआ।

यह इंगित (सितम्बर 2019) किये जाने पर निदेशक, लोक शिक्षण (डी.पी.आई.), भोपाल ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि प्रकरण की जाँच हेतु गठित (फरवरी 2021) जाँच समिति के निष्कर्षों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी, रीवा कार्यालय के तीन कर्मचारी (लेखाकार, सहायक ग्रेड–3 एवं सहायक शिक्षक) को कपटपूर्ण भुगतानों के आरोप में निलंबित किया गया है। निदेशक, लोक शिक्षण ने यह भी

---

136 दोनों देयकों (156 एवं 195) में शिक्षक एक ही है।

137 बिल नंबर 195 दो बार सृजित किया गया।

138 भारतीय स्टेट बैंक और इलाहाबाद बैंक।

139 एक व्यक्ति को दो बार भुगतान किया गया–एक बार देयक संख्या 195 एवं पुनः देयक संख्या 203 द्वारा।

140 जैसे कि शिक्षकों/कर्मचारियों के कूट नाम एवं वास्तविक भुगतान प्राप्तकर्ताओं के विरूद्ध गलत बैंक विवरण

141 देयक संख्याओं के विरुद्ध गलत भुगतान विवरण दर्ज करना।

सूचित किया कि कपट में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और कपटपूर्ण भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों/लाभार्थियों से ₹ 65.04 लाख की राशि वसूल की गई थी।

हालांकि, निदेशक, लोक शिक्षण का उत्तर जिला शिक्षा अधिकारी, जिसने आहरण एवं संवितरण अधिकारी होते हुये देयक प्रस्तुत किये तथा भुगतानों की स्वीकृति दी थी, पर की गई कार्रवाई पर मौन था।

ग्वालियर
दिनांक: 02 मार्च 2023

(डी. साहू)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 06 मार्च 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1.1
(संदर्भः कंडिका 1.6.1, पृष्ठ संख्या 5)
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण

स. क्र.	विभाग का नाम	31 मार्च 2022 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1,626	6,553
2.	जेल विभाग	101	202
3.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	266	534
4.	गृह विभाग	326	879
5.	महिला एवं बाल विकास विभाग	998	2,998
6.	जनजातीय कार्य विभाग	724	2,146
7.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग	3	14
8.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	123	494
9.	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	206	891
10.	आयुष विभाग	228	697
11.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	331	1,084
12.	भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग	33	94
13.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,007	5,102
14.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	202	1,036
15.	उच्च शिक्षा विभाग	658	2,964
16.	स्कूल शिक्षा विभाग	2,361	8,351
17.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	133	457
18.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	431	1,546
19.	श्रम विभाग	227	604
20.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	99	496
21.	सहकारिता विभाग	84	873
22.	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	347	1,658
23.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग	21	64
24.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	135	357

स. क्र.	विभाग का नाम	31 मार्च 2022 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएं
25.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	43	331
26.	नर्मदा घाटी विकास विभाग	72	239
27.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	27	248
28.	जल संसाधन विभाग	282	1,739
29.	राजस्व विभाग	2,378	7,797
30.	सामान्य प्रशासन विभाग	135	373
31.	जन संपर्क विभाग	27	88
32.	संसदीय कार्य (राज्य विधान सभा) विभाग	8	15
योग		**13,642**	**50,924**

परिशिष्ट–1.2
(संदर्भः कंडिका 1.6.3, पृष्ठ संख्या 6)
व्याख्यात्मक टिप्पणी हेतु बकाया कंडिकाओं का विभागवार विवरण

स. क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विभाग का नाम	31.03.2022 की स्थिति में बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणी	राज्य विधान सभा सदन में प्रस्तुति का दिनांक	विभागीय उत्तर प्राप्त होने की नियत तिथि
1.	2016–17 (आर्थिक क्षेत्र)	जल संसाधन विभाग	4	10.01.2019	10.04.2019
2.	2016–17 (राजस्व क्षेत्र)	राजस्व विभाग	3	10.01.2019	10.04.2019
3.	2017–18 (आर्थिक क्षेत्र)	जल संसाधन विभाग	6	21.09.2020	21.12.2020
4.	2017–18 (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)	विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग	1	21.09.2020	21.12.2020
		राजस्व विभाग	1		
		लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	3		
5.	2017–18 (राजस्व क्षेत्र)	राजस्व विभाग	2	22.09.2020	22.12.2020
6.	2018–19 (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1	21.12.2021	21.03.2022
		खेल एवं युवा कल्याण विभाग	1		
		गृह विभाग	2		
		जनजातीय कार्य विभाग	1		
योग			**25**		

परिशिष्ट–1.3
(संदर्भः कंडिका 1.6.4, पृष्ठ संख्या 6)

31 मार्च 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्राप्त होनी थीं

स. क्र	विभाग का नाम	चतुर्दश विधान सभा 2013–2018		पंचदश विधान सभा 2018 से अब तक		योग	
		ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में सम्मिलित कंडिकाएं	ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में सम्मिलित कंडिकाएं	ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में सम्मिलित कंडिकाएं
1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	03	04	..	..	03	04
2.	जल संसाधन विभाग	01	03	..	..	01	03
3.	स्कूल शिक्षा विभाग	02	02	01	02	03	04
4.	गृह विभाग	01	02	..	..	01	02
5.	नर्मदा घाटी विकास विभाग	02	07	..	..	02	07
6.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	03	04	..	..	03	04
7.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02	06	01	02	03	08
8.	श्रम विभाग	01	01	..	..	01	01
9.	पशुपालन विभाग	01	01	..	..	01	01
10.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग	01	01	..	..	01	01

स. क्र	विभाग का नाम	चतुर्दश विधान सभा 2013–2018		पंचदश विधान सभा 2018 से अब तक		योग	
		ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में सम्मिलित कंडिकाएं	ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में सम्मिलित कंडिकाएं	ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में सम्मिलित कंडिकाएं
11.	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	02	02	..	..	02	02
12.	सहकारिता विभाग	01	01	..	..	01	01
13.	महिला एवं बाल विकास विभाग	..	..	01	01	01	01
14.	राजस्व विभाग	08	29	..	..	08	29
	योग	**28**	**63**	**03**	**05**	**31**	**68**

परिशिष्ट–2.1.1

(संदर्भः कंडिका 2.1.1, पृष्ठ संख्या 11)

मध्य प्रदेश में भूमि अर्जन अधिनियमों के अंतर्गत भूमि अर्जन की प्रक्रिया दर्शाता फ्लो चार्ट

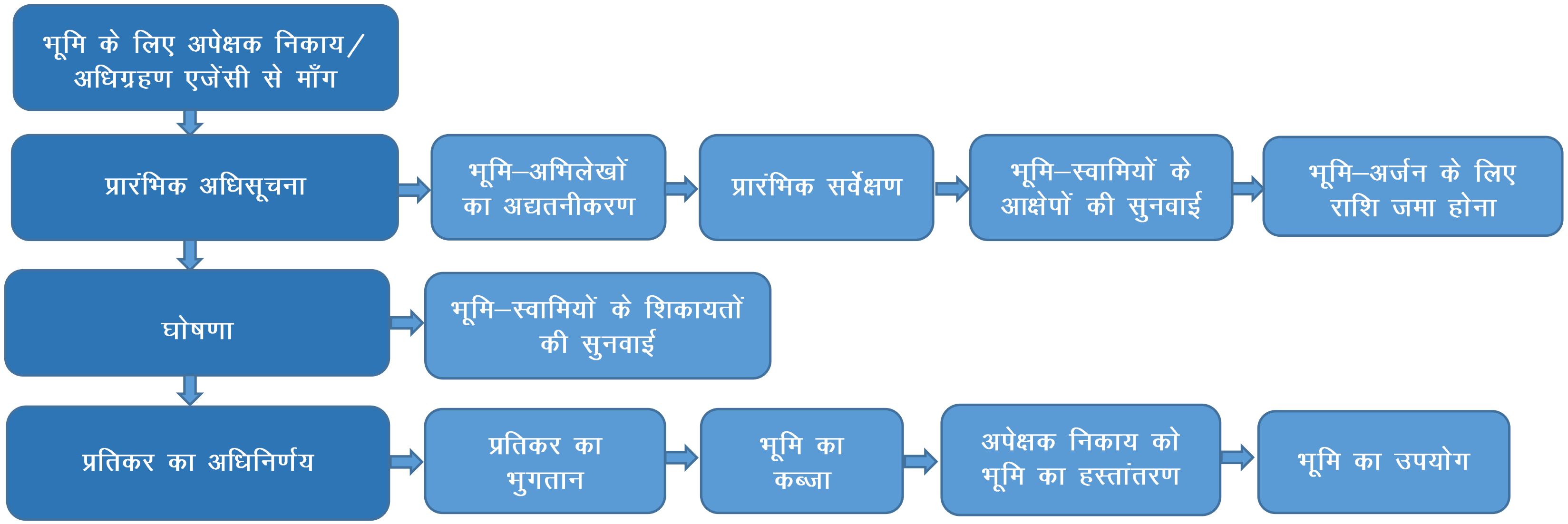

मध्य प्रदेश शासन का सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत अर्जनः नीति के अनुसार जिला कलेक्टर समस्त भू–स्वामियों से लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात निजी भूमि की न्यूनतम आवश्यक रकवा अर्जित कर सकता है। भू–स्वामियों को प्रतिकर (संपत्ति के मूल्य सहित) के भुगतान के पश्चात अर्जित भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख (राज्य के महामहिम राज्यपाल की ओर से) किया जाएगा।

परिशिष्ट–2.1.2
(संदर्भः कंडिका 2.1.1, पृष्ठ संख्या 11)
मध्य प्रदेश के छः जिलों में 2015–20 के दौरान निजी भूमि के अर्जन के लिए अधिनिर्णित प्रतिकरों की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में एवं ₹ लाख में)

जिला का नाम	अधिनिर्णय का वर्ष	अपेक्षक निकाय/ विभाग	भूमि प्रकरण			संपत्तियों के प्रकरण		पुनर्वासन प्रकरण		कुल प्रकरण	अधिनिर्णय की कुल राशि
			संख्या	क्षेत्रफल	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
1. भोपाल	2015–16	मध्य प्रदेश औद्योगिकी विकास निगम	1	1.660	443.47	0	0	0	0	1	443.47
		पुलिस	1	1.471	464.22	0	0	0	0	1	464.22
		नगरीय प्रशासन विकास विभाग	2	0.130	54.39	0	0	0	0	2	54.39
	योग		**4**	**3.261**	**962.08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**962.08**
	2016–17	निरंक	0	0.000	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	योग		**0**	**0.000**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
	2017–18	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	2	0.823	99.28	0	0	0	0	2	99.28
		लोक निर्माण विभाग	2	4.630	560.39	0	0	0	0	2	560.39
		जल संसाधन विभाग	1	11.220	572.22	0	0	0	0	1	572.22
	योग		**5**	**16.673**	**1,231.89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**1,231.89**
	2018–19	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	1	4.351	89.81	0	0	0	0	1	89.81
		भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	5	3.626	2,736.24	0	0	0	0	5	2,736.24
		लोक निर्माण विभाग	1	0.721	63.72	0	0	0	0	1	63.72

जिला का नाम	अधिनिर्णय का वर्ष	अपेक्षक निकाय/ विभाग	भूमि प्रकरण			संपत्तियों के प्रकरण		पुनर्वासन प्रकरण		कुल प्रकरण	अधिनिर्णय की कुल राशि
			संख्या	क्षेत्रफल	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
		रेलवे	3	16.427	3,249.44	0	0	0	0	3	3,249.44
		जल संसाधन विभाग	6	6.219	88.97	0	0	0	0	6	88.97
	योग		**16**	**31.344**	**6,228.18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**6,228.18**
	2019–20	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	1	0.150	43.72	0	0	0	0	1	43.72
		भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	2	0.438	98.69	1	1.11	0	0	3	99.80
		लोक निर्माण विभाग	2	1.206	58.91	0	0	0	0	2	58.91
		रेलवे	3	28.909	4,078.47	0	0	0	0	3	4,078.47
		जल संसाधन विभाग	6	68.559	1,003.94	0	0	0	0	6	1,003.94
	योग		**14**	**99.262**	**5,283.73**	**1**	**1.11**	**0**	**0**	**15**	**5,284.84**
	महायोग		**39**	**150.540**	**13,705.88**	**1**	**1.11**	**0**	**0**	**40**	**13,706.99**
2. ग्वालियर	2015–16	जल संसाधन विभाग	3	2.870	26.98	0	0	0	0	3	26.98
	योग		**3**	**2.870**	**26.98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**26.98**
	2016–17	जल संसाधन विभाग	29	32.780	879.80	0	0	0	0	29	879.80
	योग		**29**	**32.780**	**879.80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**879.80**
	2017–18	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	1	3.450	54.37	0	0	0	0	1	54.37
		जल संसाधन विभाग	20	5.065	119.92	0	0	0	0	20	119.92
	योग		**21**	**8.515**	**174.29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**174.29**
	2018–19	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	6	6.570	207.46	0	0	0	0	6	207.46

जिला का नाम	अधिनिर्णय का वर्ष	अपेक्षक निकाय/ विभाग	भूमि प्रकरण			संपत्तियों के प्रकरण		पुनर्वासन प्रकरण		कुल प्रकरण	अधिनिर्णय की कुल राशि
			संख्या	क्षेत्रफल	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
		जल संसाधन विभाग	16	3.960	124.24	0	0	0	0	16	124.24
	योग		**22**	**10.530**	**331.70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**331.70**
	2019–20	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	2	6.352	120.05	0	0	0	0	2	120.05
		जल संसाधन विभाग	3	1.127	24.35	0	0	0	0	3	24.35
	योग		**5**	**7.479**	**144.40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**144.40**
	महायोग		**80**	**62.174**	**1,557.17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**1,557.17**
3. होशंगाबाद	2015–16	लोक निर्माण विभाग	3	1.615	71.57	0	0	0	0	3	71.57
		रेलवे	2	10.840	412.58	0	0	0	0	2	412.58
	योग		**5**	**12.455**	**484.15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**484.15**
	2016–17	लोक निर्माण विभाग	1	0.831	42.82	0	0	0	0	1	42.82
		रेलवे	1	5.564	92.14	0	0	0	0	1	92.14
	योग		**2**	**6.395**	**134.96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**134.96**
	2017–18	लोक निर्माण विभाग	2	1.922	138.20	0	0	0	0	2	138.20
		रेलवे	2	6.585	2,311.66	0	0	0	0	2	2,311.66
		नगरीय प्रशासन विकास विभाग	1	0.579	17.37	0	0	0	0	1	17.37
	योग		**5**	**9.086**	**2,467.23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**2,467.23**
	2018–19	लोक निर्माण विभाग	1	0.113	3.49	0	0	0	0	1	3.49
		रेलवे	8	65.064	14,967.75	0	0	0	0	8	14,967.75
	योग		**9**	**65.177**	**14,971.24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**14,971.24**

जिला का नाम	अधिनिर्णय का वर्ष	अपेक्षक निकाय/विभाग	भूमि प्रकरण			संपत्तियों के प्रकरण		पुनर्वासन प्रकरण		कुल प्रकरण	अधिनिर्णय की कुल राशि
			संख्या	क्षेत्रफल	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
	2019–20	लोक निर्माण विभाग	1	0.276	12.49	0	0	0	0	1	12.49
		रेलवे	1	0.054	57.78	0	0	0	0	1	57.78
	योग		**2**	**0.330**	**70.27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**70.27**
	महायोग		**23**	**93.443**	**18,127.85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**18,127.85**
4. जबलपुर	2015–16	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	2	0.070	1.34	0	0	0	0	2	1.34
		भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	14	4.872	367.63	0	0	0	0	14	367.63
	योग		**16**	**4.942**	**368.97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**368.97**
	2016–17	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	24	8.029	431.63	15	568.63	0	0	39	1,000.26
		लोक निर्माण विभाग	1	0.914	155.40	0	0	0	0	1	155.40
		जल संसाधन विभाग	3	4.722	41.90	0	0	0	0	3	41.90
	योग		**28**	**13.665**	**628.93**	**15**	**568.63**	**0**	**0**	**43**	**1,197.56**
	2017–18	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	4	0.741	80.29	0	0	0	0	4	80.29
		भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	0	0.000	0	1	6.17	0	0	1	6.17
		नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	3	3.680	658.02	0	0	0	0	3	658.02
		पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	1	0.160	6.05	0	0	0	0	1	6.05

जिला का नाम	अधिनिर्णय का वर्ष	अपेक्षक निकाय/ विभाग	भूमि प्रकरण			संपत्तियों के प्रकरण		पुनर्वास प्रकरण		कुल प्रकरण	अधिनिर्णय की कुल राशि
			संख्या	क्षेत्रफल	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
		लोक निर्माण विभाग	2	2.459	94.56	0	0	0	0	2	94.56
		जल संसाधन विभाग	2	139.820	785.25	0	0	0	0	2	785.25
	योग		**12**	**146.860**	**1,624.17**	**1**	**6.17**	**0**	**0**	**13**	**1,630.34**
	2018–19	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	1	1.530	81.66	0	0	0	0	1	81.66
		भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	1	0.720	17.09	8	21.72	0	0	9	38.81
		लोक निर्माण विभाग	1	0.020	5.38	0	0	0	0	1	5.38
		जल संसाधन विभाग	5	123.440	1,196.57	0	0	0	0	5	1,196.57
	योग		**8**	**125.710**	**1,300.70**	**8**	**21.72**	**0**	**0**	**16**	**1,322.42**
	2019–20	जल संसाधन विभाग	5	207.225	3,109.32	0	0	0	0	5	3,109.32
	योग		**5**	**207.225**	**3,109.32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**3,109.32**
	महायोग		**69**	**498.402**	**7,032.09**	**24**	**596.52**	**0**	**0**	**93**	**7,628.61**
5. राजगढ़	2015–16	जल संसाधन विभाग	6	528.043	1,730.81	1	10.94	0	0	7	1,741.75
	योग		**6**	**528.043**	**1,730.81**	**1**	**10.94**	**0**	**0**	**7**	**1,741.75**
	2016–17	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	10	6.830	505.29	0	0	0	0	10	505.29
		जल संसाधन विभाग	23	2,099.075	22,239.19	9	4,604.78	15	7,450.31	47	34,294.28
	योग		**33**	**2,105.905**	**22,744.48**	**9**	**4,604.78**	**15**	**7,450.31**	**57**	**34,799.57**
	2017–18	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	8	1.612	1,370.39	0	0	0	0	8	1,370.39
		लोक निर्माण विभाग	1	0.463	13.83	0	0	0	0	1	13.83

जिला का नाम	अधिनिर्णय का वर्ष	अपेक्षक निकाय/ विभाग	भूमि प्रकरण			संपत्तियों के प्रकरण		पुनर्वासन प्रकरण		कुल प्रकरण	अधिनिर्णय की कुल राशि
			संख्या	क्षेत्रफल	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
		जल संसाधन विभाग	71	2,971.974	31,090.50	4	1,394.89	16	6,111.56	91	38,596.95
	योग		**80**	**2,974.049**	**32,474.72**	**4**	**1,394.89**	**16**	**6,111.56**	**100**	**39,981.17**
	2018–19	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	15	32.052	3,900.88	8	68.09	0	0	23	3,968.97
		लोक निर्माण विभाग	1	0.676	4.46	0	0	0	0	1	4.46
		रेलवे	8	78.707	490.69	0	0	0	0	8	490.69
		जल संसाधन विभाग	49	2,186.369	21,530.79	10	1,740.26	47	12,310.00	106	35,581.05
	योग		**73**	**2,297.804**	**25,926.82**	**18**	**1,808.35**	**47**	**12,310.00**	**138**	**40,045.17**
	2019–20	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	4	0.849	106.73	3	44.39	0	0	7	151.12
		लोक निर्माण विभाग	19	18.615	1,424.25	0	0	0	0	19	1,424.25
		जल संसाधन विभाग	44	824.153	9,168.75	7	159.00	24	1,439.00	75	10,766.75
	योग		**67**	**843.617**	**10,699.73**	**10**	**203.39**	**24**	**1,439.00**	**101**	**12,342.12**
	महायोग		**259**	**8,749.418**	**93,576.56**	**42**	**8,022.35**	**102**	**27,310.87**	**403**	**1,28,909.78**
6. सागर	2015–16	वन विभाग	1	45.980	1,150.00	0	0	1	670.00	2	1,820.00
		जल संसाधन विभाग	23	989.884	12,175.67	0	0	2	75.89	25	12,251.56
	योग		**24**	**1,035.864**	**13,325.67**	**0**	**0**	**3**	**745.89**	**27**	**14,071.56**
	2016–17	वन विभाग	3	349.320	4,140.00	0	0	0	0	3	4,140.00
		मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	2	0.904	62.51	0	0	0	0	2	62.51
		लोक निर्माण विभाग	11	3.970	54.24	0	0	0	0	11	54.24

जिला का नाम	अधिनिर्णय का वर्ष	अपेक्षक निकाय/ विभाग	भूमि प्रकरण			संपत्तियों के प्रकरण		पुनर्वासन प्रकरण		कुल प्रकरण	अधिनिर्णय की कुल राशि
			संख्या	क्षेत्रफल	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
		जल संसाधन विभाग	54	139.600	1,637.11	0	0	1	3.64	55	1,640.75
	योग		**70**	**493.794**	**5,893.86**	**0**	**0**	**1**	**3.64**	**71**	**5,897.50**
	2017–18	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	7	4.971	458.29	0	0	0	0	7	458.29
		लोक निर्माण विभाग	1	0.030	0.43	0	0	0	0	1	0.43
		जल संसाधन विभाग	28	307.370	4,241.23	1	666.23	0	0	29	4,907.46
	योग		**36**	**312.371**	**4,699.95**	**1**	**666.23**	**0**	**0**	**37**	**5,366.18**
	2018–19	लोक निर्माण विभाग	7	2.069	1,348.59	0	0	0	0	7	1,348.59
		जल संसाधन विभाग	92	1,262.273	19,532.86	0	0	5	608.78	97	20,141.64
	योग		**99**	**1,264.342**	**20,881.45**	**0**	**0**	**5**	**608.78**	**104**	**21,490.23**
	2019–20	जल संसाधन विभाग	17	268.255	4,111.50	0	0	0	0	17	4,111.50
	योग		**17**	**268.255**	**4,111.50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**4,111.50**
	महायोग		**246**	**3,374.626**	**48,912.43**	**1**	**666.23**	**9**	**1,358.31**	**256**	**50,936.97**
योग			**716**	**12,928.603**	**1,82,911.98**	**68**	**9,286.21**	**111**	**28,669.18**	**895**	**2,20,867.37**

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट–2.1.3

(संदर्भः कंडिका 2.1.7, पृष्ठ संख्या 14)

मध्य प्रदेश के चयनित छः जिलों में मार्च 2020 की स्थिति में अपेक्षक निकायवार भूमि–अर्जन के लंबित प्रकरणों की स्थिति

स. क्र.	अपेक्षक निकाय/ विभाग का नाम	जिला का नाम	माँग वर्ष	अर्जन का प्रयोजन	मांगों की संख्या	लंबित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	लंबित रहने का कारण
1	जल संसाधन विभाग	भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, राजगढ़ एवं सागर	2015-20	सिंचाई परियोजनाओं के लिए भूमि	166	8,693.907	प्रतिकर की राशि जमा नहीं किया जाना, घोषणा का प्रकाशन लंबित होना, आपसी सहमति से क्रय प्रकरणों में भूमि अर्जन के लिए कलेक्टर का अनुमोदन लंबित रहना इत्यादि।
2	रेलवे	भोपाल, राजगढ़ एवं सागर	2017-20	रेलवे लाईन बिछाने के लिए	41	364.844	भूमि का सीमांकन एवं धारा 21 के अंतर्गत सूचना जारी किए जाने के बाद की कार्यवाहियाँ लंबित रहना।
3	लोक निर्माण विभाग	ग्वालियर, जबलपुर, राजगढ़ एवं सागर	2017-20	सड़क, पहुँच मार्ग एवं पुल का निर्माण	22	14.010	घोषणा के प्रकाशन के बाद की कार्यवाहियों का ना होना, आपसी सहमति से क्रय प्रकरणों में भू–स्वामियों की सहमति प्राप्त न होना, भू–अभिलेखों में परिवर्तित मालिक का नाम दर्ज नहीं किया जाना इत्यादि।
4	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	भोपाल एवं सागर	2018-19 एवं 2016-17	सड़क निर्माण, टोल लेन का चौड़ीकरण	2	7.908	आक्षेप के निपटान हेतु विभाग से उत्तर प्रतीक्षित।
5	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	राजगढ़	2019-20	सड़क का निर्माण	1	2.505	अभिलेखों में कोई विशेष कारण नहीं पाया गया।
6	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	भोपाल	2018-19	भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए	1	0.194	विभाग से निधियों की प्राप्ति न होना।

स. क्र.	अपेक्षक निकाय/ विभाग का नाम	जिला का नाम	माँग वर्ष	अर्जन का प्रयोजन	मांगों की संख्या	लंबित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	लंबित रहने का कारण
7	मध्य प्रदेश आवास एवं पर्यावरण (पूंजीगत परियोजना प्रशासन)	भोपाल	2018-19	सड़क का निर्माण	1	0.133	विभाग के पास बजट उपलब्ध नहीं था।
योग					**234**	**9,083.501**	

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट–2.1.4

(संदर्भः कंडिका 2.1.9.3 (i) एवं (ii), पृष्ठ संख्या 25)

भारत सरकार के स्पष्टीकरण पश्चात अधिनिर्णयों के संशोधन में विलंब दर्शाता विवरण

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में एवं ₹ लाख में)

स. क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल	अधिनिर्णित प्रतिकर	अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर	कम निर्धारित राशि	हितग्राहियों की संख्या	कम निर्धारण के कारण
भू–अर्जन कार्यवाहियाँ जो पुराने भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत आरंभ हुई एवं अधिनिर्णय नए अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पारित किया गया									
1	ग्वालियर	ग्वालियर	100/अ–82/2011–12	3.271	36.50	78.39	41.89	51	प्रारंभिक अधिसूचना के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के बिक्री–छांट के स्थान पर प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि के निकटतम तीन वर्षों के बिक्री–छांट लिए गए। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार औसत विक्रय मूल्य की गणना नहीं की गई थी। कलेक्टर गाईडलाईन दर गलत तरीके से अपनाया गया। तोषण प्रतिकर के 100 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत परिगणित किया गया। 01 जनवरी 2014 की स्थिति में लागू भूमि के बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया गया।
2	ग्वालियर	ग्वालियर	80/अ–82/2011–12	10.065	111.47	242.43	130.96	121	प्रारंभिक अधिसूचना के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के बिक्री–छांट के स्थान पर प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि के निकटतम तीन वर्षों के बिक्री–छांट लिए गए। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार औसत विक्रय मूल्य की गणना नहीं की गई। कलेक्टर गाईडलाईन दर गलत तरीके से अपनाया गया। तोषण प्रतिकर के 100 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत परिगणित किया गया। 01 जनवरी 2014 की स्थिति में लागू भूमि के बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया गया।
3	ग्वालियर	ग्वालियर	127/अ–82/2011–12	1.640	15.42	33.72	18.30	12	प्रारंभिक अधिसूचना के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के बिक्री–छांट के स्थान पर प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि के निकटतम तीन

स. क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल	अधिनिर्णित प्रतिकर	अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर	कम निर्धारित राशि	हितग्राहियों की संख्या	कम निर्धारण के कारण
									वर्षों के बिक्री–छांट लिए गए। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार औसत विक्रय मूल्य की गणना नहीं की गई। कलेक्टर गाईडलाईन दर गलत तरीके से अपनाया गया। तोषण प्रतिकर के 100 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत परिगणित किया गया। 01 जनवरी 2014 की स्थिति में लागू भूमि के बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया गया।
4	ग्वालियर	ग्वालियर	122/अ–82/2011–12	1.700	15.95	35.10	19.15	18	अधिनियम के प्रावधान के अनुसार औसत विक्रय मूल्य की गणना नहीं की गई। कलेक्टर गाईडलाईन दर गलत तरीके से अपनाया गया। तोषण प्रतिकर के 100 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत परिगणित किया गया। 01 जनवरी 2014 की स्थिति में लागू भूमि के बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया गया।
5	ग्वालियर	ग्वालियर	116/अ–82/2011–12	0.970	8.66	20.02	11.36	11	प्रारंभिक अधिसूचना के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के बिक्री–छांट के स्थान पर प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि के निकटतम तीन वर्षों के बिक्री–छांट लिए गए। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार औसत विक्रय मूल्य की गणना नहीं की गई। कलेक्टर गाईडलाईन दर गलत तरीके से अपनाया गया। तोषण प्रतिकर के 100 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत परिगणित किया गया। 01 जनवरी 2014 के स्थिति में लागू भूमि के बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया गया।
6	ग्वालियर	ग्वालियर	25/अ–82/2012–13	6.014	62.95	159.19	96.24	61	प्रारंभिक अधिसूचना के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के बिक्री–छांट के स्थान पर प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि के निकटतम तीन वर्षों के बिक्री–छांट लिए गए। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार औसत विक्रय मूल्य की गणना नहीं की गई थी। कलेक्टर गाईडलाईन दर गलत तरीके से अपनाया गया। तोषण प्रतिकर के 100 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत परिगणित किया गया।

स. क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल	अधिनिर्णित प्रतिकर	अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर	कम निर्धारित राशि	हितग्राहियों की संख्या	कम निर्धारण के कारण
									01 जनवरी 2014 की स्थिति में लागू भूमि के बाजार मूल्य पर विचार नहीं किया गया।
7	ग्वालियर	ग्वालियर	42 / अ–82 / 2012–13	3.710	68.97	137.57	68.60	36	प्रारंभिक अधिसूचना के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के बिक्री–छांट के स्थान पर प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि के निकटतम तीन वर्षों के बिक्री–छांट लिए गए। औसत विक्रय मूल्य और कलेक्टर गाईडलाइन दर गलत तरीके से निर्धारित किये गये। तोषण प्रतिकर के 100 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत परिगणित किया गया।
8	ग्वालियर	ग्वालियर	36 / अ–82 / 2012–13	0.150	0.91	1.62	0.71	02	औसत विक्रय मूल्य एवं कलेक्टर गाईडलाईन दर गलत रुप से निर्धारित किए गए। तोषण प्रतिकर के 100 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत परिगणित किया गया।
9	ग्वालियर	ग्वालियर	32 / अ–82 / 2012–13	0.700	4.23	7.57	3.34	07	औसत विक्रय मूल्य एवं कलेक्टर गाईडलाईन दर गलत रुप से निर्धारित किए गए। तोषण प्रतिकर के 100 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत परिगणित किया गया।
10	ग्वालियर	ग्वालियर	34 / अ–82 / 2012–13	0.080	0.78	5.47	4.69	02	औसत विक्रय मूल्य एवं कलेक्टर गाईडलाईन दर गलत रुप से निर्धारित किए गए। तोषण प्रतिकर के 100 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत परिगणित किया गया।
11	ग्वालियर	ग्वालियर	46 / अ–82 / 2012–13	0.200	2.38	5.59	3.21	01	प्रारंभिक अधिसूचना के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के बिक्री–छांट के स्थान पर प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि के निकटतम तीन वर्षों के बिक्री–छांट लिए गए। औसत विक्रय मूल्य एवं कलेक्टर गाईडलाइन दर गलत रूप से निर्धारित किये गये। तोषण प्रतिकर के 100 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत परिगणित किया गया।
योग				**28.500**	**328.22**	**726.67**	**398.45**	**322**	

भूमि अर्जन कार्यवाहियाँ जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आरंभ की गई एवं अधिनिर्णय अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किया गया									
1	जबलपुर	सिहोरा	02/अ–82/ 2015–16	0.700	29.43	61.23	31.80	13	प्रतिकर का अधिनिर्णय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार कलेक्टर गाईडलाईन 2012–13 के आधार पर किया गया। जबकि 01.01.2015 से प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम, 2013 के अनुसार कलेक्टर गाईडलाईन 2014–15 के आधार पर किया जाना था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अनुसार तोषण एवं अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया। भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए आई.जी.आर. गाईडलाईन 2014–15 के उपखण्ड 9 (0.030 हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए गणना प्लॉट दर पर की जानी थी और उसके ऊपर कृषि दर पर) का पालन नहीं किया गया।
2	जबलपुर	सिहोरा	08/अ–82/ 2015–16	0.160	19.63	37.33	17.70	05	कलेक्टर गाईडलाईन वर्ष 2014–15 के स्थान पर 2012–13 की दर को अपनाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार प्रतिकर की गणना की गई। 12 प्रतिशत ब्याज एवं तोषण पर विचार नहीं किया गया। आई.जी.आर. गाईडलाईन के उप नियम 4.4 के प्रावधान (0.030 हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए गणना प्लॉट दर पर की जानी थी और 0.030 हेक्टेयर के ऊपर कृषि दर पर) का पालन नहीं किया गया।
3	जबलपुर	सिहोरा	04/अ–82/ 2015–16	0.040	28.88	77.38	48.50	02	कलेक्टर गाईडलाईन वर्ष 2014–15 के स्थान पर 2012–13 की दर को अपनाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार प्रतिकर की गणना की गई। 12 प्रतिशत ब्याज एवं तोषण पर विचार नहीं किया गया। आई.जी.आर. गाईडलाईन के उप नियम 4.3 के प्रावधान (0.050 हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए गणना प्लॉट दर पर की जानी थी और 0.050 हेक्टेयर के ऊपर सिंचित/असिंचित भूमि दर) का पालन नहीं किया गया।
योग				**0.900**	**77.94**	**175.94**	**98.00**	**20**	

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट–2.1.5
(संदर्भः कंडिका 2.1.9.6 (i) एवं (ii), पृष्ठ संख्या 28)
चयनित जिलों में 2015–20 के दौरान प्रतिकर के कम निर्धारण के प्रकरणों को दर्शाता विवरण

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में एवं ₹ लाख में)

क्र.स.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल	अधिनिर्णित प्रतिकर	अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर	कम निर्धारित राशि	हितग्राहियों की संख्या	कम निर्धारण के कारण
जल संसाधन विभाग के प्रकरणों में सिंचित भूमि का असिंचित भूमि में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण									
1	ग्वालियर	ग्वालियर	21/अ–82/2014–15	2.402	60.49	90.74	30.25	20	53 भू–स्वामियों में से 20 की भूमि बोरवेल/परिवार के सदस्य के बोरवेल तथा सिंचाई के अन्य स्रोतों से सिंचित थी। भूमि का बाजार मूल्य असिंचित दर से निर्धारित किया गया जबकि भूमि सिंचित थी।
2	राजगढ़	सारंगपुर	11/अ–82/2015–16	77.038	330.62	471.53	140.91	65	77.038 हेक्टेयर भूमि में से 40.437 हेक्टेयर भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण बिना बिक्री–छांट पर विचार किए कलेक्टर गाईडलाईन दर के अनुसार किया गया। जबकि भूमि के बिक्री–छांट के अनुसार औसत विक्रय मूल्य कलेक्टर गाईडलाइन दर से अधिक था, जिसके कारण भूमि के मूल्य का कम निर्धारण हुआ। शेष 36.601 हेक्टेयर का खसरा, भूमि को सिंचित इंगित करता है। किंतु, सिंचाई के समर्थन में प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण भूमि का बाजार मूल्य असिंचित दर पर निर्धारित किया गया।
3	राजगढ़	नरसिंहगढ़	07/अ–82/2017–18	62.069	1,208.84	1,558.42	349.58	72	कलेक्टर ने औसत विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट तरीका नहीं अपनाया। जिसके कारण औसत विक्रय मूल्य कम परिगणित किया गया। इसके फलस्वरुप 58.314 हेक्टेयर भूमि के लिए ₹ 3.25 करोड़ का कम मूल्यांकन हुआ। शेष 3.755 हेक्टेयर का खसरा भूमि को

क्र.स.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल	अधिनिर्णित प्रतिकर	अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर	कम निर्धारित राशि	हितग्राहियों की संख्या	कम निर्धारण के कारण
									सिंचित इंगित करता है। किंतु, सिंचाई के समर्थन में प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण भूमि का बाजार मूल्य असिंचित दर पर निर्धारित किया गया।
4	सागर	बण्डा	13 / अ–82 / 2012–13	61.570	341.64	613.59	271.95	73	राजस्व विभाग एवं जल संसाधन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार भूमि नदी, नाला, कुंआ / अन्य कुंआ जैसे सिंचाई स्रोतों तथा बिना स्रोत के सिंचित थी। किंतु, भूमि का बाजार मूल्य असिंचित दर पर निर्धारित किया गया जिसके फलस्वरुप प्रतिकर का कम निर्धारण हुआ।
5	सागर	सागर	24 / अ–82 / 2017–18	6.099	88.66	177.10	88.44	14	6.099 हेक्टेयर भूमि के अन्य के कुंओ से सिंचाई के स्रोत को बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु असिंचित माना गया।
6	सागर	सागर	31 / अ–82 / 2017–18	37.970	369.64	734.30	364.66	39	37.970 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई के स्रोत (अन्य के कुंआ / बोरवेल एवं पत्नी का कुंआ से) को बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु असिंचित माना गया था।
7	सागर	सागर	29 / अ–82 / 2017–18	8.290	59.73	112.98	53.25	14	8.290 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई के स्रोत (अन्य के कुंए तथा दूसरे खसरा में स्थित स्वयं के कुंए से) को भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु असिंचित के रुप में माना गया।
8	सागर	सागर	30 / अ–82 / 2017–18	18.510	124.84	248.60	123.76	21	18.510 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई के स्रोत (अन्य के कुंआ / माता एवं पति के कुंए से) को भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु असिंचित के रुप में माना गया था।
9	सागर	देवरी	16 / अ–82 / 2012–13	21.280	105.48	215.16	109.68	28	21.280 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई के स्रोत (अन्य के कुंए / नदी तथा पिता, भाई एवं पुत्र के कुंए से) को भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु असिंचित के रुप में माना गया।

क्र.स.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल	अधिनिर्णित प्रतिकर	अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर	कम निर्धारित राशि	हितग्राहियों की संख्या	कम निर्धारण के कारण
10	सागर	मालथौन	67/अ–82/2017–18	0.400	4.66	9.25	4.59	01	0.400 हेक्टेयर भूमि के लिए स्वयं के पक्का कुंआ से सिंचाई के स्रोत को भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु असिंचित माना गया था।
11	सागर	देवरी	82/अ–82/2016–17	1.700	8.57	16.48	7.91	03	1.700 हेक्टेयर भूमि के लिए अन्य के कुंआ/बोरवेल से सिंचाई के स्रोत को भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु असिंचित के रुप में माना गया था।
योग				**297.328**	**2,703.17**	**4,248.15**	**1,544.98**	**350**	
रेलवे एवं अन्य विभाग									
1	ग्वालियर	ग्वालियर	8/अ–82/2016–17	1.340	13.40	13.51	0.11	28	भूमि के मूल्यांकन के लिए गाईडलाईन दर वर्ष 2017–18 जो कि धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशन का वर्ष था के स्थान पर 2016–17 को अपनाया गया था।
2	ग्वालियर	ग्वालियर	22/अ–82/2017–18	5.020	101.76	132.43	30.67	91	गाईडलाईन दर वर्ष 2018–19 जो कि धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशन का वर्ष था के स्थान पर 2017–18 को अपनाया गया था।
3	होशंगाबाद	इटारसी	1/अ–82/2014–15	0.477	79.65	130.18	50.53	01	कलेक्टर गाईडलाईन दर को गलत तरीके से अपनाया गया था।
4	होशंगाबाद	इटारसी	3/अ–82/2016–17	0.530	96.47	120.10	23.63	01	आई.जी.आर. मार्गदर्शिका तथा कलेक्टर गाईडलाईन दर 2017–18 में कृषि भूमि के लिए निर्दिष्ट उपखण्ड की कंडिका 4.3 के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में विशेष गाँव में डाईवर्टेड भूमि के अर्जन के प्रकरण में 500 वर्ग मीटर तक भूमि के मूल्य का निर्धारण प्लॉट दर पर तथा शेष क्षेत्र का निर्धारण कृषि दर के 1.5 गुणक दर पर किया जाना था। इस प्रकरण में, शेष भूमि के मूल्य का निर्धारण कृषि दर के 1.5 गुणक के स्थान पर एक गुणक दर पर परिगणित किया गया था।

क्र.स.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल	अधिनिर्णित प्रतिकर	अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर	कम निर्धारित राशि	हितग्राहियों की संख्या	कम निर्धारण के कारण
5	होशंगाबाद	इटारसी	6/अ–82/ 2016–17	0.325	19.89	29.87	9.98	01	आई.जी.आर. मार्गदर्शिका 2017–18 में कृषि भूमि के लिए निर्दिष्ट सहायक उपनियम की कंडिका 4.3 के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्र में विशेष गाँव में डाईवर्टेड भूमि के अर्जन के प्रकरण में 500 वर्ग मीटर तक भूमि के मूल्य का निर्धारण प्लॉट दर पर तथा शेष क्षेत्र का निर्धारण कृषि दर के 1.5 गुणक दर पर किया जाना था। इस प्रकरण में, भू–स्वामी को खसरा क्रमांक 234 के लिए प्लॉट दर (500 वर्गमीटर क्षेत्र तक) पर प्रतिकर दिया गया। कुल क्षेत्र 0.677 हेक्टेयर में से शेष क्षेत्र 0.627 हेक्टेयर का भुगतान कृषि दर के 1.5 गुणक पर किया गया था। आगे, हमने पाया कि उसी भू–स्वामी को 0.325 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र (सर्वे नम्बर 236/3 तथा 236/4) के अर्जन में प्लॉट दर का लाभ प्रदान नहीं किया गया किंतु 0.325 हेक्टेयर (500 वर्गमीटर के ऊपर) भूमि के मूल्य का निर्धारण कृषि दर के 1.5 गुणक यथा ₹ 42.50 लाख प्रति हेक्टेयर के स्थान पर कृषि दर के एक गुणक यथा ₹ 28.50 लाख प्रति हेक्टेयर को अपनाकर किया गया था।
6	होशंगाबाद	होशंगाबाद	4/अ–82/ 2013–14	0.054	2.00	7.97	5.97	04	आई.जी.आर. मार्गदर्शिका तथा कलेक्टर गाईडलाईन दर 2014–15 में कृषि भूमि के लिए निर्दिष्ट उपखण्ड की कंडिका 9 के अनुसार भूमि का मूल्य 300 वर्ग मीटर तक (छोटे प्लॉट के लिए) ₹ 700 वर्ग मीटर की दर से निर्धारित की जानी थी। प्लॉट दर अपनाने के स्थान पर चार व्यक्तियों के भूमि सर्वे संख्या 198 (00.016 हेक्टेयर), 205/1 (क्षेत्र 0.006 हेक्टेयर), 229/1 (क्षेत्र 0.008 हेक्टेयर) और 286 (क्षेत्र 0.006 हेक्टेयर) के मूल्य का निर्धारण कृषि दर ₹ 17,50,000/– प्रति हेक्टेयर पर किया गया था।

क्र.स.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल	अधिनिर्णित प्रतिकर	अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर	कम निर्धारित राशि	हितग्राहियों की संख्या	कम निर्धारण के कारण
7	राजगढ़	राजगढ़	43/अ–82/ 2017–18	5.980	28.65	39.46	10.81	03	भूमि का औसत विक्रय मूल्य कम परिगणित किया गया था।
योग				**13.726**	**341.82**	**473.52**	**131.70**	**129**	

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट–2.1.6

(संदर्भः कंडिका 2.1.9.9 (i) पृष्ठ संख्या 32)

अतिरिक्त प्रतिकर के अधिक भुगतान को दर्शाता विवरण

क्र. स.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अधिनिर्णित प्रतिकर (₹ लाख में)	अतिरिक्त प्रतिकर (₹ लाख में)	हितग्राहियों की संख्या	देय अतिरिक्त प्रतिकर (लेखापरीक्षा के अनुसार) (₹ लाख में)	अतिरिक्त प्रतिकर की अधिक राशि (₹ लाख में)
1	ग्वालियर	ग्वालियर	22/अ–82/2017–18	5.020	101.76	5.19	110	2.73	2.46
2	ग्वालियर	ग्वालियर	11/अ–82/2016–17	0.350	124.52	9.25	69	0.21	9.04
3	ग्वालियर	ग्वालियर	19/अ–82/2017–18	1.332	18.29	1.43	37	1.29	0.14
4	जबलपुर	कुण्डम	01/अ–82/2015–16	52.840	293.99	22.54	45	19.74	2.80
5	जबलपुर	कुण्डम	02/अ–82/2015–16	86.980	491.26	37.66	54	32.49	5.17
6	सागर	बण्डा	13/अ–82/2012–13	214.730	2,405.13	217.56	306	163.15	54.41
7	सागर	बण्डा	22/अ–82/2012–13	225.210	3,021.46	314.99	346	213.04	101.95
8	सागर	बण्डा	14/अ–82/2012–13	264.929	3,498.31	367.01	320	315.16	51.85
9	सागर	बीना	02/अ–82/2016–17	0.826	1,271.15	113.08	10	98.22	14.86
10	सागर	देवरी	82/अ–82/2016–17	41.920	412.50	25.39	38	24.20	1.19
11	सागर	सागर	27/अ–82/2017–18	65.050	1,361.71	53.96	38	53.20	0.76
12	सागर	सागर	25/अ–82/2017–18	19.980	660.07	26.36	20	25.61	0.75
13	सागर	सागर	26/अ–82/2017–18	64.370	1,734.62	82.28	95	74.47	7.81
14	सागर	सागर	31/अ–82/2017–18	181.683	3,134.77	269.06	258	239.05	30.01
15	सागर	सागर	29/अ–82/2017–18	75.030	806.86	92.22	87	91.29	0.93

क्र. स.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अधिनिर्णित प्रतिकर (₹ लाख में)	अतिरिक्त प्रतिकर (₹ लाख में)	हितग्राहियों की संख्या	देय अतिरिक्त प्रतिकर (लेखापरीक्षा के अनुसार) (₹ लाख में)	अतिरिक्त प्रतिकर की अधिक राशि (₹ लाख में)
16	सागर	सागर	30/अ–82/2017–18	60.650	741.39	64.01	89	56.67	7.34
17	सागर	सागर	33/अ–82/2015–16	198.920	2,965.31	221.05	255	196.76	24.29
18	सागर	सागर	23/अ–82/2016–17	39.860	663.70	43.82	53	43.37	0.45
योग				**1,599.68**	**23,706.80**	**1,966.86**	**2,230**	**1,650.65**	**316.21**

(स्रोत : विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट–2.1.7

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.9 (ii) एवं (iii), पृष्ठ संख्या 32)

कम/अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

कम अवधि के लिए अतिरिक्त प्रतिकर											
स.क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	भुगतान किया गया अतिरिक्त प्रतिकर		देय अतिरिक्त प्रतिकर		कम भुगतान किया गया अतिरिक्त प्रतिकर	अधिनिर्णित प्रतिकर की राशि	लाभार्थियों की संख्या	दिनों की संख्या जिसके लिए कम भुगतान किया गया
				दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि				
1	ग्वालियर	ग्वालियर	22/अ-82/ 2017-18	327	2.73	511	4.27	1.54	101.76	110	184
2	भोपाल	हुजूर	10/अ-82/ 2012-13	642	42.04	718	47.02	4.98	443.47	11	76
3	भोपाल	बैरसिया	06/अ-82/ 2017-18	308	36.87	323	38.66	1.79	765.00	61	15
4	भोपाल	हुजूर	02/अ-82/ 2014-15	316	22.92	363	26.33	3.41	464.22	7	47
5	होशंगाबाद	इटारसी	01/अ-82/ 2014-15	670	221.21	913	294.91	73.70	2,267.98	51	243
6	होशंगाबाद	होशंगाबाद	04/अ-82/ 2013-14	365	22.56	396	24.48	1.92	399.49	50	31
7	सागर	देवरी	16/अ-82/ 2012-13	825	36.77	1,004	44.74	7.97	311.24	52	179
योग					**385.10**		**480.41**	**95.31**	**4,753.16**	**342**	**775**

(₹ लाख में)

अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त प्रतिकर											
स.क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	भुगतान किया गया अतिरिक्त प्रतिकर		देय अतिरिक्त प्रतिकर		अधिक भुगतान किया गया अतिरिक्त प्रतिकर	अधिनिर्णित प्रतिकर की राशि	लाभार्थियो की संख्या	दिनों की संख्या जिसके लिए अधिक भुगतान किया गया
				दिनों की संख्या	राशि	दिनों की संख्या	राशि				
1	होशंगाबाद	इटारसी	10/अ-82/ 2019-20	670	3.78	68	0.60	3.18	57.78	4	602
2	होशंगाबाद	इटारसी	01/अ-82/ 2015-16	365	3.12	140	2.05	1.07	92.14	21	225
3	सागर	मालथौन	68/अ-82/ 2017-18	238	33.30	183	25.61	7.69	884.95	67	55
4	सागर	सागर	27/अ-82/ 2017-18	251	53.20	230	48.75	4.45	1,361.71	38	21
5	सागर	सागर	29/अ-82/ 2017-18	785	91.29	447	51.98	39.31	806.86	87	338
6	सागर	बीना	02/अ-82/ 2016-17	594	98.22	270	44.65	53.57	1,271.15	10	324
7	सागर	सागर	23/अ-82/ 2016-17	430	43.37	163	16.44	26.93	663.70	53	267
8	सागर	देवरी	82/अ-82/ 2016-17	399	24.20	243	14.74	9.46	412.50	38	156
9	सागर	मालथौन	67/अ-82/ 2017-18	238	27.33	183	21.01	6.32	725.89	56	55
10	राजगढ़	नरसिंहगढ	07/अ-82/ 2017-18	608	110.31	551	99.96	10.35	1,214.70	73	57
योग					**488.12**		**325.79**	**162.33**	**7,491.38**	**447**	**2,100**

(स्रोत : विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट–2.1.8
(संदर्भः कंडिका 2.1.9.10, पृष्ठ संख्या 33)
कम तोषण के भुगतान को दर्शाता विवरण

(क्षेत्र हेक्टेयर में एवं ₹ लाख में)

स. क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	क्षेत्र	अधिनिर्णित प्रतिकर	देय तोषण की राशि	भुगतान की गई तोषण की राशि	कम भुगतान की गई तोषण की राशि	हितग्राहियों की कुल संख्या
1	भोपाल	हुजूर	10/अ–82/2012–13	1.660	443.47	202.23	199.20	3.03	11
2	होशंगाबाद	होशंगाबाद	04/अ–82/2013–4	10.745	399.49	188.89	188.04	0.85	50
3	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	01/अ–82/2015–16	0.831	42.82	20.74	20.22	0.52	6
4	होशंगाबाद	इटारसी	01/अ–82/2014–15	5.498	2,267.98	1,064.28	982.49	81.79	51
5	होशंगाबाद	सिवनी मालवा	01/अ–82/2016–17	1.381	118.81	57.82	57.54	0.28	8
6	होशंगाबाद	इटारसी	01/अ–82/2016–17	16.699	5,153.40	2,409.93	2,406.55	3.38	48
7	होशंगाबाद	इटारसी	06/अ–82/2016–17	8.890	1,550.43	728.14	721.30	6.84	31
8	होशंगाबाद	इटारसी	03/अ–82/2016–17	7.128	1,269.29	593.23	593.03	0.20	13
9	होशंगाबाद	इटारसी	05/अ–82/2016–17	8.191	1,064.75	498.21	496.97	1.24	30
10	होशंगाबाद	इटारसी	08/अ–82/2016–17	0.360	8.97	8.46	00	8.46	1
11	राजगढ़	ब्यावरा	01/अ–82/2015–16	53.558	570.98	266.15	241.04	25.11	110
12	राजगढ़	ब्यावरा	03/अ–82/2016–17	239.302	2,425.82	1,238.60	1,100.08	138.52	354
13	राजगढ़	नरसिंहगढ़	07/अ–82/2017–18	62.346	1,214.71	552.57	551.83	0.74	73
योग				**416.589**	**16,530.92**	**7,829.25**	**7,558.29**	**270.96**	**786**

(स्रोत : विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट–2.1.9

(संदर्भः कंडिका 2.1.9.11 (i), पृष्ठ संख्या 33)

अक्टूबर 2020 की स्थिति में पाँच जिलों में भू–स्वामियों को अधिनिर्णीत/स्वीकृत प्रतिकर के लंबित भुगतान को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	अपेक्षक निकाय	अधिनिर्णित कुल प्रतिकर की राशि	हितग्राहयों की कुल संख्या	वितरित नहीं हुये प्रतिकर		लंबित रहने के कारण
							हितग्राहियों की संख्या	प्रतिकर की राशि	
1	ग्वालियर	ग्वालियर	11/अ-82/ 2014-15	जल संसाधन विभाग	330.60	63	7	13.27	भू–अर्जन अधिकारी के समक्ष किसानों का उपस्थिति न होना।
2	ग्वालियर	ग्वालियर	21/अ -82/ 2014-15	जल संसाधन विभाग	358.51	98	10	23.41	प्रकरण संदर्भित न्यायालय में है।
3	ग्वालियर	ग्वालियर	09/अ -82/ 2016-17	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	10.61	11	7	7.07	स्वामित्व का विवाद
4	ग्वालियर	ग्वालियर	8/अ -82/ 2016-17	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	13.40	28	10	3.42	भू–अर्जन अधिकारी के समक्ष किसानों का उपस्थिति न होना।
5	ग्वालियर	ग्वालियर	22/अ -82/ 2014-15	जल संसाधन विभाग	56.09	8	1	0.38	भू–अर्जन अधिकारी के समक्ष किसानों का उपस्थिति न होना।
6	ग्वालियर	ग्वालियर	26/अ -82/ 2017-18	जल संसाधन विभाग	12.88	10	9	10.48	भू–अर्जन अधिकारी के समक्ष किसानों का उपस्थिति न होना।
7	ग्वालियर	ग्वालियर	11/अ -82/ 2016-17	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	124.52	69	13	31.67	स्वामित्व का विवाद
8	ग्वालियर	ग्वालियर	19/अ -82/ 2017-18	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	18.29	37	31	10.53	न्यायालय प्रकरण

स. क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	अपेक्षक निकाय	अधिनिर्णित कुल प्रतिकर की राशि	हितग्राहयों की कुल संख्या	वितरित नहीं हुये प्रतिकर		लंबित रहने के कारण
							हितग्राहियों की संख्या	प्रतिकर की राशि	
9	ग्वालियर	ग्वालियर	20/अ -82/ 2017-18	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	15.47	14	11	12.58	प्रकरण संदर्भित न्यायालय में है।
10	ग्वालियर	ग्वालियर	21/अ-82/ 2017-18	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	36.45	17	9	11.81	भू–अर्जन अधिकारी के समक्ष किसानों का उपस्थिति न होना।
11	ग्वालियर	ग्वालियर	122/अ-82/ 2011-12	जल संसाधन विभाग	15.95	18	5	2.53	प्रकरण संदर्भित न्यायालय में है।
12	ग्वालियर	ग्वालियर	13/अ-82/ 2017-18	जल संसाधन विभाग	9.36	5	2	2.30	किसान गाँव में नहीं रह रहे थे।
13	ग्वालियर	ग्वालियर	04/अ -82/ 2014-15	जल संसाधन विभाग	14.72	8	3	8.13	कोई विशिष्ट कारण नहीं पाया गया।
14	ग्वालियर	ग्वालियर	22/अ -82/ 2017-18	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम	101.76	110	14	3.97	कोई विशिष्ट कारण नहीं पाया गया।
15	भोपाल	हुजूर	5/अ-82/ 2017-18	रेलवे	2,451.80	25	6	198.86	किसानों को सूचना दी गई लेकिन उन्होने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया।
16	भोपाल	हुजूर	6/अ-82/2017-18	रेलवे	1,107.90	13	10	538.11	किसानों को सूचना दी गई लेकिन उन्होने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया।
17	भोपाल	हुजूर	11/अ -82/2017-18	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	699.79	15	10	507.58	कोई विशेष कारण नहीं पाया गया।
18	भोपाल	हुजूर	19/अ -82/2017-18	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	61.26	2	2	60.45	कोई विशेष कारण नहीं पाया गया।
19	भोपाल	हुजूर	08/अ -82/2017-18	रेलवे	358.29	13	7	183.71	किसानों को सूचना दी गई लेकिन उन्होने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया।
20	भोपाल	हुजूर	17/अ -82/2017-18	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	300.18	12	5	137.89	कोई विशेष कारण नहीं पाया गया।

स. क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	अपेक्षक निकाय	अधिनिर्णित कुल प्रतिकर की राशि	हितग्राहयों की कुल संख्या	वितरित नहीं हुये प्रतिकर		लंबित रहने के कारण
							हितग्राहियों की संख्या	प्रतिकर की राशि	
21	भोपाल	बैरसिया	06/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	765.00	61	17	234.50	किसानों को सूचना दी गई लेकिन उन्होने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया।
22	भोपाल	हुजूर	10/अ -82/2017-18	रेलवे	2,612.27	75	50	1,102.51	किसानों को सूचना दी गई लेकिन उन्होने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया।
23	भोपाल	हुजूर	18/अ -82/2017-18	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	37.44	2	1	13.35	किसानों को सूचना दी गई लेकिन उन्होने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया।
24	भोपाल	हुजूर	01/अ -82/2017-18	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	1,636.78	62	52	1,224.12	किसानों को सूचना दी गई लेकिन उन्होने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया।
25	भोपाल	हुजूर	07/अ -82/2017-18	रेलवे	735.84	19	8	217.90	किसानों को सूचना दी गई लेकिन उन्होने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया।
26	होशंगाबाद	इटारसी	01/अ -82/2016-17	रेलवे	5,153.40	48	5	665.36	विवाद और अपेक्षित दस्तावेज की प्रस्तुत नहीं किया जाना।
27	होशंगाबाद	इटारसी	02/अ -82/2016-17	रेलवे	4,994.68	44	1	113.78	कोई विशेष कारण नहीं पाया गया।
28	होशंगाबाद	इटारसी	03/अ -82/2016-17	रेलवे	1,269.29	13	5	310.78	विवाद एवं निधि उपलब्ध न होना
29	होशंगाबाद	इटारसी	04/अ -82/2016-17	रेलवे	275.32	16	5	81.96	विवाद एवं निधि उपलब्ध न होना
30	होशंगाबाद	इटारसी	05/अ -82/2016-17	रेलवे	1,064.75	30	3	45.94	विवाद
31	होशंगाबाद	इटारसी	06/अ -82/2016-17	रेलवे	1,550.43	31	6	305.18	विवाद, निधि उपलब्ध न होना तथा अपेक्षित दस्तावेज की प्रस्तुत न किया जाना
32	होशंगाबाद	इटारसी	08/अ -82/2016-17	रेलवे	8.97	1	1	8.97	विवाद (न्यायालय प्रकरण)
33	होशंगाबाद	होशंगाबाद	04/अ -82/2013-14	रेलवे	399.49	50	5	33.52	विवाद एवं न्यायालय प्रकरण

स. क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	अपेक्षक निकाय	अधिनिर्णित कुल प्रतिकर की राशि	हितग्राहयों की कुल संख्या	वितरित नहीं हुये प्रतिकर		लंबित रहने के कारण
							हितग्राहियों की संख्या	प्रतिकर की राशि	
34	सागर	सागर	24/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	2,877.89	155	8	78.07	कलेक्टर द्वारा विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया
35	सागर	सागर	27/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	1,361.71	38	5	65.73	कलेक्टर द्वारा विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया
36	सागर	मालथौन	67/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	725.89	56	4	50.60	कलेक्टर द्वारा विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया
37	सागर	सागर	31/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	3,134.77	258	147	657.38	कलेक्टर द्वारा विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया
38	सागर	देवरी	82/अ -82/2016-17	जल संसाधन विभाग	412.50	38	1	3.81	किसानों को सूचना दी गई लेकिन उन्होने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया।
39	सागर	बण्डा	13/अ -82/2012-13	जल संसाधन विभाग	2,405.13	306	18	72.64	किसानों को सूचना दी गई लेकिन उन्होने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया।
40	सागर	सागर	30/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	741.39	89	45	452.04	भुगतान प्राप्त करने के लिए किसानों को सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
41	सागर	बण्डा	10/अ -82/2013-14	जल संसाधन विभाग	12.49	4	1	0.08	भुगतान प्राप्त करने के लिए किसानों को सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
42	सागर	मालथौन	68/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	884.95	67	7	20.99	भुगतान प्राप्त करने के लिए किसानों को सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
43	सागर	बण्डा	14/अ -82/2012-13	जल संसाधन विभाग	3,498.31	320	32	362.62	भुगतान प्राप्त करने के लिए किसानों को सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
44	सागर	सागर	33/अ -82/2015-16	जल संसाधन विभाग	2,965.31	255	108	1,155.18	भुगतान प्राप्त करने के लिए किसानों को सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।

स. क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	अपेक्षक निकाय	अधिनिर्णित कुल प्रतिकर की राशि	हितग्राहयों की कुल संख्या	वितरित नहीं हुये प्रतिकर		लंबित रहने के कारण
							हितग्राहियों की संख्या	प्रतिकर की राशि	
45	सागर	सागर	29/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	806.86	87	35	431.08	भुगतान प्राप्त करने के लिए किसानों को सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
46	सागर	बण्डा	22/अ -82/2012-13	जल संसाधन विभाग	3,021.46	346	21	48.80	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना दी गई थी लेकिन किसानों ने प्रतिकर प्राप्त नहीं किया।
47	सागर	देवरी	16/अ -82/2012-13	जल संसाधन विभाग	311.24	52	6	1.72	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
48	सागर	सागर	25/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	660.07	20	1	8.96	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
49	सागर	सागर	26/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	1,734.62	95	15	179.72	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
50	सागर	सागर	23/अ -82/2016-17	जल संसाधन विभाग	663.70	53	5	7.00	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
51	जबलपुर	जबलपुर	01/अ -82/2015-16	लोक निर्माण विभाग	93.90	17	17	93.90	राशि प्राप्ति न होना
52	जबलपुर	कुण्डम	01/अ -82/2015-16	जल संसाधन विभाग	293.99	45	2	15.40	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
53	जबलपुर	पाटन	02/अ -82/2017-18	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	81.66	3	1	21.88	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
54	जबलपुर	कुण्डम	04/अ -82/2016-17	जल संसाधन विभाग	908.00	79	8	50.20	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
55	जबलपुर	कुण्डम	01/अ -82/2018-19	जल संसाधन विभाग	2,485.02	451	21	254.00	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।

स. क्र.	जिला का नाम	भू–अर्जन अधिकारी का नाम	भू–अर्जन प्रकरण संख्या	अपेक्षक निकाय	अधिनिर्णित कुल प्रतिकर की राशि	हितग्राहयों की कुल संख्या	वितरित नहीं हुये प्रतिकर		लंबित रहने के कारण
							हितग्राहियों की संख्या	प्रतिकर की राशि	
56	जबलपुर	कुण्डम	08/अ-82/2016-17	जल संसाधन विभाग	127.10	16	3	12.80	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
57	जबलपुर	कुण्डम	03/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	228.50	34	8	47.60	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
58	जबलपुर	कुण्डम	03/अ -82/2015-16	जल संसाधन विभाग	59.07	20	6	16.65	कोई विशिष्ट कारण नहीं पाया गया।
59	जबलपुर	कुण्डम	02/अ -82/2017-18	जल संसाधन विभाग	211.69	21	3	34.75	भुगतान प्राप्त करने के लिए सूचना प्रेषित नहीं की गई थी।
योग					**57,308.71**	**3,953**	**859**	**10,269.62**	

(स्रोत : विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट–2.1.10

(संदर्भः कंडिका 2.1.12.2 एवं 2.1.12.3, पृष्ठ संख्या 42)

भूमि अर्जन प्रक्रिया में विलंब जिससे भूमि का उपयोग एवं परियोजना कार्य की पूर्णता प्रभावित हुई को दर्शाता विवरण

स. क्र.	जिला का नाम	परियोजना का नाम (अपेक्षक निकाय)	अर्जन की प्रकृति	संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	जबलपुर	ग्राम पिपरिया–सोनपुर से बोरलॉग संस्थान, जबलपुर तक मौजूदा सड़क जिसकी लंबाई 3.30 कि.मी. है का 3.75 मीटर से 7.00 मीटर का चौड़ीकरण **(लोक निर्माण विभाग)**	अनिवार्य भू–अर्जन	लोक निर्माण विभाग ने भूमि का सीमांकन नहीं होने के कारण प्रशासनिक स्वीकृति (जून 2012) की तिथि से 41 माह बीत जाने के पश्चात ग्राम पिपरिया में 2.429 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत (नवंबर 2015) किया। कलेक्टर जबलपुर ने लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर ₹ 93.90 लाख का अवार्ड पारित (फरवरी 2018) किया। अर्जित भूमि, ठेकेदार को कार्यपूर्णता की प्रस्तावित तिथि यथा मार्च 2014 के पूर्व उपलब्ध नहीं कराया जा सका। प्रस्ताव की प्रस्तुति में विलंब के फलस्वरुप भूमि अर्जन में विलंब हुआ। आगे, हमने पाया कि प्रतिकर की राशि का भू–स्वामियों को भुगतान नहीं किया गया क्योंकि यह विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं था। कलेक्टर ने भी अवार्ड पारित करने से पूर्व निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की। अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर ने बताया (नवंबर 2020) कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अवार्ड की राशि जमा नहीं किए जाने के कारण सड़क का निर्माण नहीं किया गया।
2.	ग्वालियर	हरसी बायपास सड़क का निर्माण **(मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम)**	सहमति से भूमि क्रय नीति	कलेक्टर ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रस्ताव (सितंबर 2016) पर 20 भू–स्वामियों की सहमति के बाद 4.145 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन के लिए ₹ 65.32 लाख स्वीकृत (अगस्त 2017) किया। कलेक्टर ने भूमि अर्जन के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को अनुमति (अगस्त 2017) दी। हमने पाया कि 0.695 हेक्टेयर भूमि के अर्जन के लिए पाँच[1] भू–स्वामियों को ₹ 65.32 लाख में से ₹ 10.95 लाख के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया एवं कलेक्टर की स्वीकृति आदेश के 38 माह व्यतीत होने के पश्चात भी विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया।

[1] चार व्यक्तियों के 0.685 हेक्टेयर एवं एक व्यक्ति का 0.010 हेक्टेयर (सर्वे नम्बर 556/3 में अपेक्षित 0.040 हेक्टेयर में से 0.030 हेक्टेयर का अर्जन किया गया)।

स. क्र.	जिला का नाम	परियोजना का नाम (अपेक्षक निकाय)	अर्जन की प्रकृति	संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष
				ठेकेदार के साथ किए गए अनुबंध (अक्टूबर 2016) के अनुसार कार्य आठ माह के भीतर यथा, 13 जून 2017 तक पूर्ण किया जाना था। कलेक्टर ने प्रस्ताव को स्वीकृत करने में एक वर्ष का समय लिया, अतः विलंबित स्वीकृति तथा विक्रय विलेख निष्पादित नहीं होने के कारण अपेक्षित भूमि कार्य–पूर्णता की प्रस्तावित तिथि के पूर्व ठेकेदार को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। आगे, ठेकेदार ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को सूचित (जून 2020) किया कि संपूर्ण विक्रय विलेख तथा भूमि के चिन्हांकन के अभाव में आगामी निर्माण (चैनेज 45940 से 46990) कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने बताया कि बायपास सड़क का कार्य भूमि अर्जन के कारण अंशतः प्रभावित हुआ है। परियोजना को पूर्ण करने का समय 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया एवं आगे 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ाना जाना प्रक्रियाधीन है।
3.	जबलपुर	उर्रम एवं घूघरा नाला (हिरापुर) टैंक परियोजना का निर्माण **(जल संसाधन विभाग)**	सहमति से भूमि क्रय नीति	कार्यपालन यंत्री ने कलेक्टर को ग्राम उर्रम में 2.35 हेक्टेयर तथा ग्राम कोहली में 2.28 हेक्टेयर भूमि के अर्जन के लिए निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि क्रमशः फरवरी 2016 और जून 2015 के बाद प्रस्ताव प्रेषित (सितम्बर 2016) किया। इसके कारण कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत (फरवरी 2017) करने में विलंब हुआ। इस प्रकार, परियोजना कार्य के लिए कार्य–पूर्णता की निर्धारित तिथि से पूर्व भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। ग्राम उर्रम में परियोजना का निर्माण कार्य जो जनवरी 2015 में आरंभ किया गया था, कार्य–पूर्णता की प्रस्तावित तिथि से 14 माह के विलंब के साथ पूर्ण किया गया। ग्राम कोहली में जून 2015 में आरंभ किया गया निर्माण कार्य लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2020) की तिथि तक अभी भी अपूर्ण था। भू–अर्जन अधिकारी, पाटन ने दोनों गाँव में 4.33 हेक्टेयर भूमि अर्जन के लिए 11 भू–स्वामियों में से 10 भू–स्वामियों को स्वीकृत राशि ₹ 40.76 लाख में से ₹ 38.06 लाख के प्रतिकर का भुगतान (मई और जून 2017) किया तथा ग्राम उर्रम में एक भू–स्वामी लापता था।

स. क्र.	जिला का नाम	परियोजना का नाम (अपेक्षक निकाय)	अर्जन की प्रकृति	संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष
4.	भोपाल	भोपाल–बैरसिया–सिरोंज सड़क राज्य राजमार्ग 23 पर ग्रेड सेपेरेटर (बायपास जंक्शन पर) की तरफ सर्विस सड़क का निर्माण **(मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम)**	आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति	कलेक्टर, भोपाल ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रस्ताव क्रमशः दिसम्बर 2017 और मई 2017 पर दो गाँवों अरवलिया और लम्बाखेडा में 0.402 हेक्टेयर निजी भूमि का अर्जन (नवंबर 2019 और नवंबर 2017) स्वीकृत किया, जिसपर मार्च 2016 में कार्य आरंभ किया गया एवं कार्य–पूर्णता की प्रस्तावित तिथि मार्च 2018 थी। यद्यपि भूमि–अर्जन प्रक्रिया में विलंब के कारण, सर्विस रोड के लिए भूमि अक्टूबर 2018 में उपलब्ध कराई गई। जिसके परिणामस्वरूप सर्विस रोड का कार्य अक्टूबर से दिसंबर 2018 के मध्य पूर्ण किया गया था। अरवलिया गाँव में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा भूमि कलेक्टर की स्वीकृति (नवंबर 2019) से पूर्व अक्टूबर 2018 में आधिपत्य में ली गई थी जैसा कि **कंडिका 2.1.9.4** में चर्चा की गई है। दो गाँवों के 20 भू–स्वामियों को स्वीकृत राशि ₹ 1.29 करोड़ में से 15 भू–स्वामियों[2] के ₹ 51.64 लाख का भुगतान अधिग्रहण से पूर्व नहीं किया गया था। लम्बाखेड़ा गाँव के 0.095 हेक्टेयर तथा अरवलिया गाँव के 0.150 हेक्टेयर में से 0.019 हेक्टेयर का विक्रय विलेख का निष्पादन दिसंबर 2018 और अक्टूबर 2020 के मध्य हुआ। शेष 0.131 हेक्टेयर (ग्राम अरवलिया) का विक्रय विलेख नहीं किया गया तथा प्रतिकर की राशि ₹ 38.98 लाख का भुगतान लेखापरीक्षा की तिथि (अक्टूबर 2020) तक 13 भू–स्वामियों को नहीं किया गया था।
5.	सागर	कृषि उपज मंडी समिति, बीना के लिए नए आँगन (कोर्टयार्ड) का निर्माण	सहमति से भूमि क्रय नीति	संयुक्त निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने कलेक्टर, सागर को 13.36 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव (जुलाई 2017) दिया। कलेक्टर, सागर ने भूमि अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ–82/2017–18 में चार भू–स्वामियों को भूमि अर्जन के लिए ₹ 9.53 करोड़ की प्रतिकर की राशि स्वीकृत (जनवरी 2018) की तथा संयुक्त निदेशक को स्वीकृति की तिथि से तीन माह के भीतर, विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया। आगे, कलेक्टर ने संयुक्त निदेशक के अनुरोध (जनवरी 2018) पर सचिव, कृषि उपज मंडी समिति द्वारा उक्त भूमि के अर्जन तथा विक्रय विलेख के

[2] ग्राम अरवलिया (₹ 43.72 लाख, 14 भू–स्वामी) लम्बाखेड़ा (₹ 7.92 लाख, एक भू–स्वामी)

स. क्र.	जिला का नाम	परियोजना का नाम (अपेक्षक निकाय)	अर्जन की प्रकृति	संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष
				निष्पादन के लिए आदेश जारी (फरवरी 2018) किया। सचिव ने उक्त भूमि का अर्जन भू–स्वामियों की सहमति की तिथि (28.11.2017) से एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि जैसा कि आपसी सहमति से क्रय नीति के अंतर्गत अपेक्षित था के भीतर नहीं किया। भूमि का अर्जन नहीं किये जा सकने का कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया।
6.	सागर	पंचम नगर वृहद सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के डूब क्षेत्र के बाहर प्रभावित घरों का अर्जन **(जल संसाधन विभाग)**	अनुदान	कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर, सर्वेक्षण प्रभाग, हट्टा ने डूब प्रभावित क्षेत्र के बाहर 2.50 हेक्टेयर में स्थित 182 घरों के अर्जन के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव प्रस्तुत (जून 2017) किया। कलेक्टर ने भू–अर्जन प्रकरण सं. 53/अ–82/2017–18 में 180 व्यक्तियों को अनुदान के रुप में प्रतिकर के भुगतान के लिए ₹ 6.66 करोड़ स्वीकृत (जनवरी 2018) किया। आवश्यक निधि ₹ 6.66 करोड़ कार्यपालन यंत्री द्वारा कलेक्टर के व्यक्तिगत जमा खाता में जमा (फरवरी 2018) किया गया। जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने अनुदान के 80 प्रतिशत का भुगतान प्रथम किश्त में तथा शेष 20 प्रतिशत का भुगतान घरों को खाली कराये जाने/तोड़े जाने के बाद करने के लिए निर्देशित (जनवरी 2018) किया था। तदनुसार, कलेक्टर ने प्रथम किश्त में 129 व्यक्तियों को ₹ 3.80 करोड़ का भुगतान (जून 2018 और दिसंबर 2019 के मध्य) किया तथा शेष 51 व्यक्तियों को ₹ 1.53 करोड़ का भुगतान न किए जाने का कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया। ₹ 2.86 करोड़ की निधि की उपलब्धता के बावजूद कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के आदेश के दो वर्ष एवं 10 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी घरों को अधिग्रहित करने के लिए कार्यवाही नहीं की (अक्टूबर 2020 की स्थिति में)।
7.	भोपाल	टेम मध्यम सिंचाई परियोजना **(जल संसाधन विभाग)**	अनिवार्य भू–अर्जन	आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अंतर्गत टेम मध्यम सिंचाई परियोजना, जिला विदिशा के लिए खेदली गाँव में 61 भूमि–स्वामियों से 56.010 हेक्टेयर भूमि को अर्जित करने का जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव (मार्च 2018) कलेक्टर भोपाल द्वारा जुलाई 2018 में अनुमोदित किया गया। क्योंकि भूमि–स्वामियों ने अपनी भूमि विक्रय करने से मना कर दिया, तत्पश्चात कलेक्टर ने अधिनियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत जनवरी 2020 में ₹ 7.65 करोड़ के लागत का अवार्ड पारित किया किया। जल संसाधन विभाग

स. क्र.	जिला का नाम	परियोजना का नाम (अपेक्षक निकाय)	अर्जन की प्रकृति	संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष
				ने नवंबर 2017 में ₹ 16.30 करोड़ (अन्य अधिनिर्णय की निधियों सहित) का भुगतान किया। निधि की उपलब्धता के बावजूद, भू–अर्जन अधिकारी ने 44 भू–स्वामियों को ₹ 5.30 करोड़ का भुगतान 10 माह के विलंब से किया तथा शेष 17 भूमि–स्वामियों को देय ₹ 2.35 करोड़ लंबित था। भू–अर्जन अधिकारी ने 49 भू–स्वामियों के संपत्तियों का मूल्य निर्धारण भी नहीं किया। परिणामस्वरुप, कलेक्टर समय से अधिग्रहण नहीं कर सका तथा परियोजना की पूर्णता अवधि जल संसाधन विभाग द्वारा अक्टूबर 2021 से मई 2023 तक बढ़ाया गया।

(स्रोत : विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट–2.1.11

(संदर्भः कंडिका 2.1.13.2, पृष्ठ संख्या 45)

प्राधिकरण/समुचित सरकार के वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को दर्शाता विवरण

धारा	अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
11	ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण तथा अधिकारियों के शक्तियों को दर्शाता प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन।	भूमि–अर्जन प्रयोजन के लिए पृथक वेबसाईट का सृजन नहीं किया गया। यद्यपि, केवल सागर जिले में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन जिला स्तरीय एन.आई.सी. वेबसाइट पर अपलोड किया गया। अन्य जिलों ने अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किया।
14	प्रारंभिक अधिसूचना के लिए समयावधि में विस्तार।	भूमि–अर्जन प्रयोजनों के लिए पृथक वेबसाईट का सृजन नहीं किया गया।
18	अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना।	भूमि–अर्जन प्रयोजनों के लिए पृथक वेबसाईट का सृजन नहीं किया गया।
19	घोषणा और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का सारांश तथा समय–सीमा के विस्तार का प्रकाशन।	भू–अर्जन प्रयोजनों के लिए पृथक वेबसाईट का सृजन नहीं किया गया था। यद्यपि, केवल सागर जिले में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन जिला स्तरीय एन.आई.सी. वेबसाइट पर अपलोड किया गया। अन्य जिलों ने अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किया।
21	भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर के दावें के लिए सूचना। सुनवाई में अनुपस्थित व्यक्तियों को सूचना।	भूमि–अर्जन प्रयोजनों के लिए पृथक वेबसाईट का सृजन नहीं किया गया।
25	अधिनिर्णय की अवधि का विस्तार।	भूमि–अर्जन प्रयोजनों के लिए पृथक वेबसाईट का सृजन नहीं किया गया।
37	प्रतिकर सहित भू–अर्जन की संपूर्ण कार्यवाही।	भूमि–अर्जन प्रयोजनों के लिए पृथक वेबसाईट का सृजन नहीं किया गया।
92 (3)	नहीं पाये गये व्यक्तियों को सूचना।	भूमि–अर्जन प्रयोजनों के लिए पृथक वेबसाईट का सृजन नहीं किया गया।

(स्रोत : अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा जिलों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 2.2.1

(संदर्भः कंडिका 2.2.6.5, पृष्ठ संख्या 55)

चिपकने न फूलने वाली मिट्टी (सी.एन.एस.) बिछाने से पहले टैंपिंग की अस्वीकार्य मद के निष्पादन के कारण अतिरिक्त लागत

स. क्र.	संभाग का नाम	ठेकेदार का नाम/अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	कार्य का कुल प्राक्कलित मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादित टैम्पिंग की मात्रा (वर्गमीटर में)	प्रदत्त दर (₹ प्रति वर्गमीटर)	अतिरिक्त लागत (₹में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)
1	जल संसाधन संभाग, हरदा	मेसर्स एल.सी.सी . प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 01डीएल/2018–19	माचक, खिरकिया, रेवापुर एवं सोनतलाई वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग एवं ढाँचों की मरम्मत का कार्य	37.19	5,83,172.06	16.91	98,61,439.53
2	हांडिया शाखा नहर, संभाग टिमरनी	मेसर्स कृपा निधि कंस्ट्रक्शन 01डीएल/2018–19	अजनाई, रूंडले एवं हरदा वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग एवं ढाँचों की मरम्मत का कार्य	26.11	4,47,399.80	12.51	55,96,971.50
3	तवा परियोजना संभाग, इटारसी	मेसर्स मंगुकिया ब्रदर्स 02डीएल/2018–19	आर.डी. 0 किलोमीटर से 31.05 किलोमीटर तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य एवं इटारसी वितरिका में ढाँचों का नवीनीकरण	14.61	2,00,716.10	15.42	30,95,042.26
4	पिपरिया शाखा नहर संभाग, सोहागपुर	मेसर्स एलसीसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 01डीएल/2018–19	सांकला, माछा वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्य	38.13	5,65,210.41	15.63	88,34,238.71
5	बांयी तट नहर (एल.बी.सी.) संभाग, सिवनी मालवा	मेसर्स एलसीसी प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड 01डीएल/2018–19	भिलाड़िया एवं चौटलाय वितरिका की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	19.30	3,05,035.80	15.13	46,15,191.65

स. क्र.	संभाग का नाम	ठेकेदार का नाम/अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	कार्य का कुल प्राक्कलित मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादित टैम्पिंग की मात्रा (वर्गमीटर में)	प्रदत्त दर (₹ प्रति वर्गमीटर)	अतिरिक्त लागत (₹में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 (6*7)**
		मेसर्स दुर्गा इंजीनियर्स एवं अर्थ मूवर्स 15डीएल/2016–17	रायगढ़ वितरिका (आर.डी. 0 किलोमीटर. से 25.50 किलोमीटर तक) की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	13.01	1,83,151.00	10.43	19,10,264.93
		मेसर्स कोठारी इंटरप्राइजेज 14डीएल/2016–17	रायगढ़ वितरिका (आर.डी. 25.50 किलोमीटर से 30.00 किलोमीटर तक) की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	2.50	44,739.88	11.14	4,98,402.26
योग				**150.85**	**23,29,425.05**		**3,44,11,550.84**

परिशिष्ट 2.2.2

(संदर्भः कंडिका 2.2.6.6, पृष्ठ संख्या 56)

पेवर मशीन से सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के नीचे कंक्रीट स्लीपर एवं एल.डी.पी.ई. फिल्म का अनावश्यक प्रावधान

स.क्र.	संभाग का नाम	ठेकेदार का नाम/अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5
1	जल संसाधन संभाग, हरदा	मेसर्स एल.सी.सी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 01डीएल/2018–19	माचक, खिरकिया, रेवापुर एवं सोनतलाई वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	42.48
2	हांडिया शाखा नहर, संभाग टिमरनी	मेसर्स कृपा निधि कंस्ट्रक्शन, 01डीएल/2018–19	अजनाई, रूंडले एवं हरदा वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	26.81
3	तवा नहर संभाग, इटारसी	मेसर्स मंगुकिया ब्रदर्स 02डीएल/2018–19	आर.डी. 0 किलोमीटर से 31.05 किलोमीटर तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य एवं इटारसी वितरिका स्ट्रक्चर्स में ढाँचों का नवीनीकरण	14.94
4	पिपरिया शाखा नहर संभाग, सोहागपुर	मेसर्स एल.सी.सी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 01डीएल/2018–19	सांकला, माछा, सुकरवाड़ा एवं नसीराबाद वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्य	38.51
5	बांयी तट नहर (एल.बी.सी.) संभाग, सिवनी मालवा	मेसर्स एल.सी.सी. प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड 01डीएल/2018–19	भिलाड़िया एवं चौटलाय वितरिका की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	19.02

स. क्र.	पेवर मशीन से सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के नीचे कंक्रीट स्लीपर					पेवर मशीन से सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के नीचे एल.डी.पी.ई. फिल्म				
	विस्तृत प्राक्कलन में स्लीपर की मात्रा (घनमीटर में)	निष्पादित स्लीपर की मात्रा (घनमीटर में)	मात्रा में अंतर	वास्तविक दर (₹ प्रति घन मीटर)	अतिरिक्त भुगतान (₹ में)	विस्तृत प्राक्कलन में एल.डी.पी.ई. फिल्म की मात्रा (वर्गमीटर में)	निष्पादित एल. डी.पी.ई. फिल्म की मात्रा (वर्गमीटर में)	मात्रा में अंतर	वास्तविक दर (₹ प्रति वर्गमीटर)	अतिरिक्त भुगतान (₹ में)
	1	2	3 (1–2)	4	5 (3*4)	6	7	8 (6–7)	9	10 (8*9)
1	18,273.83	819.38	17,454.45	4,025.68	7,02,66,030.28	7,55,216.72	51,667.41	7,03,549.31	24.16	1,69,97,751.33
2	11,316.80	1,133.87	10,182.93	5,739.99	5,84,49,916.37	4,38,183.60	77,269.00	3,60,914.60	34.45	1,24,33,507.97
3	4,213.23	626.63	3,586.60	3,670.93	1,31,66,157.54	2,40,896.50	49,266.91	1,91,629.59	22.03	42,21,599.87
4	17,854.04	4,819.37	13,034.67	3,720.84	4,84,99,921.52	6,23,175.50	1,68,422.88	4,54,752.62	22.33	1,01,54,626.00
5	10,102.11	485.17	9,616.94	3,601.23	3,46,32,812.84	2,95,390.90	11,739.72	2,83,651.18	21.62	61,32,538.51
योग	**61,760.01**	**7,884.42**	**53,875.59**		**22,50,14,838.55**	**23,52,863.22**	**3,58,365.92**	**19,94,497.30**		**4,99,40,023.68**
महायोग	**22,50,14,838.55 + 4,99,40,023.68 = 27,49,54,862.23**									

परिशिष्ट 2.2.3

(संदर्भः कंडिका 2.2.9.1, पृष्ठ संख्या 65)

मानदंड से नीचे किये गये चिपकने न फूलने वाली मिट्टी (सी.एन.एस.) के कार्य का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	संभाग का नाम	ठेकेदार का नाम/अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	रिपोर्ट के अनुसार दबाव	निष्पादित सी.एन.एस. की मात्रा (वर्गमीटर में)	प्रदत्त दर (₹ प्रति वर्गमीटर)	सी.एन.एस. हेतु प्रदत्त राशि (₹ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	जल संसाधन संभाग, हरदा	मेसर्स एल.सी.सी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 01डीएल/2018–19	माचक, खिरकिया, रेवापुर एवं सोनतलाई वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग एवं ढाँचों की मरम्मत का कार्य	.073 से .098 किलोग्राम/वर्ग सेंटीमीटर	4,41,017.97	151.02	6,66,02,533.83
2	बांयी तट नहर (एल.बी.सी.) संभाग, सिवनी मालवा	मेसर्स एल.सी.सी. प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड 01डीएल/2018–19	भिलाड़िया एवं चौटलाय वितरिका की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	.085 से .090 किलोग्राम /वर्ग सेंटीमीटर	2,05,381.18	135.10	2,77,46,997.42
3	पिपरिया शाखा नहर (पी.बी.सी), सोहागपुर	मेसर्स एल.सी.सी. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 01डीएल/2018–19	सांकला, माछा, सुकरवाड़ा एवं नसीराबाद वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्य	.082 से .097 किलोग्राम /वर्ग सेंटीमीटर	3,95,870.21	139.58	5,52,55,563.91
4	तवा परियोजना संभाग, इटारसी	मेसर्स मंगुकिया ब्रदर्स	इटारसी वितरिका में ढाँचों का नवीनीकरण एवं सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य	दबाव परीक्षण नहीं किया गया।	1,67,563.61	137.72	2,30,76,860.37
5	पिपरिया शाखा नहर (पी.बी.सी), सोहागपुर	मेसर्स सरस्वती कंस्ट्रक्शन	पिपरिया शाखा नहर का सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्य	लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स निर्धारित मानदंडो से कम थे।	67,830.90	127.68	86,60,649.31
योग							**18,13,42,604.84**

परिशिष्ट 2.2.4

(संदर्भ : कंडिका 2.2.9.2, पृष्ठ संख्या 65)

सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्य के लिए बी.आई.एस. मानक मानदंडों से नीचे किये गये कार्य को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या/दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध का प्रकार	पी.ए.सी. (₹ लाख में)	एम–10 की क्रियान्वित मात्रा (घन मीटर में)	प्रदत्त दर (₹ में)	राशि (₹ में)
1	सोहागपुर	07/2016–17 दिनांकः 23.09. 2016	मेसर्स सरस्वती कंस्ट्रक्शन	दांयी तट नहर (आर.बी.सी.) सिस्टम की पिपरिया शाखा नहर की आर.डी. 0 मीटर से 56760 मीटर तक का सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्य	प्रतिशत दर	3,803.62	1,454.042	3,287.76	47,80,541.13
2	इटारसी	07/2016–17 दिनांकः 20.02. 2017	मेसर्स दुर्गा इंजीनियरिंग	एल.बी.एम.सी. के अंतर्गत इटारसी वितरिका के आर.डी. 0 से 31.38 किलोमीटर तक की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य	प्रतिशत दर	1,643.30	458.20	3,146.79	14,41,859.18
3	सिवनी मालवा	12/2016–17 दिनांकः 16.12. 2016	लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी	तवा एल.बी.एम.सी. की आर.डी. 45780 मीटर से 90240 मीटर तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का निर्माण	प्रतिशत दर	10,562.02	6,712.884	3,337.20	2,24,02,236.48
4	सिवनी मालवा	13/2016–17 दिनांकः 31.01. 2017	दुर्गा इंजीनियरिंग	मिसरोद वितरिका के लिए आर.डी. 0 मीटर से 15840 मीटर तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	प्रतिशत दर	844.76	1,733.07	3,096.59	53,66,607.23
5	सिवनी मालवा	14/2016–17 दिनांकः 07.02. 2017	कोठारी इंटरप्राइजेज	रायगढ़ वितरिका की आर. डी. 25500 से 30000 मीटर तक (4500 मीटर) सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	प्रतिशत दर	250.08	2,815.63	3,394.91	95,58,810.44

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या/दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध का प्रकार	पी.ए.सी. (₹ लाख में)	एम–10 की क्रियान्वित मात्रा (घन मीटर में)	प्रदत्त दर (₹ में)	राशि (₹ में)
6	सिवनी मालवा	15/2016–17 दिनांकः 13.02. 2017	दुर्गा इंजीनियरिंग	रायगढ़ वितरिका के लिए आर.डी. 0 से 25500 मीटर तक (25.5 किलोमीटर) सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	प्रतिशत दर	1,301.40	5,479.18	3,126.59	1,71,31,149.40
7	सिवनी मालवा	16/2016–17 दिनांकः 13.02. 2017	दुर्गा इंजीनियरिंग	मकडई वितरिका के लिए आर.डी. 0 से 22620 मीटर तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	प्रतिशत दर	1,659.29	2,005.29	3,088.35	61,93,037.37
8	सिवनी मालवा	01/2018–19 दिनांकः 06.04. 2018	मेसर्स एलसीसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	भिलाड़िया (0 किलोमीटर से 21.66 किलोमीटर.) एवं चौटलाय वितरिका (0 किलोमीटर से 19.83 किलोमीटर) की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का निर्माण	टर्नकी अनुबंध	1,929.60	485.17	3,601.23	17,47,208.76
9	हरदा	01/2018–19 दिनांकः 04.07. 2018	मेसर्स एलसीसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	माचक वितरिका, खिरकिया वितरिका, रेवापुर वितरिका एवं सोनतलाई वितरिका में सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का निर्माण	टर्नकी अनुबंध	4,164.82	1,592.19	4,025.68	64,09,647.44
10	टिमरनी	01/2018–19 दिनांकः 10.05. 2018	मेसर्स कृपानिधि कंस्ट्रक्शन	हांडिया शाखा नहर की अजनाई, रूंडले एवं हरदा वितरिका की ढाँचों का मरम्मत का कार्य एवं सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	टर्नकी अनुबंध	2,610.59	1,133.874	5,739.99	65,08,425.42
11	सोहागपुर	10/2016–17 दिनांकः 21.03. 2017	मेसर्स रामपाल सिंह	तवा दांयी तट नहर (आर.बी.सी.) के मुख्य नहर आर.डी. 810 मीटर से 3120 मीटर तक एवं बागरा शाखा नहर के आर.डी. 0 से 23220 मीटर तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग	प्रतिशत दर	2,128.62	331.61	3,180.64	10,54,732.03

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध संख्या/दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध का प्रकार	पी.ए.सी. (₹ लाख में)	एम–10 की क्रियान्वित मात्रा (घन मीटर में)	प्रदत्त दर (₹ में)	राशि (₹ में)
12	सोहागपुर	01/2018–19 दिनांकः 28.04. 2018	मेसर्स एलसीसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	सांकला वितरिका की आर.डी. 0 से 23910 मीटर तक, माछा वितरिका की आर. डी. 0 से 15450 मीटर तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, ढाँचों का निर्माण एवं पुराने ढाँचों की मरम्मत , पिपरिया शाखा नहर की पुरेना वितरिका एवं सुकरवाड़ा वितरिका की आर.डी. 0 से 30090 मीटर, तवा की बागरा शाखा नहर की नसीराबाद वितरिका आर.डी. 0 से 18660 मीटर तक का ढाँचा	टर्नकी अनुबंध	3,813.15	5,200.00	3,720.84	1,93,48,368.00
13	इटारसी	02/2018–19 दिनांकः 07.05. 2018	मेसर्स मंगुकिया ब्रदर्स	होशंगाबाद वितरिका के आर. डी. 0 से 31.05 किलोमीटर तक सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का कार्य एवं 16 ढाँचों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा इटारसी वितरिका के 3 नम्बर वी.आर.बी. का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण	टर्नकी अनुबंध	1,495.97	626.63	3,670.93	23,00,314.87
योग									**10,42,42,937.75**

परिशिष्ट–2.3.1
(संदर्भः कंडिका 2.3.8.1, पृष्ठ संख्या 76)
चयनित आठ जिलों में 2018–21 की अवधि के दौरान घटकवार लक्ष्य एवं लक्ष्य की पूर्ति

घटक का नाम	लक्ष्य	पूर्ति	पूर्ति प्रतिशत में
सहायक संचालक उद्यानिकी, दमोह			
क्षेत्र विस्तार रोपण (हेक्टेयर)	304.86	292.10	95.81
बागवानी यंत्रीकरण (उपकरणों की संख्या)	975.00	493.00	50.56
जैविक खेती (वर्मीबेड्स की संख्या)	309.00	309.00	100.00
एकीकृत फसलोपरान्त प्रबन्धन (सुविधाओं की संख्या)	19.00	8.00	42.11
मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण समर्थन (पेटिकाओं की संख्या)	1,886.00	2,103.00	111.51
उप संचालक उद्यानिकी, देवास			
क्षेत्र विस्तार रोपण (हेक्टेयर)	52.35	52.15	99.62
बागवानी यंत्रीकरण (उपकरणों की संख्या)	1,357.00	898.00	66.18
संरक्षित खेती (हेक्टेयर)	160.40	35.00	21.82
जैविक खेती (वर्मीबेड्स की संख्या)	2,315.00	2,315.00	100.00
एकीकृत फसलोपरान्त प्रबन्धन (सुविधाओं की संख्या)	87.00	4.00	4.60
सहायक संचालक उद्यानिकी, डिण्डोरी			
क्षेत्र विस्तार रोपण (हेक्टेयर)	147.30	145.93	99.07
बागवानी यंत्रीकरण (उपकरणों की संख्या)	1,241.00	1,157.00	93.23
संरक्षित खेती (हेक्टेयर)	8.60	5.20	60.47
जैविक खेती (वर्मीबेड्स की संख्या)	65.00	65.00	100.00
एकीकृत फसलोपरान्त प्रबन्धन (सुविधाओं की संख्या)	10.00	10.00	100.00
सहायक संचालक उद्यानिकी, ग्वालियर			
क्षेत्र विस्तार रोपण (हेक्टेयर)	1,061.85	669.95	63.09
बागवानी यंत्रीकरण (उपकरणों की संख्या)	810.00	4.00	0.49
संरक्षित खेती (हेक्टेयर)	48.90	18.52	37.87
जैविक खेती (वर्मीबेड्स की संख्या)	983.00	882.00	89.73
एकीकृत फसलोपरान्त प्रबन्धन (सुविधाओं की संख्या)	62.00	39.00	62.90
मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण समर्थन (पेटिकाओं की संख्या)	693.00	691.00	99.71
उप संचालक उद्यानिकी, खरगौन			
क्षेत्र विस्तार रोपण (हेक्टेयर)	70.13	70.00	99.81
बागवानी यंत्रीकरण (उपकरणों की संख्या)	492.00	465.00	94.51
संरक्षित खेती (हेक्टेयर)	34.82	30.90	88.74
जैविक खेती (वर्मीबेड्स की संख्या)	1,072.00	1,072.00	100.00

घटक का नाम	लक्ष्य	पूर्ति	पूर्ति प्रतिशत में
एकीकृत फसलोपरान्त प्रबन्धन (सुविधाओं की संख्या)	28.00	14.00	50.00
उप संचालक उद्यानिकी, मंदसौर			
क्षेत्र विस्तार रोपण (हेक्टेयर)	36.38	12.40	34.08
बागवानी यंत्रीकरण (उपकरणों की संख्या)	1,131.00	679.00	60.04
संरक्षित खेती (हेक्टेयर)	26.14	24.50	93.73
बगीचों का जीर्णोद्वार (हेक्टेयर)	89.00	59.64	67.01
जैविक खेती (वर्मीबेड्स की संख्या)	1,623.00	1,623.00	100.00
एकीकृत फसलोपरान्त प्रबन्धन (सुविधाओं की संख्या)	72.00	4.00	5.56
उप संचालक उद्यानिकी, रतलाम			
क्षेत्र विस्तार रोपण (हेक्टेयर)	42.37	42.21	99.62
बागवानी यंत्रीकरण (उपकरणों की संख्या)	279.00	97.00	34.77
संरक्षित खेती (हेक्टेयर)	32.76	32.19	98.26
जैविक खेती (वर्मीबेड्स की संख्या)	47.00	47.00	100.00
एकीकृत फसलोपरान्त प्रबन्धन (सुविधाओं की संख्या)	7.00	2.00	28.57
सहायक संचालक उद्यानिकी, सीधी			
क्षेत्र विस्तार रोपण (हेक्टेयर)	49.43	4.65	9.41
बागवानी यंत्रीकरण (उपकरणों की संख्या)	441.00	484.00	109.75
संरक्षित खेती (हेक्टेयर)	0.40	0.40	100.00
बगीचों का जीर्णोद्वार (हेक्टेयर)	21.00	0.95	4.52
जैविक खेती (वर्मीबेड्स की संख्या)	42.00	42.00	100.00
एकीकृत फसलोपरान्त प्रबन्धन (सुविधाओं की संख्या)	115.00	117.00	101.74
मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण समर्थन (पेटिकाओं की संख्या)	10,666.00	14,032.00	131.56

परिशिष्ट–2.3.2
(संदर्भः कंडिका 2.3.8.3 (ख), पृष्ठ संख्या 79)
सांकेतिक लागत के स्थान पर अधिकतम लागत स्वीकार करने के कारण अधिक अनुदान का भुगतान

(राशि ₹ में)

(I) उप संचालक उद्यानिकी, रतलाम द्वारा स्वीकृत अधिक अनुदान का विवरण

स. क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/ ब्लॉक	कार्य आदेश का दिनांक	लाभान्वित क्षेत्र में रोपित पौधों की संख्या	लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर)	स्वीकृत अनुदान राशि (₹ 1.50 लाख प्रति हेक्टेयर के 40% की दर से)	गणना की जाने वाली अनुदान राशि (₹1.10 लाख प्रति हेक्टेयर के 40% की दर से)	अधिक गणना की गई राशि	भुगतान की जाने वाली प्रथम किश्त	प्रथम किश्त में भुगतान की गई अनुदान राशि	प्रथम किश्त तक अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8–9)	11	12	13 (12–11)
1	कृष्ण लाल	शांति लाल	आलनिया/रतलाम	16.09.20	555	1.00	60,000	44,020	15,980	26,412	36,000	9,588
2	भूलीबाई	पन्नालाल	सरवड़/रतलाम	16.09.20	555	1.00	60,000	44,020	15,980	26,412	36,000	9,588
3	मोहन	बगदीराम	पिपलोडी/रतलाम	16.09.20	500	0.90	54,000	39,618	14,382	23,771	32,400	8,629
4	अमरूलाल	कचरू	जेठाना/पिपलौदा	23.09.20	278	0.50	30,000	22,010	7,990	13,206	18,000	4,794
5	छोटूलाल	मंगला जी	बीरमावल/रतलाम	16.09.20	278	0.50	30,000	22,010	7,990	13,206	18,000	4,794
6	प्रमेश	मंगला जी	रावडिया/रतलाम	16.09.20	555	1.00	60,000	44,020	15,980	26,412	36,000	9,588
7	प्रेमचन्द्र	रणछोड़	बाबरीखेड़ा/रतलाम	16.09.20	278	0.50	30,000	22,010	7,990	13,206	18,000	4,794
8	रमेश	लक्ष्मण	तन्धपाडा/रतलाम	16.09.20	278	0.50	30,000	22,010	7,990	13,206	18,000	4,794
9	पृथ्वीराज	सुखराम	आजमपुरदोदिया/पिपलौदा	23.09.20	313	0.50	30,000	22,010	7,990	13,206	18,000	4,794
10	रामचन्द्र	रामलाल	आजमपुरदोदिया/पिपलौदा	23.09.20	278	0.50	30,000	22,010	7,990	13,206	18,000	4,794
11	गिरधारी	नत्थू	पीपलखुटा/रतलाम	16.09.20	278	0.50	30,000	22,010	7,990	13,206	18,000	4,794
12	शंकरलाल	कनीराम	पिपलौदी/रतलाम	16.09.20	555	1.00	60,000	44,020	15,980	26,412	36,000	9,588

(I) उप संचालक उद्यानिकी, रतलाम द्वारा स्वीकृत अधिक अनुदान का विवरण

स. क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/ ब्लॉक	कार्य आदेश का दिनांक	लाभान्वित क्षेत्र में रोपित पौधों की संख्या	लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर)	स्वीकृत अनुदान राशि (₹ 1.50 लाख प्रति हेक्टेयर के 40% की दर से)	गणना की जाने वाली अनुदान राशि (₹1.10 लाख प्रति हेक्टेयर के 40% की दर से)	अधिक गणना की गई राशि	भुगतान की जाने वाली प्रथम किश्त	प्रथम किश्त में भुगतान की गई अनुदान राशि	प्रथम किश्त तक अधिक भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8–9)	11	12	13 (12–11)
13	अरविन्द	गोविन्दराम	कुआझगर/रतलाम	16.09.20	278	0.50	30,000	22,010	7,990	13,206	18,000	4,794
14	अमित	गोविन्दराम	कुआझगर/रतलाम	16.09.20	278	0.50	30,000	22,010	7,990	13,206	18,000	4,794
15	भरत	रामेश्वर	कुआझगर/रतलाम	16.10.20	555	1.00	60,000	44,020	15,980	26,412	36,000	9,588
16	ईश्वरलाल	गोविन्द	रावडिया/रतलाम	23.09.20	555	1.00	60,000	44,020	15,980	26,412	36,000	9,588
17	बन्कटलाल	मोहनलाल	आंभा/पिपलौदा	1610.20	888	1.60	96,000	70,432	25,568	42,259	57,600	15,341
18	धन्नालाल	केशूराम	आंभा/पिपलौदा	16.10.20	555	1.00	60,000	44,020	15,980	26,412	36,000	9,588
19	कामेरीबाई	रामा	छावनी/सैलाना	16.10.20	139	0.25	15,000	11,005	3,995	6,603	9,000	2,397
20	शंकरलाल	राधाकिशन	जेठाना/पिपलौदा	26.03.21	278	0.50	30,000	22,010	7,990	13,206	18,000	4,794
21	शांतिबाई	लक्ष्मण	बाबनीखेड़ा/रतलाम	12.03.21	385	0.70	42,000	30,814	11,186	18,488	25,200	6,712
22	भेरीलाल	सुखराम	आजमपुरदोदिया/पिपलौदा	21.03.21	278	0.50	30,000	22,010	7,990	13,206	18,000	4,794
23	कमलाबाई	लालसिंह	पिपोलियाजोधा/जाबरा	20.03.21	778	1.40	84,000	61,628	22,372	0	0	0
24	सूरजबाई	रामसिंग बागरी	पिपोलियाजोधा/जाबरा	21.03.21	1,110	2.00	1,20,000	88,040	31,960	0	0	0
योग						**19.35**	**11,61,000**	**8,51,787**	**3,09,213**	**4,21,271**	**5,74,200**	**1,52,929**

(राशि ₹ में)

(II) उप संचालक, खरगौन द्वारा स्वीकृत अधिक अनुदान का विवरण											
स. क्र.	हितग्राही का नाम	ग्राम	कार्यादेश का दिनांक	लाभान्वित क्षेत्र (हेक्टेयर)	बीजक के अनुसार पौधों की संख्या	सब्सिडी राशि की गणना (₹ 3.00 लाख/हेक्टेयर का 40 प्रतिशत)	देय सब्सिडी राशि (₹ 1.61 लाख/हेक्टेयर का 40 प्रतिशत)	गणना की गई अधिक अनुदान राशि	भुगतान की जाने वाली पहली किश्त	पहली किश्त में भुगतान की गई अनुदान राशि	पहली किश्त तक भुगतान किया गया अधिक अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7–8)	10	11	12(11–10)
1	कड़वा पटेल	बलगांव	10.11.20	1	3,086	1,20,000	64,345	55,655	48,259	90,000	41,741
2	देवेन्द्र पटेल	बलगांव	10.11.20	1.5	4,629	1,80,000	96,517	83,483	72,388	1,35,000	62,612
3	हरीराम पटेल	बलगांव	14.12.20	0.8	2,470	96,000	51,476	44,524	38,607	72,000	33,393
	योग					**3,96,000**	**2,12,338**	**1,83,662**	**1,59,254**	**2,97,000**	**1,37,746**

(स्रोतः उप संचालक उद्यानिकी, रतलाम एवं खरगौन द्वारा उपलब्ध कराए गए हितग्राहियों की प्रकरण नस्तियों/भुगतान व्हाउचरों से एकत्रित जानकारी)

परिशिष्ट–2.3.3
(संदर्भः कंडिका 2.3.8.3(ग), पृष्ठ संख्या 80)
किसानों के बैंक खाते के बजाय फर्मों के बैंक खातों में भुगतान का विवरण

(I) पॉवर टिलर के क्रय हेतु फर्मों के बैंक खाते में किए गए भुगतान का विवरण					
स. क्र.	जिला	पॉवर टिलर की संख्या	अनुदान राशि (₹ लाख में)	फर्म का नाम	देयक/व्हाउचर का विवरण
1	देवास	39	29.25	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	51/4.7.19
2		40	30.00	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	50/4.7.19
3		13	9.75	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	70/5.8.19
4		4	3.00	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	71/7.8.19
5		37	27.75	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	78/16.8.19
6		26	19.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	83/21.8.19
7		38	28.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	84/22.8.19
8		2	1.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	119/28.9.19
9		2	1.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	120/28.9.19
10		3	2.25	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	129/28.9.19
11		7	5.25	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	176/1.11.19
12		28	21.00	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	177/1.11.19
13		48	24.00	जे.एम. इंटरप्राइजेज	43/3.7.19
14		5	2.50	जे.एम. इंटरप्राइजेज	72/7.8.19
15	मंदसौर	3	2.25	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	132/5.8.19
16		4	3.00	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	134/5.8.19
17		45	33.75	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	94/18.7.19
18		1	0.75	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	68/4.7.19
19		34	25.50	जे.एम. इंटरप्राइजेज	72/4.7.19
20		1	0.75	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	75/4.7.19
21		61	45.75	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	76/4.7.19
22		79	59.25	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	77/4.7.19
23		5	3.75	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	87/18.7.19
24		17	12.75	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	88/18.7.19
25		26	19.50	जे.एम. इंटरप्राइजेज	89/18.7.19
26		4	3.00	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	93/18.7.19
27	डिण्डोरी	4	2.00	किसान एग्रोटेक	62/11.6.18
28		25	12.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	196/1.10.18
29		69	34.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	197/1.10.18
30		15	7.50	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	55/26.6.19
31		22	11.00	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	55/26.6.19
32		15	7.50	जे.एम. इंटरप्राइजेज	55/26.6.19
33		55	27.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	139/7.9.19
34		12	9.00	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	325/2.2.19
35		20	15.00	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	384/25.3.19

(I) पॉवर टिलर के क्रय हेतु फर्मों के बैंक खाते में किए गए भुगतान का विवरण					
स. क्र.	जिला	पॉवर टिलर की संख्या	अनुदान राशि (₹ लाख में)	फर्म का नाम	देयक/व्हाउचर का विवरण
36		24	18.00	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	137/7.9.19
37		18	13.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	196/1.10.18
38		5	3.75	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	197/1.10.18
39		39	29.25	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	261/28.12.18
40		5	3.75	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	327/2.2.19
41		7	5.25	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	352/22.2.19
42		50	37.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	325/2.2.19
43		46	34.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	384/25.3.19
44		19	14.25	जे.एम. इंटरप्राइजेज	324/2.2.19
45		13	9.75	जे.एम. इंटरप्राइजेज	325/2.2.19
46		3	2.25	किसान एग्रोटेक	63/11.6.18
47		34	25.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	57/26.6.19
48		4	3.00	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	137/7.9.19
49		5	3.75	जे.एम. इंटरप्राइजेज	137/7.9.19
50	सीधी	6	4.50	जे.एम. इंटरप्राइजेज	54/19.06.19
51		14	10.50	जे.एम. इंटरप्राइजेज	55/20.06.19
52		4	3.00	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	56/20.06.19
53		6	4.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	57/20.06.19
54		11	8.25	जे.एम. इंटरप्राइजेज	81/02.07.19
55		5	3.75	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	82/02.07.19
56		7	5.25	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	83/02.07.19
57		4	3.00	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	84/02.07.19
58		12	9.00	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	93/10.07.19
59		6	4.50	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	94/15.07.19
60		7	5.25	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	127/21.08.19
61		1	0.75	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	129/22.08.19
62		1	0.75	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	135/02.09.19
योग		**1,165**	**809.25**		

(II) नेपसेक स्प्रेयर के क्रय हेतु फर्मों के बैंक खाते में किए गए भुगतान का विवरण					
स. क्र.	जिला	नेपसेक स्प्रेयर की संख्या	अनुदान राशि (₹ लाख में)	फर्म का नाम	देयक/व्हाउचरों का विवरण
1	दमोह	4	0.40	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	43/05.07.19
2		17	1.70	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	42/05.07.19
3		143	14.30	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	35/05.03.19
4		20	2.00	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	34/05.03.19
5		22	2.20	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	85/11.03.19
6		1	0.10	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	109/11.03.19

(II) नेपसेक स्प्रेयर के क्रय हेतु फर्मों के बैंक खाते में किए गए भुगतान का विवरण					
स. क्र.	जिला	नेपसेक स्प्रेयर की संख्या	अनुदान राशि (₹ लाख में)	फर्म का नाम	देयक/व्हाउचरों का विवरण
7		2	0.20	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	130/14.03.19
8		17	1.70	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	131/14.03.19
9		4	0.40	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	179/20.03.19
10		4	0.40	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	180/20.03.19
11	देवास	3	0.30	जे.एम. इंटरप्राइजेज	67/4.8.19
12		86	8.60	जे.एम. इंटरप्राइजेज	82/21.8.19
13		57	5.70	जे.एम. इंटरप्राइजेज	56/9.7.19
14		27	2.70	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	49/4.7.19
15		80	8.00	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	81/21.8.19
16		17	1.70	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	56/9.7.19
17		80	8.00	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	36/29.6.19
18		59	5.90	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	44/3.7.19
19		54	5.40	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	55/9.7.19
20		1	0.10	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	56/9.7.19
21		37	3.70	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	57/9.7.19
22		20	2.00	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	77/16.8.19
23		24	2.40	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	130/28.9.19
24		34	3.40	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	178/1.11.19
25		13	1.30	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	179/2.11.19
26		79	7.90	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	180/2.11.19
27	मंदसौर	6	0.60	जे.एम. इंटरप्राइजेज	133/5.8.19
28		5	0.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	135/5.8.19
29		34	3.40	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	95/18.7.19
30		4	0.40	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	69/4.7.19
31		2	0.20	जे.एम. इंटरप्राइजेज	70/4.7.19
32		111	11.10	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	71/4.7.19
33		14	1.40	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	73/4.7.19
34		3	0.30	जे.एम. इंटरप्राइजेज	74/4.7.19
35		5	0.50	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	86/18.7.19
36		1	0.10	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	90/18.07.19
37		3	0.30	जे.एम. इंटरप्राइजेज	91/18.7.19
38	डिण्डौरी	127	12.70	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	197/1.10.18
39		29	2.90	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	325/2.2.19
40		7	0.70	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	379/15.3.19
41		38	3.80	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	384/25.3.19
42		53	5.30	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	384/25.3.19
43		32	3.20	जे.एम. इंटरप्राइजेज	384/25.3.19
44		31	3.10	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	56/26.6.19

(II) नेपसेक स्प्रेयर के क्रय हेतु फर्मों के बैंक खाते में किए गए भुगतान का विवरण					
स. क्र.	जिला	नेपसेक स्प्रेयर की संख्या	अनुदान राशि (₹ लाख में)	फर्म का नाम	देयक/व्हाउचरों का विवरण
45	सीधी	16	1.60	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	140/7.9.19
46		39	3.90	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	140/7.9.19
47		35	3.50	जे.एम. इंटरप्राइजेज	140/7.9.19
48		7	0.70	सिद्धी एग्रो इन्डस्ट्रीज	402/28.03.19
49		67	6.70	सिद्धी एग्रो इन्डस्ट्रीज	60/26.06.19
50		24	2.40	सिद्धी एग्रो इन्डस्ट्रीज	61/26.06.19
योग		**1,598**	**159.80**		
महायोग		**2,763**	**969.05**		

(स्रोतः चयनित जिलों के सहायक संचालक उद्यानिकी/उप संचालक उद्यानिकी द्वारा उपलब्ध कराए गए भुगतान व्हाउचरों से एकत्रित जानकारी)

परिशिष्ट–2.3.4
(संदर्भः कंडिका 2.3.8.4(क), पृष्ठ संख्या 82)
क्रय किये गए पॉवर टिलर मशीन के परीक्षण/प्रमाणन के बिना व्यय

स. क्र.	जिले के सहायक संचालक उद्यानिकी/ उप संचालक उद्यानिकी	ब्राण्ड का नाम	मॉडल संख्या	प्रदाता फर्म	लाभान्वितों की संख्या	अनुदान (₹ में)
1	दमोह	किसान क्राफ्ट	केके–आईसी–405डी	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	9	6,75,000
2		कृषि क्राफ्ट	केसी–आरटी–10डीई		1	75,000
3					35	26,25,000
4			केसी–पीडब्ल्यू–7पीई	जे0एम0 इंटरप्राइजेज	19	9,50,000
5		उल्लेख नहीं	एचएम1050जी	राजा इंटरप्राइजेज	1	50,000
6	देवास	कृषि क्राफ्ट	केसी–आरटी–10डीई	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	40	30,00,000
7			केसी–पीडब्ल्यू–7पीई	जे0एम0 इंटरप्राइजेज	13	6,50,000
8	डिण्डोरी	किसान क्राफ्ट	केके–आईसी–207पी	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	14	7,00,000
9				जे0एम0 इंटरप्राइजेज	6	3,00,000
10			केके–आईसी–405डी	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	34	25,50,000
11		उल्लेख नहीं	उल्लेख नहीं	आर एस एग्रो	16	12,00,000
12	खरगौन	कृषि क्राफ्ट	केसी–आरटी–10डीई	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	22	16,50,000
13				छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	1	75,000
14		उल्लेख नहीं	उल्लेख नहीं	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	16	8,00,000
15		एस.टी.आई.एच. एल.	एमएच710	माँ नर्मदा कृषि सेवा	1	50,000
16		उल्लेख नहीं	डब्ल्यू170एफ	आर एस एग्रो	3	1,50,000
17		किसान क्राफ्ट	केके–आईसी–405डी	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	6	4,50,000
18	मंदसौर	किसान क्राफ्ट	केके–आईसी–405डी	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	4	3,00,000
19		कृषि क्राफ्ट	केसी–आरटी–10डीई	जे0एम0 इंटरप्राइजेज	26	19,50,000
20				छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	20	15,00,000
21	सीधी	कृषि क्राफ्ट	केसी–आरटी–10डीई	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	39	29,25,000
22				छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	1	75,000
23			केसी–पीडब्ल्यू–7पीई	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	1	50,000
24				जे0एम0 इंटरप्राइजेज	10	5,00,000
महायोग					**338**	**2,32,50,000**

परिशिष्ट–2.3.5
(संदर्भः कंडिका 2.3.8.4(क), पृष्ठ संख्या 82)
क्रय किये गए नेपसेक पॉवर स्प्रेयर के परीक्षण/प्रमाणन के बिना व्यय

स. क्र.	जिले के सहायक संचालक उद्यानिकी/उप संचालक उद्यानिकी	ब्राण्ड का नाम	मॉडल संख्या	प्रदाता फर्म	लाभान्वितों की संख्या	सब्सिडी (₹ में)
1	दमोह	उल्लेख नहीं	उल्लेख नहीं	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	20	2,00,000
2	देवास	उल्लेख नहीं	केसी–767	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	17	1,70,000
3	डिण्डोरी	उल्लेख नहीं	उल्लेख नहीं	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	20	2,00,000
4	खरगौन	उल्लेख नहीं	उल्लेख नहीं	मॉ नर्मदा कृषि सेवा	11	1,10,000
5	मंदसौर	उल्लेख नहीं	एफबी–708	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	20	2,00,000
6	रतलाम	उल्लेख नहीं	उल्लेख नहीं	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज	5	50,000
7		उल्लेख नहीं	उल्लेख नहीं	गणेश ट्रेडिंग कम्पनी	13	1,30,000
8		उल्लेख नहीं	उल्लेख नहीं	जे. एम. इन्टरप्राइजेज	2	20,000
9	सीधी	उल्लेख नहीं	उल्लेख नहीं	सिद्धी एग्रो इन्डस्ट्रीज	7	70,000
10		उल्लेख नहीं	केसी–767	जे.एम. इन्टरप्राइजेज	3	30,000
	योग				**118**	**11,80,000**

(स्रोतः चयनित जिलों के सहायक संचालक उद्यानिकी/उप संचालक उद्यानिकी द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों के प्रकरण नस्तियों से एकत्रित)

परिशिष्ट–2.3.6
(संदर्भः कंडिका 2.3.8.4(ख), पृष्ठ संख्या 83)
प्रकरणों जिनमें कार्यादेश जारी होने के पूर्व कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया अथवा पहला एवं दूसरा भौतिक सत्यापन एक ही दिन किया गया को दर्शाने वाला विवरण

(I) संरक्षित खेती घटक के प्रकरणों का विवरण जिसमें बीजक का दिनांक कार्यादेश के दिनांक के पूर्व का था तथा कार्य का भौतिक सत्यापन भी कार्यादेश जारी होने से पहले किया गया

स. क्र.	किसान का नाम	ग्राम	ब्लॉक/जिला	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अनुदान राशि (₹ में)	कार्यादेश का दिनांक	लाभार्थी द्वारा फर्म को भुगतान	अनुबंध दिनांक	बीजक दिनांक	बीमा दिनांक	भौतिक सत्यापन		देयक/व्हाउचर संख्या/दिनांक
											पहला	दूसरा	
1	सचिन यादव	बोरावा	कसरावद/खरगौन	4,000	14,20,000	22.03.19	07.03.19	27.03.19	14.03.19	25.03.19	19.03.19	24.06.19	72/26.06.19
2	दमयंती यादव	बोरावा	कसरावद/खरगौन	4,000	14,20,000	22.03.19	06.03.19	27.03.19	14.03.19	25.03.19	19.03.19	24.06.19	72/26.06.19
3	गबू पाटीदार	सवदा	कसरावद/खरगौन	2,000	7,10,000	22.03.19	17.03.18	06.08.18	06.08.18	28.08.18	12.03.19	24.06.19	72/26.06.19
4	भुवानीराम मुकाती	ककरियाव	कसरावद/खरगौन	4,000	14,20,000	18.03.19	17.03.18	22.08.18	14.08.18	24.08.18	उपलब्ध नहीं	11.03.19	605/19.3.19
5	रीतेश पाटीदार	गाउनसान	खरगौन	4,000	14,20,000	22.03.19	21.03.18	01.06.18	14.08.18	04.09.18	23.03.19	23.03.19	72/26.06.19
	योग				**63,90,000**								

(II) संरक्षित खेती घटक के प्रकरणों का विवरण जिसमें एक ही दिन अथवा एक से दो दिनों के अंतराल में कार्यों का पहला और दूसरा भौतिक सत्यापन किया गया

स. क्र.	किसान का नाम	ग्राम	ब्लॉक/जिला	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सब्सिडी राशि (₹ में)	कार्यादेश की दिनांक	संरचना का प्रकार	बीजक दिनांक	भौतिक सत्यापन		देयक/व्हाउचर संख्या/दिनांक
									पहला	दूसरा	
1	रामलाल मेघवाल	कचरिया	मल्हारगढ़/मंदसौर	2,000	7,10,000	10.10.2018	शेडनेट हाउस	03.01.19	15.02.19	15.02.19	438/22.02.19
2	पदमा मारू	जमालपुरा	मंदसौर/मंदसौर	4,000	16,88,000	22.12.2018	ग्रीन हाउस	21.09.18	30.12.18	30.12.18	345/01.01.19
3	उम्मेदराम पाटीदार	लालखेड़ा	मंदसौर/मंदसौर	2,080	14,56,000	13.12.2018	फैन/पेड	15.01.19	11.03.19	11.03.19	462/12.03.19

(II) संरक्षित खेती घटक के प्रकरणों का विवरण जिसमें एक ही दिन अथवा एक से दो दिनों के अंतराल में कार्यों का पहला और दूसरा भौतिक सत्यापन किया गया											
स. क्र.	किसान का नाम	ग्राम	ब्लॉक/ जिला	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सब्सिडी राशि (₹ में)	कार्यादेश की दिनांक	संरचना का प्रकार	बीजक दिनांक	भौतिक सत्यापन		देयक/व्हाउचर संख्या/दिनांक
									पहला	दूसरा	
4	हरीराम मालवीय	शिवपुरमुण्डला	बागली/देवास	4,000	14,20,000	22.12.2018	शेडनेट हाउस	28.12.18	28.12.18	28.12.18	258/20.03.19
5	विश्राम मण्डलोई	निमनपुरा	बागली/देवास	4,000	14,20,000	23.01.2019	शेडनेट हाउस	11.02.19	09.02.19	09.02.19	230/24.12.19
6	गोपीलाल पाटीदार	उपरवाड़ा	पिपलोदा/रतलाम	2,080	14,56,000	22.10.2018	फैन/पेड	15.01.19	03.03.19	03.03.19	614/12.03.19
7	विनोद पाटीदार	कुशलगढ़	पिपलोदा/रतलाम	4,000	16,88,000	16.03.2018	ग्रीन हाउस	24.04.18	17.07.18	17.07.18	207/20.08.18
8	कन्हैया लाल मालवीय	लूनाहेड़ा	मल्हारगढ़/मंदसौर	2,000	7,10,000	09.10.2018	शेडनेट हाउस	06.12.18	25.12.18	26.12.18	331/29.12.18
9	भंवरी बाई	लूनाहेड़ा	मल्हारगढ़/मंदसौर	4,000	14,20,000	06.10.2018	शेडनेट हाउस	06.12.18	25.12.18	27.12.18	331/29.12.18
10	अमर सिंह भाटी	चंगरी	मल्हारगढ़/मंदसौर	2,000	7,10,000	10.10.2018	शेडनेट हाउस	20.12.18	25.12.18	27.12.18	332/29.12.18
11	चंपालाल सोलंकी	चांदवासा	मल्हारगढ़/मंदसौर	2,000	7,10,000	12.10.2018	शेडनेट हाउस	20.12.18	25.12.18	27.12.18	332/29.12.18
12	अशोक खटीक	बरखेडा वीरपुरिया	मल्हारगढ़/मंदसौर	2,000	7,10,000	03.11.2018	शेडनेट हाउस	29.12.18	29.01.19	31.01.19	421/12.02.19
13	पुष्कर मालवीय	लूनाहेड़ा	मल्हारगढ़/मंदसौर	1,925	6,83,375	09.10.2018	शेडनेट हाउस	20.12.18	25.12.18	26.12.18	331/29.12.18
	योग				**1,47,81,375**						
	महायोग				**2,11,71,375**						

(स्रोतः चयनित जिलों के सहायक संचालक उद्यानिकी/उप संचालक उद्यानिकी द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों के प्रकरण नस्तियों से संकलित जानकारी)

परिशिष्ट–2.3.7

(संदर्भः कंडिका 2.3.8.4 (ग), पृष्ठ संख्या 84)

संरक्षित खेती घटक (शेडनेट/पॉली हाउस में सब्जी/फूलों की खेती) के अंतर्गत किए गए कार्यों के भौतिक सत्यापन में अनियमितता दर्शाने वाला विवरण

उन कार्यों का विवरण जिनमें कार्यादेश जारी होने के पूर्व कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया

स. क्र.	किसान का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/ब्लॉक	जिला	कार्यादेश दिनांक	भौतिक सत्यापन का दिनांक	सब्सिडी भुगतान (₹ में)
1	गोविंदराम पाटीदार	केशवलाल	तितरी/रतलाम	रतलाम	27.08.18	04.08.18	2,10,000
2	रमेश सिसोदिया	बालमुकुंद सिसोदिया	मंगरोल/रतलाम	रतलाम	07.08.18	30.07.18	8,52,000

उन कार्यों का विवरण जिनमें किसानों ने आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. प्रणाली के स्थान पर नकद में अपने अंश का भुगतान किया तथा भौतिक सत्यापन का दिनांक/कार्यों के फोटोग्राफ प्रकरण नस्तियों में नहीं पाये गये

स. क्र.	किसान का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/ब्लॉक	जिला	कार्यादेश दिनांक	भौतिक सत्यापन का दिनांक	नकद रसीद संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	सब्सिडी भुगतान (₹ में)
1	सचिन यादव	सुभाष यादव	बौरान/कसरावद	खरगौन	10.03.20	उल्लेख नहीं	205/20.03.20	किसान एग्रोटेक	2,80,000
2	दमयंती यादव	सुभाष चन्द्र यादव	बौरान/कसरावद	खरगौन	10.03.20	उल्लेख नहीं	203/20.03.20	किसान एग्रोटेक	2,80,000
3	बानसिंह भिलाला	दयान सिंह	बाजीतपुरा/कसरावद	खरगौन	10.03.20	उल्लेख नहीं	258/18.12.18	किसान एग्रोटेक	1,40,000

उन प्रकरणों का विवरण जिनमें क्रय की गई सामग्री के बीजकों का दिनांक कार्यादेश जारी होने के दिनांक से पूर्व का था

स. क्र.	किसान का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/ब्लॉक	जिला	कार्यादेश दिनांक	बीजकों का दिनांक	भुगतान की गई अनुदान राशि (₹ में)
1	आशीष चौधरी	जगदीश चौधरी	नंदलाई/रतलाम	रतलाम	07.08.18	10.06.17, 11.06.17, 19.06.17, 15.06.17, 18.06.17, 09.06.17, 01.06.17	4,26,000

उन प्रकरणों का विवरण जिनमें क्रय की गई सामग्री के बीजकों का दिनांक कार्यादेश जारी होने के दिनांक से पूर्व का था							
स. क्र.	किसान का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/ब्लॉक	जिला	कार्यादेश दिनांक	बीजकों का दिनांक	भुगतान की गई अनुदान राशि (₹ में)
2	उसमान गनी	हुसैन	सैलाना/सैलाना	रतलाम	07.08.18	05.05.18, 10.05.18, 03.05.18, 05.05.18	4,26,000
						13.05.18, 15.05.18, 17.05.18, 11.05.18	
3	सरदार जामरे	काशीराम	गदाघाट/गौगावाँ	खरगौन	27.02.19	15.12.18	2,80,000
4	बलीराम जामरे	काशीराम जामरे	सौलना/गौगावाँ	खरगौन	27.02.19	15.12.18	2,80,000
5	प्रमिला बाई भिलाला	मोहन सिंह	सिलोटिया/गौगावाँ	खरगौन	27.02.19	15.12.18	2,80,000
योग							**34,54,000**

(स्रोतः चयनित जिलों के सहायक संचालक उद्यानिकी/उप संचालक उद्यानिकी द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों के प्रकरण नस्तियों से संकलित जानकारी)

परिशिष्ट–2.3.8

(संदर्भः कंडिका 2.3.8.4 (ङ), पृष्ठ संख्या 86)

संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कार्यादेश जारी होने के पूर्व पूर्ण हो चुके कार्यों के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	फर्म का नाम	संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कार्य समापन	कार्यादेश का दिनांक	स्वीकृत		पहली किश्त जारी		द्वितीय किश्त जारी		कुल अनुदान का भुगतान (₹ लाख में)
				क्षमता (मेट्रिक टन)	अनुदान (₹ लाख में)	राशि (₹ लाख में)	देयक क्रमांक एवं दिनांक	राशि (₹ लाख में)	देयक क्रमांक एवं दिनांक	
1	मेसर्स रेन इन्टरप्राइजेज, टीकमगढ़	24.09.18	15.02.19	110	38.50	19.25	625 / 14.03.19	19.25	569 / 30.12.19	38.50
2	मेसर्स राज कोल्ड केयर, रतलाम	01.04.17	31.03.18	140	42.00	19.60	161 / 11.07.18	19.60	571 / 30.12.19	39.20
3	मेसर्स खुशी डेयरी एवं फ्रूट्स, राजगढ़	06.11.17	31.03.18	75	26.25	13.13	659 / 11.07.18	7.54	570 / 30.12.19	20.67
योग										**98.37**

(स्रोतः मिशन संचालक, राज्य बागवानी मिशन द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों के प्रकरण नस्तियों / भुगतान व्हाउचरों से संकलित जानकारी)

परिशिष्ट–2.4.1
(संदर्भः कंडिका 2.4.1, पृष्ठ संख्या 94)
संगठनात्मक ढांचा

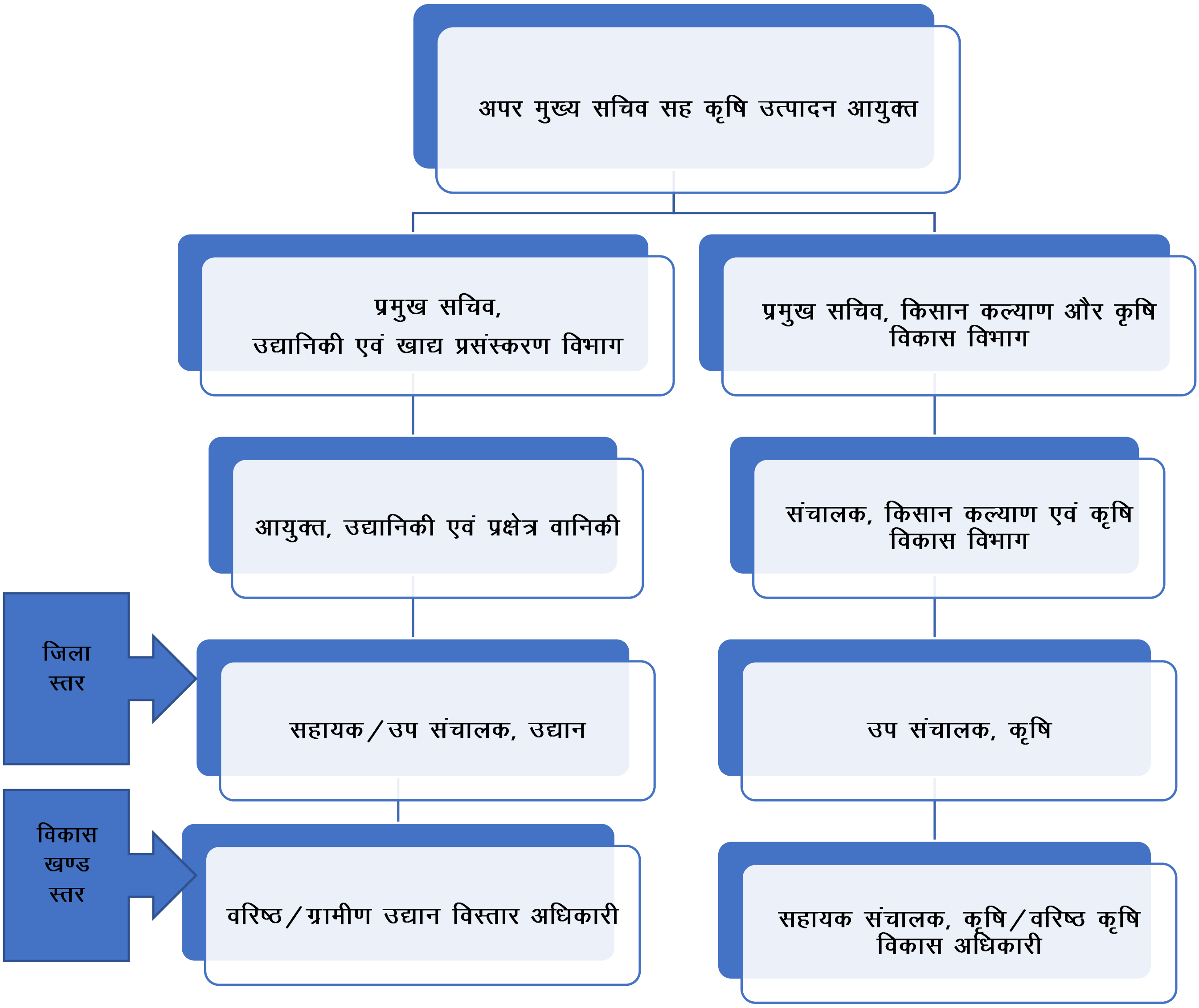

परिशिष्ट–2.4.2

(संदर्भः कंडिका 2.4.6.2, पृष्ठ संख्या 102)

अपंजीकृत फर्म से पी.वी.सी. पाईप क्रय कर ड्रिप संयंत्र की आपूर्ति को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

क्र.	जिला का नाम	आपूर्ति किये गये ड्रिप संयंत्र की संख्या	पी.वी.सी. पाइप की लंबाई (मीटर में)	पीवीसी पाइप की लागत (₹ 65 प्रति मीटर की दर से)
1	भोपाल	52	6,480	4,21,200
2	हरदा	29	2,982	1,93,830
3	खण्डवा	18	3,366	2,18,790
4	राजगढ़	13	1,170	76,050
5	रायसेन	32	3,564	2,31,660
6	सिहोर	81	9,396	6,10,740
कुल		**225**	**26,958**	**17,52,270**

परिशिष्ट–2.4.3

(संदर्भः कंडिका 2.4.6.3, पृष्ठ संख्या 103)

कृषकों को अधिक वित्तीय सहायता जारी किये जाने को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

जिला	आवेदन क्रमांक	कृषक का नाम	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र जिसके लिए अनुदान जारी किया गया	किसानों को जारी अनुदान (टॉप–अप सहित) का प्रतिशत	भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	बी.ओ.क्यू. के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	दिशा–निर्देश में दी गई लागत के अनुसार अनुदान की राशि	बी.ओ.क्यू. अनुसार अनुदान की राशि	वास्तव में जारी की गई अनुदान की राशि	अधिक मात्रा में जारी अनुदान की राशि (10–9 अथवा 8, जो भी कम हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विभाग का नाम : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग										
भोपाल	एम.पी.एच. /2017/3 / 1311794	रामरतन गुर्जर	ड्रिप	55	2,13,400	1,93,499	1,17,370	1,06,424	1,17,370	10,946
	एम.पी.एच./2017/3 / 1311939	प्रेम सिंह	ड्रिप	55	2,13,400	1,93,499	1,17,370	1,06,424	1,17,370	10,946
	एम.पी.एच./2017/3 / 1313152	मलखान	ड्रिप	55	2,13,400	1,93,499	1,17,370	1,06,424	1,17,370	10,946
	एम.पी.एच./2017/3/ 1313567	लक्ष्मी मीणा	ड्रिप	55	2,13,400	1,93,499	1,17,370	1,06,424	1,17,370	10,946
	एम.पी.एच./2017/3/ 1313762	रेखा साहू	ड्रिप	60	1,72,935	1,65,450	1,03,761	99,270	1,03,761	4,491
	एम.पी.एच./2017/3/ 1317068	आरती लोढ़ी	ड्रिप	60	1,12,237	1,04,181	67,342	62,509	67,342	4,833
	एम.पी.एच./2017/3/ 1317176	छोटे राम	ड्रिप	65	1,12,237	1,04,181	72,954	67,718	72,954	5,236

जिला	आवेदन क्रमांक	कृषक का नाम	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र जिसके लिए अनुदान जारी किया गया	किसानों को जारी अनुदान (टॉप–अप सहित) का प्रतिशत	भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	बी.ओ.क्यू. के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	दिशा–निर्देश में दी गई लागत के अनुसार अनुदान की राशि	बी.ओ.क्यू. अनुसार अनुदान की राशि	वास्तव में जारी की गई अनुदान की राशि	अधिक मात्रा में जारी अनुदान की राशि (10–9 अथवा 8, जो भी कम हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विभाग का नाम : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग										
	एम.पी.एच./2018/1/1499460	जगन्नाथ सिंह	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	84,257	51,127	50,554	51,127	573
	एम.पी.एच./2018/1/1500470	मांगीलाल	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	84,257	51,127	50,554	51,127	573
	एम.पी.एच./2018/2/1502239	दौलत सिंह	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	84,257	51,127	50,554	51,127	573
	एम.पी.एच./2018/2/1502324	कमल सिंह	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	84,257	51,127	50,554	51,127	573
	एम.पी.एच./2017/2/1288797	जितेंद्र सिंह	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	84,257	46,866	46,341	46,867	526
	एम.पी.एच./2018/2/1508206	दिलीप कुमार	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	84,257	51,127	50,554	51,127	573
	एम.पी.एच./2017/6/1370373	सुनीता बाई	मिनी स्प्रिंकलर	65	85,212	84,257	55,388	54,767	55,388	621
	एम.पी.एच./2017/3/1313392	इन्दर सिंह	ड्रिप	55	1,62,818	1,62,220	89,550	89,221	89,550	329
	एम.पी.एच./2017/3/1316191	शान्ति बाई	ड्रिप	60	91,621	90,702	54,973	54,421	54,973	552
	एम.पी.एच./2018/2/1501826	रामबाबू शर्मा	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	84,257	51,127	50,554	51,127	573

जिला	आवेदन क्रमांक	कृषक का नाम	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र जिसके लिए अनुदान जारी किया गया	किसानों को जारी अनुदान (टॉप–अप सहित) का प्रतिशत	भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	बी.ओ.क्यू. के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	दिशा–निर्देश में दी गई लागत के अनुसार अनुदान की राशि	बी.ओ.क्यू. अनुसार अनुदान की राशि	वास्तव में जारी की गई अनुदान की राशि	अधिक मात्रा में जारी अनुदान की राशि (10–9 अथवा 8, जो भी कम हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विभाग का नाम : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग										
	एम.पी.एच. / 2018 / 2 / 1502303	पर्वत सिंह	मिनी स्प्रिंकलर	60	1,37,573	84,257	82,544	50,554	82,544	31,990
	एम.पी.एच. / 2018 / 2 / 1502705	करण सिंह	मिनी स्प्रिंकलर	60	70,596	44,050	42,358	26,430	42,358	15,928
	एम.पी.एच. / 2018 / 2 / 1508216	राम प्रसाद	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	84,257	51,127	50,554	51,127	573
	एम.पी.एच. / 2017 / 7 / 1387735	अमर विश्वकर्मा	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	84,257	46,867	46,341	46,867	526
	एम.पी.एच. / 2017 / 12 / 1460175	बबलू मीणा	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	84,257	46,867	46,341	46,867	526
	एम.पी.एच. / 2018 / 1 / 1489083	घनवीर सिंह	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	84,257	51,127	50,554	51,127	573
	एम.पी.एच. / 2018 / 3 / 1512857	पर्वत सिंह	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	84,257	46,867	46,341	46,867	526
	एम.पी.एच. / 2018 / 3 / 1512973	सोधन सिंह डांगी	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	84,257	46,867	46,341	46,867	526
	एम.पी.एच. / 2018 / 2 / 1502487	रामचंद्र कुशवाहा	ड्रिप	45	1,12,237	1,02,249	50,507	46,012	50,507	4,495
	एम.पी.एच. / 2017 / 6 / 1356318	भगवान दास	ड्रिप	55	81,312	79,949	44,721	43,972	44,722	750

जिला	आवेदन क्रमांक	कृषक का नाम	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र जिसके लिए अनुदान जारी किया गया	किसानों को जारी अनुदान (टॉप–अप सहित) का प्रतिशत	भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	बी.ओ.क्यू. के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	दिशा–निर्देश में दी गई लागत के अनुसार अनुदान की राशि	बी.ओ.क्यू. अनुसार अनुदान की राशि	वास्तव में जारी की गई अनुदान की राशि	अधिक मात्रा में जारी अनुदान की राशि (10–9 अथवा 8, जो भी कम हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विभाग का नाम : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग										
	एम.पी.एच. / 2019 / 1 / 1594619	रामगोपाल मेवादा	ड्रिप	55	81,312	79,905	44,721	43,948	44,722	774
	एम.पी.एच. / 2019 / 10 / 1654321	सुनील बाथम	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,527	82,624	47,040	45,443	47,040	1,597
	एम.पी.एच. / 2019 / 1 / 1591037	प्रीतम सिंह	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	84,257	46,867	46,341	46,867	526
	एम.पी.एच. / 2019 / 7 / 1629751	सुनील कुमार	मिनी स्प्रिंकलर	55	94,028	89,031	51,715	48,967	51,715	2,748
	एम.पी.एच. / 2019 / 2 / 1604516	दुर्गा प्रसाद	मिनी स्प्रिंकलर	45	1,45,053	1,31,672	65,274	59,252	65,274	6,022
दमोह	एम.पी.एच. / 2017 / 3 / 1317853	रम्मू पटेल	ड्रिप	60	50,388	96,566	30,233	57,940	67,342	37,109
	एम.पी.एच. / 2017 / 11 / 1444507	बोधन सिंह	स्प्रिंकलर	65	21,901	15,801	14,236	10,271	14,236	3,965
	एम.पी.एच. / 2017 / 11 / 1453973	गोपाल पटेल	स्प्रिंकलर	60	21,901	15,801	13,141	9,481	13,141	3,660
	एम.पी.एच. / 2018 / 10 / 1577359	कुन्जी आदिवासी	स्प्रिंकलर	65	19,542	19,403	12,702	12,612	12,702	90
	एम.पी.एच. / 2018 / 10 / 1574247	सुरेश कुमार कुर्मी	स्प्रिंकलर	60	19,542	19,403	11,725	11,642	11,725	83

जिला	आवेदन क्रमांक	कृषक का नाम	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र जिसके लिए अनुदान जारी किया गया	किसानों को जारी अनुदान (टॉप–अप सहित) का प्रतिशत	भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	बी.ओ.क्यू. के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	दिशा–निर्देश में दी गई लागत के अनुसार अनुदान की राशि	बी.ओ.क्यू. अनुसार अनुदान की राशि	वास्तव में जारी की गई अनुदान की राशि	अधिक मात्रा में जारी अनुदान की राशि (10–9 अथवा 8, जो भी कम हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विभाग का नाम : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग										
	एम.पी.एच./2018/10/1574345	राजेन्द्र सिंह लोधी	स्प्रिंकलर	60	19,542	19,403	11,725	11,642	11,725	83
	एम.पी.एच./2017/7/1391135	भारत सिंह	स्प्रिंकलर	60	19,542	19,403	11,725	11,642	11,725	83
धार	एम.पी.एच./2016/8/1130761	कैलाश भायल	ड्रिप	60	1,01,929	90,000	61,157	54,000	61,157	7,157
	एम.पी.एच./2017/12/1467298	मोहन चौहान	ड्रिप	65	1,62,818	1,47,939	1,05,832	96,160	1,05,832	9,672
	एम.पी.एच./2018/11/1577897	जितेन्द्र	ड्रिप	55	2,13,400	2,04,109	1,17,370	1,12,260	1,17,370	5,110
	एम.पी.एच./2018/10/1566777	ईश्वर	मिनी स्प्रिंकलर	55	1,00,172	95,874	55,095	52,731	55,094	2,363
	एम.पी.एच./2018/5/1520959	राधेश्याम	ड्रिप	55	1,72,935	1,24,206	95,114	68,313	95,114	26,801
	एम.पी.एच./2018/1/1495152	नन्दराम जाट	मिनी स्प्रिंकलर	45	2,42,982	2,19,531	1,09,342	98,789	1,09,342	10,553
ग्वालियर	एम.पी.एच./2017/8/1424421	बालासी बाई गुर्जर	ड्रिप	55	4,13,234	3,67,860	2,27,279	2,02,323	2,27,279	24,956
	एम.पी.एच./2016/9/1191871	जन्देल सिंह	ड्रिप	60	50,388	43,294	30,233	25,976	30,233	4,257

जिला	आवेदन क्रमांक	कृषक का नाम	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र जिसके लिए अनुदान जारी किया गया	किसानों को जारी अनुदान (टॉप–अप सहित) का प्रतिशत	भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	बी.ओ.क्यू. के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	दिशा–निर्देश में दी गई लागत के अनुसार अनुदान की राशि	बी.ओ.क्यू. अनुसार अनुदान की राशि	वास्तव में जारी की गई अनुदान की राशि	अधिक मात्रा में जारी अनुदान की राशि (10–9 अथवा 8, जो भी कम हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विभाग का नाम : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग										
	एम.पी.एच. / 2016 / 9 / 1173723	राम सिंह	ड्रिप	60	60,696	51,199	36,418	30,719	36,418	5,699
रतलाम	एम.पी.एच. / 2017 / 10 / 1441194	राधेश्याम माली	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	82,661	51,127	49,597	51,127	1,530
	एम.पी.एच. / 2017 / 8 / 1426078	ईश्वर लाल	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	78,804	51,127	47,282	51,127	3,845
	एम.पी.एच. / 2017 / 10 / 1441728	भगतराम धाकड़	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	82,661	51,127	49,597	51,127	1,530
	एम.पी.एच. / 2017 / 8 / 1424209	मनोहरलाल पाटीदार	मिनी स्प्रिंकलर	60	85,212	81,727	51,127	49,036	51,127	2,091
	एम.पी.एच. / 2017 / 8 / 1424430	बलराम पाटीदार	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	81,878	46,867	45,033	46,867	1,834
	एम.पी.एच. / 2017 / 7 / 1386827	राधेश्याम पाटीदार	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	81,878	46,867	45,033	46,867	1,834
	एम.पी.एच. / 2018 / 11 / 1582147	नंदलाल पाटीदार	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	78,703	46,867	43,287	46,867	3,580
	एम.पी.एच. / 2019 / 9 / 1643834	अशोक पाटीदार	ड्रिप	55	1,12,237	1,03,973	61,730	57,185	61,730	4,545
	एम.पी.एच. / 2019 / 12 / 1663888	कमलेश पाटीदार	ड्रिप	55	71,004	67,160	39,052	36,938	39,052	2,114

जिला	आवेदन क्रमांक	कृषक का नाम	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र जिसके लिए अनुदान जारी किया गया	किसानों को जारी अनुदान (टॉप–अप सहित) का प्रतिशत	भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	बी.ओ.क्यू. के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	दिशा–निर्देश में दी गई लागत के अनुसार अनुदान की राशि	बी.ओ.क्यू. अनुसार अनुदान की राशि	वास्तव में जारी की गई अनुदान की राशि	अधिक मात्रा में जारी अनुदान की राशि (10–9 अथवा 8, जो भी कम हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विभाग का नाम : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग										
	एम.पी.एच. / 2018 / 8 / 1554914	गोविंदसिंह डोडिया	ड्रिप	45	1,22,353	1,19,802	55,059	53,911	55,059	1,148
	एम.पी.एच. / 2019 / 9 / 1638181	बद्रीलाल पाटीदार	मिनी स्प्रिंकलर	45	1,60,013	1,56,870	72,006	70,592	72,006	1,414
	एम.पी.एच. / 2019 / 8 / 1635400	जगदीशचन्द्र पाटीदार	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	77,430	46,867	42,586	46,867	4,281
	एम.पी.एच. / 2019 / 7 / 1630204	रामकुंवर पनवार	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	80,864	46,867	44,475	46,867	2,392
	एम.पी.एच. / 2020 / 1 / 1671028	अम्बाराम	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	80,470	46,867	44,259	46,867	2,608
	एम.पी.एच. / 2020 / 1 / 1670000	बद्रीलाल धाकड़	मिनी स्प्रिंकलर	55	70,596	69,872	38,828	38,430	38,828	398
	एम.पी.एच. / 2019 / 1021651396	विनोद कुमार पाटीदार	मिनी स्प्रिंकलर	55	85,212	75,916	46,867	41,754	46,867	5,113

जिला	आवेदन कमांक	कृषक का नाम	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र जिसके लिए अनुदान जारी किया गया	किसानों को जारी अनुदान (टॉप–अप सहित) का प्रतिशत	भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	बी.ओ.क्यू. के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	दिशा–निर्देश में दी गई लागत के अनुसार अनुदान की राशि	बी.ओ.क्यू. अनुसार अनुदान की राशि	वास्तव में जारी की गई अनुदान की राशि	अधिक मात्रा में जारी अनुदान की राशि (10–9 अथवा 8, जो भी कम हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विभाग का नामः किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग										
भोपाल	ए.जी./2017/39487	मिश्री लाल	स्प्रिंकलर	55	21,901	21,186	12,046	11,652	12,046	394
	ए.जी./2017/83210	संतोष गौड़	स्प्रिंकलर	45	21,901	21,186	9,855	9,534	9,855	321
	ए.जी./2017/88483	बलराम	स्प्रिंकलर	45	21,901	21,186	9,855	9,534	9,855	321
	ए.जी./2017/25470	प्रेम नारायण	स्प्रिंकलर	45	21,901	21,186	9,855	9,534	9,855	321
	ए.जी./2017/86012	विनोद कुमार	स्प्रिंकलर	45	21,901	21,509	9,855	9,679	9,855	176
दमोह	ए.जी./2017/87512	खिल्लन उर्फ खिल्लू	स्प्रिंकलर	45	19,542	19,143	8,794	8,614	8,794	180
	ए.जी./2017/37340	सूरज प्रसाद दुबे	स्प्रिंकलर	55	19,542	19,143	10,748	10,529	10,748	219
	ए.जी./2017/39749	विक्रम सिंह धोसी	स्प्रिंकलर	55	19,542	18,953	10,748	10,424	10,748	324
	ए.जी./2017/40631	गोविन्द सिंह ठाकुर	स्प्रिंकलर	55	19,542	18,953	10,748	10,424	10,748	324
	ए.जी./2017/72050	सुनीता रानी राजगौड़	स्प्रिंकलर	55	19,542	18,953	10,748	10,424	10,748	324
	ए.जी./2017/18671	नोने सिंह लोधी	स्प्रिंकलर	45	19,542	13,004	8,794	5,852	6,905	1,053
धार	ए.जी./2017/28742	ब्रजमोहन विश्वकर्मा	स्प्रिंकलर	45	21,901	19,492	9,855	8,771	9,855	1,084
	ए.जी./2017/35247	भारत सिंह	ड्रिप	55	1,12,237	88,785	61,730	48,832	52,722	3,890
	ए.जी./2017/75820	रामलाल	स्प्रिंकलर	45	21,901	20,140	9,855	9,063	9,855	792
	ए.जी./2017/51363	रूकमा बाई पनवार	स्प्रिंकलर	55	21,901	19,492	12,046	10,721	12,046	1,325
	ए.जी./2017/64190	विक्रम	स्प्रिंकलर	55	21,901	19,492	12,046	10,721	12,046	1,325
	ए.जी./2017/62253	मन्छा राम	स्प्रिंकलर	55	21,901	19,492	12,046	10,721	12,046	1,325

जिला	आवेदन क्रमांक	कृषक का नाम	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र जिसके लिए अनुदान जारी किया गया	किसानों को जारी अनुदान (टॉप–अप सहित) का प्रतिशत	भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	बी.ओ.क्यू. के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	दिशा–निर्देश में दी गई लागत के अनुसार अनुदान की राशि	बी.ओ.क्यू. अनुसार अनुदान की राशि	वास्तव में जारी की गई अनुदान की राशि	अधिक मात्रा में जारी अनुदान की राशि (10–9 अथवा 8, जो भी कम हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विभाग का नामः किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग										
	ए.जी / 2017 / 105416	कैलाश	स्प्रिंकलर	55	21,901	20,140	12,046	11,077	12,046	969
	ए.जी. / 2017 / 75748	बद्रीलाल पाटीदार	स्प्रिंकलर	45	21,901	20,140	9,855	9,063	9,855	792
रतलाम	ए.जी / 2018 / 262651	जवाहरलाल पाटीदार	ड्रिप	55	80,599	76,396	44,329	42,018	44,329	2,311
	ए.जी / 2019 / 433529	तम्मा लाल	ड्रिप	55	50,388	44,621	27,713	24,542	27,486	2,944
	ए.जी / 2019 / 426491	बहादुर सिंह	ड्रिप	45	50,388	44,621	22,675	20,079	22,489	2,410
कुल										3,36,912

परिशिष्ट–2.4.4
(संदर्भः कंडिका 2.4.6.5, पृष्ठ संख्या 104)
हितग्राहियों का नाम खसरा में नहीं पाये गये प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

क्र.	विभाग	जिला	आवेदन सं.	कृषक का नाम	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र हेतु जारी वित्तीय सहायता	कृषक के स्वामित्व में कुल भूमि (हेक्टेयर में)	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र हेतु आवेदित फसल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की लागत	भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार अनुदान की राशि	कृषकों को जारी की जाने वाली अनुदान राशि	अधिक मात्रा में जारी की गई अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	भोपाल	एम.पी.एच./2016/8/1130776	लीलाबाई	ड्रिप	19.52	1.00	1,00,000	45,000	0	45,000
2			एम.पी.एच./2017/2/1282515	शोभा राम	स्प्रिंकलर	1.445	3	36,822	16,570	0	16,570
3			एम.पी.एच./2017/2/1286592	फूलसिंह	स्प्रिंकलर	1.436	1	19,600	9,800	0	9,800
4			एम.पी.एच./2017/1/1258675	धुरिया अहिरवार	स्प्रिंकलर	5	1	85,200	38,340	0	38,340
5			एम.पी.एच./2016/9/1190377	तेजसिंह राजपूत	ड्रिप	1	1	1,12,237	50,000	0	50,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6			एम.पी.एच. / 2016 / 9 / 1191916	लक्ष्मण सिंह राजपूत	ड्रिप	1	1	1,12,237	50,000	0	50,000
7			एम.पी.एच. / 2017 / 7 / 1398441	दिलीप सिंह	स्प्रिंकलर	3.595	2	1,70,118	76,553	0	76,553
8		दमोह	एम.पी.एच. / 2018 / 10 / 1570431	कोमल प्रसाद	स्प्रिंकलर	1.68	1.00	36,607	21,964	0	21,964
			कुल								**3,08,227**

हितग्राहियों के भू–स्वामित्व में आने वाली भूमि क्षेत्र से अधिक भूमि क्षेत्र के लिए अनुदान लाभ को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	भोपाल	ए.जी. / 2018 / 325625	शांताबाई	स्प्रिंकलर	0.99	0.99	21,901	17,255	12,046	5,209
2		धार	ए.जी. / 2019 / 354169	सीताराम पाटीदार	स्प्रिंकलर	1.985	3.00	42,345	23,290	17,255	6,035
3			ए.जी. / 2019 / 437098	देवीचन्द्र	स्प्रिंकलर	1.00	3.00	42,345	23,290	12,046	11,244
4			ए.जी. / 2019 / 435993	तुलसीराम पाटीदार	स्प्रिंकलर	1.85	3.00	42,345	23,290	17,255	6,035
5			ए.जी. / 2020 / 536513	रविराज पाटीदार	स्प्रिंकलर	0.777	5.00	52,917	29,104	12,046	17,058
6			ए.जी. / 2020 / 536770	विक्रम सिंह	स्प्रिंकलर	2.36	4.00	53,404	19,978	19,055	923
7			ए.जी. / 2019 / 434512	कन्हैयालाल	स्प्रिंकलर	0.779	2.00	31,372	17,255	12,046	5,209
8			ए.जी. / 2019 / 437403	कृष्णा	स्प्रिंकलर	0.710	2.00	31,372	17,255	12,046	5,209
9			ए.जी. / 2019 / 434577	धन्ना	स्प्रिंकलर	0.873	2.00	31,372	17,255	12,046	5,209
			कुल								**62,131**

अन्य श्रेणी के कृषकों को उच्च दर से अनुदान दिये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	भोपाल	एम.पी.एच./2018/7/1539668	रमेश चन्द्र वर्मा	मिनी स्प्रिंकलर	3.93	1	94,028	51,715	42,313	9,402
2	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग	भोपाल	ए.जी./2018/232141	राजेन्द्र सिंह	स्प्रिंकलर	2.023	1.18	21,901	12,046	9,855	2,191
			कुल								**11,593**

परिशिष्ट–2.5.1

(संदर्भः कंडिका 2.5, पृष्ठ संख्या 109)

केन्द्रीय सहायता से निर्मित 30 बालिका छात्रावासों की उपयोगिता की स्थिति

स. क्र.	पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों का नाम/ केन्द्रीय सहायता से बालिका छात्रावास के निर्माण से पूर्व बालिका छात्रावास की उपलब्धता एवं उपयोग की स्थिति	केन्द्रीय सहायता से निर्मित बालिका छात्रावास की उपयोगिता की स्थिति			
		क्या संबंधित पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य ने सर्वे/आवश्यकता का आकलन किया तथा बालिका छात्रावास की आवश्यकता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया	निर्माण पूर्ण होने/प्राचार्य द्वारा अधिपत्य लेने का दिनांक	निर्माण की लागत (₹ लाख में)	संबंधित पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों द्वारा सूचित अनुसार केन्द्रीय सहायता से निर्मित बालिका छात्रावासों के उपयोग न होने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16 बालिका छात्रावासों का विवरण जो निर्माण पूर्ण होने के बाद से रिक्त रहे					
1	**शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अशोकनगर** (महाविद्यालय के पास पहले से ही बालिका छात्रावास (50 सीटर) है एवं 2011–12 से 2019–20 के दौरान छात्रावास का औसत उपयोग 43.11 प्रतिशत था)	नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया	25.11.2015/ 08.12.2015	94.14	महाविद्यालय में पहले से ही एक बालिका छात्रावास उपलब्ध होने के कारण, इस छात्रावास में प्रवेश हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हो पाते है। अतः इस छात्रावास का उपयोग अब तक छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहीं किया गया है।
2	**शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, हरदा** (राज्य सरकार ने 2008 में 50 सीटर बालिका छात्रावास स्वीकृत किया था। इस छात्रावास का निर्माण 2017 में पूरा हुआ। यह छात्रावास भी 2017 से खाली रहा।)	नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया	25.09.2014/ 06.07.2015	89.39	महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या बहुत कम होने के कारण छात्रावास के आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे है जिससे छात्रावास का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार, पॉलिटेक्निक में दो बालिका छात्रावास हैं एवं दोनों रिक्त हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	**शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, खरगोन** (महाविद्यालय में पहले से ही दो बालिका छात्रावास (72 सीटर और 50 सीटर) हैं। 2009–10 से 2019–20 के दौरान, 72 सीटर छात्रावास का औसत उपयोग 94.57 प्रतिशत और 50 सीटर छात्रावास का औसत उपयोग 98.25 प्रतिशत था।)	नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया	11.11.2014/ 04.02.2016	90.00	महाविद्यालय में पहले से ही दो बालिका छात्रावास उपलब्ध होने के कारण, इस छात्रावास का अब तक उपयोग नहीं किया गया है।
4	**शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सतना** (कॉलेज में पहले से ही बालिका छात्रावास (50 सीटर) है। 2013–14 से 2019–20 के दौरान छात्रावास का औसत उपयोग 61.14 प्रतिशत था)	नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया	31.01.2016/ 22.06.2016	75.51	महाविद्यालय में पहले से ही एक बालिका छात्रावास है। छात्रावास खाली होने का मुख्य कारण छात्राओं द्वारा छात्रावास के आवंटन हेतु आवेदन नहीं करना है।
5	**शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, इंदौर** (कॉलेज में पहले से ही एक बालिका छात्रावास (100 सीटर) है। वर्ष 2010 में जब नए बालिका छात्रावास हेतु प्रस्ताव भेजा गया था तब 96 छात्राएं पुराने छात्रावास में रह रही थीं।)	सर्वे/आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया, तथापि, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया	29.10.2015/ 02.12.2015	94.90	छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत इस छात्रावास में चाहरदीवारी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अभी तक छात्रावास का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
6	**शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नरसिंहपुर** (कॉलेज में पहले से ही एक बालिका छात्रावास (25 सीटर) है। 2009–10 से 2019–20 के दौरान छात्रावास का औसत उपयोग 125.82 प्रतिशत था।)	नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया	24.05.2014/ उपलब्ध नहीं किया गया	74.00	महाविद्यालय में पहले से ही एक बालिका छात्रावास उपलब्ध होने साथ ही वर्ष 2015 से महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या में कमी होने के कारण, इस छात्रावास का उपयोग अब तक नहीं किया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	जीजामाता शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बुरहानपुर	नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया	18.09.2015/ 08.11.2016	85.61	छात्राओं द्वारा आवास हेतु आवेदन नहीं करने के कारण छात्रावास का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
8	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, डबरा, ग्वालियर	नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया	24.06.2014/ 08.06.2015	100.00	छात्राओं के स्थानीय होने और कम संख्या में छात्राओं के कॉलेज में प्रवेश लेने के कारण छात्रावास का उपयोग नहीं हो रहा है।
9	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, खिरसाडोह, परासिया, छिंदवाड़ा	नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया	31.01.2016/ 21.09.2016	96.34	छात्राएं छात्रावास में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक नहीं थी।
10	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, राघोगढ़, गुना	नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया	26.06.2015/ 26.06.2015	98.08	छात्रावास रिक्त हैं क्योंकि अधिकांश छात्राएं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक नहीं हैं।
11	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, शहडोल	उपलब्ध नहीं किया गया	02.09.2014/ 15.07.2015	100.00	छात्रावास रिक्त है क्योंकि अधिकांश छात्राएं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक नहीं हैं।
12	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बड़वानी	सर्वे/आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया, तथापि, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया	17.01.2015/ 09.12.2015	86.03	महाविद्यालय में महिला छात्रावास वार्डन एवं समकक्ष संवर्ग में अन्य कोई महिला कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण छात्रावास का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
13	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, नौगांव, छतरपुर	नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया	15.04.2017/ 15.04.2017	94.84	छात्रावास का उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि छात्रावास के मुख्य द्वार के सामने पुराने खंडहरों को तोड़ा जाना है। पुराने खंडहरों को तोड़ने के कार्य पर होने वाले व्यय के लिए संचालक मंडल की स्वीकृति प्राप्त की जानी है। लेकिन शासन द्वारा 2018 में संचालक मंडल के अध्यक्ष का नामांकन रद्द कर दिया गया था जिससे यह कार्य नहीं हो सका। यद्यपि, आयुक्त, तकनीकी शिक्षा ने हाल ही में इस कार्य पर होने वाले व्यय के लिए संचालक मंडल की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मौखिक अनुमति (अप्रैल 2021) प्रदान की है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सिवनी	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	31.12.2015/ 06.08.2016	87.07	छात्रावास में पेयजल व सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण उपयोग नहीं हो रहा है।
15	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, टीकमगढ़	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	02.06.16/ अधिपत्य नहीं लिया गया	59.76	छात्रावास भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कुछ कमियों एवं कुछ सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण, अब तक छात्रावास भवन का अधिपत्य नहीं लिया गया है। महाविद्यालय में बहुत कम प्रवेश एवं छात्राओं के स्थानीय होने से छात्रावास की आवश्यकता नहीं होने के कारण छात्रावास भवन का अधिपत्य लेने का प्रयास नहीं किया गया है।
16	महात्मा ज्योतिबा फुले शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, खंडवा	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	30.06.2014/ 31.12.2014	90.00	प्राचार्य ने सूचित किया (दिसंबर 2020) कि छात्रावास का उपयोग छात्राओं को आवास प्रदान करने के लिए किया जा रहा था। यद्यपि, छात्रावास में रहने वाले छात्रों की सूची मांगे जाने पर प्राचार्य ने (अक्टूबर 2021) निरंक जानकारी दी।
योग (1)				**1,415.67**	
बालकों को आवास प्रदान करने/अन्य उद्देश्यों जैसे पुस्तकालय/कंप्यूटर प्रयोगशाला आदि के रूप में उपयोग किए जा रहे चार छात्रावासों का विवरण					
1	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बैतूल	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	30.04.15/ 27.08.15	66.42	लड़कों के छात्रावास के रूप में उपयोग किया जा रहा हैं क्योंकि छात्राएं छात्रावास में प्रवेश लेने के लिए तैयार नहीं हैं।
2	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भिण्ड	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	30.04.15/ 05.05.15	76.56	वर्ष 2017–18 तक छात्रावास का उपयोग बालक छात्रावास के रूप में किया गया क्योंकि छात्राएं छात्रावास में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक नहीं थी। तत्पश्चात, राज्य के सभी जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित होने के कारण छात्रावास में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	डॉ. बी आर अम्बेडकर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, ग्वालियर	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	15.02.14/ 25.02.14	74.47	छात्राओं द्वारा छात्रावास में आवास के लिए आवेदन नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2019–20 से छात्रावास का उपयोग लड़कों को आवास उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है।
4	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जावद, नीमच	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	05.11.2014/ 05.01.2015	88.64	अधिकांश छात्राएं आस–पास के क्षेत्र की होने के कारण छात्रावास में प्रवेश लेने में रुचि नहीं लेती हैं और साथ ही छात्राओं का प्रवेश भी बहुत कम रहता है। अतः छात्रावास का उपयोग छात्राओं के आवासीय उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है। यद्यपि, छात्रावास का उपयोग अन्य उद्देश्यों जैसे लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब आदि के लिए किया जा रहा है।
	योग (2)			**306.09**	
पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों का विवरण जिनमें केन्द्रीय सहायता से निर्मित बालिका छात्रावास क्रियाशील थे, तथापि पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किए जा रहे थे					
1	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बालाघाट	सर्वे/आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया, तथापि, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया	21.06.18/ 29.06.18	89.87	छात्रावास का उपयोग किया जा रहा है। अधिभोगः 2019–20: 15, 2020–21: कोविड–19 के कारण बंद एवं बी.एस.एफ0 बटालियन द्वारा उपयोग किया जा रहा है। औसत उपयोगः 30 प्रतिशत
2	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, दमोह	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	13.02.15/ 23.03.15	90.00	छात्रावास का उपयोग किया जा रहा है। अधिभोगः 2015–16: 8, 2016–17: 18, 2017–18: 7, 2018–19: 9। जिला प्रशासन द्वारा छात्रावास का उपयोग कोविड देखभाल केन्द्र के रूप में किया गया। औसत उपयोगः 21 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, धार	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	30.01.14/ 01.07.16	90.00	छात्रावास का उपयोग किया जा रहा है। अधिभोग: 2016–17: निरंक, 2017–18: निरंक, 2018–19: निरंक, 2019–20: 4, 2020–21: कोविड–19 के कारण बंद। औसत उपयोग: 2 प्रतिशत
4	शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, ग्वालियर	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	31.03.16/ 20.11.17	96.97	छात्रावास का उपयोग किया जा रहा है। अधिभोग: 2017–18: 14, 2018–19: 3, 2019–20: 4 2020–21: कोविड–19 के कारण बंद। औसत उपयोग: 14 प्रतिशत
5	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, खुरई, सागर	सर्वे/आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया, तथापि, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया	28.09.16/ 04.10.16	93.09	छात्रावास का उपयोग किया जा रहा है। अधिभोग: 2017–18: 3, 2018–19: 8, 2019–20: 8, 2020–21: कोविड–19 के कारण बंद। औसत उपयोग: 12.67 प्रतिशत
6	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, पन्ना	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	19.12.15/ 19.12.15	91.98	अधिपत्य कब्जा लेने के बाद, प्रबंधक के लिए आवास न होने के कारण छात्रावास शुरू नहीं हो सका। प्रबंधक के लिए आवास का निर्माण 2018 में हुआ। तत्पश्चात 2018 में विधानसभा चुनाव एवं 2019 में लोकसभा चुनाव के कारण छात्रावास का अधिपत्य जिला निर्वाचन कार्यालय के पास था। छात्रावास फरवरी 2020 में प्रारंभ हो सका। अधिभोग: 2019–20: 6, 2020–21: कोविड–19 के कारण बंद। औसत उपयोग: 12 प्रतिशत
7	सहोदरा राय शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सागर	सर्वे/आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया, तथापि, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया	30.07.15/ 30.09.15	86.68	छात्रावास का उपयोग किया जा रहा है। अधिभोग: 2016–17: 23, 2017–18: 15, 2018–19: 7, 2019–20: 4 औसत उपयोग: 24.50 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उज्जैन	नहीं किया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया	30.03.16/ 12.04.16	90.00	छात्रावास का उपयोग किया जा रहा है। अधिभोगः 2016–17ः 27, 2017–18ः 19, 2018–19ः 14, 2019–20ः 12, 2020–21ः कोविड–19 के कारण बंद। औसत उपयोगः 36 प्रतिशत
9	शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, वैढ़न, सिंगरौली	सर्वेक्षण/आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया, तथापि, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया	03.05.15/ 15.05.18	90.00	छात्रावास का उपयोग किया जा रहा है। अधिभोगः 2018–19ः 14, 2019–20ः 14, 2020–21ः कोविड–19 के कारण बंद। औसत उपयोगः 28 प्रतिशत
	योग (3)			**818.59**	
एक बालिका छात्रावास भवन जिसका निर्माण अपूर्ण रहा का विवरण					
1	जी. टी. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जावरा, रतलाम	नहीं किया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया	अपूर्ण/ अधिपत्य नहीं लिया गया	90.00	छात्रावास में बिजली व्यवस्था व चाहरदीवारी नहीं होने के कारण छात्रावास का अधिपत्य नहीं लिया गया।
	योग (4)			**90.00**	
	महायोग (1+2+3+4)			**2,630.35**	

परिशिष्ट–2.6.1

(संदर्भः कंडिका 2.6, पृष्ठ संख्या 114)

देयक संख्या 48/20.08.2018 एवं 227/24.03.2018 के माध्यम से प्राप्त राशियाँ तथा राशियों के संदिग्ध बैंक खातों में जमा किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता नम्बर	आई.एफ.एस.सी. कोड	भुगतान (₹ में)	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता नम्बर	आई.एफ.एस.सी. कोड	भुगतान (₹ में)	बैंक अभिलेखों के अनुसार खाताधारकों के नाम	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार जमा की गई राशि (₹ में)
	देयक संख्या 224/15.03.2018 के माध्यम से जारी किए गए भुगतान तथा वास्तविक लाभार्थियों को किये गये भुगतान का विवरण (ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 485 दिनांक 20.03.2018 (बकाया की तीसरी किश्त))				देयक संख्या 48/20.08.2018 के माध्यम से कपटपूर्ण आहरण तथा संदिग्ध बैंक खातों में किये गये भुगतान का विवरण (ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 655 दिनांक 23.08.2018 संदर्भ संख्या अनुदान/2000934555 (बकाया की तीसरी किश्त))					
1	सूर्यमणि त्रिपाठी	08079769964	SBIN0RRMBGB	3,80,581	सूर्यमणि	11608760267	SBIN0006275	3,80,581	बिभा शुक्ला	3,80,581
2	रामरतन द्विवेदी	1887865286	CBIN0281413	2,47,825	रामरतन	31005345350	SBIN0006275	2,47,825	सुधीर कुमार तिवारी और श्रीमती अर्चना तिवारी	2,47,825
3	राम नारायण मिश्रा	08079789798	SBIN0RRMBGB	1,52,744	रामनारायण	31014817041	SBIN0000468	1,52,744	अतुल तिवारी	1,52,744

स. क्र.	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता नम्बर	आई.एफ.एस.सी. कोड	भुगतान (₹ में)	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता नम्बर	आई.एफ.एस.सी. कोड	भुगतान (₹ में)	बैंक अभिलेखों के अनुसार खाताधारकों के नाम	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार जमा की गई राशि (₹ में)
	देयक संख्या 224/15.03.2018 के माध्यम से जारी किए गए भुगतान तथा वास्तविक लाभार्थियों को किये गये भुगतान का विवरण (ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 485 दिनांक 20.03.2018 (बकाया की तीसरी किश्त))				देयक संख्या 48/20.08.2018 के माध्यम से कपटपूर्ण आहरण तथा संदिग्ध बैंक खातों में किये गये भुगतान का विवरण (ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 655 दिनांक 23.08.2018 संदर्भ संख्या अनुदान/2000934555 (बकाया की तीसरी किश्त))					
4	बसंत लाल द्विवेदी	21739127513	ALLA0211958	87,709	कमलेश कुमार द्विवेदी[3]	31652570773	SBIN0030251	87,709	कमलेश कुमार द्विवेदी	87,709
5	श्री निवास मिश्रा	21739127524	ALLA0211958	3,27,373	श्रीनिवास	32205015724	SBIN0006251	3,27,373	उर्मिला प्रसाद	3,27,373
6	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	0868000100084706	PUNB0086800	3,01,144	कृष्णकुमार	32228374459	SBIN0006275	3,01,144	सुषमा तिवारी	3,01,144
7	रामसुरेश द्विवेदी	1887865300	CBIN0281413	2,08,363	रामसुरेश	50023143167	ALLA0210247	2,08,363	अशोक कुमार चतुर्वेदी	2,08,363
8	श्री संतोष कुमार पाण्डेय	0868000100083576	PUNB0086800	3,98,628	संतोष कुमार	50084655390	ALLA0210244	3,98,638	अनिल कुमार शुक्ला	3,98,638
9	रामकिशोर द्विवेदी	1887865297	CBIN0281413	2,95,957	रामकिशोर	50195485863	ALLA0210247	2,95,957	राम कृष्णा मिश्रा	2,95,957

[3] देयक के साथ संलग्न भुगतान प्राप्तकर्ता की सूची में 'बसंत लाल द्विवेदी' का नाम अंकित था यद्यपि ई–भुगतान सूची में 'बसंत लाल द्विवेदी' के नाम के स्थान पर 'कमलेश कुमार द्विवेदी' का नाम बदला गया।

स. क्र.	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता नम्बर	आई.एफ.एस. सी. कोड	भुगतान (₹ में)	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता नम्बर	आई.एफ.एस. सी. कोड	भुगतान (₹ में)	बैंक अभिलेखों के अनुसार खाताधारकों के नाम	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार जमा की गई राशि (₹ में)
	देयक संख्या 224/15.03.2018 के माध्यम से जारी किए गए भुगतान तथा वास्तविक लाभार्थियों को किये गये भुगतान का विवरण (ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 485 दिनांक 20.03.2018 (बकाया की तीसरी किश्त))				देयक संख्या 48/20.08.2018 के माध्यम से कपटपूर्ण आहरण तथा संदिग्ध बैंक खातों में किये गये भुगतान का विवरण (ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 655 दिनांक 23.08.2018 संदर्भ संख्या अनुदान/2000934555 (बकाया की तीसरी किश्त))					
10	श्री राघवेंद्र उपाध्याय	0868000100041075	PUNB0086800	2,12,494	राघविंद प्रिसाद	50325197723	ALLA0210247	2,12,494	राधे रमन द्विवेदी	2,12,494
11	ललुआ केवट	1887865311	CBIN0281413	1,88,827	ललुआ	586902010001610	UBIN0558699	1,88,827	बैंक द्वारा जानकारी नहीं दी गई	–
12	विसानुदत्ता मिश्रा	1887865275	CBIN0281413	12,774	विष्णु	6398024184	IDIB000R078	12,764	स्वाति तिवारी	12,764
	योग (क)			**28,14,419**	योग (ग)			**28,14,419**		**26,25,592**

स. क्र.	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता नम्बर	आई.एफ.एस. सी. कोड	भुगतान (₹ में)	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता नम्बर	आई.एफ.एस. सी. कोड	भुगतान (₹ में)	बैंक अभिलेखों के अनुसार खाताधारकों के नाम	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार जमा की गई राशि (₹ में)
	देयक संख्या 225/15.03.2018 के माध्यम से जारी की गई राशि तथा वास्तविक लाभार्थियों को किये गये भुगतान का विवरण (ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 447 दिनांक 16.03.2018 (जुलाई 17 से फरवरी 18 की अवधि का वेतन))				देयक संख्या 227/24.03.2018 के माध्यम से कपटपूर्ण आहरण तथा संदिग्ध बैंक खातों में किये गये भुगतान का विवरण (ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 774 दिनांक 26.03.2018 (जुलाई 2017 से फरवरी 2018 की अवधि का वेतन))					
13	श्री निवास मिश्रा	21739127524	ALLA0211958	3,58,512	श्रीनिवास	32205015724	SBIN0006251	3,58,512	उर्मिला प्रसाद	3,58,512
14	श्री राघवेंद्र उपाध्याय	0868000100041075	PUNB0086800	1,70,920	राघविंद प्रिसाद	50325197723	ALLA0210247	1,70,920	राधे रमन द्विवेदी	1,70,920
15	श्री संतोष कुमार पाण्डेय	0868000100083576	PUNB0086800	4,03,872	सिंतोष कुमार	63004017897	SBIN0030380	4,03,872	सुनील पाण्डेय	4,03,872
16	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	0868000100084706	PUNB0086800	3,52,192	कृष्णकुमार	50418549761	ALLA0210247	3,52,192	कुमारी सरोज पाण्डेय	3,52,192
17	सूर्यमणि त्रिपाठी	08079769964	SBIN0RRMBGB	3,73,472	सूरमाईडी	526102010088432	UBIN0552615	3,73,472	लवी पाण्डेय	बैंक द्वारा जानकारी नहीं दी गई
योग (ख)				**16,58,968**	**योग (घ)**			**16,58,968**		**12,85,496**
महायोग (क+ख)				**44,73,387**	**महायोग (ग+घ)**					**39,11,088**

परिशिष्ट–2.6.2

(संदर्भः कंडिका 2.6, पृष्ठ संख्या 114)

देयक संख्या 156/10.01.2019, 195/19.03.2019 एवं 203/27.03.2019 के माध्यम से प्राप्त किये गये एवं संदिग्ध बैंक खातों में जमा की गयी राशियों का विवरण पत्रक

स. क्र	देयक संख्या 156/10.01.2019 के माध्यम से प्राप्त किये गये एवं संदिग्ध बैंक खातों में किये गये भुगतान का विवरण (ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 0536 दिनांक 14.01.19 (जुलाई 2018से अक्टूबर 2018 की अवधि का वेतन))					
	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	भुगतान (₹ में)	बैंक रिकॉर्ड के अनुसार खाताधारकों के नाम	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार जमा की गई राशि (₹ में)
1	कमलेश कुमार द्विवेदी	31652570773	SBIN0030251	91,444	कमलेश कुमार द्विवेदी	91,444
2	श्रीनिवास	32205015724	SBIN0006251	1,89,508	उर्मिला प्रसाद	1,89,508
3	कृष्णकुमार	32228374459	SBIN0006275	1,85,428	सुषमा तिवारी	1,85,428
4	संतोष कुमार	50084655390	ALLA0210244	2,12,464	अनिल कुमार शुक्ला	2,12,464
5	राघविंद प्रिसाद	50325197723	ALLA0210247	2,12,464	राधे रमन द्विवेदी	2,12,464
योग (क)				**8,91,308**		**8,91,308**
स. क्र	ई–पेमेंट सूची के अनुसार कोषागार से कपटपूर्ण निकासी का विवरण (देयक संख्या 195/19.03.2019, ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 0791 दिनांक 23.03.2019 (अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 की अवधि का वेतन))					
	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	भुगतान (₹ में)	बैंक रिकॉर्ड के अनुसार खाताधारकों के नाम	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार जमा की गई राशि (₹ में)
6	कमलेश कुमार द्विवेदी	31652570773	SBIN0030251	1,14,305	कमलेश कुमार द्विवेदी	1,14,305
7	शीरिनिवास	32205015724	SBIN0006251	2,44,880	उर्मिला प्रसाद	2,44,880
8	कृष्णकुमार	32228374459	SBIN0006275	2,31,785	सुषमा तिवारी	2,31,785
9	संतोष कुमार	50084655390	ALLA0210244	2,74,580	अनिल कुमार शुक्ला	2,74,580
10	राघविंद प्रिसाद	50325197723	ALLA0210247	2,74,580	राधे रमन द्विवेदी	2,74,580
योग (ख)				**11,40,130**		**11,40,130**

स. क्र	ई–पेमेंट सूची के अनुसार कोषागार से कपटपूर्ण निकासी का विवरण (देयक संख्या 195/19.03.2019, ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 0212 दिनांक 31.03.2019)					
	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	भुगतान (₹ में)	बैंक रिकॉर्ड के अनुसार खाताधारक का नाम	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार जमा की गई राशि (₹ में)
11	कृष्णकुमार	50418549761	ALLA0210247	3,73,472	सुश्री सरोज पाण्डेय	3,73,472
योग (ग)				**3,73,472**		**3,73,472**
	ई–पेमेंट सूची के अनुसार कोषागार से कपटपूर्ण निकासी का विवरण (देयक संख्या 203/27.03.2019, ट्रेजरी व्हाउचर संख्या 0211 दिनांक 31.03.2019)					
	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	बैंक खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	भुगतान (₹ में)	बैंक रिकॉर्ड के अनुसार खाताधारक का नाम	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार जमा की गई राशि (₹ में)
12	श्री कमलेश कुमार द्विवेदी	31652570773	SBIN0030251	1,88,827	कमलेश कुमार द्विवेदी	1,88,827
योग (घ)				**1,88,827**		**1,88,827**
महायोग (क+ख+ग+घ)						**25,93,737**

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi